****

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

****

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1) (ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर बोर्ड के मैनुअल

भाग–1

मैनुअल संख्या 1 से 17 तक

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

****

अनुक्रमणिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 (1) (ख)

(मैनुअल 1–17 तक)

मैनुअल संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	बोर्ड की विशिष्टयॉ कृत्य और कर्तव्वय	1–23
02.	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं अधिकार	24–33
03.	विनिश्चिय करने की प्रकिया	34–45
04.	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थपित मापदण्ड	46–160
05.	नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्शिका और अभिलेख	161
06.	ऐसे दस्तावेज जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रर्वगों का नियंत्रण।	162–164
07.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	165–166
08.	ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो से अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया जाता है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होंगी।	167–193
09.	अधिकारियों और कर्मवारियों की निर्देशिका।	194
10.	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनिमयों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	195
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिर्पोटों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	196–197
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित धनराशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायेदाग्राहियों के ब्यौरे सग्गिलित हैं।	198
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ	199
14.	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	200
15.	सूचना अधिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं	201
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ	202
17.	ऐसी अन्य सूचना जो निहित की जाए।	203

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–1

संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य
(The particulars of its organization, functions and duties)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या – 01

संगठन की विशिष्टियॉ कृत्य और कर्तव्य

(The particulars of its organization, functions and duties)

उत्तराखण्ड सरकार राज्य के तेरह जनपदों में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी कम में राज्य सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा–14 की उपधारा–9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या **01/xvii/b-1/2002-04(03)/2021** दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा चतुर्थ बोर्ड का गठन किया गया है:–

क0सं0	नाम	पदनाम
01.	श्री शादाब शम्स	अध्यक्ष
02.	श्री मौहम्मद शहजाद	मा0 विधायक/सदस्य
03.	श्री मुनफैत अली, अधिवक्ता	सदस्य
04.	श्री मौहम्मद अनीस	सदस्य
05.	डॉ0 हसन नूरी	सदस्य
06.	श्रीमती जिया बानो	सदस्या
07.	श्रीमती कहकशं नूरी, भारतीय वन सेवा	सदस्या
08.	श्री इकबाल अहमद	सदस्य
09.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य

प्रस्तावना

मुस्लिम लॉ में औकाफ का सिलसिला जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैय वसल्लम के जमाने से जारी है और आरजूए तवारिख की शरए इस्लाम से मालूम होती है। सही बुखारी में में यह हदीस लिखी है कि हजरत उमर बिन खिताब रजिअल्लाहो अनः रसूल मकबूल सल्लल्लाहो अलैय वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद गरीब गूर्बा व मसाकिन ने हमेशा के लिए वक्फ कर दूँ बस आप मुझको हिदायत फरमाए कि किस तौर से मैं इस जायदाद को अब्रालन बाद तक गैर काबिल इन्तकाल कर सकता हूँ। आँ हजरत ने फरमाया कि जिस जायदाद को अलैहदा करके इस की आमदनी इसकी आमदनी को वक्फ कर दूँ। इस इरशाद फैज बुनियाद से एक अजिमुश्शान सिलसिला कवानिन मुतालिका औकाफ व अमानत पैदा हुआ।

<u>वक्फ की तारिफः—</u> वक्फ के मायने किसी शै को रोक रखना या मुकिद करना है लेकिन इस्लाह में इससे मुराद किसी शै का किसी नेक काम के लिए या मुसलसल नेक कामों के वास्ते वक्फ किया जाना है। जो शै फी सबीलिल्लाह दी जाए वह वक्फ समझी जाती है। किसी कीमती शै की जात को खुदा की मिल्क में मुकिद कर देना और उसकी मुनफैत को दूसरों पर बे अगराज मजहबी व खैराती नेक नियती के साथ दाएमन सदका कर देने को इसाफ और सरीह इजहार वक्फ कहलाता है।

जब कोई शै वक्फ की जाती है तो उसकी मिलकियत वाकिफ से निकल कर खुदा ऐ कादरों तवाना को मुन्तकिल हो जाती है और जिस वक्त से इसको वक्फ करते है इस वक्त से इस शै का मानवी तौर पर कादिर मुतालिक मालिक समझा जाता है। लेकिन जो मुनाफा और आमदनी शै मॉकूफा से होती है सिर्फ वही बन्दगाने खुदा के फायद के लिए इस्तेमाल की जाती है और वक्फ हो जाने के सबब से मौकूफ नाकाबले इन्तेकाल और नाकाबले विरासत हमेशा के लिए हो जाता है यानि शै मौकूफा न बै न रहन और न किसी और तरह से किसी शख्स को मुन्तकिल हो सकती है जो शख्स अपनी शै को किसी मुकद्दस काम की अन्जाम दही के वास्ते राहे खुदा में देता है इसको वक्फ कहते है और जो इसकी निगरानी करता है इसको मुतवल्ली कहते है।

दरअसल वक्फ एक किस्म का अतिया है जो किसी अमूर दिनी या कार खैर के लिए होता है जिससे वाकिफ को माले वक्फ से फौरन दस्त बरदा हो कर इस कार खैर के लिए दे देना पडता है जिस काम के लिए वह वक्फ किया गया है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 की दफा 3(11) के मुताबिक वक्फ की तारिफ हस्बे जैल है।

वक्फ का मतलब किसी माल को मन्कूल व गैर मन्कूला दोनों शामिल है। किसी ऐसे मकसल के लिए मुस्तकिल और हमेशा के लिए वास्ते दे देना है। जो मुस्लिम लॉ और रिवाज के मुताबिक मजहबी कारे खैर और सवाब माना जाता है।

इस तरह सैन्ट्रल वक्फ एक्ट 1954 की दफा 3(एल) में वक्फ की तारिफ हस्बे जैल की गई है।

वक्फ के मायने यह है कि कोई शख्स जो इस्लाम धर्म में यकीन रखता हो और अपने किसी माल को जिसमें मन्कूला व गैर मन्कूला दोनों शामिल है किसी ऐसे मकसद के लिए जो मुस्लिम लॉ के मुताबिक अमूर मजहबी कारे खैर और सवाब माना जाता हो मुस्तकिल तौर पर उपर दिये गये मकसद के लिए वक्फ कर दे।

इमाम आजम अबू हनफिया रह0 अलैय के नजदीक वक्फ की तारिफ यह है कि किसी खास चीज का वाकिफ के कब्जा व मुल्क में रहना इसकी मुनफैत का बतौर आरियत के गुर्बा व मसाकिन में मुसरिफ में लाना और कार हाए खैर में लगाना।

साहबैन यानि इमाम आजम अबू हनफिया के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रह0 और इमाम मौ0 रह0 के कौल के मवाफिक वक्फ की तारिफ यह है कि किसी जायदाद मसल आराजी व मकानात वगैरह के हक मिलकियत से दस्त बरदार होकर राहे खुदा में इसको इस तरह दे देना कि बन्दगाने खुदा को इससे फायदा हो बशर्ते कि माले मौकूफ वक्फ करने के वक्फ वाकिफ का माल हो और जब एक मर्तबा वक्फ कर दिया जाए तो वह फिर मतलिक और कतई हो जाता है यानि शै मौकूफ फरोख्त नहीं हो सकती और न ही हिबे हो सकती है।

इमाम मौहम्मद के नजदीक वाकिफ का हक इस वक्त तक नहीं जाता जब तक कोई मुतवल्ली न मुकर्रर किया जाए और वह माल उसके सुपुर्द न किया जाए। इमाम युसुफ के नजदीक वाकिफ को खुद अपने तीन मुतवल्ली मुकर्रर करने और माले मौकूफ के मुबादले का इखतियार अपने लिए बाकी रखना जायज है। इमाम मौ0 रह0 ने इस मसले में भी इन से इख्तलाफ किया है। मगर इमाम अबू युसूफ का कौल हुक्म शरई करार दिया गया है और मुल्क की सभी अदालतों ने इसी रवायत की रोशनी में मुकदमों के फेसले सुनाए है।

वक्फ का चाहिए कि कतई और गैर मुशरदत को मन्सूख करना किसी के इख्तियार में न हो और यह भी जरूरी है कि वक्फ किसी ऐसे मकसद के लिए किया गया हो जिसमें कोई कसूर व फतवा वाके न हो। मजहबी शिया में वक्फ वह फल है जिसका असर यह होता है कि किसी चीज का ऐन महबूस हो जाता है और इसकी मुनफत बेकदीर रहती है। जवाहर कलाम में ववक्फ का मकसद यह लिखा है कि किसी कारे खैर का खुदा की राह में दवामन जारी रखना जिस लफज से भी हो सकता है जिससे

वक्फ का मन्शा जाहिर हो जाए मसलन वक्फ लफज हरमत तसद्दुक से भी हो सकता है।

शरई इस्लाम में वक्फ की यह तारिफ लिखी है कि वक्फ़ एक मामला या मोहायदा है जिस का असर या नतीजा यह है कि ऐनुलमाल महबूस हो जाता है और इसकी मुनफत बेकदीर रहती है।

उत्तराखण्ड राज्य में वक्फ बोर्ड का उदय

पर्वत राज्य हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखएड राज्य दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। भारत सरकार के आदेश दिनॉक 5.8.2003 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से वक्फ बोर्ड को प्रथक कर निम्न आदेश जारी किये।

आदेश दिनांक 5 अगस्त 2003

केन्द्र सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 102 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों सरकारों द्वारा उसकी उपधारा (1) के अतर्गत उसे अग्रेषित, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्य वक्फ बोर्डो के विभाजन की स्कीम को अनुमोदित करती है तथा निम्नलिखित आदेश करते हुए इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करती है, अर्थात :—

(क) वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड विघटित कर दिये जाऐगें और दोनों उत्तर पद्रेश और उत्तरांचल दोनो राज्य सरकार वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वंय अपने राज्य वक्फ बोर्ड गठित करेंगी तथा पुनर्गठित बोर्डो का संबधित उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में आने वाले क्षेत्रों पर अधिकारित होगी।

(ख) उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तरांचल राज्य के भीतर आने वाली 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आने वाली वक्फ सम्पत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डो की अस्तियॉ, धन और दायित्व संबधित राज्य वक्फ बोर्डो की अस्तियॉ, धन तथा दायित्व मानी जाएगी जिसमें वह उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन की तारीख को विधमान थी।

(ग) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर और बिजनौर जिलों में आने वाली उन सुन्नी वक्फों के संबन्ध में जहॉ एक ही मुतवल्ली हो किन्तु संपत्तियॉ दोनों राज्यों में हों वहॉ स्थानीय वक्फ बोर्ड का अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाली संपत्तियों पर नियंत्रण होगा। संबधित मुतवल्ली अपनी

संबधित अधिकारिता में आने वाली संपत्तियों के संबध में दोनों वकफ बोर्डो के प्रथक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें तथा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के अधीन 7 प्रतिशत अंशदान एकत्र करेगें और संबधित राज्य वक्फ बोर्ड में प्रथक रूप से जमा करेगें। यदि ऐसे वक्फों की बाबत उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन के पश्चात नए मुतवल्लियों की नियुक्ति की अपेक्षा की जाती है तो अपने संबधित अधिकारिता में स्थित ऐसी वक्फ संपत्तियों के लिए संबधित वक्फ बोर्डो द्वारा प्रथक मुतवल्ल्यों की नियुक्ति की जाएगी।

(घ) उत्तरांचल के 13 जिलों के अधीन उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डो में सभी पद और कर्मचारी जो उत्तरांचल के 13 जिलों और 2 मंडलों (कुमाउ और गढवाल) से बाहर स्थानान्तरणीय नहीं थे, उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड के पद और कर्मचारी माने जाएगें। अन्य सभी कर्मचारियों के संबध में जो पूरे तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरणीय थे, दोनों राज्यों द्वारा पारस्परिक करार से नितिगत विनिश्चय किया जाएगा।

(ड) उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्डो के उत्तरांचल औकाफ के पुराने अतिशोध्यों सहित सभी शोध्यों की उनसे वसूली की जाएगी तथा उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा संबधित उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डो को इस आदेश की तारिख से तीन मास के भीतर भुगतान किया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर उत्तराचंल राज्य सरकार तीन मासे की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात एक मास के भीतर अपने संसाधनों से ऐसा भुगतान करेगी।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डो द्वारा उत्तराचल राज्य में आने वाली शिया और सुन्नी वक्फ संपत्तियों से संबधित सभी फाईलें और दस्तावेज उत्तराचंल राज्य वक्फ बोर्ड को अंतरित किये जाएगें तथा उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद और कार्यवाही के संबध में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्थान पर उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(छ) उत्तरांचल राज्य में आने वाली वक्फ संम्पत्तियों के मुतवल्लियों के विरूद्व कार्यवाही से संबधित सभी फाईलें उत्तरांचल वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएगीं और यदि कोई ऐसा मुतवल्ली दोनो राज्यों में आने वाली वक्फ सम्पत्तियों की देखभाल कर रहा है तो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 64 के अधीन ऐसे मुतवल्ली के विरूद्व कार्यवाही उस वक्फ बोर्ड द्वारा की जाएगी जिनके अधिकारिता में वह संपत्ति जिसके संबध में कार्यवाही लंबित है, स्थित है :

(ज) इस आदेश के अंतर्गत न आने वाले सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारें द्वारा आपसी विचार–विमर्श द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और किसी विवाधक पर असहमति की दशा में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा मामलें को केन्द्रीय सरकार को निद्रेशित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

यह आदेश राजपत्र मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड मे पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:--

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का जिलेवार विवरण

क्रम सं0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
जनपद / वक्फ सम्पत्ति का प्रकार	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चमोली	चम्पावत	देहरादून	हरिद्वार	नैनीताल	पिथौरागढ	पौड़ी गढ़वाल	रुद्रप्रयाग	टिहरी	ऊधमसिंहनगर	उत्तरकाशी	कुल योग
औक़ाफ की संख्या	**46**	**8**	**2**	**11**	**435**	**865**	**181**	**11**	**26**	**2**	**17**	**499**	**2**	**2105**
कब्रिस्तान व तकिया	13	5	0	4	133	386	26	5	9	1	11	179	1	**773**
मस्जिद	6	3	1	6	155	322	48	3	10	1	4	144	1	**704**
दरगाह और मजार	5	0	0	1	33	58	17	0	1	0	0	86	0	**201**
मदरसा / मकतब	1	1	0	1	19	25	14	0	5	0	0	34	0	**100**
ईदगाह	1	0	0	0	13	31	3	1	1	0	2	18	0	**70**
कृषि भूमि	0	0	0	0	44	33	3	0	0	0	0	32	0	**112**
इमामबाडा और करबला	4	0	0	0	2	11	1	1	0	0	0	13	0	**32**
मुसाफिर खाना	0	0	0	0	2	8	1	0	1	0	0	0	0	**12**
स्कूल	1	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	0	**12**
हुजरा	2	0	0	0	17	22	4	0	0	0	0	0	0	**45**
प्लॉट	4	3	1	0	22	77	11	1	1	0	0	10	0	**130**
मकान	34	1	0	0	709	96	126	0	30	0	0	28	0	**1024**
दुकान	15	0	0	13	429	738	137	2	52	0	0	325	0	**1711**
खानकाह	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	**4**
अन्य	6	0	0	34	97	78	15	0	10	0	0	13	0	**253**
कुल	**92**	**13**	**2**	**59**	**1680**	**1891**	**407**	**13**	**120**	**2**	**17**	**885**	**2**	**5183**

1. <u>उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कृत्य–</u> वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 के तहत उत्तराखण्ड वक्फ की शक्ति एंव कृत्य निम्नवत है।

धारा 32(1) ऐसी किसी नियम के अध्यधीन रहते हुए जिसका निर्माण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा, एक राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण, सीापित किये गये बोर्ड या राज्य में निहित होगा, और यह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करना बोर्ड का कर्तव्य होगा जिससे यह सुनिश्चित करे कि इसके अधीक्षण के अधीन वक्फों को समुचित तौर पर कायम, नियन्त्रित और प्रशासित किया जाता है और इसकी आय का उपयोजन भली–भॉति ढंग से उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाता है, जिनके लिए ऐसे वक्फों का सृजन किया गया था या आशय रखा गया था।

परन्तु किसी भी वक्फ के बाबत इस अधिनियम के अधीप इसकी शक्तियों को प्रयोग करने में, बोर्ड,, उस मुस्लिम विधि के स्कूल द्वारा मंजूरी की गई किसी भी प्रथा या रूढि और वक्फ के प्रयोजनों एंवम वक्फ के निर्देशों की संपुष्टि में कार्य करेगा जिसका वक्फ होता है।

स्पष्टीकरणः– संदेह को दूर करने के लिए यह एतद् घोषित किया जाता है कि इस उप–धारा में 'वक्फ' के अन्तर्गत एक ऐसा वक्फ आता है जिसके सम्बन्ध में कोई योजना विधि के किसी भी न्यायालय द्वारा बनाई गई है, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रतिकूल हुए बिना ही, बोर्ड के कृत्य होगें–
(क) प्रत्येक वक्फ की उत्पत्ति, आय, उद्देश्य और हितग्राहियों से संबधित सूचना को धारण करने वाले एक अभिलेख को बनाए रखना।
(ख) यह सुनिश्चित करना कि वक्फ की आय और अन्य सम्पत्ति उन उद्देश्यों एंव प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती ह, जिसके लिए वक्फ का आशय रखा गया या सृजन किया गया थाः
(ग) वक्फों के प्रशासन के लिए निर्देश देगाः
(घ) एक वक्फ के लिए प्रबन्ध की योजना की व्यवस्थापना करनाः

परन्तु इरा प्रकार का कोई भी व्यवस्थापन सुने जाने का एक अवसर व्यथित पक्षकारों को दिये बिना ही नहीं किया जाएगा।
(ड) निर्देश देना

वक्फ के उद्देश्यों के संगत वक्फ की अधिशेष आय का उपयोगः

एक वक्फ की आय का जिसके उद्देश्य किसी भी लिखत से सुस्पष्ट नहीं होते, किसी तरीके से, उपयोग किया जाएगाः

ऐसे किसी भी मामले में जहॉ वक्फ का कोई भी उद्देश्य अस्तित्वशील रहने से विरत हो गया है या कामयाबी प्राप्त करने में असमर्थ हो गया है, वहॉ वक्फ की आय का इतना अधिक, जितना उस उद्देश्य के प्रति पहले उपयोजित किया था, वह किसी दूसरे उद्देश्य के प्रति भी उपयोजित किया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय में ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए या गरीबों की प्रसुविधा के लिए या मौलिक उद्देश्य के प्रति एक समान या लगभग एक समान होगाः

परन्तु प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिये बिना इस खण्ड के अन्तर्गत कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरणः— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा —

सुन्नी वक्फ के मामले में मात्र बोर्ड के सुन्नी सदस्यों द्वारा, और
शिया वक्फ के मामले में मात्र बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा

परन्तु बोर्ड में शिया या सुन्नी सदस्यों की संख्या तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहाँ बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ऐसे सदस्यों द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह ऐसे अन्य मुस्लिमों जो शिया या सुन्नी, यथास्थिति हो, जैसा यह उचित समझे, इस खण्ड के अन्तर्गत इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है।

(च) मुतवल्ली द्वारा प्रेषित किये गये बजट की संवीक्षा करना और अनुमोदन करना और वक्फ के खातों का लेखा परिक्षण करने के लिए प्रबन्ध करना,

(छ) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार मुतवल्ली की नियुक्ति करना और हटाना,

(ज) किसी भी वक्फ की खोई हुए सम्पत्तियों की वसूली के लिए उपाय करना,

(झ) वक्फ से सम्बन्धित वादों और कार्यवाहियों को संस्थापित और बचाव करना,

(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वक्फ की अचल सम्पत्ति का विकय, हिबा, बन्धक, विनिमय या पट्टा द्वारा किसी अन्तरण को अनुमोदित करना,

परन्तु जब तक कि कम से कम दो–तिहाई सदस्य ऐसे संव्यवहार के पक्ष में मतदान नहीं करते ऐसा अनुमोदन नहीं दिया जाएगा,

(ट) वक्फ कोष का प्रबन्ध करना,

(ठ) मुतवल्ली से वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरणी, ऑकडे, लेखे और अन्य सूचना जिनकी बोर्ड को समय–2 पर आवश्यकता है उन्हें मॉगना,

(ढ) वक्फ और वक्फ सम्पत्ति का अन्वेषण, और प्रकति का अवधारण और विस्तार करना और जब कभी भी आवश्यकता हो, ऐसी वक्फ सम्पत्ति का सर्वेक्षण करवाना,

(ण) सामान्य रूप से ऐसे सभी कार्य करना जो वक्फ के नियन्त्रण, रखरखाव एंव प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो।

(3) जहॉ पर बोर्ड ने उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रबन्ध योजना तय की है अथवा खण्ड (ड) के अधीन कोई निर्देश दिया है कोई व्यक्ति जो वक्फ में हित रखता है या ऐसे निर्देश या योजना से प्रभावित होता है तो ऐसी योजना या निर्देश को अपास्त करने हेतु अधिकरण में वाद संस्थित कर सकता है और उस पर अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(4) जहॉ बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि कोई वक्फ भूमि जो वक्फ की सम्पत्ति है, शॉपिंग सैन्टर, बाजार, आवासीय ग्रहों और ऐसे अन्य मदों के विकास के लिए उपयुक्त सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, यह सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को अपना

विनिश्चक सुनिश्चित करने के लिए एक नोटिस दे सकेगा, जिस की अवधि नोटिस में विनिर्दिष्ट होगी परन्तु साठ दिनो से कम नहीं, कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट विकास कार्यो के निष्पादन करने का इच्छुक है या नही।

(5) उप धारा (4) के अधीन जारी की गई नोटिस के उत्तर, यदि कोई है, की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा उत्तर के उपर विचारण करने पर, यदि यह निर्दिष्ट किया जाता है कि मुतवल्ली इच्छा नहीं कर रहा है या नोटिस की शर्तो में निष्पादित किये जाने वाले आपेक्षित कार्यो का सम्पादन करने में समर्थ नहीं होता है। यह सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ सम्पत्ति को कब्जे में ले सकेगा, उस पर किसी भी इमारत या निर्माण को विनपट कर सकेगा, जो बोर्ड की राय में कार्या के निष्पादन के लिए आवश्यक होता है। और वक्फ निधि या वक्फ कोषों से ऐसे कार्य का निष्पादन करेगा, जो सम्बन्धित वक्फ की सम्पत्तियों की प्रतिभू पर विचाराणार्थ प्रस्तुत की जा सकती है, और ऐसे समय तक सम्पत्तियों पर नियंत्रण और उनका प्रबन्ध कर सकेगा जो सम्पत्ति पर उपगत किये गये विधिक अन्य परिवर्तनों एंव ऐसे कार्यो के पोषण पर खर्च के साथ इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा उपगत किये गये सभी खर्चे उस पर ब्याज को सम्पत्ति को व्युत्पन्न हुई आय से वसूला जाएगा:

परन्तु बोर्ड, बोर्ड द्वारा सम्पत्ति को कब्जे में लिए जाने के बाद तत्काल अग्रेसित तीन वर्षो के दौरान सम्पत्ति से प्राप्त किये गये औसतन वार्षिक विशुद्व आय के विस्तार तक सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को वार्षिक तौर पर क्षतिपूर्ति करेगा।

(6) उन सभी व्ययों के पश्चात जो उपधारा (5) में प्रगणित है, को विकसित सम्पत्तियों की आय से बलात ग्रहण किया गया है, वे विकसित सम्पत्तियॉ सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को सौप दी जाएगी।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की संवैधानिक स्थिति

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 102 की उपधारा–2 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में दिनांक 06 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 4165/स0क0/2003–36(समाज कल्याण)/2002 के तहत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। तत्पश्चात उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य में अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्तमान अवधि में उत्तराखण्ड शासन द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा–14 के तहत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के मा0 अध्यक्ष/सदस्यगणों को नामित/नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के कियाकलापों के सफल संचालन हेतु वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा–23 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी तैनाती की गई है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का संगठनः–

क0सं0	नाम	पदनाम
01.	श्री शादाब शम्स	अध्यक्ष
02.	श्री मौहम्मद शहजाद	मा0 विधायक/सदस्य
03.	श्री मुनफैत अली, अधिवक्ता	सदस्य
04.	श्री मौहम्मद अनीस	सदस्य
05.	डॉ0 हसन नूरी	सदस्य
06.	श्रीमती जिया बानो	सदस्या
07.	श्रीमती कहकशं नूरी, भारतीय वन सेवा	सदस्या
08.	श्री इकबाल अहमद	सदस्य
09.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य
10.	श्री एस0एस0 उस्मान	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

रजिस्ट्री सं. डी एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2003/श्रावण 15, 1925

No. 709] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2003/SRAVANA 15, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 908(अ).—केन्द्रीय सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 102 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा सम्यक रूप से तैयार और अनुमोदित, तथा अनुमोदन हेतु उक्त राज्य सरकारों द्वारा उसकी उप-धारा (1) के अंतर्गत उसे अग्रेषित, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्य वक्फ बोर्डों के विभाजन की स्कीम को अनुमोदित करती है तथा निम्नलिखित आदेश करते हुए इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करती है, अर्थात् :-

(क) वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड विघटित कर दिए जाएंगे और दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों राज्य सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वयं अपने राज्य वक्फ बोर्ड गठित करेंगी तथा पुनर्गठित बोर्डों का संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में आने वाले क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी,

(ख) उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तरांचल राज्य के भीतर आने वाली 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा । इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डों की आस्तियां, धन और दायित्व संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों की [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य [illegible]

(छ) उत्तरांचल राज्य में आनेवाली वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों के विरूद्ध कार्रवाई से संबंधित सभी फाईलें उत्तरांचल वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएंगी और यदि कोइ ऐसा मुतवल्ली दोनों राज्यों में आने वाली वक्फ संपत्तियों की देखभाल कर रहा है तो वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64 के अधीन ऐसे मुतवल्ली के विरूद्ध कार्रवाई उस वक्फ बोर्ड द्वारा की जाएगी जिनके अधिकारिता में वह संपत्ति जिसके संबंध में कार्यवाही लंबित है, स्थित है ;

(ज) इस आदेश के अंतर्गत न आनेवाले सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार-विमर्श द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और किसी विवाद्यक पर असहमति की दशा में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा ।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 4(32)/2000 वक्फ]

सपना राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2003

S.O. 908(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 102 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby approves the scheme of division of the existing State Wakf Boards in Uttar Pradesh, duly framed and approved by the State Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal and forwaided to it under sub-section (1) thereof, by the said State Governments for approval, and gives effect to the scheme so approved by making the following Order, namely:-

(a) The existing Uttar Pradesh State Shia and Sunni Wakf Boards shall be dissolved and both the State Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal shall constitute their own State Wakf Boards as per the provisions contained in sections 13 and 14 of the Wakf Act, 1995 and the re-constituted Boards shall have jurisdiction over the areas falling in the respective States of Uttar Pradesh and

(13)

उत्तरांचल सरकार
समाज कल्याण अनुभाग
संख्याः 1810/स.क.–02–36(कल्याण)/2002
देहरादूनः दिनांकः 3/अगस्त 2002

अधिसूचना

उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43/1995) की धारा–13 की उपधारा–1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल वक्फ बोर्ड स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्याः1810(1)/स.क.–02–36(कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की(हरिद्वार) उत्तरांचल को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 2500 प्रतियाँ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

(14)

[illegible]
समाज कल्याण विभाग
[illegible]/स.क./2003-36(समाज कल्याण)/2002
देहरादून, दिनांक: 06 सितम्बर 2003

अधिसूचना

केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995(अधिनियम संख्या 43, 1995) की धारा–102 की उपधारा–2 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में तथा दिनांक 31 अगस्त 2002 की अधिसूचना संख्या 1810/स.क.–02–36(कल्याण)/2002 का अतिक्रमण करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल उक्त अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस. के. मुट्टू
सचिव

संख्या: 2416 (1)/स.क./2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर गजट की 500 प्रतियाँ समाज कल्याण अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अनु. सचिव

संख्या: 2416 (2)/स.क./2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

1 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यापाल उत्तरांचल
2 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल
3 निजी सचिव मा. मंत्री [illegible] उत्तरांचल

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : — /XVII-B-1/2022-04(03)/2021
देहरादून : दिनांक : 03 जनवरी, 2022

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 43, 1995 समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा-14 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से निम्नलिखित तालिकानुसार उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	सदस्य का नाम व पता	नामित श्रेणी	वक्फ अधिनियम की धारा
1.	मौ0 शादाब शम्स पुत्र श्री हाजी शमसुद्दीन, निवासी-माजरा, देहरादून।	मा0 मुस्लिम सांसद प्रतिनिधि के रूप में सदस्य नामित।	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-14 की उपधारा (1) (ख) तथा सपठित धारा-14 की उपधारा (3) के अधीन।
2.	मौ0 काजी निज़ामुद्दीन, निवासी-मंगलौर, हरिद्वार।	मा0 विधायक।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अधीन।
3.	श्री मुनफैत अली, निवासी-पनियाला, रूड़की, हरिद्वार।	मुस्लिम अधिवक्ता।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के अधीन।
4.	मौ0 अनीस पुत्र श्री मौ0 हनीफ, निवासी-ग्राम जमौर, तहसील-खटीमा, उधमसिंहनगर।	सामाजिक कार्यकर्ता।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन।
5.	डॉ0 हसन नूरी, निवासी-काशीपुर, उधमसिंहनगर।	सुन्नी मुस्लिम इस्लाम धर्म के ज्ञाता/विद्वान।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) के अधीन।
6.	श्रीमती जिया बानो पत्नी श्री शाहवर अब्बाज अली नकवी, निवासी-रामनगर, नैनीताल।	शिया मुस्लिम इस्लाम धर्म के ज्ञाता/विद्वान।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन।
7.	श्रीमती कहकशां नसीं, भारतीय वन सेवा	संयुक्त सचिव स्तर।	वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के अधीन।

2- उपरोक्त नामित श्रेणियों के अतिरिक्त वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड-(iv) के अधीन मुतवल्ली कोटे से निर्वाचित श्रेणी के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

क्रमशः.....

16

3– श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XVII-B-1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (2)/XVII-B-1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी गढ़वाल।
7. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
11. समस्त अधिकारीगण/महानुभाव (द्वारा–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

03/01/22

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

17

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : 75 /XVII-B-1/2022–04(03)/2021
देहरादून : दिनांक : 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना 01/XVII-B-1/2022–04(03)/2021 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 के प्रावधानानुसार विभिन्न श्रेणियों में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित किया गया है।

2– तत्क्रम में एतद्द्वारा श्री राज्यपाल केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14(1)(ख)(i) तथा सपठित धारा 14(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री इसहाक अहमद, निवासी वार्ड सं.–6, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) को मुस्लिम सांसद श्रेणी में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का सदस्य नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 75 (1)/XVII-B-1/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

ख्या : 75 (2)/XVII-B-1/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. संबंधित महानुभाव (द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
07/01/22
(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

(18)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं, एल0 फैनई, निर्वाचन अधिकारी/प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा 8 के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड़ वक़्फ बोर्ड नियम, 2017 के नियम 43 के तहत आज दिनांक 07.09.2022 को सम्पन्न बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के उपरान्त **श्री मौहम्मद शादाब शम्स** को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का विधिवत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं तथा प्रमाण स्वरूप यह निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं।

07/09/2022

निर्वाचन अधिकारी/प्रमुख सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड़ शासन
निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड वक़्फ बोर्ड

Received

/49783/2022

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : 1061 /XVII-B-1/2022
देहरादून : दिनांक : 14 जून, 2022

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–01/XVII-B-1/2022–04(03)/2021, दिनांक 03.01.2022 तथा अधिसूचना संख्या–75/XVII-B-1/2022–04(03)/2021, दिनांक 07.01.2022 के द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–14 के प्रावधानानुसार विभिन्न श्रेणियों में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित किया गया है।

2– तत्क्रम में एतद्द्वारा श्री राज्यपाल केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–14 (1) (ख) (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सरवत करीम अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हफीज, मा. विधायक–मंगलौर विधान सभा, निवासी–मंगलौर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार एवं श्री शहजाद पुत्र श्री मौहम्मद शफी, मा. विधायक–लक्सर विधान सभा, निवासी–ग्राम लहबोली, पोस्ट–मंगलौर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार को विधिवत निर्वाचन के परिणामस्वरूप राज्य विधान मण्डल के मुस्लिम सदस्य श्रेणी में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्य नामित किये जाने किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

Signed by L Fanai
Date: 13-07-2022 17:43:32

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1061 (1)/XVII-B-1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1061 (2)/XVII-B-1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

nerated from eOffice by BIPIN CHANDRA JOSHI, SO MINORITY WELFARE SECTION-RC I, SECTION OFFICER, Minority Welfare Department on 14/07/2022 10

55096/2022

(20)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या 1193 /XVII-B-1/2022–04(03)/2021
देहरादून : दिनांक :05 ~~मई~~ अगस्त, 2022

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या 01/XVII-B-1/2022–04(03)/2021 दिनांक 03.01.2022 तथा अधिसूचना संख्या 75/XVII-B-1/2022–04(03)/2021 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 के प्रावधानानुसार विभिन्न श्रेणियों में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित किया गया है।

2– तत्क्रम में एतद्द्वारा. श्री राज्यपाल केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14(1)(ख)(iv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुनव्वर अली पुत्र श्री मौखा, निवासी बेरिया रोड, श्रंगार शोरूम के सामने, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर) को विधिवत निर्वाचन के फलस्वरूप मुतवल्ली श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का सदस्य नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1193 (1)/XVII-B-1/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

J96/2022

(2)

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः...

संख्या : 1193 (2)/ XVII-B-1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. - निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. - निजी सचिव, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. - आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. - सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली।
9. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. - निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. - मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
12. - समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. - संबंधित महानुभाव (द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।
14. - महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
15. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

(22)

प्रभार प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–552/XVII–B-1/2023–07(31)2004 दिनांक–13 जुलाई, 2023 के क्रम में, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक–31 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी

(सैयद शिराज उस्मान)

प्रतिहस्ताक्षरित

1.1

प्रमुख सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय–उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

पत्रांक संख्या– 391 /उ.व.बोर्ड/101(II)/2023–24 दिनांक–3 | जुलाई, 2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री/मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. मा. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता, उत्तराखण्ड शासन।
10. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, (उत्तराखण्ड) देहरादून।
13. समस्त अधिष्ठान, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, देहरादून।
14. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल को छोडकर।
16. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, ई.सी. रोड, देहरादून।
17. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, नेहरू कालोनी, देहरादून।
18. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी. आई. बैंक, सुभाष रोड, देहरादून।
19. गार्ड फाईल।
20. प्रबन्ध निदेशक, UPCL, देहरादून।

(सैयद शिराज उस्मान)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

waqfboard/distt-DDN-pc-1/2023-24

1/136276/2023

संख्याः– 111 /XVII-B-1/2023-07(31)/2004

प्रेषक,

कवीन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः दिनांक 10 जुलाई, 2023**

विषयः– उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–31/उ0व0बोर्ड/101–सी.ई.ओ./2023–24, दिनांक 25.04.2023 तथा तत्संबंधी पत्र संख्या– /उ0व0बोर्ड/101–सी.ई.ओ.(।।)/2023–24, दिनांक 19.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–23 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सैयद सिराज उस्मान, अधिशासी अधिकारी एवं उनके मूल विभाग उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन की सहमति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए, शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Kavindra Singh
Date: 10-07-2023 12:10:26

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– /XVII-B-1/2023-07(31)/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. श्री सैयद सिराज उस्मान, अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन, हरिद्वार (द्वारा–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO(INCHARGE)-MinorityWelfareSection-CM, SECTION OFFICER(INCHARGE), Minority Welfare Departm

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य
(powers and duties of its Officers and employees)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–2

(अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य)
(powers and duties of its Officers and employees)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी– बोर्ड का सर्वोच्च प्रशानिक अधिकारी होने के कारण समस्त उत्तरदायित्व इस पद में निहित हैं। वक्फ अधिनियम की धारा 25 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य एंव शक्तियॉ निम्नवत है:–

धारा 25(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और उसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा बोर्ड के निर्देशों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों के अन्तर्गत आयेगें।

(क) वक्फ की प्रकति एंव विस्तार और वक्फ सम्पत्ति का अन्वेषण तथा जब कभी आवश्यक हो मुतवल्लियों से समय–2 पर वक्फ सम्पत्ति की सूची, खातों, विवरण और सूचना की मॉग करना,

(ख) वकफ सम्पत्तियों और उनसे सम्बन्धित खातों, अभिलेखों, विलेखों या इस्तावेजों का निरिक्षण करना या कराना,

(ग) साधारण तौर पर ऐसे कार्यो को करना जो, वक्फ के नियन्त्रण, पोषण और अधीक्षण के लिए आवश्यक है।

(2) किसी भी वक्फ के बाबत उप धारा (1) के अधीन निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करने में बोर्ड, वक्फ के विलेख में वाकिफ द्वारा निर्देशों, वक्फ के प्रयोजन और ऐसे रूढि और प्रथा की संपुष्टि में कार्य करेगा जिसे कि उस मुस्लिम–विधि के स्कूल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है, जिसके वक्फ का संबंध होता है।

(3) जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर विहित है, के सिवाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित या प्रत्योजित किये जाएं।

<u>वक्फ अधिनियम की धारा 26 के तहत बोर्ड के आदेशों या संकल्प के सन्दर्भ में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियॉ:–</u>

जहॉ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह समझता है कि बोर्ड द्वारा पारित किया गया आदेश या संकल्प–

(क) विधि के अनुसार नहीं पारित किया गया है, या

(ख) उसके आधिक्य में है या बोर्ड द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या किसी दूसरी विधि द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का दुरूपयोग होता है, या

(ग) यदि संचालित किया जाए, तो–

बोर्ड या सम्बन्धित वक्फ या सामान्य रूप से वकफ वित्तीय हानिकारिता करने वाला है,

एक बलवा या शांति भंग करने वाला है, या

मानव जीवन, स्वास्थय या सुरक्षा, को खतरा पहूँचाने वाला है, या

(घ) साधारण तौर पर बोर्ड या किसी वक्फ या वक्फों के लिए हितग्राही नहीं है,

वह ऐसे आदेश या संकल्प को कार्यान्वित करने के पूर्व मामले को इस पर पुनर्विचार के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और यदि, ऐसे आदेश या संकल्प की पुष्टि और वर्तमान सदस्यों के मत के बहुमत द्वारा और इस प्रकार के पुनर्विचार के पश्चात मतदान को राज्य सरकार के लिए निर्देशित कर सकेगा, और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 29 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस बाबत सम्यक् रूप से प्राधिकत बोर्ड का अन्य अधिकारी ऐसी शर्तो एंव निबन्धनों, जो उल्लेखित की जावे, के विषयाधीन रहते हुए एंव ऐसा शुल्क जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अन्तर्गत वसूलही योग्य हो के भुगतान के विषयाधीन रहते हुए सभी जो युक्तियुक्त समय पर, वक्फ अथवा चल अथवा अचल सम्पत्ति जो वक्फ सम्पत्ति है, वक्फ सम्पत्ति होना दायित्व की जाती है, से सम्बन्धित किसी लोक कार्यालय में किन्ही अभिलेखों, रजिस्टरों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरिक्षण कर सकता है।

वकफ अधिनियम की धारा 30(1) के तहत बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अभिरक्षा में रखे गये अन्य अभिलेखों के निरिक्षण की अनुमति दे सकता है एंव शुल्क भुगतान किये जाने पर एंव उल्लेखित शर्तो के विषयाधीन रहते हुए इसकी प्रतिलिपि जारी कर सकता है।

धारा 30 (2) के अन्तर्गत जारी सभी प्रतिलिपियॉ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 में प्रावधानित तरीके से प्रमाणित की जावेगी।

धारा 30 (3) उप धारा (2) के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियॉ ऐसे बोर्ड के अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा भी उपयोग में

लाई जा सकती है यदि बोर्ड द्वारा इस बाबत सामान्यतः अथवा विशिष्टतः प्राधिकत किया गया हो।

<u>वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 33 के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकत व्यक्ति के निरिक्षण की शक्ति :–</u>

(1) इस दृष्टिकोण के साथ परिक्षण करना क्या, उसके कार्यपालकीय या प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुपालन में मुतवल्ली की ओर से कोई असफलता या उपेक्षा होने के कारण कोई हानि या क्षति किसी वक्फ की या वक्फ सम्पत्ति की, कारित की गई, तो बोर्ड की पूर्व अनुमोदन के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तो स्वंयमेव या इसकी ओर से लिखित तौर पर उसके द्वारा प्राधिकत किया गया कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी चल व अचल सम्पत्तियॉ जो वक्फ सम्पत्तियॉ है और सभी अभिलेखों, संवाहो, योजनाओं, खातों और उनसे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज का निरिक्षण कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) में जब कभी भी यथानिर्देशित ऐसा कोई निरिक्षण किया जाता है तो सम्बन्धित मुतवल्ली और सभी अधिकारीगण तथा उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारीगण और वक्फ के प्रशासन से जुडा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का निरिक्षण करने वाले व्यक्ति एक विस्तारित, इस प्रकार की सभी सहायता एंव प्रसुविधायें जैसा कि आवश्यक हो या ऐसे निरिक्षण को चालू रखने के लिए उसके द्वारा संचित तौर पर आवश्यक समझा गया हो, और वक्फ से सम्बन्धित किसी चल सम्पत्ति या दस्तावेजों को निरिक्षण के लिए पेश करेगा, जिन्हें निरिक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा मंगाया जाए और वक्फ से सम्बन्धित ऐसी सूचना की उसे आपूर्ति करेगा जो उसके द्वारा अपेक्षित हो।

(3) जहॉ इस प्रकार के किसी निरिक्षण के पश्चात यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित मुतवल्ली या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उसके अधीन काम कर रहा था या कर रहा हो उसने वक्फ के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया, दुरूपयोग किया या कपटपूण ढंग से प्रतिधारित किया या वक्फ की निधि से अनियमित, अप्राधिकत या अनुचित खर्च को उपगत किया, वहॉ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह कारण दर्शित करने का एक युक्तियुक्त अवसर मुतवल्ली या सम्बन्धित व्यक्ति को प्रदान करने के बाद क्यों न उसके विरूद्व रकम या सम्पत्ति की वसूली के लिए एक आदेश पारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार के स्पष्टीकरण यदि कोई है, पर विचार करने पश्चात उस रकम या सम्पत्ति के आपूर्ति का निर्धारण कर सकेगा जिसका दुर्विनियोग और दुरूपयोग किया गया है या कपटपूर्ण ढंग से प्रतिधारित किया गया है या ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत किये गये अनियमित रकम अनाधिकत अवधारित की गई रकम या भुगतान करने की ऐसी कालावधि के भीतर जिसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, वकफ की कथित सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने के लिए इस प्रकार के एक व्यक्ति को निर्देशित करते हुए एक आदेश पारित कर सकेगा।

(4) ऐसे आदेश से व्यथित मुतवल्ली या दूसरा व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, अधिकरण में अपील कर सकेगा।

परन्तु कोई भी ऐसी अपील तब तक अधिकरण द्वारा विचाराणार्थ ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलकर्ता कार्यपालक अधिकारी के साथ ऐसी रकम जो अपीलकर्ता द्वारा देय है तथा उप धारा(3) के अन्तर्गत कार्यपालक अधिकारी द्वारा किये गये आदेश के प्रवर्तन, अपील के निस्तारण के लम्बित रहते हुए निस्तारण को स्थगित करने वाले किसी भी आदेश को पारित करने की शक्ति नहीं रखेगा।

(5) अधिकरा, ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने के पश्चात जिसे यह उचित समझता हो, उप धारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की पुष्टि कर सकेगा या ऐसे आदेश में विनिर्दिट रकम, को या तो पूर्णतया या आंशिक तौर पर भेज सकेगा और खर्चे के सम्बन्ध में, ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिसे यह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझता हो।

(6) उप धारा–5 के अधीन अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

बोर्ड द्वारा कार्यालय कर्मचारियों को निम्नवत कार्यभार सौंपा गया है।

01. श्री मौहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक के कर्तव्य

राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों कक्की आदेशानुसार स्थलीय जांच करना, केन्द्रीय वक्फ परिषद एवं भारत सरकार से प्राप्त प्रकरणां का निस्तारण, प्रधानमंत्री जनकल्याण योजनान्तर्गत दिये गये कार्य, नावाडको से सम्बन्धित कार्य, वक्फ सम्पत्तियों की जी0आई0एस0 मैपिंग के नोडल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन, मुख्य मंत्री हेल्पलाईन से सम्बन्धित कार्य, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52, 54 एवं मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की पैरवी एवं मा0 बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।

02. श्री सोहन सिंह रावत, रिकॉर्ड कीपर के कर्तव्य

वक्फ अभिलेखों का रख–रखाव, लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा–30 के तहत पत्रावलियों का मुआयना, नकल जारी करना, लोक सभा/विधान सभा के प्रश्नों के उत्तरालेख तैयार करना, प्रबन्ध समिति/मुतवल्ली की नियुक्ति उपरान्त धारा–36 के रजिस्टर में अपडेट करना, जनपद–पिथौरागढ, अल्मोडा, पौडी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली एवं टिहरी जनपदों के सर्किल का कार्य एवं बोर्ड एवं मुख्य कार्यपाल अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य।

03. श्री आलिम खान, कनिष्ठ लिपिक
सहायक लोक सूचना अधिकारी के साथ–2 अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन तथा मा0 बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य।

04. श्री राजेन्द्र प्रसाद पंत, कनिष्ठ लिपिक
दैनिक डाक–पत्रों को रजिस्टर में अंकित करना तथा दैनिक डाक डिस्पैच का कार्य के साथ अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन तथा मा0 बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य।

अधिकार –

क. प्रशासनिक अधिकार –

1. बोर्ड में कार्मिको की नियुक्ति करना।
से सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र करना।
2. अधीनस्थ कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि का अधिकार।
3. अवकाश वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार– यदि सरकारी कर्मचारी उस प्राधिकारी के नियन्त्रण में न रह गया हो जिसनें अवकाश स्वीकृत किया था तो इस अधिकार का प्रयोग उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. बोर्ड के समस्त कार्यों का सम्पादन एवं मार्ग दर्शनः–
5. शासन के अपेक्षानुसार विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करनाः–
6. कर्मचारियों के स्थायीकरण/वेतन निर्धारण/वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रकरणों का निस्तारण करना।
7. कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी विधि प्रकरणों का निस्तारण करना।
8. चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर अधिनस्थ सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन तक का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना।
9. अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत चरित्र के सम्बन्ध में आख्या प्रदान करना।
10. शासन द्वारा आवंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करना।

ख वित्तीय अधिकार–

1. कार्यालय प्रयोग के लिये पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिका नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदना।
2. कार्यालय प्रयोग हेतु राजकीय मुद्रण आदि का कय करना।
3. निर्धारित सीमा तक अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति करना।
4. उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का निर्धारित सीमा के अन्दर मानदेय प्रदान करने का अधिकार।
5. अनिनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि देयकों का आहरण वितरण का अधिकार।
6. कार्यालय प्रयोगार्थ आवश्यकतानुसार पोस्टेज स्टैम्प आदि स्वीकृत करना।
7. निर्धारित सीमा के अन्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु लेखन सामग्री, रबर स्टैम्पस के स्थानीय रूप से खरीद स्वीकार करना।
8. वित्तीय नियमों संग्रहों के अनुसार निर्धारित सीमान्तर्गत अन्य समस्त देयकों का आहरण वितरण का अधिकार।

ग– कर्तव्यः–

1. बोर्ड द्वारा सम्पादित समस्त कार्यो का मार्गदर्शन करना।
2. बोर्ड को प्राप्त शिकायतों का अध्यावधिक अध्ययन एवं उचित कार्यवाही करना।
3. बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को शासन/सरकार को प्रभावी कार्यो हेतु प्रेषित करना।
4. राष्ट्रीय महत्व के कार्यो में शासन के निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड द्वारा कार्यो का सम्पादन समय सारणी के अनुसार किया जाता है तथा गुणात्मक दृष्टि से उनका स्तर अच्छा रहता है।
6. विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक आंकडों के रख–रखाव की समुचित तथा ऐसी व्यवस्था करना जिसे आवश्यकता पडने पर सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके।
7. बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना।
8. बोर्ड में नियुक्त मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगणों की समस्याओं/सुझाव आदि को शासन/सरकार को अग्रसारित करना।
9. बोर्ड को प्राप्त शिकायती वादों पर बोर्ड के अनुमोदन पर स्थलीय निरीक्षण करना।

Website-uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगतसिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांकः– 66 /उ0व0बोर्ड/108 कार्य विभाजन/2020–21 दिनांक– 12 .अप्रैल, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून के कार्मिकों के कार्य विभाजन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश संख्या–523 दिनांक–10 दिसम्बर, 2019 को आंशिक संशोधन करते हुए कार्मिकों को उनके सम्मुख अंकितानुसार कार्य आवंटित किये जाते हैः–

कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्य	अवमुक्त कार्य	आवंटित कार्य
1	2	3	4
श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त	1–स्थापना से सम्बन्धित कार्य। 2–देहरादून, हरिद्वार से सम्बन्धित सर्किल का कार्य। 3–बोर्ड बैठकों में पारित प्रस्तावों की अनुपालन आख्या तैयार करना। 4–डाक डिस्पैच, डाक प्राप्त करने से सम्बन्धित कार्य 5–मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।	1–स्थापना से सम्बन्धित कार्य। 2– बोर्ड बैठकों में पारित प्रस्तावों की अनुपालन आख्या तैयार करना।	—
श्री आलिम खान	1–सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य। 2–ऊधमसिंहनगर, नैनीताल की वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण एवं सर्किल का कार्य 3–मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य।	—	1–स्थापना से सम्बन्धित कार्य।
श्री सोहन सिंह रावत	1–समस्त पत्रावलियों को सुव्यवस्थित रजिस्टर के अनुसार रखना। 2–नकल तैयार करना एवं पत्रावलियों का मुआयना कराना। 3–लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा के प्रश्नों का उत्तरालेख तैयार करना। 4–बोर्ड की बैठक का एजेण्डा तैयार करना। 5–लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन। 6–प्रबन्ध समिति/मुतवल्ली की नियुक्ति के उपरान्त धारा–37 के रजिस्टर को अध्यतन करना। 7–पिथौरागढ, अल्मोडा, पौडी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली एवं टिहरी जनपदों से सम्बन्धित सर्किल का कार्य एवं पंजीकरण का कार्य। 8–मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।	—	बोर्ड बैठकों में पारित प्रस्तावों की अनुपालन आख्या तैयार करना।

2– सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्तम्भ–2 में अंकित अपने नामों के सम्मुख अंकित आवंटित कार्यों के अतिरिक्त स्तम्भ–4 में आवंटित कार्यों का भी निवर्हन करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अहमद इकबाल)
आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्याः– 66 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. सम्बन्धित कार्मिक।
2. सहायक प्रोग्रामर, वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला,देहरादून, 248001

पत्रांकः– 523/कार्य विभाजन–वक्फ बोर्ड कार्मिक /2019–20 दिनांकः– 10 दिसम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यों के कार्यविभाजन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश संख्या–662 दिनांक–24 सितम्बर, 2016 को अतिक्रमित करते हुए कार्मिकों को उनके सम्मुख अंकितानुसार कार्य आवंटित किये जाते हैः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	आवंटित कार्य
01	**श्री मौहम्मद अली वक्फ निरीक्षक**	1. राज्य में स्थित समस्त वक्फ सम्पत्तियों की आदेशानुसार स्थलीय जांच से सम्बन्धित कार्य। 2. केन्द्रीय वक्फ परिषद एवं भारत सरकार से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण। 3. प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनान्तर्गत दिये गये कार्य। 4. वक्फ सम्पत्तियों धारा 4 के तहत सर्वेक्षण में अपेक्षित सहयोग करना। 5. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन 6. नावाडको, से सम्बन्धित समस्त कार्य। 7. वक्फ सम्पत्तियों की जी.आई.एस. मैपिंग के नोडल अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन। 8. धारा 52 एवं धारा 54 के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य। 9. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन से सम्बन्धित कार्य। 10. वादों से सम्बन्धित नोडल अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन 11. वक्फ सम्पत्ति की विकास योजना तैयार करना। 12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
03	**श्री सोहन सिंह रावत रिकार्ड कीपर**	1. समस्त पत्रावलियों को सुव्यवस्थित रखकर रजिस्टर के अनुसार रखना। 2. नकल तैयार करना एवं पत्रावलियों का मुआयना कराना। 3- महामहिम श्री राज्यपाल, शासन/विधानसभा एवं मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण का कार्य। 4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार बोर्ड की बैठक हेतु एजेण्डा तैयार करना। 5. लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन। 6. प्रबन्ध समिति/मुतवल्ली की नियुक्ति के उपरान्त वक्फ रजिस्टर धारा–37 में अपडेशन का कार्य। 7. पिथौरागढ, अल्मोडा, पौडी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली एवं टिहरी जनपदों से सम्बन्धित सर्किल का कार्य एवं पंजीकरण का कार्य। 8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
04	**श्री आलिम खान कनिष्ट सहायक**	1. सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य। 2. ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल के वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण से सम्बन्धित कार्य एवं उक्त जनपदों के सर्किल का कार्य। 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
05	**श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त कनिष्ट सहायक**	1. स्थापना से सम्बन्धित कार्य। 2. देहरादून, हरिद्वार से सम्बन्धित सर्किल एवं सम्बन्धित जिलों के पंजीकरण का कार्य। 3. बोर्ड बैठक में पारित प्रस्तावों की अनुपालन आख्या तैयार करना। 4. डाक डिस्पैच का कार्य, डाक प्राप्त करना। 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

06	**श्रीमती अक्षिमा सडाना लेखाकार (QWBTS)**	1. लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य। 2. स्टेशनरी/स्टॉक का रख–रखाव एवं उनको पंजिका पर अंकित करना। 3. वक्फों के बजट प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष रखना। 4. वक्फों से आय–व्यय का विवरण प्राप्त कर उनके अंशदान की प्राप्ति जारी करना। 5. वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करना। 6. वक्फ के ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वसूली आदि की कार्यवाही पूर्ण करना। 7. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना। 8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
07	**श्री नदीम आलम खान कार्यालय एवं विधि सहायक (QWBTS)**	1. समस्त लम्बित, निस्तारित वादों के अभिलेख रखना एवं उसको सूचीबद्ध करना, नियमित रूप से समस्त मा0 न्यायालयों की अनुश्रवण कर अधिवक्ताओं से समन्वय करना, प्रकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अवगत कराना और पत्र आदि तैयार करना, पत्रावलियों में बोर्ड के विधिक परामर्शदाता से विधिक परामर्श प्राप्त करना, केस डायरी/वाद रजिस्टर को अध्यतन करना, वाद पत्र, जवाबदावा आदि जांच करना और उनको मा0 न्यायालय में दाखिल कराना। 2. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना। 3. शासन के प्रपत्र के अनुसार समस्त वादों को सुव्यवस्थित करना 4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
08	**श्री मानून रशीद अस्सिटेंट प्रोग्रामर (QWBTS)**	1. समस्त प्राप्त शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज करना। 2. समस्त आन्तरिक एवं वाह्य वादों का रजिस्ट्रेशन एवं सुनवाई का अपडेट करना। 3. समस्त वादों को ऑनलाईन दर्ज कराना। 4. प्रत्येक सुनवाई के विवरण को ऑनलाईन दर्ज कराना। 5. समस्त वक्फो का ऑनलाईन अपडेशन करना। 6. समस्त वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित लीज को ऑनलाईन दर्ज करना। 7. भारत सरकार की वर्तमान योजना की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, और उसका समय से प्रेषण करना। 8. इंटरनेट आदि का रखरखाव सम्बन्धी कार्य। 9. कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना। 10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

उपरोक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अहमद इकबाल)
आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या–523 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अधिष्ठान, अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग, देहरादून।
3. समस्त कार्मिकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

(डॉ0 अहमद इकबाल)
आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Waqf Board/Letter/PC-1/Pant

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(1)

मैनुअल संख्या – 03

विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षकण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।

(Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

34

मैनुअल संख्या – 03

विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।

(Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

वक्फ सम्पत्तियों/तौलियत के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति बयान हलफी के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष प्रेषित कर सकता है। बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर जॉच हेतु जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वक्फ निरीक्षक या किसी बोर्ड के सदस्य को भेजा जा सकता है। और शिकायती प्रकरण पर जॉच आख्या बोर्ड को प्रेषित की जाती है, वाद की सुनवाई की जाती है और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तत्पश्चात बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनका अनुपालन किये जाने का प्राविधान है।

बोर्ड द्वारा वर्ष में चार सामान्य बैठकें की जाएगी तथा बैठक का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से किया जाऐगा यदि बोर्ड का प्रस्ताव सर्वसम्मत्ति से नहीं हो पाता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय माना जायेगा। यदि मत बराबर हो तो अध्यक्ष का मत निर्णायक माना जायेगा। यदि बोर्ड का प्रस्ताव वक्फ के हित में न हो तो वह प्रस्ताव पुनः बोर्ड में विचार हेतु भेजा जाएगा और यदि पुनः यह प्रस्ताव वक्फ के हित में नहीं प्रतीत होता है तो वह शासन में भेज दिया जाएगा।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 18 मई, 2021 ई0

बैशाख 28, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या 924/XVII-B-1/2021–07(27)2014

देहरादून, 18 मई, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43, सन् 1995) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (क), सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–10 वर्ष 1897) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुमायूं मण्डल के जिलों की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में 'अध्यक्ष' पद पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायगा।

आज्ञा से,

एल0 फैनई,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 924/XVII-B-1/2021-07(27)2014,** dated May 18, 2021 for general information:

No. 924/XVII-B-1/2021-07(27)2014

Dated Dehradun, May 18, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by the clause (a) of sub section (4) of Section 83 of Waqf Act, 1995 (as amended from time to time), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) (as applicable in State of Uttarakhand), the Governor is pleased to appoint 2nd Additional District & Session Judge, Haldwani (Nainital) as **Chairman** of the three tier Waqf Tribunal constituted at Haldwani (Nainital) for the jurisdiction of districts of Kumaon Division in addition to his duties.

2- Earlier order in this regard shall be deemed amended to that extent.

By Order,

L. FANAI,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 अ0क0अनु0 / 228–2021–100+100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या– 2625 /XVII-B-1/2021–07(27) 2014
देहरादूनः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

श्रीमती मेहनाज जहॉ, अधिवक्ता, पत्नी श्री मजहर नईम नवाब, जवाहर नगर, टनकपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) को शासन की अधिसूचना संख्या 760/**XVII**–3/2018–07(27)/2014 दिनांक 06–04–2018 के द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 83 (4) (ग) के प्रावधानुसार वक्फ ट्रिब्यूनल, हल्द्वानी (नैनीताल) में द्वितीय सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

2– उत्तराखण्ड वक्फ नियम, 2017 के नियम 65 (8) (क) के अनुसार 03 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 13 अप्रैल, 2021 को समाप्त होने के फलस्वरूप श्रीमती मेहनाज जहॉ, अधिवक्ता को वक्फ ट्रिब्यूनल, हल्द्वानी में द्वितीय सदस्य के रूप में पूर्वगामी दिनांक 14 अप्रैल, 2021 से 02 वर्ष की अवधि के लिए अग्रेत्तर कार्यकाल बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

30/12/21

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव

संख्याः /**XVII-B-1/2021**, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 50 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2625(1) /**XVII-B-1/2021**, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. आयुक्त , कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद , भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त जिलाधिकारी, कूमायॅ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. अध्यक्ष, वक्फ ट्रिब्यूनल, हल्द्वानी (नैनीताल)
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड ।
14. संबंधित महानुभाव।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

30/12/21

(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः 1167 / XVII–3 / 16–07(27) / 2014
देहरादूनः दिनांकः 31 अगस्त, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 सपठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43 सन् 1995) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–83 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रदेश के गढ़वाल मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु वक्फ अधिकरण, देहरादून गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार वक्फ अधिकरण, देहरादून के गठन के फलस्वरूप उक्त अधिकरण का अधिकारिता क्षेत्र, अधिकरण की संरचना एवं अधिकरण में अध्यक्ष/सदस्यों की तैनाती का विवरण निम्नवत अनुसूची के अनुसार करने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क. सं.	अधिकारिता का क्षेत्र	अधिकरण की संरचना	अधिकरण हेतु तैनाती/नियुक्ति
1	2	3	4
1	चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार।	उक्त अधिकरण में निम्नलिखित होंगे:– 1. ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा। 2. ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य होगा। 3. ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य होगा।	1. <u>अध्यक्ष</u> श्री शमशेर अली, तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, देहरादून। **(अतिरिक्त प्रभार के रूप में)** 2. <u>प्रथम सदस्य</u> अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून। **(पदेन)** 3.<u>द्वितीय सदस्य</u> श्री जैद रफी अंसारी, देहरादून।

3– उक्तानुसार गठित किये गये वक्फ अधिकरण में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, द्वितीय सदस्य के पद पर नियुक्त किये गये श्री अंसारी की पदावधि के निर्धारण के सम्बन्ध वक्फ अधिनियम, 2013 की धारा 83 की उपधारा (4 क) के अनुसार शासन द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4– वक्फ अधिकरण के संबंध में शासन की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1439/स.क./02–226/2002, दिनांक 24 जुलाई, 2002 को मात्र गढ़वाल मण्डल के सन्दर्भ में ही एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः 1569 / XVII–3 / 16–07(27) / 2014
देहरादूनः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 सपठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43 सन् 1995) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–83 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रदेश के कुमायूं मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु वक्फ अधिकरण, हल्द्वानी (नैनीताल) गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार वक्फ अधिकरण, हल्द्वानी (नैनीताल) के गठन के फलस्वरूप उक्त अधिकरण का अधिकारिता क्षेत्र, अधिकरण की संरचना एवं अधिकरण में अध्यक्ष/सदस्यों की तैनाती का विवरण निम्नवत अनुसूची के अनुसार करने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र. सं.	अधिकारिता का क्षेत्र	अधिकरण की संरचना	अधिकरण हेतु तैनाती/नियुक्ति
1	2	3	4
1	नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़	उक्त अधिकरण में निम्नलिखित होंगे:– 1. ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा। 2. ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य होगा। 3. ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य होगा।	1. <u>अध्यक्ष</u> श्रीमती प्रीतू शर्मा, FTC/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, POCSO, हल्द्वानी, नैनीताल। **(अतिरिक्त प्रभार के रूप में)** 2. <u>प्रथम सदस्य</u> अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल **(पदेन)** 3.<u>द्वितीय सदस्य</u> श्री परवेश सिद्दकी, पुत्र स्व0 उमर सिद्दकी, रॉयल होटल, चौधानपाटा, अल्मोड़ा

3– उक्तानुसार गठित किये गये वक्फ अधिकरण में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, द्वितीय सदस्य के पद पर नियुक्त किये गये श्री सिद्दकी की पदावधि के निर्धारण के सम्बन्ध वक्फ अधिनियम, 2013 की धारा 83 की उपधारा (4 क) के अनुसार शासन द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4– वक्फ अधिकरण के संबंध में शासन की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1439/स.क./02–226/2002, दिनांक 24 जुलाई, 2002 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : /XVII-3/2016–04(06)/2016
देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा–4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में विद्यमान आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन को राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किए जाने के उद्देश्य से पदेन 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' एवं अपने–अपने जनपदों की अधिकारिता के साथ समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड को पदेन 'अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल एवं प्रदेश के शेष जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पदेन 'सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारी 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित करेंगे।

3. राज्यपाल अग्रेतर यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा उपधारा (3) से (5) के अधीन यथाप्रक्रिया राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्ण कर सर्वेक्षण आख्या एक माह से अनधिक अवधि में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या : 364 (1)/XVI(3)/2016 तद्दिनांक। 04(6)2016

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रमशः...

संख्या : 384 (1)/XVII(3)/2016 तददिनांक। 04(6)2016

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त', उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी/अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रदेश के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों की अद्यतन जनपदवार सूचियां उपरोक्तानुसार नियुक्त प्राधिकारियों एवं शासन को अधिसूचना निर्गत होने के 02दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर लें।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर/देहरादून/हरिद्वार/सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड/सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त (उपरोक्त 04जनपदों को छोड़कर)।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय चन्द्र कौशल)
अपर सचिव।

42

अनुस्मारक
मा. सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण/महत्वपूर्ण
संख्या : 1727 /XVII-B-1/2020-04(06)/2016

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
अतिरिक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
पत्रांक 576
दिनांक 14/10/2020

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2020

विषयः प्रदेश की समस्त वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1376/XVII-B-1/2020–04(06)/2016 दिनांक 26.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–384/XVII-3/2016-04(06)/2016, दिनांक 30.05.2016 के आलोक में समस्त वक्फ सम्पत्तियों का तत्काल सर्वे करवाकर सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। किन्तु एक माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी वक्फ सम्पत्तियों की सर्वेक्षण की रिपोर्ट आतिथि तक शासन को अप्राप्त है, जो कि खेदजनक है।

2– प्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के अनुतोष हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में रिट याचिका (सिविल) संख्या–1430/2019 श्री रउफ रहीम एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य विचाराधीन है।

3– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.05.2016 के कम में अपने–अपने जनपदों में समस्त वक्फ सम्पत्तियों का तत्काल सर्वे करवाकर तत्काल सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Omprakash
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

कमशः.....

संख्या : 1727 (1)/XVII-B-1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. सचिव, राजस्व/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी/सहायक वक्फ स
   आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
4. श्री विनय अरोड़ा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : /XVII-3/2016–04(06)/2016
देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा–4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में विद्यमान आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन को राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किए जाने के उद्देश्य से पदेन 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' एवं अपने–अपने जनपदों की अधिकारिता के साथ समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड को पदेन 'अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल एवं प्रदेश के शेष जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पदेन 'सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारी 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित करेंगे।

3. राज्यपाल अग्रेतर यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा उपधारा (3) से (5) के अधीन यथाप्रक्रिया राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्ण कर सर्वेक्षण आख्या एक माह से अनधिक अवधि में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या : 364 (1)/XVI(3)/2016 तददिनांक। 04(6)2016

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रमशः...

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

संख्या : 384 (1)/XVII(3)/2016 तद्दिनांक। 04(6)2016

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त', उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी/अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रदेश के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों की अद्यतन जनपदवार सूचियां उपरोक्तानुसार नियुक्त प्राधिकारियों एवं शासन को अधिसूचना निर्गत होने के 02दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर लें।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर/देहरादून/हरिद्वार/सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड/सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त (उपरोक्त 04जनपदों को छोड़कर)।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय चन्द्र कौशल)
अपर सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(1)

मैनुअल संख्या – 04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मापमान

(Norms set by it for the discharge of its functions)

*वक्फ अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 43)

[22 नवम्बर, 1995]

[1][ओक़ाफ़] के बेहतर और प्रशासन और उनसे संबंधित
या आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [2][वक्फ] अधिनियम, 1995 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा किसी राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य या उसमें के किसी क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे राज्य या क्षेत्र में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

2. अधिनियम का लागू होना—इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह अधिनियम सभी ओक़ाफ़ को लागू होगा, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् सृष्ट किए गए हों :

परन्तु इस अधिनियम की कोई बात दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर को लागू नहीं होगी जिसको दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) लागू होता है ।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "हिताधिकारी" से कोई व्यक्ति या ऐसा उद्देश्य अभिप्रेत है जिसके फायदे के लिए वक्फ सृष्ट किया जाता है, और इसके अन्तर्गत धार्मिक, पवित्र और पूर्त उद्देश्य तथा कोई अन्य लोकोपयोगी उद्देश्य है जो मुस्लिम विधि द्वारा स्वीकृत है ;

(ख) "फायदा" के अन्तर्गत कोई ऐसा फायदा नहीं आता है जिसका दावा करने के लिए कोई मुतवल्ली, केवल ऐसा मुतवल्ली होने के कारण हकदार है ;

(ग) "बोर्ड" से धारा 13 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्थापित वक्फ बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 106 के अधीन स्थापित सामान्य वक्फ बोर्ड है ;

(घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "परिषद्" से धारा 9 के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद् अभिप्रेत है ;

[3][(ङङ) "अधिक्रमणकर्ता" से वक्फ संपत्ति का विधि के प्राधिकार के बिना संपूर्ण या भागत:, अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अथवा संस्था, सार्वजनिक या निजी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी अभिधृति, पट्टा या अनुज्ञप्ति समाप्त हो गई है या मुतवल्ली या बोर्ड द्वारा पर्यवसित कर दी गई है ;]

(च) "कार्यपालक अधिकारी" से धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

---

* **कतिपय पदों के प्रति निर्देश के स्थान पर कतिपय अन्य पदों के प्रतिनिर्देश का प्रतिस्थापन**—संपूर्ण मूल अधिनियम में, "वक्फ", "वक्फों" और "वाकिफ" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं क्रमश: "वक्फ", "ओक़ाफ़" और "वाक़िफ़" शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिमाणिक संशोधन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों । [2013 का 27, धारा 4]

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(छ) "ओक़ाफ़ की सूची" से धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित या धारा 37 के अधीन रखे गए ओक़ाफ़ के रजिस्टर में अंतर्विष्ट ओक़ाफ़ की सूची अभिप्रेत है ;]

(ज) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष है ;

(झ) "मुतवल्ली" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मौखिक रूप से अथवा किसी ऐसे विलेख या लिखत के अधीन जिसके द्वारा कोई वक्फ सृष्ट किया गया है अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो किसी रूढ़ि के आधार पर किसी वक्फ का मुतवल्ली है या जो नायब मुतवल्ली, खादिम, मुजावर, सज्जदानशीन, अमीन या मुतवल्ली के कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति, समिति या निगम है, जो तत्समय किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति का प्रबंध या प्रशासन कर रहा है :

परन्तु किसी समिति या निगम के किसी सदस्य के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुतवल्ली है जब तक कि ऐसा सदस्य ऐसी किसी समिति या निगम का पदाधिकारी नहीं है :

[2][परंतु यह और कि "मुतवल्ली" भारत का नागरिक होगा और ऐसी अन्य अर्हताएं पूरी करेगा, जो विहित की जाएं :

परंतु यह भी कि यदि वक्फ में कोई अर्हताएं विनिर्दिष्ट की हैं तो ऐसी अर्हताएं, उन नियमों में उपबंधित की जा सकेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं ;]

(ञ) किसी वक्फ के संबंध में, "शुद्ध वार्षिक आय" से धारा 72 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरणों के उपबंधों के अनुसार अवधारित शुद्ध वार्षिक आय अभिप्रेत है ;

(ट) "वक्फ में हितबद्ध व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वक्फ से कोई धन-संबंधी या अन्य फायदे प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत है,—

(i) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वक्फ से संबंधित किसी मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, [1][ख़ानक़ाह, पीरख़ाना और कर्बला] मकबरा, कब्रिस्तान या किसी अन्य धार्मिक संस्था में [1][नमाज अदा] करने या कोई धार्मिक कृत्य करने अथवा वक्फ के अधीन किसी धार्मिक या पूर्त संस्था में भाग लेने का अधिकार है ;

(ii) वाक़िफ़ तथा वाक़िफ़ का कोई वंशज और मुतवल्ली ;

(ठ) "विहित" से अध्याय 3 के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ढ) "शिया वक्फ" से शिया विधि द्वारा शासित वक्फ अभिप्रेत है ;

(ण) "सुन्नी वक्फ" से सुन्नी विधि द्वारा शासित वक्फ अभिप्रेत है ;

(त) "सर्वेक्षण आयुक्त" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त या सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त है ;

(थ) किसी क्षेत्र के संबंध में, "अधिकरण" से धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन गठित ऐसा अधिकरण अभिप्रेत है, जिसको उस क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता है ;

[1][(द) "वक्फ" से किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है :—

(i) उपयोगकर्ता द्वारा कोई वक्फ किन्तु ऐसे वक्फ का केवल इस कारण वक्फ होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि उसका उपयोग करने वाला समाप्त हो गया है चाहे ऐसी समाप्ति की अवधि कुछ भी हो ;

(ii) कोई शामलात पट्टी, शामलात देह, जुमला मलक्कन या राजस्व अभिलेख में दर्ज कोई अन्य नाम;

(iii) "अनुदान" जिसके अंतर्गत किसी प्रयोजन के लिए मशरत-उल-खिदमत भी है, जिन्हें मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है ; और

(iv) वक्फ-अलल-औलाद वहां तक जहां तक कि संपत्ति का समर्पण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, परंतु जब कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

तो वक्फ की आय शिक्षा, विकास, कल्याण और मुस्लिम विधि द्वारा यथा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च की जाएगी,

और "वाक़िफ़" से ऐसा समर्पण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;]

(ध) "वक्फ विलेख" से कोई ऐसा विलेख या लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई वक्फ सृष्ट किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा विधिमान्य पश्चात्वर्ती विलेख या लिखत है जिसके द्वारा मूल समर्पण के किसी निबंधन में परिवर्तन किया गया है ;

(न) "वक्फ निधि" से धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई वक्फ निधि अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

ओक़ाफ़ का सर्वेक्षण

4. ओक़ाफ़ का प्रारंभिक सर्वेक्षण—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त और इतने अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त या सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त कर सकेगी जितने [1][राज्य में ओक़ाफ़ का] सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

[2][(1क) प्रत्येक राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची रखेगी और ओक़ाफ़ का सर्वेक्षण, यदि ऐसा सर्वेक्षण वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ से पूर्व नहीं किया गया था, तो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि से भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां वक्फ का कोई सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है, वहां ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर ओक़ाफ़ के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया जाएगा ।]

(2) सभी अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त और सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन, वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त के साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे ।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को राज्य में या उसके किसी भाग में विद्यमान वक्फ की बावत अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) राज्य में ओक़ाफ़ की संख्या जिसमें शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ अलग-अलग दर्शित किए जाएंगे ;

(ख) प्रत्येक वक्फ का स्वरूप और उद्देश्य ;

(ग) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट संपत्ति की सकल आय ;

(घ) प्रत्येक वक्फ की बाबत देय भू-राजस्व, उपकरों, रेटों और करों की रकम ;

(ङ) प्रत्येक वक्फ की आय की वसूली करने में उपगत व्यय तथा मुतवल्ली का वेतन या अन्य पारिश्रमिक ; और

(च) प्रत्येक वक्फ के संबंध में ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं ।

(4) सर्वेक्षण आयुक्त को, कोई जांच करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण किए जाने और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना ;

(घ) किसी साक्षी या लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अन्वेषण करना ;

(च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

(5) यदि, ऐसी किसी जांच के दौरान, इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कोई विशिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ के और वक्फ विलेख में उसके स्वरूप के बारे में स्पष्ट संकेत है तो विवाद का विनिश्चय ऐसे विलेख के आधार पर किया जाएगा ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

(6) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सर्वेक्षण आयुक्त को राज्य में वक्फ संपत्तियों का द्वितीय या पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण करने के लिए निदेश दे सकेगी तथा उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध ऐसे सर्वेक्षण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सर्वेक्षण को लागू होते हैं :

परन्तु ऐसा कोई द्वितीय या पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस तारीख से, जिसकी ठीक पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के संबंध में उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, [1][दस वर्ष] की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है :

[2][परन्तु यह और कि पहले से अधिसूचित वक्फ सम्पत्तियों की बाद के सर्वेक्षण में पुन: समीक्षा नहीं की जाएगी सिवाय उस मामले में जहां ऐसी सम्पत्ति की स्थिति किसी विधि के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित हो गई है ।]

5. ओक़ाफ़ की सूची का प्रकाशन—(1) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, उसकी प्रति बोर्ड को भेजेगी ।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन उसे भेजी गई रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और उस राज्य के सुन्नी ओक़ाफ़ या शिया ओक़ाफ़ की [3][सूची राजपत्र में प्रकाशन के लिए छह मास की अवधि के भीतर उसे सरकार को वापस भेजेगा] जिससे यह रिपोर्ट संबंधित है, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान हों या उसके पश्चात् अस्तित्व में आये हों और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

[4][(3) राजस्व प्राधिकारी—

(i) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची सम्मिलित करेंगे ; और

(ii) भूमि अभिलेखों में नामांतरण विनिश्चित करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची पर विचार करेंगे ।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन समय-समय पर प्रकाशित सूचियों का अभिलेख रखेगी ।]

6. ओक़ाफ़ से संबंधित विवाद—(1) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट संपत्ति, जो ओक़ाफ़ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है, वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ, शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ तो बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली अथवा [5][व्यथित कोई व्यक्ति,] उस प्रश्न के विनिश्चय के लिए अधिकरण में वाद संस्थित कर सकेगा और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु अधिकरण द्वारा बोर्ड कोई ऐसा वाद, ओक़ाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा :

[6][परंतु यह और कि धारा 4 की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में दूसरे या पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण में अधिसूचित ऐसी संपत्तियों की बाबत अधिकरण के समक्ष कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा ।]

[7]* * * * * * *

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी वक्फ की बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही, ऐसे किसी वाद के अथवा ऐसे वाद से उत्पन्न होने वाली किसी अपील या किसी अन्य कार्यवाही के लंबित रहने के कारण ही रोकी नहीं जाएगी ।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त को, उपधारा (1) के अधीन किसी वाद का पक्षकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं होगी ।

(4) ओक़ाफ़ की सूची, जब तक कि उसमें उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के अनुसरण में परिवर्तन नहीं किया जाता है, अंतिम और निश्चायक होगी ।

(5) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के संबंध में उस राज्य में किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारंभ नहीं की जाएगी ।

7. ओक़ाफ़ से संबंधित विवादों का अवधारण करने की अधिकरण की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् [8][कोई प्रश्न या विवाद] उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट संपत्ति, जो ओक़ाफ़ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है,

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 7 प्रतिस्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 7 अंत:स्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया ।
[8] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ तो बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली [8][अथवा धारा 5 के अधीन ओक़ाफ़ की सूची के प्रकाशन से व्यथित कोई व्यक्ति] इस प्रश्न के विनिश्चय के लिए ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु—

(क) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् प्रकाशित ओक़ाफ़ की सूची की दशा में, कोई ऐसा आवेदन ओक़ाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ; और

(ख) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित ओक़ाफ़ की सूची की दशा में, अधिकरण द्वारा ऐसा आवेदन ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्रहण किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी प्रश्न की, ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थित किसी वाद में किसी सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई कर ली गई है और उसका अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया गया है, वहां अधिकरण ऐसे प्रश्न पर नए सिरे से विचार नहीं करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी वक्फ की बाबत किसी कार्यवाही की, उस दशा के सिवाय जिसमें अधिकरण को उपधारा (5) के उपबंधों के कारण कोई अधिकारिता नहीं है, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा केवल इस कारण रोका नहीं जाएगा कि किसी ऐसे वाद, आवेदन, अपील या अन्य कार्यवाही से उद्भूत कोई वाद, आवेदन या अपील या अन्य कार्यवाही लंबित है ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का पक्षकार नहीं बनाया जाएगा ।

(4) ओक़ाफ़ की सूची और जहां ऐसी किसी सूची में उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के अनुसरण में परिवर्तन किया जाता है वहां इस प्रकर परिवर्तित सूची अंतिम होगी ।

(5) अधिकरण को किसी ऐसे विषय का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में संस्थित किसी वाद या प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु है अथवा जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित डिक्री से किसी अपील की अथवा, यथास्थिति, ऐसे वाद, कार्यवाही या अपील से उद्भूत होने वाले किसी पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन की विषय-वस्तु है ।

[1][(6) अधिकरण को वक्फ संपत्ति के अप्राधिकृत अधिभोग द्वारा हुई नुकसानियों के निर्धारण और ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों को वक्फ संपत्ति के उनके अवैध अधिभोग के लिए दंडित करने तथा कलक्टर के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में नुकसानियों को वसूल करने की शक्तियां होंगी :

परंतु जो कोई, लोक सेवक होते हुए, किसी अधिक्रमण को रोकने या हटाने के अपने विधिपूर्ण कर्तव्य में असफल रहेगा, वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए, पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।]

[2][**8. सर्वेक्षण के खर्च का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना**—सर्वेक्षण करने का कुल खर्च, जिसके अंतर्गत इस अध्याय के अधीन ओक़ाफ़ की सूची या सूचियों के प्रकाशन का खर्च भी है, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।]

अध्याय 3

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

9. केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना और गठन—[3][(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्डों के कार्यकरण और ओक़ाफ़ के सम्यक् प्रशासन से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और बोर्डों को सलाह देने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय वक्फ परिषद् नामक एक परिषद् स्थापित कर सकेगी ।

(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिषद् ऐसे विवाद्यकों पर और ऐसी रीति में, जो उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन उपबंधित की जाए, बोर्डों को निदेश जारी करेगी ।]

(2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) ओक़ाफ़ का भारसाधक संघ का मंत्री—पदेन अध्यक्ष,

(ख) निम्नलिखित सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) तीन व्यक्ति, जो अखिल भारतीय स्वरूप और राष्ट्रीय महत्व वाले मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों ;

[1][(ii) राष्ट्रीय ख्याति वाले चार व्यक्ति, जिनमें से एक-एक व्यक्ति प्रशासन या प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, इंजीनियरी या वास्तुविद् और आयुर्विज्ञान के क्षेत्रों से होगा ;]

(iii) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से होगा ;

(iv) तीन बोर्डों के अध्यक्ष, चकानुक्रम से ;

(v) दो व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों ;

(vi) राष्ट्रीय ख्याति वाला एक अधिवक्ता ;

(vii) एक व्यक्ति, जो ऐसे वक्फ का जिसकी सकल वार्षिक आय पांच लाख रुपए और उससे अधिक है, प्रतिनिधित्व करेगा ;

(viii) तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं :

[2][परंतु उपखंड (i) से उपखंड (viii) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों में से कम से कम सदस्य स्त्रियां होंगी ।]

(3) परिषद् के सदस्यों की पदावधि, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनमें आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

[2][(4) यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड, राज्य में वक्फ बोर्डों के कार्यपालन के संबंध में, विशेष रूप से उनके वित्तीय कार्यपालन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों, राजस्व अभिलेखों के रख-रखाव, वक्फ संपत्तियों के अधिक्रमण, वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षा रिपोर्टों पर, ऐसी रीति में और समय पर, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, परिषद् को सूचना देगा और वह, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनियमितता या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य था तो वह स्वप्रेरणा से बोर्ड से विनिर्दिष्ट मुद्दों पर जानकारी मांग सकेगा और यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अनियमितता और अधिनियम का उल्लंघन सिद्ध होता है तो वह ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो समुचित समझा जाए, जिसका संबंधित राज्य सरकार को सूचना देते हुए संबंधित बोर्ड द्वारा पालन किया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन परिषद् द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से उद्भूत किसी विवाद को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले न्यायनिर्णयन बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाएगी और पीठासीन अधिकारी को संदेय फीस और यात्रा तथा अन्य भत्ते वे होंगे जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।]

10. परिषद् के वित्त—(1) प्रत्येक बोर्ड, अपनी वक्फ निधि में से प्रतिवर्ष परिषद् को इतना अंशदान करेगा जितना ऐसे ओक़ाफ़ की जिसकी बाबत धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन अंशदान किया जाना है, शुद्ध वार्षिक आय के योग के एक प्रतिशत के बराबर है :

परन्तु जहां बोर्ड ने किसी वक्फ विशेष की दशा में, धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन उसे किए जाने वाले सम्पूर्ण अंशदान को उस धारा की उपधारा (2) के अधीन छूट दे दी है वहां इस धारा के अधीन परिषद् को किए जाने वाले अंशदान का परिकलन करने के लिए उस वक्फ की, जिसकी बाबत ऐसी छूट मंजूर की गई है, शुद्ध वार्षिक आय हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों, और उसके द्वारा संदानों, उपकृतियों और अनुदानों के रूप में प्राप्त सभी अन्य धन-राशियों से एक निधि बनेगी जिसका नाम केन्द्रीय वक्फ निधि होगा ।

(3) किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, केन्द्रीय वक्फ निधि, परिषद् के नियंत्रणाधीन होगी और उसका उपयोजन ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा जिन्हें परिषद् ठीक समझे ।

11. लेखा और संपरीक्षा—(1) परिषद् अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखाबहियां और अन्य बहियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा और जांच प्रतिवर्ष ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।

(3) संपरीक्षा का खर्च केन्द्रीय वक्फ निधि में से दिया जाएगा ।

12. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) परिषद् के सदस्यों की पदावधि, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनमें आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति ;

(ख) केन्द्रीय वक्फ निधि का नियंत्रण और उपयोजन ;

(ग) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे परिषद् के लेखे रखे जा सकेंगे ।

(3) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 4

बोर्डों की स्थापना और उनके कृत्य

13. निगमन—(1) उस तारीख से जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिसका वह नाम होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

[1][परंतु उस दशा में, जहां इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित वक्फ बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया जाएगा ।]

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य में शिया ओक़ाफ़ की संख्या उस राज्य में सभी ओक़ाफ़ के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है या यदि उस राज्य में शिया ओक़ाफ़ की संपत्तियों की आय उस राज्य में सभी ओक़ाफ़ की संपत्तियों की कुल आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नामों से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, सुन्नी ओक़ाफ़ और शिया ओक़ाफ़ क लिए एक-एक वक्फ बोर्ड स्थापित कर सकेगी ।

[1][(2क) जहां वक्फ बोर्ड धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित किय जाता है, वहां शिया वक्फ की दशा में, शिया मुस्लिम सदस्य होंगे और सुन्नी वक्फ की दशा में, सुन्नी मुस्लिम सदस्य होंगे ।]

(3) बोर्ड, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे संपत्ति का अर्जन और धारण करने की तथा किसी ऐसी संपत्ति को, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अन्तरित करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

14. बोर्ड की संरचना—(1) किसी राज्य और [2][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्यक्षेत्र] का बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख) एक और अधिक से अधिक दो सदस्य जो राज्य सरकार ठीक समझे, जिनका निर्वाचन ऐसे प्रत्येक निर्वाचकगण से किया जाएगा, जिसमें—

(i) यथास्थिति, राज्य या [2][दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र] के मुस्लिम संसद् सदस्य,

(ii) राज्य विधान-मंडल के मुस्लिम सदस्य,

[2][(iii) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधिज्ञ परिषद् के मुस्लिम सदस्य :

परंतु यदि किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधिज्ञ परिपद् का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किसी ज्येष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता को नामनिर्देशित कर सकेगा, और]

(iv) ऐसे ओक़ाफ़ के, जिनकी वार्षिक आय एक लाख या उससे अधिक है, मुतवल्ली, होंगे ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण 1**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (i) से उपखंड (iv) में वर्णित प्रवर्गों के सदस्य प्रत्येक प्रवर्ग के लिए गठित निर्वाचकगण से निर्वाचित होंगे ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषत किया जाता है कि यदि कोई मुस्लिम सदस्य खंड (ख) के उपखंड (i) में यथानिर्दिष्ट राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से संसद् का सदस्य नहीं रहता है या खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो उस सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख से, जिससे वह, यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से संसद् का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहा है, यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड के सदस्य का पद रिक्त कर दिया है ।]

[2][(ग) मुस्लिमों में से ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास नगर योजना या कारबार प्रबंधन, सामाजिक कार्य, वित्त या राजस्व, कृषि और विकास क्रियाकलापों में वृत्तिक अनुभव है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(घ) मुस्लिमों में से एक-एक व्यक्ति, जो शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म विद्या के मान्यताप्राप्त विद्वानों में से होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(ङ) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति के न हों ।]

[1][(1क) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई मंत्री बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, बोर्ड पांच से अन्यून और सात से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) या खंड (ग) से खंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि बोर्ड में नियुक्त किए गए सदस्यों में कम से कम दो सदस्य स्त्रियां होंगी :

परंतु यह भी कि ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां मुतवल्ली पद्धति विद्यमान है, वहां एक मुतवल्ली बोर्ड के सदस्य के रूप में होगा ।]

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाए :

परन्तु जहां, यथास्थिति, संसद्, राज्य विधान-मंडल या राज्य विधिज्ञ परिषद् के मुस्लिम सदस्यों की संख्या केवल एक है वहां ऐसे मुस्लिम सदस्य को बोर्ड में निर्वाचित घोषित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है वहां निर्वाचकगण का गठन, यथास्थिति, संसद्, राज्य विधान-मंडल या राज्य विधिज्ञ परिषद् के पूर्व मुस्लिम सदस्यों से होगा ।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग के लिए निर्वाचकगण का गठन करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे, बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी ।

(4) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सभी समयों पर उपधारा (3) के अधीन जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों से अधिक रहेगी ।

[3]* * * * * * *

(6) बोर्ड के शिया सदस्यों या सुन्नी सदस्यों की संख्या का अवधारण करने में, राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले शिया ओक़ाफ़ और सुन्नी ओक़ाफ़ की संख्या और महत्व को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति, जहां तक हो सके, ऐसे अवधारण के अनुसार की जाएगी ।

[3]* * * * * * *

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया ।

(8) जब कभी बोर्ड का गठन या पुनर्गठन किया जाए, इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने में से एक को बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे ।

(9) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, की जाएगी ।

15. पदावधि—बोर्ड के [1][सदस्य, धारा 14 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक] पद धारण करेंगे ।

16. बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हताएं—कोई व्यक्ति, बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित होगा :—

(क) यदि वह मुसलमान नहीं है और इक्कीस वर्ष से कम आयु का है ;

(ख) यदि उस व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह विकृतचित्त है ;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तग्रस्त है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है, अथवा उसे एसे अपराध के लिए पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया गया है ;

[2][(घक) वह किसी वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है ;]

(ङ) यदि वह किसी पूर्व अवसर पर—

(i) सदस्य या मुतवल्ली के रूप में अपने पद से हटा दिया गया है ; या

(ii) कुप्रबन्ध या भ्रष्टाचार के कारण किसी विश्वास के पद से सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा,

हटा दिया गया है ।

17. बोर्ड के अधिवेशन—(1) बोर्ड का कार्य करने के लिए उसका अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य बोर्ड के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी प्रश्न, जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं, उपस्थित सदस्यों के बहुत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

18. बोर्ड की समितियां—(1) बोर्ड, जब कभी आवश्यक समझे, साधारणत: या किसी प्रयोजन विशेष के लिए अथवा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, ओक़ाफ़ के पर्यवेक्षण के लिए समितियां स्थापित कर सकेगा ।

(2) ऐसी समितियों का गठन, उनके कृत्य और उनके कर्तव्य तथा उनकी पदावधि बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाएगी :

परन्तु ऐसी समितियों के सदस्यों के लिए बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक नहीं होगा ।

19. अध्यक्ष और सदस्यों का पद त्याग—अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति, राजपत्र में अधिसूचित नहीं की जाती ।

20. अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उसके किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह—

(क) धारा 16 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त है या ग्रस्त हो जाता है ; या

(ख) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ है अथवा ऐसी रीति से कार्य करता है जिसके बारे में राज्य सरकार, कोई स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् जो वह दे, यह समझती है कि वह ओक़ाफ़ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ;

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) बोर्ड की राय में, पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना, बोर्ड के क्रमवर्ती तीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है ।

(2) जहां बोर्ड का अध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन हटाया जाता है, वहां वह बोर्ड का सदस्य भी नहीं रहेगा ।

[1][**20क. अविश्वास मत द्वारा अध्यक्ष का हटाया जाना**—धारा 20 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के अध्यक्ष को अविश्वास मत द्वारा निम्नलिखित रीति से हटाया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति में विश्वास या अविश्वास मत अभिव्यक्त करने वाला कोई संकल्प विहित रीति के सिवाय और तब तक नहीं लाया जाएगा, जब तक अध्यक्ष के रूप में उसके निर्वाचन की तारीख के पश्चात् बारह मास व्यपगत न हो गए हों और उसे राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ;

(ख) अविश्वास की सूचना, उन आधारों का, जिन पर ऐसा प्रस्ताव लाया जाना प्रस्तावित है, स्पष्ट रूप से कथन करते हुए राज्य सरकार को संबोधित की जाएगी और उस पर बोर्ड के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(ग) अविश्वास की सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य, उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के शपथ-पत्र के साथ राज्य सरकार को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रस्तुत करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर असली हैं और ये हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना की अंतर्वस्तु को सुनने या पढ़ने के पश्चात् किए गए हैं ;

(घ) इसमें ऊपर यथा उपबंधित अविश्वास की सूचना की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, ऐसा समय, तारीख और स्थान नियत करेगी, जो प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए बैठक आयोजित करने हेतु उपयुक्त समझा जाए :

परंतु ऐसी बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी ;

(ङ) खंड (घ) के अधीन बैठक की सूचना में यह भी उपबंधित होगा कि अविश्वास प्रस्ताव सम्यक् रूप से पारित किए जाने की दशा में, या, यथास्थिति, नए अध्यक्ष का निर्वाचन भी उसी बैठक में किया जाएगा ;

(च) राज्य सरकार, उस बैठक के, जिसमें अविश्वास के संकल्प पर विचार किया जाएगा, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को (उस विभाग के, जो बोर्ड के अधीक्षण और प्रशासन से संबद्ध है, किसी अधिकारी से भिन्न) भी नामनिर्देशित करेगी ;

(छ) बोर्ड की ऐसी बैठक की गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से होगी ;

(ज) अविश्वास के संकल्प को पारित किया गया समझा जाएगा, यदि उसे उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है ;

(झ) यदि अविश्वास के किसी संकल्प को पारित कर दिया जाता है तो, अध्यक्ष तुरंत पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसके उत्तरवर्ती द्वारा, जिसे उसी बैठक में एक अन्य संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, पद ग्रहण किया जाएगा ;

(ञ) नए अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन खंड (झ) के अधीन, खंड (च) में निर्दिष्ट उक्त पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता के अधीन, बैठक में निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :—

(अ) अध्यक्ष, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा ;

(आ) अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन का प्रस्ताव और समर्थन बैठक में ही किया जाएगा और नाम वापस लिए जाने के पश्चात् निर्वाचन, यदि कोई हो, गुप्त मतदान की पद्धति द्वारा होगा ;

(इ) निर्वाचन बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में, मामले का विनिश्चय लाटरी डाल कर किया जाएगा ; और

(ई) बैठक की कार्यवाहियों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(ट) खंड (ज) के अधीन निर्वाचित नया अध्यक्ष अविश्वास के संकल्प द्वारा हटाए गए अध्यक्ष की शेष पदावधि तक ही पद धारण करेगा ; और

(ठ) यदि अविश्वास का संकल्प पारित करने संबंधी प्रस्ताव बैठक में गणपूर्ति की कमी या अपेक्षित बहुमत के न होने के कारण असफल हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किए जाने के लिए कोई पश्चात्वर्ती बैठक पूर्व बैठक की तारीख से छह मास के भीतर नहीं की जाएगी ।]

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

21. रिक्ति का भरा जाना—जब किसी सदस्य का स्थान उसके हटाए जाने, पदत्याग, मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तब उसके स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति की जाएगी और ऐसा सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान को वह भरता है, पद धारण करने का हकदार होता यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती ।

22. रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

23. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और उसकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें—[1][(1) बोर्ड का एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो मुस्लिम होगा और वह बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो नामों के पैनल से, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और उस पंक्ति के किसी मुस्लिम अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में समकक्ष पंक्ति के किसी मुस्लिम अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा ।]

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड का पदेन सचिव होगा और वह बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा ।

24. बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी—(1) बोर्ड को उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता उपलब्ध होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों जिसके ब्यौरे बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके अवधारित किए जाएंगे ।

(2) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

25. मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां—(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के और बोर्ड के निदेशों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों के अंतर्गत हैं,—

(क) ओक़ाफ़ और वक्फ की संपत्ति की प्रकृति और मात्रा का अन्वेषण करना तथा जहां आवश्यक हो वहां वक्फ की संपत्ति की तालिका मंगाना और मुतवल्लियों से लेखाओं, विवरणियों और सूचनाओं की समय-समय पर मांग करना ;

(ख) वक्फ की संपत्ति और उनसे संबंधित लेखाओं, अभिलेखों, विलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना ;

(ग) साधारणतया ऐसे सभी कार्य करना जो ओक़ाफ़ के नियंत्रण, अनुरक्षण और अधीक्षण के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी वक्फ की बाबत निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करने में बोर्ड, वक्फ विलेख में वाक़िफ़ द्वारा दिए गए निदेशों, वक्फ के प्रयोजन और वक्फ की ऐसी प्रथाओं और रूढ़ियों के अनुरूप कार्य करेगा जिन्हें मुस्लिम विधि की ऐसी शाखा द्वारा मंजूरी दी गई हो, जिससे वक्फ संबंधित है ।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित की जाएं ।

26. बोर्ड के आदेशों या संकल्पों की बाबत मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां—जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह विचार है कि बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई आदेश या संकल्प—

(क) विधि के अनुसार पारित नहीं किया गया है ; या

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, अथवा किसी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के बाहर है अथवा उनका दुरुपयोग करने वाला है ; या

(ग) यदि कार्यान्वित किया गया तो—

(i) बोर्ड को अथवा संबंधित वक्फ को या साधारणतया ओक़ाफ़ को वित्तीय हानि पहुंचा सकता है ; या

(ii) कोई बल्वा या शांति भंग कर सकता है ; और

(iii) मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा उत्पन्न कर सकता है ; या

(घ) बोर्ड के लिए, या किसी वक्फ के लिए या साधारणतया ओक़ाफ़ के लिए फायदाप्रद नहीं है,

तो वह, ऐसे आदेश या संकल्प के कार्यान्वयन के पूर्व मामले को बोर्ड के समक्ष उसके पुनर्विचार के लिए रखेगा और यदि ऐसा आदेश या संकल्प ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पुष्ट नहीं कर दिया जाता है तो आदेश या संकल्प पर अपने आक्षेपों के साथ मामले को राज्य सरकार को निर्देशित करेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**27. बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन**—बोर्ड, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (छ) और खंड (ञ) और धारा 110 के अधीन उल्लिखित बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, बोर्ड या किसी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष, किसी अन्य सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या सेवक प्रत्यायोजित कर सकेगा ।]

[2][**28. बोर्ड के निदेशों के कार्यान्वयन करने की जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट की शक्तियां**—इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट या उसकी अनुपस्थिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट बोर्ड के ऐसे विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संसूचित किए जाएं और बोर्ड, जहां कहीं आवश्यक समझे, अपने विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए अधिकरण से निदेशों की ईप्सा कर सकेगा ।]

29. अभिलेखों, रजिस्टरों आदि का निरीक्षण करने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां—[3][(1)] मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी, [4][ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं ।] सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी भी लोक कार्यालय में किसी वक्फ से अथवा जंगम या स्थावर संपत्तियों से, जो वक्फ संपत्ति हैं या जिनके बारे में वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है, संबंधित किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का हकदार होगा ।

[5][(2) मुतवल्ली या वक्फ संपत्तियों से संबंधित किसी दस्तावेज को अभिरक्षा में रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, लिखित में उसे पेश करने की मांग किए जाने पर, विहित अवधि के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष पेश करेगा ।

(3) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सरकार का कोई अभिकरण या कोई अन्य संगठन वक्फ संपत्तियों या ऐसी संपत्तियों से, जिनके वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है, संबंधित अभिलेखों, संपत्तियों के रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों की प्रतियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, उससे इस आशय के लिखित अनुरोध पर, दस कार्य दिवसों के भीतर, प्रदान करेगा :

परंतु उपधारा (2) और उपधारा (3) में यथावर्णित कार्रवाई करने के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।]

30. अभिलेखों का निरीक्षण—(1) बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अपनी अभिरक्षा में के अन्य अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, उनकी प्रतियां दे सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन दी गई सभी प्रतियां, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से प्रमाणित की जाएंगी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 में उपबंधित है ।

(3) उपधारा (2) द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत किए जाएं ।

31. संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हता का निवारण—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पद, संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने [6][या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य या किसी राज्य विधान-मंडल का सदस्य, यदि समुचित राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो, होने] के लिए निरर्हित नहीं करेंगे और कभी भी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे ।

32. बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य—(1) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, राज्य में सभी ओक़ाफ़ का सामान्य अधीक्षण, राज्य के लिए स्थापित बोर्ड में निहित होगा ; तथा बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करे जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उसके अधीक्षण के अधीन आने वाले ओक़ाफ़ को उचित रूप से अनुरक्षित, नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है और उनकी आय का उन उद्देश्यों तथा उन प्रयोजनों के लिए सम्यक् रूप से उपयोजन किया जाता है जिनके लिए ऐसे वक्फ सृष्ट किए गए थे या आशयित थे :

परन्तु किसी वक्फ की बाबत इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, बोर्ड, वाक़िफ़ के निदेशों, वक्फ के प्रयोजनों और वक्फ की किसी प्रथा या रूढ़ि के अनुरूप कार्य करेगा, जिसे मुस्लिम विधि की ऐसी शाखा द्वारा मंजूरी दी गई हो ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में, "वक्फ" के अन्तर्गत ऐसा वक्फ है जिसके संबंध में इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व या उसके पश्चात्, किसी न्यायालय द्वारा कोई स्कीम बनाई गई है ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 20 द्वारा संख्यांकित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसा अभिलेख रखना जिसमें प्रत्येक वक्फ के प्रारम्भ, उसकी आय, उसके उद्देश्य तथा हिताधिकारियों के बारे में जानकारी हो ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि ओक़ाफ़ की आय और अन्य सम्पत्ति का उन उद्देश्यों तथा उन प्रयोजनों के लिए उपयोजन किया जाता है जिनके लिए, ऐसे वक्फ आशयित थे या सृष्ट किए गए थे ।

(ग) ओक़ाफ़ के प्रशासन के लिए निदेश देना ;

(घ) किसी वक्फ के प्रबन्ध के लिए स्कीमें स्थिर करना :

परन्तु ऐसा कोई स्थिरीकरण, प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ;

(ङ) यह निदेश देना कि—

(i) किसी वक्फ की अधिशेष आय का उस वक्फ के उद्देश्यों से संगत रूप में उपयोग किया जाए ;

(ii) ऐसे किसी वक्फ की, जिसके उद्देश्य किसी लिखत से स्पष्ट नहीं हैं, आय का किस रीति से उपयोग किया जाए ;

(iii) किसी ऐसी दशा में, जिसमें किसी वक्फ का कोई उद्देश्य अस्तित्व में नहीं रह गया है अथवा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वक्फ की आय के इतने भाग का जितना पहले उस उद्देश्य के लिए उपयोजित किया जाता था, किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जो समरूप या निकटतम समरूप हो या मूल उद्देश्य के लिए या गरीबों के फायदे के लिए या मुस्लिम समुदाय में ज्ञान या विद्या की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए उपयोजन किया जाए :

परन्तु इस खंड के अधीन कोई निदेश, प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग,—

(i) सुन्नी वक्फ की दशा में, बोर्ड के सुन्नी सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा ; और

(ii) शिया वक्फ की दशा में, बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा :

परन्तु जहां बोर्ड में सुन्नी या शिया सदस्यों की संख्या को और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को यह प्रतीत हो कि उसकी शक्ति का प्रयोग ऐसे सदस्यों द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए वहां वह ऐसे अन्य, यथास्थिति, सुन्नी या शिया मुसलमानों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड के अस्थायी सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा ;

(च) मुतवल्लियों द्वारा प्रस्तुत बजटों की संवीक्षा करना और अनुमोदन करना तथा ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए व्यवस्था करना ;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुतवल्लियों को नियुक्त करना और उन्हें हटाना ;

(ज) वक्फ की खोई हुई सम्पत्तियों को पुन: प्राप्त करने के लिए उपाय करना ;

(झ) ओक़ाफ़ के संबंध मं न्यायालय में वाद और कार्यवाहियां संस्थित करना और उनकी प्रतिरक्षा करना ;

[1][(ञ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वक्फ की किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे की मंजूरी देना :

परंतु ऐसी कोई मंजूरी बोर्ड के उपस्थित सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा ऐसे संव्यवहार के पक्ष में अपना मत दिए जाने पर ही दी जाएगी अन्यथा नहीं :

परंतु यह और कि जहां बोर्ड द्वारा ऐसी मंजूरी नहीं दी जाती है वहां ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा ;]

(ट) वक्फ निधि का प्रशासन करना ;

(ठ) मुतवल्लियों से वक्फ की सम्पत्ति की बाबत ऐसी विवरणियां, आंकड़े, लेखा और अन्य जानकारी मांगना, जिसकी बार्ड समय-समय पर अपेक्षा करे ;

(ड) वक्फ की सम्पत्ति, लेखाओं, अभिलेखों या उनसे संबंधित विलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना ;

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ढ) ओक़ाफ़ के और वक्फ संपत्ति के स्वरूप और विस्तार का अन्वेषण और अवधारण करना तथा जब कभी आवश्यक हो, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कराना ;

[1][(ढक) वक्फ भूमि या भवन का बाजार किराया, ऐसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अवधारित करना या अवधारित कराना ;]

(ण) साधारणतया ऐसे सभी कार्य करना जो ओक़ाफ़ के सम्यक् नियंत्रण, अनुरक्षण और प्रशासन के लिए आवश्यक हों ।

(3) जहां बोर्ड ने उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रबंध की कोई स्कीम परिनिर्धारित की है अथवा उसके खण्ड (ङ) के अधीन कोई निदेश दिया है वहां वक्फ में हितबद्ध या ऐसे परिनिर्धारण या निदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति परिनिर्धारण या निदेश को अपास्त कराने के लिए अधिकरण में वाद संस्थित कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी वक्फ भूमि पर जो वक्फ संपत्ति है, [2][शैक्षिक संस्था, वाणिज्यिक केन्द्र, बाजार, रिहायशी या आवासीय फ्लैटों के रूप में और ऐसे अन्य विकास की संभावना है] वहां वह संबंधित वक्फ के मुतवल्ली से, उस पर सूचना की तामील करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, साठ दिन से अन्यून ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना विनिश्चय सूचित करे कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट विकास संकर्मों को निष्पादित करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सूचना के संबंध में प्राप्त उत्तर पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि मुतवल्ली सूचना में अपेक्षित संकर्म को निष्पादित करने के लिए इच्छुक नहीं है या उसे निष्पादित करने में समर्थ नहीं है तो वह [3]* * * संपत्ति को ग्रहण कर सकेगा, उस पर से किसी ऐसे भवन या संरचना को हटा सकेगा जो बोर्ड की राय में, संकर्म के निष्पादन के लिए आवश्यक है और ऐसे संकर्म को वक्फ निधि से या संबंधित वक्फ सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर वित्त जुटा कर, निष्पादित कर सकेगा और सम्पत्ति को अपने नियंत्रण और प्रबंध में उतने समय तक रख सकेगा जब तक इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्यय और साथ ही उस पर ब्याज, ऐसे संकर्म के अनुरक्षण पर व्यय और संपत्ति पर उपगत अन्य समुचित प्रभार, संपत्ति से व्युत्पन्न आय से वसूल न कर लिए जाएं :

परन्तु बोर्ड, संबंधित वक्फ के मुतवल्ली को, बोर्ड द्वारा सम्पत्ति को ग्रहण किए जाने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान, संपत्ति से व्युत्पन्न औसत शुद्ध वार्षिक आय की मात्रा तक प्रतिवर्ष प्रतिकर के रूप में देगा ।

(6) उपधारा (5) में प्रगणित सभी व्ययों की विकसित संपत्ति की आय में से प्रतिपूर्ति कर लिए जाने के पश्चात्, विकसित संपत्ति, संबंधित वक्फ के मुतवल्ली को वापस कर दी जाएगी ।

33. निरीक्षण करने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की शक्तियां—(1) इस बात की परीक्षा करने की दृष्टि से कि क्या मुतवल्ली की ओर से अपने कार्यपालक या प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी असफलता के कारण या उसमें किसी उपेक्षा के कारण, किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति को कोई हानि या नुकसान हुआ है, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, [4][या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति] [5]* * * ऐसी सभी जंगम और स्थावर संपत्तियों का, जो वक्फ संपत्ति हैं और उनसे संबंधित सभी अभिलेखों, पत्राचार, योजनाओं, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) जब कभी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निरीक्षण किया जाता है तो संबंधित मुतवल्ली तथा उसके अधीन कार्यरत सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी और वक्फ के प्रशासन से संबद्ध, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को ऐसी सभी सहायता और सुविधाएं देंगे जो आवश्यक हों, और जिनकी ऐसा निरीक्षण करने के लिए उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाए, और निरीक्षण के लिए वक्फ से संबंधित कोई भी जंगम संपत्ति या दस्तावेजें जो निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा मांगी जाएं, प्रस्तुत करेंगे और उसे वक्फ से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए ।

(3) जहां किसी ऐसे निरीक्षण के पश्चात्, यह प्रतीत हो कि संबंधित मुतवल्ली ने अथवा ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी ने, जो उसके अधीन कार्यरत है या था, किसी धन या अन्य वक्फ संपत्ति का दुर्विनियोग, दुरुपयोग या कपटपूर्वक प्रतिधारण किया था अथवा वक्फ की निधि में से अनियमित, अप्राधिकृत या अनुचित व्यय किया था तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुतवल्ली या संबंधित व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् कि पूर्वोक्त रकम या संपत्ति की वसूली का आदेश उसके विरुद्ध क्यों न पारित किया जाए और ऐसे स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, जिसे ऐसा व्यक्ति दे, विचार करने के पश्चात् उस रकम या संपत्ति का जिसका दुर्विनियोग, दुरुपयोग या कपटपूर्वक प्रतिधारण किया गया था अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत अनियमित, अप्राधिकृत या अनुचित व्यय की रकम का अवधारण करेगा और ऐसे व्यक्ति को निदेश देते हुए यह आदेश करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करे और उक्त संपत्ति को वक्फ को वापस लौटा दे ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 23 द्वारा लोप किया गया ।

(4) ऐसे आदेश से व्यथित कोई मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई अपील, अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण की जाएगी जब अपीलार्थी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास वह रकम, जो उपधारा (3) के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदेय के रूप में अवधारित की गई है, जमा करा दी हो और अधिकरण को, अपील का निपटारा लंबित रहने तक, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी ।

(5) अधिकरण, ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा अथवा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट रकम का, पूर्णत: या भागत:, परिहार कर सकेगा और खर्चे के बारे में ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा ।

34. धारा 33 के अधीन अवधारित रकम की वसूली—जहां कोई मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति, जिसे धारा 33 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन संदाय करने के लिए या किसी संपत्ति का कब्जा वापस लौटाने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा संदाय करने में या ऐसी संपत्ति को लौटाने में लोप करेगा या असफल रहेगा वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, पूर्वोक्त संपत्ति का कब्जा लेने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह ठीक समझे और वह उस जिले के, जिसमें ऐसे मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति की संपत्ति स्थित है, कलक्टर को, एक प्रमाणपत्र भी भेजेगा जिसमें वह रकम कथित की जाएगी जो धारा 33 के अधीन, यथास्थिति, उसके द्वारा या अधिकरण द्वारा ऐसे मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय रकम के रूप में अवधारित की गई है और तब कलक्टर ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो और ऐसी रकम की वसूली किए जाने पर, उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदत्त करेगा जो उसकी प्राप्ति पर, उस रकम को संबंधित वक्फ की निधियों में जमा करेगा ।

35. अधिकरण द्वारा सशर्त कुर्की—(1) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी का समाधान हो जाता है कि मुतवल्ली या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे धारा 33 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई संदाय करने का आदेश दिया गया है, उक्त आदेश के निष्पादन को विफल करने या उसमें विलंब करने के आशय से,—

(क) अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है ; या

(ख) अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अधिकारिता से हटाने वाला है,

वहां वह, वोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, उक्त संपत्ति या उसके किसी ऐसे भाग की जो वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जब तक कि अधिकरण अन्यथा निदेश न दे, कुर्क की जाने के लिए अपेक्षित संपत्ति और उसके प्राक्कलित मूल्य को आवेदन में विनिर्दिष्ट करेगा ।

(3) अधिकरण, यथास्थिति, मुतवल्ली या संबंधित व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह उसके द्वारा नियत किए जाने वाले समय के भीतर, उक्त संपत्ति या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग को, जो धारा 34 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने और उसके व्ययनाधीन रखने के लिए, जब भी अपेक्षित हो, या तो उतनी राशि की, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिभूति दे या हाजिर हो और यह हेतुक दर्शित करे कि उसे ऐसी प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहए ।

(4) अधिकरण, इस प्रकार विनिर्दिष्ट संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग की सशर्त कुर्की के लिए भी आदेश में, निदेश दे सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे की जाएगी मानो वह उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन किया गया कुर्की का आदेश हो ।

अध्याय 5

ओक़ाफ़ का रजिस्ट्रीकरण

36. रजिस्ट्रीकरण—(1) प्रत्येक वक्फ, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट किया गया हो या उसके पश्चात्, बोर्ड के कार्यालय में रजिस्टर किया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा :

परन्तु ऐसे आवेदन [1][वाक़िफ़ अथवा] उसके वंशजों द्वारा या वक्फ के किसी हिताधिकारी या उस संप्रदाय के, जिसका वह वक्फ है, किसी भी मुसलमान द्वारा किए जा सकेंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर किया जाएगा जिसका बोर्ड विनियमों द्वारा, अपबंध करे और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) वक्फ संपत्तियों का वर्णन, जो उनकी पहचान के लिए पर्याप्त हो ;

(ख) ऐसी संपत्तियों से सकल वार्षिक आय ;

(ग) भू-राजस्व, उपकरों, रेटों और करों की रकम जो वक्फ संपत्तियों की बाबत प्रतिवर्ष संदेय हैं ;

(घ) वक्फ संपत्तियों की आय की वसूली में हुए वार्षिक व्यय का प्राक्कलन ;

(ङ) वक्फ के अधीन निम्नलिखित के लिए अलग से रखी गई रकम :—

(i) मुतवल्ली का वेतन और विभिन्न व्यक्तियों के भत्ते ;

(ii) पूर्णत: धार्मिक प्रयोजन ;

(iii) पूर्त प्रयोजन ; और

(iv) कोई अन्य प्रयोजन ;

(च) कोई अन्य विशिष्टियां जो बोर्ड, विनियमों द्वारा, उपवंधित करे ।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ वक्फ विलेख की एक प्रति होगी अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है तो उसमें वक्फ के उद्गम, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्यों की पूरी विशिष्टियां होंगी जहां तक कि वे आवेदक को ज्ञात हैं ।

(5) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन आवेदक द्वारा जैसी ऐसी रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अभिवचनों को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए उपबंधित है ।

(6) बोर्ड आवेदक से कोई ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां या जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(7) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड वक्फ के रजिस्ट्रीकरण से पहले आवेदन के असली होने और उसकी विधिमान्यता और उसमें किन्हीं विशिष्टियों के सही होने के बारे में ऐसी जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे और जब आवेदन वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब बोर्ड वक्फ को रजिस्टर करने से पहले आवेदन की सूचना वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और यदि वह सुनवाई चाहता है तो उसको सुनेगा ।

(8) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व सृष्ट ओक़ाफ़ की दशा में, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्रारंभ से तीन मास के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् सृष्ट ओक़ाफ़ की दशा में वक्फ के सृष्ट किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी वक्फ के सृष्ट किए जाने के समय कोई बोर्ड नहीं है वहां ऐसा आवेदन बोर्ड की स्थापना की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा ।

37. ओक़ाफ़ का रजिस्टर—[2][(1)] बोर्ड ओक़ाफ़ का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वक्फ की बाबत वक्फ विलेखों की प्रतियां, जब उपलब्ध हों, और निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) वक्फ का वर्ग ;

(ख) मुतवल्ली का नाम ;

(ग) वक्फ विलेख के अधीन अथवा रूढ़ि या प्रथा द्वारा मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार का नियम ;

(घ) सभी वक्फ संपत्तियों की विशिष्टियां और उनसे संबंधित सभी हक विलेख और दस्तावेजें ;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रशासन की स्कीम और व्यय की स्कीम की विशिष्टियां ;

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

[3][(2) बोर्ड ओक़ाफ़ के रजिस्टर में दर्ज संपत्तियों के ब्यौरे, वक्फ संपत्ति पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित भू-अभिलेख कार्यालय को अग्रेषित करेगा ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 25 द्वारा संख्यांकित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) भू-अभिलेख कार्यालय, उपधारा (2) में यथा उल्लिखित ब्यौरे प्राप्त करने पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, या तो भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा या धारा 36 के अधीन वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां बोर्ड को संसूचित करेगा ।]

38. कार्यपालक अधिकारियों को नियुक्त करने की बोर्ड की शक्ति—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड यदि उसकी यह राय हो कि वक्फ के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं, ऐसे किसी वक्फ के लिए जिसकी कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपए से कम नहीं है, पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर या अवैतनिक रूप में कार्यपालक अधिकारी और साथ ही उतने सहायक कर्मचारिवृन्द जितने वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु नियुक्ति के लिए चुना गया व्यक्ति, इस्लाम को मानने वाला होना चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केवल ऐसी वक्फ संपत्ति के प्रशासन से संबंधित है, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है और वह उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का निर्वहन बोर्ड के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन करेगा :

परन्तु कार्यपालक अधिकारी जिसे ऐसे वक्फ के लिए नियुक्त किया गया है, जिसकी कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपए से कम नहीं है, यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ का बजट प्रस्तुत किया जाए, वक्फ के लेखे नियमित रूप से रखे जाएं और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जाए जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कार्यपालक अधिकारी मुस्लिम विधि द्वारा स्वीकृत किन्हीं धार्मिक कर्तव्यों अथवा किसी प्रथा या रूढ़ि में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(4) कार्यपालक अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते बोर्ड द्वारा नियत किए जाएंगे और ऐसे वेतन की मात्रा नियत करने में बोर्ड वक्फ की आय, कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्यों की सीमा और उनकी प्रकृति का सम्यक् ध्यान रखेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वेतन और भत्तों की रकम वक्फ की आय से अननुपातिक न हो और उस पर कोई अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े ।

(5) कार्यपालक अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते बोर्ड द्वारा वक्फ निधि में से संदत्त किए जाएंगे और यदि वक्फ को कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त आय प्राप्त होती है तो बोर्ड, संबंधित वक्फ निधि में से वेतन और भत्तों पर खर्च की गई रकम की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेगा ।

(6) बोर्ड, पर्याप्त कारणों से और कार्यपालक अधिकारी को या उसके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कार्यपालक अधिकारी या उसके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को उसके पद से निलंबित कर सकेगा, हटा सकेगा या पदच्युत कर सकेगा ।

(7) ऐसा कोई कार्यपालक अधिकारी या उसके कर्मचारिवृन्द का ऐसा कोई सदस्य जो उपधारा (6) के अधीन पद से हटाए जाने या पदच्युत किए जाने के किसी आदेश से व्यथित है, आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और अधिकरण ऐसे अभ्यावेदन पर जो बोर्ड ऐसे मामले में करे, विचार करने के पश्चात् और कार्यपालक अधिकारी को या उसके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसका उपान्तरण कर सकेगा या उसे उलट सकेगा ।

39. ऐसे ओक़ाफ़ के संबंध में, जो अस्तित्व में नहीं रहे हैं, बोर्ड की शक्तियां—(1) बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वक्फ के उद्देश्य या उनका कोई भाग अस्तित्व में नहीं रह गया है, चाहे ऐसी समाप्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुई हो, या उसके पश्चात्, तो विहित रीति से ऐसे वक्फ से संबंधित संपत्ति और निधि अभिनिश्चित करने के लिए जांच कराएगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी से जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बोर्ड—

(क) ऐसे वक्फ की संपत्ति और निधि को विनिर्दिष्ट करते हुए, आदेश पारित करेगा ;

(ख) यह निदेश देते हुए आदेश पारित करेगा कि ऐसे वक्फ से संबंधित संपत्ति या निधियां जो वसूल की गई हैं, किसी वक्फ संपत्ति के नवीकरण के लिए उपयोजित की जाएंगी या उपयोग में लाई जाएंगी और जहां ऐसा कोई नवीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है अथवा जहां ऐसे नवीकरण के लिए निधियों का उपयोग संभव नहीं है वहां धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

(3) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे भवन या अन्य स्थान का, जिसका उपयोग किसी धार्मिक प्रयोजन या शिक्षण के लिए या पूर्त कार्य के लिए किया जा रहा था, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात्, उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना बन्द हो गया है तो वह अधिकरण को ऐसे भवन या अन्य स्थान के कब्जे को वापस लेने का निदेश देने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(4) यदि अधिकरण का ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा भवन या अन्य स्थान—

(क) वक्फ संपत्ति है ;

(ख) भूमि के अर्जन से संबंधित उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अर्जित नहीं किया गया है या वह किसी ऐसी विधि के अधीन अर्जन की प्रक्रिया के अधीन नहीं है या भूमि सुधार से संबंधित उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य सरकार में निहित नहीं हुआ है ; और

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में नहीं है जिसे ऐसे भवन या अन्य स्थान पर अधिभोग में रखने के लिए उस समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किया गया है तो वह—

(i) ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका उस पर अप्राधिकृत कब्जा है, ऐसे भवन या स्थान को वापस लेने का निदेश देते हुए, आदेश कर सकेगा ; और

(ii) यह निदेश देते हुए, आदेश कर सकेगा, कि ऐसी संपत्ति, भवन या स्थान का पूर्व की भांति धार्मिक प्रयोजन या शिक्षण के लिए उपयोग किया जाए, या यदि ऐसा उपयोग संभव न हो तो उसका उपयोग धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किया जाए ।

40. यह विनिश्चय कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है—(1) बोर्ड किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह वक्फ संपत्ति है, स्वयं जानकारी संगृहीत कर सकेगा और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा कोई वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रश्न पर बोर्ड का विनिश्चय जब तक कि उसको अधिकरण द्वारा द्वारा प्रतिसंहृत या उपांतरित न कर दिया जाए, अंतिम होगा ।

(3) जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अनुसरण में अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या सोसाइटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है वहां बोर्ड, ऐसे अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति के बारे में जांच कर सकेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात् बोर्ड का समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो वह, यथास्थिति, न्यास या सोसाइटी से मांग कर सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति को इस अधिनियम के अधीन वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराए या इस बात का कारण बताए कि ऐसी संपत्ति को इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत क्यों नहीं किया जाए :

परन्तु ऐसे सभी मामलों में, इस उपधारा के अधीन की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना, उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके द्वारा न्यास या सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है ।

(4) बोर्ड, ऐसे हेतुक पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् जो उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में दर्शित किया जाए, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे, और बोर्ड द्वारा इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा जब तक कि वह किसी अधिकरण द्वारा प्रतिसंहृत या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है ।

41. वक्फ का रजिस्ट्रीकरण कराने और रजिस्टर को संशोधित करने की शक्ति—बोर्ड, किसी वक्फ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए या वक्फ के बारे गें कोई जानकारी उपलब्ध करने के लिए, मुतवल्ली को निदेश दे सकेगा अथवा वक्फ को स्वयं रजिस्टर करा सकेगा अथवा किसी समय ओक़ाफ़ के रजिस्टर को संशोधित कर सकेगा ।

42. वक्फ के प्रबंध में किए गए परिवर्तन का अधिसूचित किया जाना—(1) मुतवल्ली की मृत्यु या निवृत्ति या हटाए जाने के कारण किसी रजिस्ट्रीकृत वक्फ के प्रबंध में किसी परिवर्तन की दशा में, नया मुतवल्ली बोर्ड को उस परिवर्तन के बारे में तुरन्त अधिसूचित करेगा और कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कर सकेगा ।

(2) धारा 36 में उल्लिखित विशिष्टियों में से किसी में किसी अन्य परिवर्तन की दशा में, मुतवल्ली परिवर्तन होने के तीन मास के भीतर, बोर्ड को ऐसे परिवर्तन के बारे में अधिसूचित करेगा ।

43. इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत ओक़ाफ़ का रजिस्ट्रीकृत समझा जाना—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई वक्फ इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्टर किया गया है तो उस वक्फ को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्टर कराना आवश्यक नहीं होगा और ऐसे प्रारंभ के पूर्व किया गया कोई ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा ।

अध्याय 6

ओक़ाफ़ के लेखाओं का रखा जाना

44. बजट—(1) वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे ।

(2) ऐसा प्रत्येक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के कम से कम [1][तीस दिन] पूर्व मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित के लिए पर्याप्त उपबंध किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) वक्फ के उद्देश्यों को पूरा करना ;

(ii) वक्फ संपत्ति का अनुरक्षण और परिरक्षण करना ;

(iii) ऐसे सभी दायित्वों और विद्यमान प्रतिबद्धताओं का, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वक्फ के लिए आबद्धकर है, निर्वहन करना ।

[1][(3) बोर्ड द्वारा बजट की किसी मद को वक्फ के उद्देश्यों और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल समझे जाने की दशा में, वह ऐसी मद के परिवर्धन या हटाए जाने के लिए ऐसा निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।]

(4) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान मुतवल्ली इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राप्तियों या विभिन्न शीर्षों के अधीन खर्च की जाने वाली रकमों के वितरण के संबंध में बजट में किए गए उपबंधों को उपांतरित करना आवश्यक है तो वह बोर्ड को अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत कर सकेगा और उपधारा (3) के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट को लागू होंगे ।

45. बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन ओक़ाफ़ के लिए बजट का तैयार किया जाना—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन प्रत्येक वक्फ के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसे बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बजट प्रस्तुत करते समय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एक ऐसी विवरणी भी तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ की आय में वृद्धि के, यदि कोई हो, ब्यौरे तथा वे उपाय जो उसके बेहतर प्रबंध के लिए किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान उनसे प्रोद्भूत होने वाले परिणाम दिए जाएंगे ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियमित लेखे रखेगा तथा बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ के उचित प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक बजट धारा 46 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए उसमें वक्फ के मुतवल्ली के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश हैं ।

(5) बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ लेखाओं की संपरीक्षा, राज्य स्थानीय निधि परीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, वक्फ की आय का विचार किए बिना, की जाएगी ।

(6) धारा 47 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध तथा धारा 48 और 49 के उपबंध, जहां तक कि वे इस धारा के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इस धारा में निर्दिष्ट लेखाओं की संपरीक्षा को लागू होंगे ।

(7) जहां कोई वक्फ, बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन है वहां वक्फ द्वारा बोर्ड को ऐसे प्रशासनिक प्रभार संदेय होंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले वक्फ की सकल वार्षिक आय के दस प्रतिशत से अधिक का प्रशासनिक प्रभारों के रूप में संग्रहण नहीं करेगा ।

46. ओक़ाफ़ के लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना—(1) प्रत्येक मुतवल्ली नियमित लेखा रखेगा ।

(2) जिस तारीख को धारा 36 में निर्दिष्ट आवेदन किया गया है उसकी ठीक अगली [2][जुलाई के प्रथम दिन] के पहले, और तत्पश्चात् प्रतिवर्ष [2][जुलाई के प्रथम दिन] के पहले, प्रत्येक वक्फ का मुतवल्ली, यथास्थिति, मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि के दौरान अथवा उक्त अवधि के उस भाग के दौरान जिसके दौरान इस अधिनियम के उपबंध वक्फ को लागू हैं, वक्फ की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों का, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला, जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, एक पूरा और सही लेखा विवरण तैयार करेगा और बोर्ड को देगा :

परन्तु उस तारीख में जिसको वार्षिक लेखा बन्द किए जाने हैं, बोर्ड के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।

47. ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा—(1) धारा 46 के अधीन बोर्ड को प्रस्तुत किए गए ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा और जांच निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे वक्फ की दशा में जिसकी कोई आय नहीं है या जिसकी शुद्ध वार्षिक आय [1][पचास हजार रुपए] से अधिक नहीं है, लेखाओं के विवरण का प्रस्तुत किया जाना धारा 46 के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा तथा ऐसे दो प्रतिशत ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी ;

(ख) ऐसे वक्फ के, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय [1][पचास हजार रुपए] से अधिक है, लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष या ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो राज्य सरकर द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल में से बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा संपरीक्षकों का ऐसा पैनल तैयार करते समय राज्य सरकार संपरीक्षकों का पारिश्रमिक मान विनिर्दिष्ट करेगी ;

(ग) राज्य सरकार [2][बोर्ड को सूचित करते हुए] किसी भी समय, किसी वक्फ के लेखा की संपरीक्षा राज्य स्थानीय निधि परीक्षक द्वारा अथवा उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य अधिकारी द्वारा करा सकेगी ।

(2) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षक की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय के अथवा धन या अन्य संपत्ति को वसूल करने की असफलता के, जो उपेक्षा या अवचार के कारण हुई हो, सभी मामलों को तथा किसी अन्य मामले को, जिसकी रिपोर्ट करना संपरीक्षक आवश्यक समझता है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा, तथा रिपोर्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी होगा जो संपरीक्षक की राय में ऐसे व्यय या असफलता के लिए जिम्मेदार है और ऐसे प्रत्येक मामले में संपरीक्षक उस व्यय या हानि की रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित करेगा ।

(3) वक्फ के लेखाओं की संपरीक्षा का खर्च उस वक्फ की निधि में से दिया जाएगा :

परन्तु ऐसे ओक़ाफ़ के संबंध में, जिनकी शुद्ध वार्षिक आय [1][पचास हजार रुपए से अधिक] है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पैनल में से नियुक्त संपरीक्षकों का पारिश्रमिक, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक मान के अनुसार दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी वक्फ के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य स्थानीय निधि परीक्षक या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त अभिहित किया है, की जाती है वहां ऐसी संपरीक्षा का खर्च ऐसे वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय के डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसा खर्च संबंधित वक्फ की निधि में से पूरा किया जाएगा ।

48. संपरीक्षक की रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा आदेश का पारित किया जाना—(1) बोर्ड संपरीक्षक की रिपोर्ट की रिपोर्ट की जांच करेगा और उसमें उल्लिखित किसी मामले के बारे में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा तथा रिपोर्ट के बारे में ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और उनके अन्तर्गत ऐसी रकम की वसूली के लिए आदेश भी होंगे जो संपरीक्षक द्वारा धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणित की गई है ।

(2) मुतवल्ली या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, आदेश का उपांतरण करने या उसे अपास्त करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा तथा अधिकरण, ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि या उपांतरण कर सकेगा अथवा इस प्रकार प्रमाणित रकम का, पूर्णत: या भागत:, परिहार कर सकेगा तथा खर्च के बारे में ऐसा आदेश भी कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षक द्वारा प्रमाणित रकम पहले अधिकरण में निक्षिप्त कर दी गई हो और अधिकरण को उपधारा (1) के अधिन बोर्ड द्वारा किए गए आदेश का प्रवर्तन रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा ।

(5) ऐसी प्रत्येक रकम, जिसकी वसूली के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश किया गया है, जहां ऐसी रकम असंदत्त रहती है, वहां, धारा 34 या धारा 35 में विनिर्दिष्ट रीति से उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो उक्त आदेश धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन अवधारित किसी रकम की वसूली के लिए हो ।

49. देय प्रमाणित की गई राशियों का भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकना—(1) संपरीक्षक द्वारा धारा 47 के अधीन अपनी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र धारा 48 के अधीन बोर्ड या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश से परिवर्तित या रद्द नहीं कर दिया जाता है और परिवर्तित प्रमाणपत्र पर देय प्रत्येक राशि, बोर्ड द्वारा उसके लिए जारी की गई मांग की तामील के पश्चात् साठ दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाएगी ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) यदि ऐसा संदाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता है तो ऐसी संदेय राशि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिससे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

50. मुतवल्लियों के कर्तव्य—प्रत्येक मुतवल्ली का कर्तव्य होगा कि वह—

(क) बोर्ड के निदेशों को इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित करे ;

(ख) ऐसी विवरणियां दे और ऐसी जानकारी या विशिष्टियों का प्रदाय करे जिनकी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर अपेक्षा की जाए ;

(ग) वक्फ संपत्तियों, लेखाओं या अभिलेखों या विलेखों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण अनुज्ञात करे ;

(घ) सभी लेकदेयों का भुगतान करे ; और

(ङ) ऐसा कोई अन्य कार्य करे जिसे करने के लिए उससे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विधिपूर्वक अपेक्षा की गई है ।

51. बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति के अन्य संक्रामण का शून्य होना—[1][(1) वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, कोई पट्टा तब तक शून्य होगा, जब तक ऐसा पट्टा बोर्ड की पूर्व मंजूरी से न किया गया हो :

परंतु किसी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान या इमाबाड़े का पट्टा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य में के किन्हीं अनुप्रयुक्त कब्रिस्तानों के सिवाय जहां ऐसा कब्रिस्तान वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व पट्टे पर दिया जा चुका है, नहीं किया जाएगा ।

(1क) वक्फ संपत्ति का कोई विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण आरंभ से ही शून्य होगा :

परंतु यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी वक्फ संपत्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकसित किया जा सकता है, तो वह कारणों को लेखबद्ध करके, उस संपत्ति का विकास कार्य, ऐसे अभिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, करा सकेगा और ऐसी वक्फ संपत्ति के विकास की सिफारिशों वाला एक संकल्प ला सकेगा जिसे बोर्ड की कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) या भूमि अर्जन से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए वक्फ संपत्तियों के किसी अर्जन पर प्रभाव नहीं डालेगी यदि ऐसा अर्जन बोर्ड के परामर्श से किया जाता है :

परंतु यह भी कि,—

(क) अर्जन, उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 (1991 का 42) के उल्लंघन में नहीं होगा ;

(ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है, निर्विवाद रूप से सार्वजनिक प्रयोजन होगा ;

(ग) ऐसी कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, जो उस प्रयोजन के लिए अधिक या कम उपयुक्त समझी जाएगी ;

(घ) वक्फ के हित और उद्देश्य को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिकर, प्रचलित बाजार मूल्य पर होगा अथवा अर्जित भूमि के स्थान पर उचित मुआवजे सहित, कोई उपयुक्त भूमि होगा ।]

[2]* * * * * * *

52. धारा 51 के उल्लघंन में अंतरित की गई वक्फ संपत्ति का वापस लिया जाना—(1) यदि बोर्ड का, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात्, जो विहित की जाए, यह समाधान हो जाता है कि किसी वक्फ की कोई स्थावर संपत्ति, जो धारा 36 के अधीन रखे गए ओक़ाफ़ के रजिस्टर में उस रूप में दर्ज है, धारा 51 [3][या धारा 56] के उपबंधों के उल्लंघन में बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना अंतरित की गई है तो वह उस कलक्टर को, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह संपत्ति स्थित है, उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने और उसे उसका परिदान करने की अध्यपेक्षा भेज सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, कलक्टर उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में संपत्ति है, यह निदेश देने वाला आदेश पारित कर सकेगा कि वह आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड की संपत्ति का परिदान कर दे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की तामील निम्न प्रकार से की जाएगी, अर्थात् :—

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 29 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) वह आदेश उस व्यक्ति को जिसके लिए वह आशयित है, देकर या उसका उसे निविदान करके या डाक द्वारा भेजकर ; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है तो आदेश को उसके अंतिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग में लगाकर अथवा आदेश को उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या, सेवक को देकर या उसका उसको निविदान करके या उसे उस संपत्ति के, जिससे वह संबंधित है, किसी सहजदृश्य भाग में लगवाकर :

परन्तु यदि वह व्यक्ति, जिस पर आदेश की तामील की जानी है, अवयस्क है तो उसके संरक्षक पर अथवा उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जाएगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे अधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह संपत्ति स्थित है और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है तथा ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय अपील किए बिना समाप्त हो गया है अथवा उस समय के भीतर की गई अपील, यदि कोई हो, खारिज कर दी गई है वहां कलक्टर उस संपत्ति का कब्जा, जिसके बारे में आदेश किया गया है, ऐसा बल प्रयोग करके, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, और उसका बोर्ड को परिदान करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने में कलक्टर का मार्गदर्शन ऐसे नियमों से होगा, जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

[1][**52क. बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति के अन्यसंक्रामण के लिए शास्ति**—(1) जो कोई, ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी प्रकार की किसी रीति में, चाहे स्थायी रूप से अस्थायी रूप से, अन्य संक्रामण करेगा या क्रय करेगा, या कब्जा लेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा :

परंतु इस प्रकार अन्यसंक्रामित वक्फ संपत्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके लिए किसी प्रतिकर के बिना बोर्ड में निहित हो जाएगी ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(3) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान बोर्ड या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

(4) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।]

53. वक्फ की ओर से संपत्ति के क्रय पर निर्बन्धन—वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, किसी वक्फ के लिए या उसकी ओर से किसी वक्फ की निधियों में से कोई स्थावर संपत्ति बोर्ड की पूर्व मंजूरी से ही क्रय की जाएगी, अन्यथा नहीं तथा बोर्ड ऐसी मंजूरी तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसका यह विचार न हो कि ऐसी संपत्ति का अर्जन वक्फ के लिए आवश्यक या फायदाप्रद है तथा उसके लिए दी जाने के लिए प्रस्थापित कीमत पर्याप्त और युक्तियुक्त है :

परन्तु ऐसी मंजूरी दिए जाने के पूर्व, प्रस्थापित संव्यवहार से संबंधित विशिष्टियां राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी जिसमें उनकी बाबत आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे तथा बोर्ड उन आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् जो उसे मुतवल्लियों या वक्फ में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हों, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

54. वक्फ संपत्ति से अधिक्रमणों का हटाया जाना—(1) जब कभी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का, कोई शिकायत प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से, यह विचार हो कि किसी ऐसी भूमि, भवन, जगह या अन्य संपत्ति पर, जो वक्फ संपत्ति है और जो इस अधिनियम के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है, कोई अधिक्रमण हुआ है तो वह अधिक्रमणकर्ता पर ऐसी सूचना की तामील कराएगा जिसमें अधिक्रमण की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी और उससे ऐसी तारीख के पूर्व, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यह हेतुक दर्शित करने की मांग की जाएगी कि उससे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व अधिक्रमण को हटाने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न किया जाए, तथा ऐसी सूचना की प्रति संबंधित मुतवल्ली को भी भेजेगा ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की तामील ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) यदि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो विहित की जाए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत संपत्ति वक्फ संपत्ति है और ऐसी किसी वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण हुआ है [2][तो वह ऐसे अधिक्रमण को हटाए जाने हेतु बेदखली का आदेश प्रदान करने के लिए

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकरण को आवेदन कर सकेगा] तथा अधिक्रमण की गई भूमि, भवन, जगह या अन्य संपत्ति का कब्जा वक्फ के मुतवल्ली को परिदत्त कर सकेगा ।

[1][(4) अधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, उसके कारण अभिलिखित करके यह निदेश देते हुए कि वक्फ संपत्ति उन सभी व्यक्तियों द्वारा खाली की जाएगी जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोग में हों, बेदखली के आदेश करेगा और आदेश की एक प्रति वक्फ संपत्ति के किसी बाह्य द्वार पर या अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकवाएगा :

परंतु अधिकरण, बेदखली का कोई आदेश करने से पूर्व, उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देगा जिसके विरुद्ध मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बेदखली का आवेदन किया गया है ।

(5) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन आदेश चिपकाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर बेदखली के आदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इन निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति वक्फ संपत्ति से उस व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा ।]

55. धारा 54 के अधीन किए गए आदेशों का प्रवर्तन—जहां धारा 54 का [2][उपधारा (4)] के अधीन किसी अधिक्रमण को हटाने के लिए आदिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति, उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे अधिक्रमण को हटाने में लोप करता है या असफल रहता है अथवा उस भूमि, भवन, जगह या अन्य संपत्ति को, जिससे आदेश संबंधित है, पूर्वोक्त समय के भीतर खाली करने में असफल रहता है वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी [2][उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह भूमि, भवन, जगह या अन्य संपत्ति स्थित है, अधिक्रमणकर्ता को बेदखल करने के लिए अधिकरण के आदेश को निर्दिष्ट कर सकेगा] और तब ऐसा मजिस्ट्रेट अधिक्रमणकर्ता को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वह, यथास्थिति, अधिक्रमण को हटा ले अथवा उस भूमि, भवन, जगह या अन्य संपत्ति को खाली कर दे और उसका कब्जा संबंधित मुतवल्ली को परिदत्त कर दे तथा उस आदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम की दशा में, मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, अधिक्रमण को हटा सकेगा या अधिक्रमणकर्ता को उस भूमि, भवन, जगह या अन्य सम्पत्ति से बेदखल कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसी पुलिस सहायता ले सकेगा, जो आवश्यक हो ।

[3][**55क. अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा वक्फ संपत्ति पर छोड़ी गई संपत्ति का व्ययन**—(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (4) के अधीन किसी वक्फ की संपत्ति से बेदखल किया गया है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से वक्फ की संपत्ति ली गई है, चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात् और उस सूचना को उस परिक्षेत्र में परिचालित किए जाने वाले कम से कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित करने के पश्चात् और वक्फ संपत्ति के सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर सूचना की अंतर्वस्तुओं की उद्घोषणा करने के पश्चात् ऐसे परिसर पर शेष किसी संपत्ति को हटा सकेगा या हटवा सकेगा या लोक नीलामी द्वारा उसका व्ययन कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई संपत्ति विक्रीत की जाती है, वहां हटाने, विक्रय करने से संबंधित व्ययों और ऐसे अन्य व्ययों किराए, नुकसानी या खर्चों के बकायों के मद्दे राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगमित प्राधिकरण को शोध्य रकम, यदि कोई हो, की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम ऐसे व्यक्ति को संदत्त किए जाएंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसका हकदार प्रतीत हो :

परंतु जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उस व्यक्ति के बारे में जिसको अतिशेप रकम संदेय है या उसका प्रभाजन करने के बारे में विनिश्चय करने में असमर्थ है तो वह ऐसा विवाद अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।]

56. वक्फ संपत्ति का पट्टा अनुदत्त करने की शक्ति पर निर्बन्धन—(1) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, [4][तीस वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा,] वक्फ विलेख या लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, शून्य और प्रभावहीन होगा :

[5][परंतु तीस वर्ष तक की किसी अवधि के लिए कोई पट्टा वाणिज्यिक क्रियाकलापों, शिक्षा या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से, ऐसी अवधि और प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु यह और कि किसी स्थावर वक्फ संपत्ति जो कि एक कृपि भूमि है, का तीन वर्प से अधिक की अवधि का पट्टा वक्फ के विलेख या लिखत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शून्य होगा और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा :

परंतु यह भी कि किसी वक्फ संपत्ति का पट्टा करने से पूर्व बोर्ड, पट्टे के ब्यौरे कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करेगा और बोली आमंत्रित करेगा ।]

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, [1][एक वर्ष से अधिक और तीस वर्ष से अनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा,] वक्फ विलेख या लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, शून्य और प्रभावहीन होगा, जब तक कि वह बोर्ड की पूर्व मंजूरी से नहीं किया जाता है ।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन पट्टा [2]* * * दिए जाने या उसका नवीकरण किए जाने के लिए मंजूरी देने में, उन निबंधनों और शर्तों का पुनर्विलोकन करेगा, जिन पर ऐसे पट्टे [2]* * * का दिया जाना या उसका नवीकरण किया जाना स्थापित है तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, जो वह निदिष्ट करे, उसका अनुमोदन करेगा :

[3][परंतु बोर्ड, किसी वक्फ संपत्ति के तीन वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए किसी पट्टे के संबंध में तुरंत राज्य सरकार को सूचना देगा और तत्पश्चात् वह उस तारीख से, जिसको बोर्ड राज्य सरकार को सूचना देता है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी हो सकेगा ।]

[3][(4) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

57. वक्फ संपत्ति की आय में से कतिपय खर्चों का संदाय करने के लिए मुतवल्ली का हकदार होना—वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मुतवल्ली वक्फ सम्पत्ति की आय में से ऐसे किन्हीं व्ययों का संदाय कर सकेगा जो उसके द्वारा धारा 36 के अधीन कोई विशिष्टियां, दस्तावेजें या प्रतियां अथवा धारा 46 के अधीन कोई लेखा अथवा बोर्ड द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी या दस्तावेजें देने के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अथवा बोर्ड के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उचित रूप से उपगत किए गए हों ।

58. मुतवल्ली द्वारा व्यतिक्रम की दशा में देयों का संदाय करने की बोर्ड की शक्ति—(1) जहां मुतवल्ली ऐसे किसी राजस्व, उपकर, रेट या कर का संदाय करने से इन्कार करता है या संदाय करने में असफल रहता है जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय हो, वहां बोर्ड उन देयों का वक्फ निधि में से भुगतान कर सकेगा और इस प्रकार संदत्त की गई रकम को वक्फ सम्पत्ति में से वसूल कर सकेगा तथा इस प्रकार संदत्त की गई रकम के साढ़े बारह प्रतिशत से अनधिक नुकसानी को भी वूसल कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय कोई धनराशि, संबंधित मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिससे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

59. आरक्षित निधि का सजृन—ऐसे किराए और राजस्व के उपकर, रेट और करों का संदाय करने के लिए जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय हों, वक्फ संपत्ति की मरम्मत के खर्चे का भुगतान करने तथा वक्फ संपत्ति के परिरक्षण के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड, वक्फ की आय में से एक आरक्षित निधि के, ऐसी रीति से सृजन और अनुरक्षण का निदेश दे सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

60. समय का बढ़ाया जाना—यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह उस समय को, जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन मुतवल्ली द्वारा कोई कार्य किया जाना अपेक्षित है, बढ़ा सकेगा ।

61. शास्तियां—(1) यदि कोई मुतवल्ली—

(क) वक्फ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों या लेखाओं के विवरण या विवरणियां देने में ;

(ग) बोर्ड द्वारा अपेक्षित जानकारी या विशिष्टियों का प्रदाय करने में ;

(घ) वक्फ संपत्तियों, लेखाओं या अभिलेखों या विलेखों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण अनुज्ञात करने में ;

(ङ) बोर्ड या अधिकरण द्वारा आदेश दिए जाने पर किसी वक्फ संपत्ति के कब्जे का परिदान करने में ;

(च) बोर्ड के निदेशों को कार्यान्वित करने में ;

(छ) किन्हीं लोक देयों का भुगतान करने में ; या

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 35 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ज) कोई ऐसा अन्य कार्य करने में जिसे करने के लिए वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विधिपूर्वक अपेक्षित है,

असफल रहेगा तो वह, जब तक कि वह न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान नहीं कर देता है कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण था, जुर्माने से, [1][जो खंड (क) से खंड (घ) के अननुपालन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और खंड (ङ) से खंड (ज) के अननुपालन की दशा में, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा]।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि—

(क) मुतवल्ली किसी वक्फ के अस्तित्व को छिपाने की दृष्टि से,—

(i) ऐसे वक्फ की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट किया गया था, धारा 36 की उपधारा (8) में उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ; या

(ii) किसी ऐसे वक्फ की दशा में, जो ऐसे समय प्रारम्भ के पश्चात् सृष्ट किया गया था, वक्फ के सृजन की तारीख से तीन मास के भीतर,

इस अधिनियम के अधीन उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का लोप करेगा या उसमें असफल रहेगा ; या

(ख) कोई मुतवल्ली, बोर्ड को कोई विवरण, विवरणी या जानकारी देगा, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या, भ्रामक, असत्य या गलत है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पन्द्रह रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(4) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना वसूल कर लिए जाने पर, वक्फ निधि में जमा किया जाएगा।

(6) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अपराधी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, जो उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय है और उसे जुर्माने का दण्डादेश दिया जाता है, न्यायालय जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में ऐसी अवधि का कारावास भी अधिरोपित करेगा, जो विधि द्वारा ऐसे व्यतिक्रम के लिए प्राधिकृत हो।

62. मुतवल्ली द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के लिए वक्फ के किसी धन का व्यय न किया जाना—कोई मुतवल्ली किसी ऐसे खर्च, प्रभार या व्यय को पूरा करने के लिए जो उसे पद से हटाए जाने के लिए या उससे आनुषंगिक किसी वाद, अपील या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के लिए उसके द्वारा किए जाते हैं, या किए जाएं, उस वक्फ की निधियों में से जिसका वह मुतवल्ली है, कोई धन व्यय नहीं करेगा।

63. कुछ दशाओं में मुतवल्ली नियुक्त करने की शक्ति—जब किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो जाए और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे वक्फ विलेख के निबन्धनों के अधीन नियुक्त किया जाए तब अथवा जहां मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार विवादग्रस्त हो वहां, बोर्ड मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

64. मुतवल्ली का हटाया जाना—(1) किसी अन्य विधि या वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकेगा, यदि ऐसा मुतवल्ली—

(क) धारा 61 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषसिद्ध किया गया है ; अथवा

(ख) आपराधिक न्यास भंग के किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है और ऐसी दोषसिद्धि को उलट नहीं दिया गया है और उस अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं कर दी गई है ; अथवा

(ग) विकृतचित का है या किसी ऐसे अन्य मानसिक या शारीरिक त्रुटि से ग्रस्त है, जो उसे मुतवल्ली के कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के अयोग्य बना दे ; अथवा

(घ) अनुन्मोचित दिवालिया है ; अथवा

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) लिकर या अन्य स्प्रिटयुक्त निर्मितियां पीने का आदी साबित हो जाता है या स्वापक ओषधि का सेवन करने का आदी है ; अथवा

(च) वक्फ की और से या वक्फ के विरुद्ध सवेतन विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित है ; अथवा

(छ) लगातार दो वर्ष तक ऐसे नियमित लेखाओं को रखने में, युक्तियुक्त हेतुक के विना, असफल रहा है अथवा लगातार दो वर्षों में वह वार्षिक लेखा विवरण देने में असफल रहा है जो धारा 46 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित है ; अथवा

(ज) किसी वक्फ संपत्ति की बावत किसी विद्यमान पट्टे में अथवा वक्फ के साथ की गई किसी संविदा या उसके लिए किए जाने वाले किसी कार्य में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: हितबद्ध है अथवा उसके द्वारा ऐसे वक्फ को देय कोई राशि उस पर बकाया है ; अथवा

(झ) वक्फ के संबंध में अथवा किसी धन या अन्य वक्फ संपत्ति की बाबत अपने कर्तव्यों की निरन्तर उपेक्षा करता है अथवा कोई अपकरण, दुष्करण या निधियों का दुरुपयोजन करता है या न्याय-भंग करता है ; अथवा

(ञ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबन्ध के अधीन दिए गए विधिपूर्ण आदेशों की जानबूझकर और बार-बार अवज्ञा करता है ; अथवा

(ट) वक्फ संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसके संबंध में कपटपूर्वक व्यवहार करता है ।

(2) मुतवल्ली के पद से किसी व्यक्ति का हटाया जाना, हिताधिकारी के रूप में या किसी अन्य हैसियत में वक्फ संपत्ति की बाबत उसके निजि अधिकारों को, यदि कोई हों, अथवा सज्जदानशीन के रूप में उसके अधिकारों को, यदि कोई हो, प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसने उस मामले में विहित रीति से जांच न कर ली हो तथा ऐसा विनिश्चय, बोर्ड के सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से न किया गया हो ।

(4) कोई मुतवल्ली, जो उपधारा (1) के खण्ड (ग) से खण्ड (झ) तक में से किसी खंड के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है, उस तारीख से जिसको उसे आदेश प्राप्त होता है, एक मास के भीतर आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) जहां किसी मुतवल्ली के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन कोई जांच प्रस्थापित है, या प्रारंभ की गई है वहां बोर्ड, यदि उसकी यह राय है कि वक्फ के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो, जांच के समाप्त होने तक ऐसे मुतवल्ली को आदेश द्वारा निलम्बित कर सकेगा :

परन्तु दस दिन से अधिक की अवधि के लिए ऐसा निलंबन मुतवल्ली को प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) जहां मुतवल्ली द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिकरण को कोई अपील फाइल की जाती है वहां बोर्ड, अधिकरण को यह आवेदन कर सकेगा कि वह अपील का विनिश्चय होने तक वक्फ के प्रबंध के लिए एक रिसीवर नियुक्त करे तथा जहां ऐसा आवेदन किया जाता है वहां अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, वक्फ का प्रबंध करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त रिसीवर को यह सुनिश्चित करने का निदेश दे सकेगा कि मुतवल्ली के और वक्फ के रूढ़िजन्य और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए ।

(7) जहां कोई मुतवल्ली, उपधारा (1) के अधीन उसके पद से हटा दिया गया है वहां बोर्ड, आदेश द्वारा, मुतवल्ली को निदेश दे सकेगा कि वह वक्फ संपत्ति के कब्जे का परिदान बोर्ड को अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को अथवा वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति या समिति को करे ।

(8) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया किसी वक्फ का मुतवल्ली, ऐसे हटाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक उस वक्फ के मुतवल्ली के रूप में पुन:नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

65. कुछ ओक़ाफ़ का बोर्ड द्वारा सीधे प्रबंध ग्रहण किया जाना—(1) जहां किसी वक्फ के मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है अथवा जहां बोर्ड का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि किसी मुतवल्ली के पद में रिक्ति को भरने से वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, वक्फ का सीधे प्रबंध ग्रहण कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या वक्फ में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगी तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार किए गए आदेश अंतिम होंगे और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किए जाएंगे ।

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, बोर्ड ऐसे प्रत्येक वक्फ के संबंध में जो उसके सीधे प्रबंध के अधीन हो एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) उस वर्ष के, जिसकी रिपोर्ट दी जा रही है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की वक्फ की आय के ब्यौरे ;

(ख) वक्फ के प्रवंध को सुधारने और आय में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय ;

(ग) वह अवधि, जिसके दौरान वक्फ, बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन रहा है और साथ ही उन कारणों का स्पष्टीकरण कि वक्फ के प्रबंध को वर्ष के दौरान मुतवल्ली या किसी प्रवंध समिति को सौंपा जाना क्यों संभव नहीं हुआ है ; और

(घ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (3) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच करेगी और ऐसी जांच के पश्चात् बोर्ड को ऐसे निदेश या अनुदेश जारी करेगी जो वह ठीक समझे तथा बोर्ड ऐसे निदेशों या अनुदेशों की प्राप्ति पर उनका अनुपालन करेगा ।

[1][(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, किसी वक्फ का प्रशासन ग्रहण करेगा, यदि वक्फ बोर्ड के पास उसके समक्ष यह साबित करने के लिए साक्ष्य है कि वक्फ के प्रबंध तंत्र ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है ।]

66. मुतवल्ली की नियुक्ति और उसे हटाए जाने की शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा कब प्रयोग किया जाएगा—जब कभी किसी वक्फ विलेख में या न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में या किसी वक्फ के प्रबंध की किसी स्कीम में यह उपबंधित हो कि कोई न्यायालय या बोर्ड से भिन्न कोई प्राधिकारी किसी मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकेगा या उसे हटा सकेगा या प्रबंध की ऐसी स्कीम स्थिर कर सकेगा या उसको उपांतरित कर सकेगा अथवा वक्फ पर अन्यथा अधीक्षण का प्रयोग कर सकेगा तो ऐसे वक्फ विलेख, डिक्री, आदेश या स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पूर्वोक्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी :

परन्तु जहां कोई बोर्ड स्थापित किया गया है वहां राज्य सरकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श करेगी ।

67. प्रबन्ध समिति का पर्यवेक्षण और अतिष्ठित किया जाना—(1) जब कभी किसी वक्फ का पर्यवेक्षण या प्रबन्ध, वक्फ द्वारा नियुक्त किसी समिति में, निहित हो जाता है तब, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है अथवा तब तक, उसकी अवधि का, जो वक्फ द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अवसान नहीं हो जाता है :

परन्तु ऐसी समिति बोर्ड के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी तथा ऐसे निदेशों का पालन करेगी, जो बोर्ड, समय-समय पर, जारी करे :

परन्तु यह और कि यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी समिति द्वारा किसी वक्फ के प्रबन्ध के लिए कोई स्कीम इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध के अथवा वक्फ के निदेशों से असंगत है तो वह किसी भी समय स्कीम को ऐसी रीति से उपांतरित कर सकेगा, जो उसे वक्फ के निदेशों के अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हो ।

(2) इस अधिनियम में और वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति उचित और समाधानप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही है अथवा वक्फ का प्रबंध ठीक नहीं किया जा रहा है तथा उसके उचित प्रबन्ध के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी समिति को अतिष्ठित कर सकेगा और ऐसे अतिष्ठित किए जाने पर वक्फ के किसी निदेश का, जहां तक कि उसका समिति के गठन से संबंध है, कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा :

परन्तु बोर्ड, किसी समिति को अतिष्ठित करने का कोई आदेश करने के पूर्व, ऐसी सूचना जारी करेगा जिसमें प्रस्थापित कार्रवाई के कारणों को उल्लिखित किया जाएगा तथा समिति से एक मास से अन्यून उतने समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की मांग की जाएगी कि ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए ।

(3) बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह मुतवल्ली पर और वक्फ में कोई हित रखने वाले सभी व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा ।

(4) बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा :

परन्तु उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु यह और कि अधिकरण को, ऐसी अपील के लंबित रहने तक बोर्ड द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन का निलंबन करने की कोई शक्ति नहीं होगी ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित ।

(5) जब कभी बोर्ड उपधारा (2) के अधीन किसी समिति को अतिष्ठित करता है तब वह उपधारा (2) के अधीन किए गए अपने आदेश के साथ ही नई प्रवन्ध समिति का गठन करेगा ।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उपधारा (2) के अधीन किसी समिति को अतिष्ठित करने के बजाय उसके किसी सदस्य को, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य ने उस रूप में अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है अथवा जानते हुए ऐसी ऐसी रीति से कार्य किया है जो वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, हटा सकेगा और किसी सदस्य के हटाए जाने के प्रत्येक ऐसे आदेश की उस पर तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी :

परन्तु सदस्य को हटाए जाने के लिए कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करेन का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई सदस्य जो समिति की सदस्यता से अपने हटाए जाने के किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश को अपने पर तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और अधिकरण, अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा और ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा ।

68. मुतवल्ली या समिति का अभिलेखों आदि का परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) जहां किसी मुतवल्ली या प्रवन्ध समिति को इस अधिनियम के या बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के उपबन्धों के अनुसार हटाया गया है वहां वह मुतवल्ली या वह समिति जिसे इस प्रकार पद से हटाया गया है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति कहा गया है), उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से एक मास के भीतर उत्तरवर्ती मुतवल्ली या उत्तरवर्ती समिति को कार्यभार सौंपेगी और वक्फ के अभिलेखों, लेखाओं तथा सभी संपत्ति के (जिसके अंतर्गत नकदी है) कब्जे का परिदान करेगी ।

(2) जहां कोई हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति, उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार सौंपने या अभिलेखों, लेखाओं और संपत्ति का (जिनके अंतर्गत नकदी है) को कब्जा परिदत्त करने में असफल रहती है अथा ऐसे मुतवल्ली या समिति को पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् उनका कब्जा अभिप्राप्त करने से रोकती है या उसमें बाधा डालती है, वहां उत्तरवर्ती मुतवल्ली या उत्तरवर्ती समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे [1][जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या उनके समकक्ष] को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वक्फ संपत्ति का कोई भाग स्थित है, जिनके साथ ऐसे उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति की नियुक्ति करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति होगी, एक आवेदन कर सकेगा और तब ऐसा [1][जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या उनके समकक्ष] हटाए गए मुतवल्ली या हटाई गई समिति के सदस्यों को सूचना देने के पश्चात्, ऐसा आदेश कर सकेगा जिसमें, यथास्थिति, उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति को उतने समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, कार्यभार सौंपने और वक्फ के ऐसे अभिलेखों, लेखाओं और संपत्ति का (जिसके अंतर्गत नकदी है) कब्जा देने का निदेश दिया गया हो ।

(3) जहां हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का कोई सदस्य कार्यभार सौंपने अथवा अभिलेखों, लेखाओं और संपत्ति के (जिनके अंतर्गत नकदी है) कब्जे की उपधारा (2) के अधीन [1][किसी मजिस्ट्रेट] द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर परिदान नहीं करेगा या उसमें असफल रहेगा वहां, यथास्थिति, हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का प्रत्येक सदस्य कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो आठ हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) जब कभी कोई हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का कोई सदस्य, [1][किसी मजिस्ट्रेट] द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेशों का अनुपालन करने में लोप करता है या असफल करता है तो [1][किसी मजिस्ट्रेट], उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति को कार्यभार ग्रहण करने और ऐसे अभिलेखों, लेखाओं या संपत्ति का (जिनके अंतर्गत नकदी है) कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसी पुलिस सहायता, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(5) उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति की नियुक्ति के किसी आदेश को इस धारा के अधीन [1][किसी मजिस्ट्रेट] के समक्ष कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है, किसी सक्षम सिविल न्यायालय में यह सिद्ध करने के लिए वाद प्रस्तुत करने से वर्जित नहीं करेगी कि उसे [1][किसी मजिस्ट्रेट] द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट संपत्ति में अधिकार, हक और हित प्राप्त हैं ।

69. वक्फ के प्रशासन के लिए स्कीम बनाने की बोर्ड की शक्ति—[2][(1) जहां बोर्ड का, वक्फ के समुचित प्रशासन के लिए कोई स्कीम विरचित करने के संबंध में जांच के पश्चात्, चाहे स्वप्रेरणा से या किसी वक्फ में हितबद्ध पांच से अन्यून व्यक्तियों के आवेदन पर समाधान हो जाता है तो वह युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति में मुतवल्ली या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, वक्फ के प्रशासन के लिए ऐसी स्कीम विरचित कर सकेगा ।]

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम में वक्फ के ऐसे मुतवल्ली को, जो उस तारीख के ठीक पूर्व जिसको स्कीम प्रवृत्त होती है, उस हैसियत में पद धारण कर रहा है, हटाए जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा :

परन्तु जहां ऐसी किसी स्कीम में किसी आनुवंशिक मुतवल्ली के हटाए जाने के लिए उपबंध किया जाता है वहां वह स्कीम उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार हटाए गए मुतवल्ली से आनुवंशिक उत्तराधिकार में ठीक बाद का व्यक्ति है, वक्फ के उचित प्रशासन के लिए नियुक्त समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी उपबंध किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह अंतिम होगा तथा मुतवल्ली पर और वक्फ में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील की सुनवाई करने के पश्चात् अधिकरण उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने की अधिकरण को कोई शक्ति नहीं होगी ।

(4) बोर्ड, किसी भी समय, आदेश द्वारा, चाहे वह स्कीम के प्रवर्तन में आने के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो, स्कीम को रद्द कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

(5) वक्फ के उचित प्रशासन के लिए स्कीम के बनाए जाने तक, बोर्ड किसी उपयुक्त व्यक्ति को वक्फ के मुतवल्ली के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए तथा ऐसे मुतवल्ली की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

70. वक्फ के प्रशासन से संबंधित जांच—किसी वक्फ में हितबद्ध कोई व्यक्ति, वक्फ के प्रशासन से संबंधित जांच करने के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा जो शपथपत्र से समर्थित होगा और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वक्फ के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है तो वह, उस संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह ठीक समझे ।

71. जांच करने की रीति—(1) बोर्ड, धारा [1][70] के अधीन प्राप्त आवेदन पर या स्वप्रेरणा से,—

(क) ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जांच कर सकेगा ; या

(ख) वक्फ से संबंधित किसी मामले की जांच करने के लिए किसी व्यक्ति को इस निमित्त प्राधिकृत कर सकेगा, और ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों के पेश किए जाने के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं ।

अध्याय 7

बोर्ड का वित्त

72. बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान—(1) प्रत्येक ऐसे वक्फ का मुतवल्ली, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पांच हजार रुपए से कम नहीं है, बोर्ड को ऐसे बोर्ड द्वारा वक्फ को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष वक्फ द्वारा व्युत्पन्न शुद्ध वार्षिक आय में से, ऐसी वार्षिक आय के सात प्रतिशत से अनधिक इतना अंशदान करेगा, जो विहित किया जाए ।

स्पष्टीकरण 1—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध वार्षिक आय" से किसी वर्ष में वक्फ की सभी स्रोतों से सकल आय, जिसके अंतर्गत ऐसे नजराने और चढ़ावे हैं जो ओक़ाफ़ की संपत्ति में के अंशदानों की कोटि में नहीं आते हैं, अभिप्रेत हैं जैसे कि निम्नलिखित की कटौती करने के पश्चात् आएं, अर्थात् :—

(i) वक्फ द्वारा सरकार को संदत्त किया गया भू-राजस्व ;

(ii) वे रेट, उपकर और अनुज्ञप्ति फीसें, जो उसके द्वारा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त की गई हैं ;

(iii) [2][वक्फ के फायदे के लिए मुतवल्ली द्वारा सीधे खेती के अधीन भूमि के संबंध में] निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय, अर्थात् :—

(क) सिंचाई संकर्मों का अनुरक्षण या उनकी मरम्त, जिसके अंतर्गत सिंचाई की पूंजी लागत नहीं आएगी ;

(ख) बीज या पौध ;

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 41 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) खाद ;

(घ) कृषि औजारों का क्रय और अनुरक्षण ;

(ङ) खेती के लिए पशुओं का क्रय और अनुरक्षण ;

(च) हल चलाने, पानी देने, बुवाई करने, प्रतिरोपण करने, कटाई करने, गहराई करने और अन्य कृषि संक्रियाओं के लिए मजदूरी :

परंतु इस खंड के अधीन उपगत किसी व्यय के संबंध में कुल कटौती वक्फ की भूमियां से व्युत्पन्न आय के [1][बीस प्रतिशत] से अधिक नहीं होगी :

[2][परंतु यह और कि पट्टे पर, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, दी गई वक्फ भूमि के संबंध में ऐसी कोई कटौती, चाहे वह बटाई हो या फसल में हिस्सा बांटना हो या उसका कोई अन्य नाम हो, अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;]

(iv) किराए पर दिए गए भवनों की विविध मरम्मतों पर व्यय, जो उनसे व्युत्पन्न वार्षिक किराए के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो ;

(v) स्थावर संपत्ति के अथवा स्थावर संपत्ति से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले अधिकारों के विक्रय आगम, यदि ऐसे आगमों का वक्फ के लिए आय उपार्जित करने के लिए पुन: विनिधान किया जाता है :

परन्तु प्राप्तियों की निम्नलिखित मदों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए आय नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) वसूल किए गए अग्रिम और निक्षेप तथा लिए गए या वसूल किए गए ऋण ;

(ख) कर्मचारियों, पट्टेदारों या ठेकेदारों द्वारा प्रतिभूति के रूप में किए गए निक्षेप और अन्य निक्षेप, यदि कोई हो ;

(ग) बैंकों से या विनिधानों के प्रत्याहरण ;

(घ) न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत किए गए खर्चों मद्धे वसूल की गई रकमें ;

(ङ) धार्मिक पुस्तकों के और प्रकाशनों के विक्रय आगम, जहां ऐसे विक्रय धर्म का प्रचार करने की दृष्टि से अलाभप्रद उद्यम के रूप में किए जाते हैं ;

(च) दाताओं द्वारा वक्फ की संपत्ति में के अंशदानों के रूप में नकदी या वस्तु रूप में दान या चढ़ावे :

परन्तु ऐसे दानों व चढ़ावों से प्रोद्भूत होने वाली आय पर ब्याज को, यदि कोई हो सकल वार्षिक आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाएगा ;

(छ) वक्फ द्वारा की जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा के लिए और ऐसी सेवा पर व्यय किए जाने के लिए नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ;

(ज) संपरीक्षा वसूलियां ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध वार्षिक आय का अवधारण करने में, किसी वक्फ द्वारा उसके लाभप्रद उपक्रमों से, यदि कोई हों, व्युत्पन्न शुद्ध लाभ को ही आय माना जाएगा तथा उसके अलाभप्रद उपक्रमों जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, दरिद्रालयों, अनाथालयों अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के संबंध में, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुदानों अथवा जनता से प्राप्त दानों अथवा शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों से संगृहीत फीसों को आय नहीं माना जाएगा ।

(2) बोर्ड किसी मस्जिद या अनाथालय या किसी विशेष वक्फ की दशा में ऐसे अंशदान को, ऐसे समय के लिए, जो वह ठीक समझे, कम कर सकेगा या उसका परिहार कर सकेगा ।

(3) किसी वक्फ का मुतवल्ली, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा किया जाने वाला अंशदान उन विभिन्न व्यक्तियों से वसूल कर सकेगा जो वक्फ से कोई धन-संबंधी या अन्य भौतिक फायदे प्राप्त करने के हकदार हैं किन्तु ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक से वसूल की जा सकने वाली राशि ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी जिसका, कुल किए जाने वाले अंशदान से, वह अनुपात है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त फायदों के मूल्य का वक्फ की समस्त शुद्ध वार्षिक आय से है :

परन्तु यदि वक्फ को उपलब्ध कोई ऐसी आय जो उपधारा (1) के अधीन अंशदान से भिन्न है, इस अधिनियम के अधीन शोध्य धन के रूप में संदेय रकमों से अधिक है और वक्फ विलेख के अधीन संदेय रकम से अधिक है तो अंशदान का ऐसी आय में से संदाय किया जाएगा ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 41 द्वारा अंत:स्थापित ।

(4) किसी वक्फ की बाबत उपधारा (1) के अधीन किया जाने वाला अंशदान, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी शोध्य धन के अथवा वक्फ सम्पत्ति या उसकी आय पर किसी अन्य कानूनी प्रथम भार के पहले संदाय किए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, वक्फ की आय पर प्रथम भार होगा और संबंधित मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

(5) यदि मुतवल्ली, वक्फ की आय वसूल कर लेता है और ऐसे अंशदान का संदाय करने से इंकार करता है अथवा संदाय नहीं करता है तो वह वैयक्तिक रूप से भी ऐसे अंशदान के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं उससे या उसकी सम्पत्ति से पूर्वोक्त रीति से वसूल किया जा सकेगा ।

(6) जहां, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, किसी वक्फ का मुतवल्ली, वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय की विवरणी उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय में किसी तात्त्विक विशिष्टि में गलत या मिथ्या है, अथवा जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का अनुपालन नहीं होता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का निर्धारण कर सकेगा अथवा मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दर्शित शुद्ध वार्षिक आय का पुनरीक्षण कर सकेगा और इस प्रकार निर्धारित या पुनरीक्षित शुद्ध वार्षिक आय इस धारा के प्रयोजनों के लिए वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय समझी जाएगी :

परन्तु शुद्ध वार्षिक आय का कोई निर्धारण या मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत विवरणी का कोई पुनरीक्षण मुतवल्ली को सूचना दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि ऐसा निर्धारण या विवरणी का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया जाए, तथा ऐसा प्रत्येक निर्धारण या पुनरीक्षण मुतवल्ली द्वारा दिए गए उत्तर पर, यदि कोई हो, विचार किए जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

(7) कोई मुतवल्ली, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा (6) के अधीन किए गए निर्धारण या पुनरीक्षण से व्यथित है, निर्धारण या विवरणी के पुनरीक्षण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा तथा बोर्ड, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस निर्धारण या विवरणी के पुनरीक्षण की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(8) यदि इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अंशदान या उसका कोई भाग, किसी कारण से इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् किसी वर्ष में, निर्धारण से छूट गया है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उस वर्ष की जिससे ऐसा छूट गया निर्धारण संबंधित है, अंतिम तारीख से पांच वर्ष के भीतर, मुतवल्ली पर ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उस पर उस अंशदान या उसके भाग का, जो निर्धारण से छूट गया है, निर्धारण किया गया हो और जिसमें ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर उसके संदाय की मांग की गई हो तथा इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होंगे मानो निर्धारण इस अधिनियम के अधीन प्रथमत: किए गए हों ।

73. बैंकों या अन्य व्यक्ति को संदाय करने का निदेश देने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह किसी ऐसे बैंक को, जिसमें या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास वक्फ का कोई धन निक्षिप्त है, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वह ऐसे धन में से जो ऐसे बैंक में वक्फ के नाम जमा हो या ऐसे व्यक्ति के पास निक्षिप्त हो अथवा ऐसी धनराशियों में से जो ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति द्वारा समय-समय पर वक्फ के लिए या उसकी ओर से निक्षेप के रूप में प्राप्त की जाएं, धारा 72 के अधीन उद्ग्रहणीय अंशदान का संदाय करे और ऐसे आदेशों की प्राप्ति पर, यथास्थिति, बैंक या अन्य व्यक्ति, जब उपधारा (3) के अधीन कोई अपील नहीं की गई है, तब ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा अथवा जहां उपधारा (3) के अधीन कोई अपील की गई है वहां ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा किए गए आदेशों का अनुपालन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में बैंक या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक संदाय इस प्रकार संदत्त राशि के संबंध में ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति के दायित्व के पूर्ण उन्मोचन के रूप में प्रवर्तित होगा ।

(3) कोई ऐसा बैंक या अन्य व्यक्ति, जिसे कोई संदाय करने के लिए उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) बैंक का प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो आठ हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

74. वक्फ को संदेय शाश्वत वार्षिकी में से अंशदान की कटौती—(1) प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी, जो जमींदारियों या जागीरों के उत्सादन अथवा भूमि की अधिकतम सीमाएं अधिकथित करने से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी वक्फ को संदेय किसी शाश्वत वार्षिकी का संवितरण करने के लिए सशक्त है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जिसमें वक्फ द्वारा धारा 72 के अधीन किए जाने वाले अंशदान की रकम, जो असंदत्त रह गई है, विनिर्दिष्ट हो, वक्फ को शाश्वत वार्षिकी संदाय करने से पहले ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम की कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई रकम मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित की गई प्रत्येक रकम वक्फ द्वारा किया गया संदाय समझी जाएगी और इस प्रकार प्रेषित की गई रकम की मात्रा तक शाश्वत वार्षिकी के संदाय के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के दायित्व के पूर्व उन्मोचन के रूप में प्रवर्तित होगी ।

75. उधार लेने की बोर्ड की शक्ति—(1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसी धनराशि तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो राज्य सरकार अवधारित करे, उधार ले सकेगा ।

(2) बोर्ड उधार ली गई धनराशि का, उसके संबंध में देय किसी ब्याज या लागत सहित, उधार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय करेगा ।

76. बिना मंजूरी के मुतवल्ली द्वारा धन का उधार न दिया जाना या उधार न लिया जाना—(1) कोई मुतवल्ली, कार्यपालक अधिकारी या वक्फ के प्रशासन का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, वक्फ का कोई धन या कोई वक्फ संपत्ति उधार नहीं देगा या वक्फ प्रयोजनों के लिए कोई धन उधार नहीं लेगा :

परन्तु यदि वक्फ विलेख में, यथास्थिति, ऐसे उधार लेने या उधार देने के लिए कोई स्पष्ट उपबंध है तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है ।

(2) बोर्ड, मंजूरी देते समय, कोई ऐसे निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन रहते हुए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, कोई धन उधार देने या उधार लेने के लिए अथवा कोई अन्य वक्फ संपत्ति उधार देने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

(3) जहां इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई धन उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है अथवा अन्य वक्फ संपत्ति उधार दी जाती है वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह—

(क) उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा कोई रकम उधार दी गई थी या उधार ली गई थी, वैयक्तिक निधियों में से उस रकम के, जो इस प्रकार उधार दी गई है या उधार ली गई है, बराबर रकम, उस पर देय ब्याज सहित, वसूल कर ले ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उधार दी गई वक्फ संपत्ति का कब्जा, उस व्यक्ति से जिसे वह उधार दी गई थी या उन व्यक्तियों से, जो ऐसी संपत्ति पर उस व्यक्ति के माध्यम से, जिसे ऐसी संपत्ति उधार दी गई थी, हक का दावा करते हैं, वापस ले लें ।

77. वक्फ निधि—(1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त या वसूल की गई सभी धनराशियों और बोर्ड द्वारा दानों, उपकृतियों या अनुदानों के रूप में प्राप्त सभी अन्य धनराशियों से एक निधि बनाई जाएगी जिसका नाम वक्फ निधि होगा ।

(2) दानों, उपकृतियों और अनुदानों के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों का एक पृथक् उपशीर्ष के अधीन निक्षेप किया जाएगा और लेखा रखा जाएगा ।

(3) किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, वक्फ निधि, बोर्ड के नियंत्रणाधीन होगी । किन्तु सामान्य वक्फ बोर्ड के नियंत्रणाधीन वक्फ निधि, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के, यदि कोई हों, अधीन होगी ।

(4) वक्फ निधि का उपयोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) धारा 75 के अधीन लिए गए उधार का प्रतिसंदाय तथा उस पर ब्याज का संदाय ;

(ख) वक्फ निधि और वक्फ के लेखाओं की संपरीक्षा के खर्च का संदाय ;

(ग) बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों का संदाय ;

(घ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा भत्तों का संदाय ;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा या, इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में, तथा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्ययों का संदाय ;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बोर्ड पर अधिरोपित किसी बाध्यता के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्ययों का संदाय ।

[1][(छ) मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 25) के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश किए गए अनुसार मुस्लिम स्त्रियों के भरण-पोषण का संदाय ।]

(5) यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यय को पूरा को पूरा करने के पश्चात् कोई अतिशेष रहता है तो बोर्ड ऐसे अतिशेष के किसी भाग का वक्फ सम्पत्ति के परिरक्षण और संरक्षण के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित ।

78. बोर्ड का बजट—(1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे तथा उसकी प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपने को भेजे गए बजट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, उसकी जांच करेगी और उसमें ऐसे परिवर्तन, संशोधन या उपांतरण किए जाने का सुझाव देगी जो वह ठीक समझे तथा ऐसे सुझाव बोर्ड को उसके विचार के लिए भेजेगी ।

(3) राज्य सरकार से सुझावों की प्राप्ति पर, बोर्ड उस सरकार द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों, संशोधनों या उपांतरणों के संबंध में उस सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा और राज्य सरकार, ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, उनकी प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, बोर्ड को उस मामले के संबंध में अपना अंतिम विनिश्चय संसूचित करेगी और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय की प्राप्ति पर, बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप मे सुझाए गए सभी परिवर्तनों, संशोधनों या उपांतरणों को अपने बजट में सम्मिलित करेगा और इस प्रकार परिवर्तित, संशोधित या उपांतरित बजट ही ऐसा बजट होगा जो बोर्ड द्वारा पारित किया जाएगा ।

79. बोर्ड के लेखे—बोर्ड अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखाबहियां और अन्य बहियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

80. बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा—(1) बोर्ड के लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा और जांच ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।

(2) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ के लेखाओं को पृथक्: रखा गया है और क्या ऐसे प्रत्येक लेखा की राज्य स्थानीय निधि परीक्षक द्वारा वार्षिक संपरीक्षा की गई है और उसमें अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय के अथवा धन वसूल करने या अन्य सपत्ति को वपास लेने की असफलता के, जो उपेक्षा या अवचार के कारण हुई हो, सभी मामलों को तथा किसी अन्य मामले को, जिसकी रिपोर्ट करना संपरीक्षक आवश्यक समझता है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा, तथा रिपोर्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी होगा जो संपरीक्षक की राय में ऐसे व्यय या असफलता के लिए उत्तरदायी है और ऐसे प्रत्येक मामले में संपरीक्षक उस व्यय या हानि की रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित करेगा ।

(3) संपरीक्षा का खर्च का वक्फ निधि में से संदत्त किया जाएगा ।

81. संपरीक्षक की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा आदेशों का पारित किया जाना—राज्य सरकार, संपरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी और उसमें उल्लिखित मामले के संबंध में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगी तथा रिपोर्ट पर ऐसे आदेश पारित करेगी जो वह ठीक समझे [1][और राज्य सरकार द्वारा संपरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति और आदेश ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन में, जहां विधान-मंडल में दो सदन हैं अथवा ऐसे विधान-मंडल जिसमें एक सदन है, उस सदन में रखे जाने के तीस दिन के भीतर परिषद् के पास भेजेगी ।]

82. बोर्ड को देय राशियों का भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाना—(1) संपरीक्षक द्वारा धारा 80 के अधीन अपनी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि, बोर्ड द्वारा जारी की गई मांग की सूचना की तामील के पश्चात् साठ दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाएगी ।

(2) यदि ऐसा रांदाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता है तो संदेय राशि, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

अध्याय 8

न्यायिक कार्यवाहियां

83. अधिकरणों, आदि का गठन—[2][(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी वक्फ या वक्फ संम्पत्ति या किसी अभिधारी की बेदखली से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए या ऐसी संपत्ति के पट्टाकर्ता या पट्टेदार के अधिकारों या बाध्यताओं का अवधारण करने के लिए उतने अधिकरण का गठन करेगी जितने वह ठीक समझे और ऐसे प्रत्येक अधिकरण की स्थानीय सीमाएं और अधिकारिता परिनिश्चित करेगी ।]

(2) कोई मुतवल्ली, वक्फ में हितबद्ध व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश से या इसके अधीन बनाए गए नियमों से व्यथित है, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है, उस समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अधिकरण को वक्फ से किसी संबंधित विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आवेदन किसी ऐसी वक्फ संपत्ति से संबंधित है, जो दो या अधिक अधिकरणों की अधिकारिता की प्रादेशिक सीमाओं के अन्तर्गत आती है, वहां ऐसा आवेदन उस अधिकरण को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वक्फ का मुतवल्ली या, उसके मुतवल्लियों में से कोई एक मुतवल्ली वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, किया जा सकेगा तथा जहां ऐसा कोई आवेदन पूर्वोक्त अधिकरण को किया जाता है वहां अधिकारिता रखने वाला अन्य अधिकरण या रखने वाले अन्य अधिकरण ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेंगे :

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय है कि वक्फ के या वक्फ में हितबद्ध किसी व्यक्ति के या वक्फ संपत्ति के हित में यह समीचीन है कि ऐसे आवेदन का अंतरण, ऐसे वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधिकरण को कर दिया जाए तो वह ऐसे आवेदन का अंतरण, अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधिकरण को कर सकेगी और ऐसे अंतरण पर, वह अधिकरण जिसे आवेदन इस प्रकार अंतरित किया जाता है, आवेदन की बाबत उस प्रक्रम से, जिस पर उस अधिकरण के समक्ष वह आवेदन था, जिससे आवेदन इस प्रकार अंतरित किया गया है, वहां के सिवाय कार्रवाई करेगा जहां अधिकरण की यह राय है कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि आवेदन की बाबत नए सिरे से कार्रवाई की जाए।

[1][(4) प्रत्येक अधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) ऐसा एक व्यक्ति, जो उपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य ;

(ग) ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य,

और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति नाम से या पदनाम से की जाएगी।

(4क) पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें जिनके अन्तर्गत उन्हें संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।]

(5) अधिकरण को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और इसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण अथवा किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन करते समय सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।

(6) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए।

(7) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और आवेदन के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा उस विनिश्चय का वही बल होगा, जो सिविल न्यायालय द्वारा की गई डिक्री का होता है।

(8) अधिकरण के किसी विनिश्चय का निष्पादन उस सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे ऐसा विनिश्चय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अनुसार निष्पादन के लिए भेजा जाता है।

(9) अधिकरण द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा, कोई अपील नहीं होगी :

परन्तु उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से अथवा बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य गामले से जिसका अधिकरण द्वारा अवधारण किया गया है, संबंधित अभिलेख ऐसे अवधारण की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा तथा ऐसे अवधारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा अथवा ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

84. अधिकरण द्वारा कार्यवाहियों का शीघ्रता से किया जाना और पक्षकारों को अपने विनिश्चय की प्रतियों का दिया जाना—जब कभी किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए अधिकरण को कोई किया जाता है, तब वह अपनी कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्रता से करेगा और ऐसे मामले की सुनवाई की समाप्ति पर यथासाध्यशीघ्र, अपना विनिश्चय, लिखित रूप में, देगा और ऐसे विनिश्चय की प्रति विवाद के प्रत्येक पक्षकार को देगा।

85. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—किसी वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले की बाबत जिसका इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है, किसी [2][सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और कोई अन्य प्राधिकरण] में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।

86. कतिपय दशाओं में रिसीवर की नियुक्ति—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही,—

(क) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से,—

(i) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति के, जो वक्फ संपत्ति है, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय को अपास्त करने के लिए ;

(ii) किसी स्थावर संपत्ति के, जो वक्फ संपत्ति है, मुतवल्ली द्वारा बोर्ड की मंजूरी के बिना या उससे भिन्न रूप में किए गए किसी अंतरण को चाहे वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया हो या नहीं, अपास्त करने के लिए ;

(iii) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संपत्ति के कब्जे को वापस लेने के लिए अथवा संबंधित वक्फ के मुतवल्ली को ऐसी संपत्ति का कब्जा लौटाने के लिए,

संस्थित की जाती है या प्रारंभ की जाती है ; या

(ख) ऐसी स्थावर संपत्ति के, जो वक्फ संपत्ति है और जिसका पूर्वतन मुतवल्ली [1][या किसी अन्य व्यक्ति] द्वारा अंतरण, चाहे वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया हो या नहीं, बोर्ड की मंजूरी के बिना या उससे भिन्न रूप में किया गया है और जो प्रतिवादी के कब्जे में है, कब्जे को वापस लेने के लिए मुतवल्ली द्वारा संस्थित की जाती है या प्रारंभ की जाती है,

वहां न्यायालय, वादी के आवेदन पर, ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा तथा ऐसे रिसीवर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति की आय में से आवेदन को समय-समय पर ऐसी रकम का संदाय करे जो न्यायालय वाद आगे चलाने के लिए आवश्यक समझे ।

[2]* * * * * * *

88. किसी अधिसूचना, आदि की विधिमान्यता के बारे में आक्षेप का वर्जन—इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना या किए गए आदेश या विनिश्चय या की गई कार्यवाही या कार्रवाई को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

89. पक्षकारों द्वारा बोर्ड के विरुद्ध लाए गए वादों की सूचना—बोर्ड के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के बारे में, जो उसके द्वारा इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में किया जाना तात्पर्यित है, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा विवरण लिखित सूचना के, जिसमें वाद हेतुक, वादी का नाम, विवरण और निवास-स्थान तथा अनुतोष, जिसका वह दावा करता है, कथित होगा, बोर्ड के कार्यालय में परिदान किए जाने या वहां छोड़ दिए जाने के ठीक पश्चात् दो मास समाप्त न हो गए हों और वाद-पत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना का इस प्रकार परिदान किया गया है या वह छोड़ दी गई है ।

90. न्यायालयों द्वारा वादों, आदि की सूचना—(1) वक्फ संपत्ति के हक या कब्जे अथवा, मुतवल्ली या हिताधिकारी के अधिकार से संबंधित प्रत्येक वाद या कार्यवाही में, न्यायालय या अधिकरण ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित करने वाले पक्षकार के खर्च पर बोर्ड को सूचना देगा ।

(2) जब कभी कोई वक्फ संपत्ति किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में अथवा किसी राजस्व, उपकर, रेट या कर की, जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय है, वसूली के लिए विक्रयार्थ अधिसूचित की जाती है तब उस न्यायालय, कलक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके आदेश के अधीन विक्रय अधिसूचित किया जाता है, बोर्ड को सूचना दी जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन सूचना के अभाव में, वाद या कार्यवाही में पारित कोई डिक्री या आदेश उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड, ऐसे वाद या कार्यवाही की अपने को जानकारी होने के [3][छह मास] के भीतर, न्यायालय को इस निमित्त आवेदन करता है ।

(4) उपधारा (2) के अधीन सूचना के अभाव में, विक्रय उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड, विक्रय की अपने को जानकारी होने के एक मास के भीतर, उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिसके आदेश के अधीन विक्रय किया गया था, इस निमित्त आवेदन करता है ।

91. 1894 के अधिनियम 1 के अधीन कार्यवाहियां—(1) यदि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अथवा भूमि या अन्य संपत्ति के अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, [4][अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व, यदि कोई संपत्ति] वक्फ संपत्ति है तो ऐसे अर्जन की सूचना की तामील बोर्ड पर कलक्टर द्वारा की जाएगी तथा आगे की कार्यवाहियों को रोक

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 47 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।

दिया जाएगा जिससे कि बोर्ड ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर किसी समय कार्यवाही में पक्षकार के रूप में उपस्थित हो सके और अभिवचन कर सके ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के पूर्वगामी उपबंधों में, उनमें निर्दिष्ट किसी अन्य विधि के संबंध में, कलक्टर के प्रति निर्देश का, यदि कलक्टर, उस विधि के अधीन भूमि या अन्य संपत्ति के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर या अन्य रकम का अधिनिर्णय करने के लिए किसी ऐसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी नहीं है तो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन ऐसा अधिनिर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश है ।

(2) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अर्जनाधीन कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वह अधिनिर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय कार्यवाही में पक्षकार के रूप में उपस्थित हो सकेगा और अभिवचन कर सकेगा ।

(3) जब बोर्ड, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन उपस्थित हुआ है तब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कोई आदेश, बोर्ड को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(4) बोर्ड की सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पारित कोई आदेश, उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड, आदेश की अपने को जानकारी होने के एक मास के भीतर, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश किया था, इस निमित्त आवेदन करता है ।

92. बोर्ड का वाद या कार्यवाही में पक्षकार होना—किसी वक्फ या किसी वक्फ संपत्ति की बाबत किसी वाद या कार्यवाही में, बोर्ड उस वाद या कार्यवाही के पक्षकार के रूप में उपस्थित हो सकेगा और अधिवचन कर सकेगा ।

93. मुतवल्लियों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों में समझौते का वर्जन—वक्फ संपत्ति के हक या मुतवल्ली के अधिकारों के संबंध में किसी वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही में कोई समझौता बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा ।

94. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मुतवल्ली के असफल रहने की दशा में अधिकरण को आदेश करने की शक्ति—(1) जहां कोई मुतवल्ली कोई ऐसा कार्य करने के लिए बाध्यताधीन है जो मुस्लिम विधि द्वारा, पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है और वह मुतवल्ली ऐसा करने में असफल रहता है वहां वह बोर्ड, अधिकरण को ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि मुतवल्ली को निदेश दिया जाए कि वह ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक रकम, बोर्ड को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संदाय करे ।

(2) जहां कोई मुतवल्ली वक्फ के अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्यताधीन है और वह मुतवल्ली ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने में जानबूझकर असफल रहता है वहां बोर्ड या वक्फ में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

95. विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण करने की अपील प्राधिकारी की शक्ति—जहां इस अधिनियम के अधीन, कोई अपील फाइल करने के लिए कोई अवधि विनिर्दिष्ट की गई है, वहां यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित किया गया था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

96. ओक़ाफ़ के लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) ओक़ाफ़ के लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) वक्फ प्रशासन के साधारण सिद्धांत और नीतियां अधिकथित करना, जहां तक उनका संबंध ओक़ाफ़ के लौकिक क्रियाकलापों से है ;

(ख) केन्द्रीय वक्फ परिषद् और बोर्ड के कृत्यों का समन्वय करना, जहां तक उनका संबंध उनके लौकिक कृत्यों से है ;

(ग) साधारणतया ओक़ाफ़ के लौकिक क्रियाकलापों के प्रशासन का पुनर्विलोकन करना और सुधारों का, यदि कोई हों, सुझाव देना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने में, केन्द्रीय सरकार किसी बोर्ड से कोई कालिक या अन्य रिपोर्ट मंगा सकेगी और बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे तथा बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लौकिक क्रियाकलाप" के अन्तर्गत, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और अन्य कल्याणकारी क्रियाकलाप हैं ।

97. राज्य सरकार द्वारा निदेश—धारा 96 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, बोर्ड को, समय-समय पर, ऐसे साधारण या विशेष निदेश दे सकेगी जो वह राज्य सरकार ठीक समझे और बोर्ड अपने कृत्यों के पालन में, ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा :

[1][परंतु राज्य सरकार ऐसा कोई निदेश जारी नहीं करेगी, जो किसी वक्फ विलेख या किसी वक्फ की प्रथा, पद्धति या रूढ़ि के प्रतिकूल हो ।]

98. राज्य सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट—(1) राज्य सरकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यकरण और प्रशासन तथा उस वर्ष के दौरान राज्य में ओक़ाफ़ के प्रशासन की बाबत एक साधारण वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसे जहां, राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, अथवा जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी तथा ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें वे बातें होंगी जिनका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

99. बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है अथवा उसके पालन में उसने बार-बार व्यतिक्रम किया है अथवा वह अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गया है या उसने उनका दुरुपयोग किया है अथवा वह केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 96 के अधीन या राज्य सरकार द्वारा धारा 97 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर और पर्याप्त हेतुक के बिना असफल रहा है अथवा यदि वार्षिक निरीक्षण के पश्चात् प्रस्तुत की गई किसी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि बोर्ड के बने रहने से राज्यों में ओक़ाफ़ के हितों को क्षति पहुंचने की संभावना है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को छह मास से अनधिक अवधि के लिए अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिसूचना निकालने के पूर्व राज्य सरकार, बोर्ड को यह हेतुक दर्शित करने के लिए उचित समय देगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए तथा बोर्ड के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी :

[2][परंतु यह और कि इस धारा के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाएगा, जब वित्तीय अनियमितताओं, कदाचार या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हो ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) बोर्ड के सभी सदस्य अतिष्ठित किए जाने की तारीख से ही ऐसे सदस्यों की हैसियत में अपने पदों को रिक्त कर देंगे ;

(ख) उन सभी शक्तियों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या पालन किया जा सकेगा, प्रतिष्ठिति काल के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग या पालन किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ; और

(ग) बोर्ड में निहित सभी संपत्ति, अतिष्ठिति काल के दौरान, राज्य सरकार में निहित रहेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल की समाप्ति पर, राज्य सरकार,—

[3][(क) अतिष्ठिति काल को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, छह मास की एक और अवधि तक बढ़ा सकेगी और निरंतर अतिष्ठिति काल एक वर्ष से अनधिक का नहीं होगा ; या]

(ख) वार्ड को धारा 14 में उपबंधित रीति से पुनर्गठित कर सकेगी ।

100. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सर्वेक्षण आयुक्त के अथवा इस अधिनियम के अधीन सम्यक्त: नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

101. सर्वेक्षण आयुक्त, बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक समझा जाना—(1) सर्वेक्षण आयुक्त, बोर्ड के सदस्य, बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक संपरीक्षक तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सम्यक्त: नियुक्त किया गया है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

(2) वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली, ऐसी प्रबंध समिति चाहे वह बोर्ड द्वारा या किसी वक्फ विलेख के अधीन गठित की गई हो, प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कार्यपालक अधिकारी और वक्फ में कोई पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 51 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित ।

102. कतिपय बोर्डों के पुनर्गठन के लिए विशेष उपबंध—(1) जहां राज्यों के पुनर्गठन का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के कारण कोई संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग, जिसकी बाबत बोर्ड ऐसे पुनर्गठन की तारीख के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था, उस दिन किसी अन्य अन्य राज्य को अंतरित कर दिया गया है और ऐसे अंतरण के कारण, उस राज्य की सरकार को, जिसके किसी भाग में बोर्ड कार्य कर रहा है, यह प्रतीत होता है कि उस बोर्ड का विघटन कर दिया जाए अथवा उस संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए उसे अन्तर्राज्यीय वोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया जाए, वहां वह राज्य सरकार, यथास्थिति, ऐसे विघटन या ऐसे पुनर्गठन के लिए ऐसी स्कीम बनाएगी जिसके अन्तर्गत बोर्ड की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का किसी अन्य बोर्ड या राज्य सरकार को अंतरण करने तथा बोर्ड के कर्मचारियों का अंतरण या पुनर्नियोजन करने के संबंध में प्रस्थापनाएं हैं और उस स्कीम को केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उसे भेजी गई स्कीम की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, संबंधित [1][परिषद् और राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्,] स्कीम को उपांतरणों के सहित या उनके विना अनुमोदित कर सकेगी और इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को ऐसा आदेश करके प्रभावी कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड का विघटन ;

(ख) बोर्ड का किसी भी रीति से पुनर्गठन जिसके अंतर्गत, जहां आवश्यक हो, नए बोर्ड की स्थापना है ;

(ग) वह क्षेत्र जिसकी बाबत पुनर्गठित बोर्ड या नया बोर्ड कार्य करेगा, और क्रियाशील होगा ;

(घ) बोर्ड की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का (जिनके अंतर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व हैं) किसी अन्य वोर्ड या राज्य सरकार को पूर्णत: या भागत: अन्तरण तथा ऐसे अन्तरण के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) बोर्ड के स्थान पर ऐसे किसी अन्तरिती का प्रतिस्थापन अथवा ऐसे किसी अन्तरिती का किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना जिसमें बोर्ड एक पक्षकार है तथा बोर्ड के समक्ष लम्वित किसी कार्यवाही का ऐसे किसी अन्तरिती को अन्तरण ;

(च) बोर्ड के किन्हीं कर्मचारियों का ऐसे किसी अन्तरिती को या उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन तथा संबंधित राज्य के पुनर्गठन का उपबंध करने वाली विधि के अधीन रहते हुए, ऐसे कर्मचारियों को ऐसे अन्तरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् लागू सेवा के निबंधन और शर्तें ; और

(छ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों ।

(4) जहां किसी बोर्ड की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों को अंतरित करने वाला कोई आदेश इस धारा के अधीन दिया जाता है वहां उस आदेश के आधार पर बोर्ड की आस्तियां, अधिकार और दायित्व अंतरिती में निहित हो जाएंगे और उसकी आस्तियां, अधिकार और दायित्व हो जाएंगे ।

(5) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(6) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

103. किसी राज्य के भाग के लिए बोर्ड की स्थापना करने के लिए विशेष उपबंध—(1) जहां किसी राज्य के पुनर्गठन का उपबन्ध करने वाली किसी विधि द्वारा किए गए किन्हीं प्रादेशिक परिवर्तनों के कारण यह अधिनियम उस तारीख से जिसको वह विधि प्रवृत्त होती है, किसी राज्य के किसी भाग या भागों पर ही लागू है किन्तु उसके शेष भाग में प्रवृत्त नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उस राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा, वह ऐसे भाग या भागों के लिए जिनमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, एक या अधिक बोर्डों की स्थापना करे और ऐसी दशा में, इस अधिनियम में बोर्ड के संबंध में "राज्य" शब्द के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राज्य के उस भाग के प्रति निर्देश है जिसके लिए बोर्ड की स्थापना की गई है ।

(2) जहां ऐसा कोई बोर्ड स्थापित किया गया है और राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण राज्य के लिए बोर्ड की स्थापना की जाए वहां राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, राज्य के उस भाग के लिए स्थापित बोर्ड का विघटन कर सकेगी अथवा ऐसे बोर्ड को पुनर्गठित और पुन:संगठित कर सकेगी अथवा सम्पूर्ण राज्य के लिए नया बोर्ड स्थापित कर सकेगी और तब राज्य के उस भाग के लिए बोर्ड की आस्तियां, अधिकार और दायित्व, यथास्थिति, पुनर्गठित बोर्ड या नए बोर्ड में निहित हो जाएंगे और उसकी आस्तियां, अधिकार और दायित्व हो जाएंगे ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।

104. उन व्यक्तियों द्वारा, जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, कतिपय ओक़ाफ़ की सहायता के लिए दी गई या दान की गई सम्पत्ति को अधिनियम का लागू होना—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है, किसी ऐसे वक्फ की सहायता के लिए दी गई या दान की गई है जो—

(क) कोई मस्जिद, ईदगाह, इमामवाड़ा, दरगाह, खानागाह या मकबरा है ;

(ख) कोई मुस्लिम कब्रिस्तान है ;

(ग) कोई सराय या मुसाफिर खाना है,

तब ऐसी सम्पत्ति उस वक्फ में समाविष्ट समझी जाएगी और उसके संबंध में उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जिसे उस वक्फ के संबंध में की जाती है जिसमें वह इस प्रकार समाविष्ट है ।

[1][**104क. वक्फ संपत्ति के विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण का प्रतिषेध**—(1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपत्ति का कोई विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण आरंभ से ही शून्य होगा ।]

[2][**104ख. सरकारी अभिकरणों के अधिभोग में की वक्फ संपत्तियों का वक्फ बोर्डों को प्रत्यावर्तन**—(1) यदि सरकारी अभिकरणों द्वारा किसी वक्फ संपत्ति का अधिभोग किया गया है तो यह अधिकरण के आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर बोर्ड या मुतवल्ली को वापस कर दी जाएगी ।

(2) यदि सपंत्ति लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, तो सरकारी अभिकरण, वर्तमान बाजार मूल्य पर अधिकरण द्वारा, यथास्थिति, किराए या प्रतिकर का अवधारण के लिए आवेदन कर सकेगा ।]

105. दस्तावेजों आदि की प्रतियां पेश किए जाने की अपेक्षा करने की बोर्ड और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी अभिरक्षा में वक्फ से संबंधित कोई अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज अथवा कोई ऐसी स्थावर संपत्ति है, जो वक्फ संपत्ति है, अपेक्षा करे कि वह आवश्यक खर्च का संदाय किए जाने पर, ऐसे किसी अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतियां या उनसे उद्धरण पेश करे तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की जाती है, बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, यथाशीघ्र, अपेक्षित अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतियां या उससे उद्धरण पेश करेगा ।

106. सामान्य बोर्ड का गठन करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति—(1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—

(i) दो या अधिक राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या की अल्पता के कारण ;

(ii) ऐसे राज्यों में ओक़ाफ़ के अपर्याप्त संसाधनों के कारण ; और

(iii) ऐसे राज्यों में ओक़ाफ़ की संख्या और आय तथा मुस्लिम जनसंख्या के बीच अननुपात के कारण,

राज्यों में ओक़ाफ़ और ऐसे राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या के हित में यह समीचीन है कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए पृथक् बोर्डों के बजाय एक सामान्य बोर्ड बनाया जाए वहां वह, संबंधित राज्यों में से प्रत्येक राज्य की [3][परिषद् और सरकार से परामर्श करने के पश्चात्] ऐसे राज्यों के लिए, जो वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सामान्य बोर्ड स्थापित कर सकेगी और उसी या किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा वह स्थान विनिर्दिष्ट कर सकेगी जहां ऐसे सामान्य बोर्ड का प्रधान कार्यालय स्थित होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक सामान्य बोर्ड यावत्साध्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो धारा 14 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(3) जब कभी उपधारा (1) के अधीन कोई सामान्य बोर्ड स्थापित किया जाता है तब—

(क) वे सभी शक्तियां, जो किसी वक्फ विलेख या ओक़ाफ़ से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार में निहित हैं, केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी और तब ऐसे वक्फ विलेख या विधि में राज्य सरकारों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश हैं :

परन्तु दो या अधिक राज्यों के लिए सामान्य बोर्ड स्थापित करते समय, केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्यों में से प्रत्येक राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए ;

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 53 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 54 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 55 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) इस अधिनियम में किसी राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उन राज्यों में से, जिनके लिए सामान्य बोर्ड स्थापित किया गया है, प्रत्येक राज्य के प्रति निर्देश है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य में बोर्ड को लागू किसी नियम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सामान्य बोर्ड के कारवार के संचालन और उसके कामकाज का विनियमन करते हुए नियम बना सकेगी ।

(4) सामान्य बोर्ड एक ऐसा निगमित निकाय होगा, जिसके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा जिसे, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपत्ति अर्जित और धारण करने तथा ऐसी संपत्ति का अंतरण करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

107. वक्फ संपत्ति की वापसी के लिए 1963 के अधिनियम 36 का लागू न होना—परिसीमा अधिनियम, 1963 की कोई बात वक्फ में समाविष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे या ऐसी संपत्ति में किसी हित के कब्जे के लिए किसी वाद को लागू नहीं होगी ।

108. निष्क्रांत वक्फ संपत्ति के बारे में विशेष उपबन्ध—इस अधिनियम के उपबन्ध, निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 2 के खंड (च) के अर्थ में किसी ऐसी निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में लागू होंगे और सदैव लागू हुए समझे जाएंगे, जो, उक्त अर्थ के अंतर्गत ऐसी निष्क्रांत संपत्ति होने के ठीक पूर्व, किसी वक्फ में समाविष्ट संपत्ति थी और विशिष्टतया, निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के अधीन अभिरक्षक के अनुदेशों के अनुसरण में, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बोर्ड का किसी ऐसी संपत्ति का (चाहे किसी दस्तावेज के अंतरण द्वारा या किसी अन्य रीति से और चाहे साधारणतया या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए) सौंपा जाना, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रभाव रखेगा और सदैव प्रभाव रखने वाला समझा जाएगा माना ऐसे सौंपा जाना—

(क) ऐसी संपत्ति को ऐसे बोर्ड में उसी रीति से और उसी प्रभाव से, जो निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसी संपत्ति के न्यासी में निहित हो जाने से होता, ऐसे सौंपे जाने की तारीख से निहित करने के लिए प्रवर्तित हुआ था ; और

(ख) ऐसे बोर्ड को, तब तक के लिए जब तक वह आवश्यक समझे, संबंधित वक्फ का सीधे प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रवर्तित हुआ था ।

[1][**108क. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना**—इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा ।]

109. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अध्याय 3 के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

[2][(i) धारा 3 के खंड (i) के अधीन मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पूरी किए जाने के लिए अपेक्षित अर्हताएं ;

(iक) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट में अंतर्वेष्ट हो सकेंगी ;]

(ii) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य विषय ;

(iii) वे विशिष्टियां जो धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित ओक़ाफ़ की सूची में हो सकेंगी ;

(iv) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की रीति ;

(v) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(vi) वे शर्तें और निर्बन्धन, जिनके अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी [2][धारा 29 की उपधारा (1) के] अधीन किसी लोक कार्यालय, अभिलेखों या रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा ;

[3][(viक) वह अवधि जिसके भीतर मुतवल्ली या कोई अन्य व्यक्ति, धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन वक्फ संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा ;

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 56 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 57 द्वारा अंत:स्थापित ।

(vikh) वे शर्तें, जिनके अधीन सरकार का कोई अभिकरण या कोई अन्य संगठन 31 की उपधारा (3) के अधीन अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय, कर सकेगा ;]

(vii) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यपालक अधिकारी और सहायक कर्मचारिवृन्द नियुक्त किए जा सकेंगे ;

(viii) वह रीति जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जांच की जा सकेगी ;

[1]* * * * * *

(x) वह अंतराल, जिस पर ओक़ाफ़ के लेखाओं की धारा 47 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में संपरीक्षा की जा सकेगी ;

(xi) वह समय जिसके भीतर किसी संपत्ति के विक्रय की धारा 51 की उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन सूचना दी जानी होगी और वह रीति जिससे उस धारा की उपधारा (3) के अधीन किया गया अनुमोदन प्रकाशित किया जाएगा ;

(xii) वह मार्गदर्शन जिसके अधीन रहते हुए कलक्टर धारा 52 के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अंतरित संपत्ति को वापस लेगा ;

(xiii) धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की तामील की रीति और वह रीति जिससे उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई जांच की जानी है ;

(xiv) वह रीति जिससे धारा 64 या धारा 71 के अधीन कोई जांच की जा सकेगी ;

(xv) अन्य विषय जो धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(xvi) धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश के प्रकाशन की रीति ;

(xvii) वह रीति जिससे धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन मुतवल्ली से परामर्श किया जा सकेगा ;

(xviii) धारा 69 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश के प्रकाशन की रीति ;

(xix) वह दर जिस पर किसी मुतवल्ली द्वारा धारा 72 के अधीन अंशदान किया जाना है ;

(xx) धारा 77 के अधीन वक्फ निधि में धनराशियों का संदाय, ऐसी धनराशियों का विनिधान, अभिरक्षा और संवितरण ;

(xxi) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 78 के अधीन बोर्ड का बजट तैयार और प्रस्तुत किया जा सकेगा ;

(xxii) वह समय जिसके भीतर अधिकरण की धारा 83 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाएगा ;

[2][(xxiiक) धारा 83 की उपधारा (4क) के अधीन अध्यक्ष और पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत उन्हें संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;]

(xxiii) वह प्रक्रिया जिसका धारा 83 की उपधारा (6) के अधीन अधिकरण अनुसरण करेगा ;

(xxiv) वह प्ररूप जिसमें धारा 98 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है तथा वे बातें जो ऐसी रिपोर्ट में होंगी ; और

(xxv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने हैं या विहित किए जाएं ।

110. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति—(1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार की पूर्व मंजरी से, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों का समय और स्थान ;

(ख) बोर्ड के अधिवेशनों में प्रक्रिया और कार्य का संचालन ;

(ग) समितियों और बोर्ड का गठन और उनके कृत्य तथा ऐसी समितियों के अधिवेशनों में कार्य के किए जाने की प्रक्रिया ;

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 57 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 27 की धारा 57 द्वारा अंत:स्थापित ।

(घ) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों अथवा समितियों के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते या फीस ;

(ङ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(च) वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का प्ररूप, उसमें होने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां तथा धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन ओक़ाफ़ के रजिस्ट्रीकरण की रीति और स्थान ;

(छ) धारा 37 के अधीन ओक़ाफ़ के रजिस्टर में होने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन ओक़ाफ़ के बजट, मुतवल्लियों द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकेंगे ;

(झ) बोर्ड द्वारा धारा 79 के अधीन रखी जाने वाली लेखाबहियां और अन्य बहियां ;

(ञ) बोर्ड की कार्यवाहियों और अभिलेखों के निरीक्षण के लिए या उनकी प्रतियां जारी किए जाने के लिए संदेय फीसें ;

(ट) वे व्यक्ति जिनके द्वारा बोर्ड का कोई आदेश या विनिश्चय अधिप्रमाणित किया जा सकेगा ; और

(ठ) कोई अन्य विषय जिसका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

111. नियमों और विनियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना—धारा 110 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और 111 के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

112. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 69) इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, किसी राज्य में, कोई ऐसी विधि जो इस अधिनियम की तत्स्थानी है, प्रवृत्त है तो तत्स्थानी विधि निरसित हो जाएगी :

परन्तु ऐसा निरसन उस तत्स्थानी विधि के पूर्व प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा और इसके अधीन रहते हुए यह है कि उस तत्स्थानी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी ।

113. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216273
CG-DL-E-19022020-216273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2020/माघ 29, 1941
No. 108] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020/MAGHA 29, 1941

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 126(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 56 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1).–इन नियमों का नाम वक्फ संपत्ति पट्टा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 में–

(क) नियम 4, उप–नियम (3) में, ''व्यक्ति'' शब्द के पश्चात, ''या संगठन या सोसायटी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 5 में, पहले परंतुक में, ''प्रतिमास 1000/- रु. (एक हजार रुपए) से कम'' अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द के स्थान पर ''3 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार प्रतिमास 3000/- रु. (तीन हजार रुपए) तक'' अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 6 में, ''जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से किराए की आय प्रतिमास 1000/- रु. (एक हजार रुपए) से अधिक हैं'', अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द के स्थान पर ''जिसमें 3 जून, 2014

की स्थिति के अनुसार, पट्टे पर दी गई संपत्ति से निर्धारित किराए की आय प्रतिमास 3000/- रु. (तीन हजार रुपए) से अधिक है'' अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

''7. <u>आरक्षित कीमत</u>–(1) अचल वक्फ संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए आरक्षित कीमत प्रति वर्ग फीट निम्न प्रकार होगी:

(क) अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और सामाजिक क्षेत्रों के लिए यह संपत्ति के बाजार मूल्य के 1% प्रति वर्ष से कम नहीं होगी;

(ख) वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए यह संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5% प्रति वर्ष से कम नहीं होगी;

परंतु बोर्ड ऐसे मामलों में, जहां बोली दो बार असफल हो जाए और इस प्रयोजनार्थ बनाई गई समिति की सिफारिश पर, किसी इलाके की आरक्षित कीमत कम कर सकेगा, यदि बोर्ड के उपस्थित दो तिहाई सदस्य और मतदान कर रहे सदस्य उसका अनुमोदन कर दें।

परंतु यह और कि इस प्रकार कीमत घटाने पर प्राप्त की गई आरक्षित कीमत किसी भी स्थिति में बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में हस्तांतरण रजिस्ट्रीकरण करने के लिए नियत कीमत होगी।

(ङ) नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्–

''**8 प्रतिभूति निक्षेप का संदाय**––(1) पट्टेदार पट्टे के निष्पादन पर पट्टे की अवधि के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप की रकम का संदाय करेगा, अर्थात्:–

(i) एक वर्ष तक की पट्टा अवधि पर एक मास का पट्टा किराया;

(ii) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष की अवधि तक पट्टा अवधि पर तीन मास का पट्टा किराया;

(iii) पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक की अवधि पर छह मास का पट्टा किराया; और

(iv) दस वर्ष से अधिक और तीस वर्ष तक की पट्टा अवधि पर बारह मास का पट्टा किराया।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में वक्फ बोर्ड के खाते में सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा और बोर्ड कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन के साथ वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए इस रकम का उपयोग कर सकेगा।

(3) पट्टेदार द्वारा पट्टे के अधीन वक्फ संपत्ति का रखरखाव किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति निक्षेप, पट्टेदारों को बिना किसी ब्याज के, वक्फ परिसर को हुई किसी प्रकार की क्षति या देय के समायोजन के पश्चात, वक्फ बोर्ड की संतुष्टि पर खाली परिसर को या भूमि को अच्छी स्थिति में सौंपने के एक मास के भीतर लौटाया जाएगा;

(च) नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

''**10. पट्टा किराया.–** (1) पट्टेदार, यथास्थिति, अवधि या नवीकरण निबंधनों के प्रत्येक वर्ष की बाबत पट्टे पर दिए गए परिसर पर पट्टा किराए के लिए पट्टाकर्ता को अग्रिम में संदेय करेगा और बिना नोटिस या मांग के, मासिक या वार्षिक किस्त जिस पर पक्षकारों के बीच सहमति हो, पट्टा करार के निष्पादन की तारीख से संदाय करेगा, जो अधिमानतः किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में केवल पट्टाकर्ता के खाते में होगा।

(2) धनादेश के माध्यम से समय पर पट्टेदार द्वारा दिए गए पट्टा किराये, जो तीन हजार रुपए मात्र से अधिक नहीं होगा, को यदि पट्टाकर्ता द्वारा स्वीकार करने से या उसकी रसीद देने से इंकार किया जाता है तो उसे वह राष्ट्रीयकृत बैंक में पट्टाकर्ता के खाते में जमा कर सकेगा और पट्टा किराए

को विधिमान्य रूप से जमा किया गया माना जाएगा यदि इसे पट्टाकर्ता द्वारा ऐसे इंकार के 15 दिन के भीतर पट्टेदार द्वारा जमा किया जाता है।

परंतु ऐसे निक्षेप का संदाय करने की तारीख को पक्षकारों के बीच वैध पट्टा करार का किन्हीं अन्य कारणों से निरसन, अवसान या निर्वेधीकरण न हो गया हो;

(छ) नियम 12 में, उप नियम (3) में, "संदाय जारी रखेगा" शब्द के स्थान पर "दोगुना संदाय करेगा", शब्द रखे जाएंगे।

(ज) नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"**18. पट्टे का नवीकरण**–(1) किसी पट्टे करार में स्वतः नवीकरण प्रदान करने हेतु खंड अंतर्विष्ट नहीं होगा।

(2) बोर्ड, पट्टे का नवीकरण करते समय वर्तमान पट्टेदार को अधिमान देगा, यदि ऐसा पट्टेदार बोली में भाग लेता है और उच्चतम बोली से मेल खाता है।

परंतु बोर्ड वर्ष 1995 से आगे या उससे पहले भी पट्टेदार द्वारा निर्बाध रूप से वक्फ संपत्ति द्वारा अधिग्रहण किए जाने के मामले में बोली की प्रक्रिया लागू नहीं करेगा और एककालिक रियायत के तौर पर दस वर्ष की अवधि के लिए पट्टा विलेख का नवीकरण करेगा, यदि पट्टेदार निम्नलिखित आशय का वचनबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है कि–

(i) पट्टेदार पट्टे की अवधि, जिसके लिए पट्टे का नवीकरण किया गया है, के अवसान पर पट्टाकर्ता को वक्फ संपत्ति का शांतिपूर्ण, भाररहित और मुक्त स्वामित्व सौंपेगा;

(ii) पट्टेदार या उसका विधिक उत्तराधिकारी भविष्य में इस एककालिक रियायत से किसी भी प्रकार का कोई लाभ अथवा अधिकार का दावा नहीं करेंगे;

(iii) पट्टेदार बकाया संबंधी सभी संदाय तत्काल करेगा और इन नियमों के नियम (7) के अनुसार अवधारित पट्टा किराया का संदाय जारी रखेगा; और

(iv) पट्टेदार पट्टे पर ली गई संपत्ति की बाबत या के संबंध में किसी प्राधिकरण या अभिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष पट्टाकर्ता के विरूद्ध दायर सभी मामले वापिस लेगाः

परंतु यह और कि पट्टेदार को वचनबंध प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर ऊपर (iii) और (iv) पर उल्लिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसके न होने पर पट्टा करार रद्द कर दिया जाएगा;

परंतु यह भी कि पट्टा अवधि के दौरान पट्टेदार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, पट्टे की अवसान अवधि के लिए मृत पट्टेदार के पट्टा करार को उसके पुत्र या पुत्री अथवा पति या पत्नी के नाम में अंतरित कर दिया जाएगा, जिसके लिए वक्फ बोर्ड द्वारा तीन मास के किराए के समतुल्य अंतरण शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(i) नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात्:–

"19. **पट्टे का प्रयोजन और अवधि**–(1) बोर्ड, निम्नानुसार इनमें से संबंधित प्रयोजनों और अवधि के लिए किसी अचल वक्फ संपत्ति, निर्मित भवनों अथवा खाली भूमि को पट्टे पर दे सकेगा, अर्थात्:–

(i) दुकानों, शीतागार, वैवाहिक हाल, या लघु उद्योगों के लिए, पट्टा दस वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा;

(ii) शॉपिंग माल, आवासीय भवन, होटल, रेस्टारेंट या सराय की स्थापना या चलाने के लिए, पट्टा तीस वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा;

(iii) विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, चिकित्सालयों, मदरसों अथवा मकतबों जैसे शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना या चलाने के लिए पट्टा तीस वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा;

(iv) कृषि प्रयोजनों के लिए, पट्टा तीन वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा।

(2) पट्टे के प्रारंभ की तारीख से पट्टा विलेख या करार के निष्पादन की तारीख या पट्टा विलेख या करार में उल्लिखित पट्टे की प्रभावी तारीख अभिप्रेत होगी।

(ञ) नियम 23 में;

(क) उप–धारा–(1) में, खंड (iv) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप–धारा–(2) में, खंड (iv) में, "एक मास का नोटिस" शब्द के स्थान पर "एक मास के अंतराल पर एक के पश्चात एक तीन नोटिस" शब्द रखे जाएंगे।

(ट) नियम 24 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा; अर्थात्

"(2) यदि पट्टे के अवसान या समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार, एक मास के अंतराल पर एक के पश्चात एक तीन नोटिस दिए जाने के बावजूद, पट्टेदार पट्टे पर लिए गए परिसर पर अधिभोग करना जारी रखता हो तो इसे अतिक्रमण माना जाएगा और अधिनियम की धारा 54 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसा अतिक्रमण हटाया जाएगा।"

(ठ) नियम 25 में, "पट्टेदार के पते पर परिदत्त की जाएगी और" शब्द के स्थान पर "या ई–मेल से और पट्टेदार के पते पर परिदत्त की जाएगी या" शब्द रखे जाएंगे;

(ड) परिशिष्ट में;

(क) "प्ररूप (नियम 15 देखें)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "वक्फ संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्ररूप (नियम 15 देखें)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 6 में, "स्थान जहां पर वक्फ संपत्ति अवस्थित है" शब्दों के पश्चात "सर्वेक्षण संख्या, गांव, तहसील और जिला" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 12/13/2014–वक्फ (खंड.I)]

एस. के. देव वर्मन, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप–खंड (i) में सा.का.नि. 380(अ) तारीख 3 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 663(अ) तारीख 25 अगस्त, 2015 द्वारा संशोधित किए गए जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप–खंड (i) में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2020

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 56 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Waqf Properties Lease Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Waqf Properties Lease (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Waqf Properties Lease Rules, 2014,—

(a) in rule 4, in sub-rule (3), after the word "person", the words "or organization or society" shall be substituted;

(b) in rule 5, in the first proviso, for the letters, figures, brackets and words "is less than Rs. 1000/- (Rupees One Thousand) per month", the letters, figures, brackets and words "is up to Rs. 3000/- (Rupees Three Thousand) per month as on 3rd June 2014" shall be substituted;

(c) in rule 6, for the letters, figures, brackets and words "in which the rental income from the leased property is more than Rs. 1000/- (Rupees One Thousand) per month", the letters, figures, brackets and words "in which the assessed rental income from the leased property is more than Rs. 3000/- (Rupees Three Thousand) per month as on 3rd June, 2014" shall be substituted;

(d) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

" **7. Reserve price.**—(1) The reserve price per square feet for lease of an immovable waqf property shall -

(a) for hospitals, educational institutions and social sectors, be not less than 1% per annum;

(b) for commercial activities, be not less than 2.5% per annum;

of the market value of the property:

Provided that the Board may in cases where the bid fails twice and on the recommendation of a Committee to be formed for the purpose, reduce the reserve price for a locality, if the same is approved by two-thirds members of the board present and voting.

Provided further that the reserve price upon such reduction shall in no case be lower than 1.5% of the market value.

(2) The market value referred to in sub-rule (1) shall be the price fixed for registering a conveyance at the office of the Registrar or Sub-registrar.";

(e) for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

"8. **Payment of security deposit.**—(1) Upon the execution of lease, the lessee shall make payment of a security deposit of the amount based on the period of lease, as under, namely :-

(i) one month lease rent on lease period of up to one year ;

(ii) three months lease rent on lease period of more than one year and up to five years ;

(iii) six months lease rent on lease period of more than five years and up to ten years; and

(iv) twelve months lease rent on lease period of more than ten years and up to thirty years.

(2) The security deposit received under sub-rule (1) shall be kept in fixed deposit in an account of the Waqf Board in a nationalised Bank and the Board may utilise the amount for development of waqf properties, with the sanction of not less than two-thirds of the members of the Board.

(3) The waqf property under lease shall be maintained by the lessee.

(4) The security deposit shall be refunded without any interest to the lessees within one month of handing over of vacant premises or land in good condition to the satisfaction of the Waqf Board after adjustment of dues or damages, if any, caused to the Waqf premises.";

(f) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely :—

"10. **Lease rent.**—(1) The lessee shall pay to the lessor for the leased premises lease rent, in respect of each year of the term or renewal terms, as the case may be, payable in advance and without notice or demand, in monthly or annual instalments as agreed upon between the parties, from the date of execution of the lease agreement, preferably only in the account of the lessor in nationalised bank.

(2) The lease rent tendered by the lessee on time by way of money order for amount not exceeding rupees three thousand only , if refused by the lessor in accepting or giving receipt, may be deposited in the account of the concerned lessor in nationalised bank and the Lease rent shall be treated as validly deposited if deposited by the lessee within fifteen days of such refusal by the lessor.

Provided that a valid lease agreement between the parties on the date of making such deposit has not been cancelled, expired or lost validity, for some other reasons.";

(g) in rule 12, in sub-rule (3) , for the words "continue to pay", the words "pay double" shall be substituted;

(h) for rule 18, the following rule shall be substituted, namely :—

"18. Renewal of lease.—(1) No lease agreement shall contain a clause providing for automatic renewal.

(2) The Board shall, while renewing the lease, give preference to the present lessee if such lessee participates in the bid and matches the highest bid :

Provided that the Board may not apply the procedure for bidding in case of a lessee occupying waqf property uninterruptedly from 1995 onwards or prior thereto and as a measure of one time concession, renew the lease deed for a period upto ten years if the lessee files an undertaking with the Board to the effect that —

(i) the lessee shall hand over peaceful, unencumbered and vacant possession of the waqf property to the lessor on the expiry of the period for which the lease has been renewed;

(ii) the lessee or their legal heir shall not in future claim any benefit or right whatsoever out of this one time concession;

(iii) the lessee shall forthwith make all payments towards arrears and continue to pay lease rental determined as per rule 7 of these rules; and

(iv) the lessee shall forthwith withdraw all cases filed against the lessor before any Authority or Tribunal or Court in respect of or in relation to the leased property:

Provided further that the lessee has to fulfil the conditions mentioned at (iii) and (iv) above within thirty days of furnishing the undertaking failing which the lease agreement shall stand cancelled:

Provided also that in case of death of a lessee during the currency of lease period, the lease agreement of the deceased lessee for the unexpired period of lease shall be transferred in the name of his or her's son or daughter or spouse for which transfer fee equivalent to three months rental shall be charged by the Waqf Board.;

(i) for rule 19, the following rule shall be substituted, namely :—

"19. Purpose and period of lease.—(1) The Board may give on lease any immovable waqf property, built-up spaces or vacant land for the purposes and for the period relating thereto as under, namely:—

(i) for shops, cold storages, marriage halls or small industries, lease shall be granted for a period of up to ten years;

(ii) for establishing or running of shopping malls, residential buildings, hotels, restaurants or Inns, lease shall be granted for a period of up to thirty years;

(iii) for establishing or running educational institutions like schools, colleges, universities, hospitals, dispensaries, madarasas or maktabs, lease shall be granted for a period of up to thirty years;

(iv) for agricultural purposes, the lease shall be granted for a period up to three years.

(2) The commencement date of the lease shall mean the date of execution of lease deed or agreement or the effective date of lease mentioned in the lease deed or agreement.

(j) in rule 23, —

(a) in sub-section (1), clause (iv) shall be omitted;

(b) in sub-section (2), in clause (iv), for the words "one months' notice", the words "three notices one after another with a gap of one month" shall be substituted;

(k) in rule 24, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) If after the expiration or termination of the lease, despite given three notices one after another with a gap of one month, the lessee continues to occupy the leased premises, it shall be treated as an

encroachment and such encroachment shall be removed in accordance with the procedure specified in section 54 of the Act."

(l) in rule 25 , for the words "and delivered to the lessor at his address; and", the words "or e mail and delivered to the lessee at his address; or" shall be substituted;

(m) in the Appendix ,

(a) for the words, brackets and figures "Form (see rule 15)", the words, brackets and figures "Form for submission of details of Waqf Property (see rule 15)" shall be substituted;

(b) in Sl. No. 6, after the words "Place where the waqf property is situated", the words "including survey No., village, tehsil and district." shall be inserted .

[F. No. 12/13/2014-Waqf(Vol. I)]

S. K. DEV VERMAN, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 380(E) dated the 3rd June, 2014 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 663(E), dated the 25th August, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.19 22:52:32 +05'30'

क्रम संख्या–129

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 28 नवम्बर, 2017 ई0

अग्रहायण 07, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या 834/XVII–3/17–04(12)/2016

देहरादून, 28 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

सा0प0नि0–11

राज्यपाल, केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियम, 2017

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:–
   (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वक्फ नियम, 2017 है।
   (2) यह नियम उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:–
   (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (क) **"अधिनियम"**से वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) अभिप्रेत है;
   (ख)**"अधिकृत प्रतिनिधि"**से विधिवत एक वकालतनामा के निष्पादन के द्वारा अधिवक्ता के विधिवत निष्पादित शक्ति से या एक कानूनी व्यवसायी के मामले में और उनके अधिवक्ता के रूप में एक व्यक्ति की ओर से कार्यवाही करने के लिये अधिकृत एक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) **"मतपेटी"**से ऐसा कोई बॉक्स, बैग या अन्य कन्टेनर, जिसे मतदाताओं द्वारा मतपत्र की प्रविष्टि के लिये प्रयोग किया ज़ायेगा अभिप्रेत है;

(घ) **"अध्यक्ष"**से वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–14 की उपधारा–8 के तहत निर्वाचित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) **"गिनती"** से सभी उम्मीद्वारों के लिये दर्ज मतों की गिनती में शामिल संचालन प्रकिया से अभिप्रेत है;

(च) **"निर्वाचक"** से बोर्ड के सदस्य के किसी भी वर्ग के चुनाव के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा, जब तक किसी व्यक्ति को अयोग्य करार नहीं कर देता है, मतदाता सूची में निर्दिष्ट किया जाने से अभिप्रेत है;

(छ) **"मतदाता सूची"**से नियम–9 के तहत प्राप्त मतदाताओं की सूची अभिप्रेत है;

(ज) **"अतिक्रमण"** से किसी भी वक्फ सम्पत्ति में इस तरह के कब्जे के लिये प्राधिकरण के बिना वक्फ सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कब्जा और वक्फ सम्पत्ति में किसी व्यक्ति द्वारा पट्टा या हस्तांतरण में इस तरह के कब्जे प्राधिकृत करने के बाद वक्फ सम्पत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जे में बने रहने को शामिल किया गया है, या किसी भी कारण से समाप्त, से अभिप्रेत है;

(झ) **"प्रपत्र"** से इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ञ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ट) **"कानूनी व्यवसायी"** से अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का संख्या–25) के अन्तर्गत विहित व्यवस्था से अभिप्रेत है;

(ठ) **"प्रबन्ध समिति"** से वक्फ अधिनियम की धारा–18 के तहत नियुक्त/स्थापित बोर्ड की समितियां अभिप्रेत है;

(ड) **"परिसर/सम्पत्ति"** से किसी भूमि पर बनी इमारत अथवा उसका भाग अभिप्रेत है:–

(1) यदि कोई बगीचा, जल निकायों, मैदान ऐसे भवन या इमारत के हिस्से के लिए;

(2) किसी भी फिटिंग ऐसे भवन या उससे अधिक फायदेमन्द आनन्द के लिय इमारत का हिस्से से चिपका; और

(3) दरगाह, कब्रिस्तान, खानकाह, पीरखाना, कर्बला; मकबरा, मस्जिद मकबरे और आंगन

(ढ) **"रजिस्ट्रार"** से ट्रिब्यनूल का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है, और सहायक रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्ति भी शामिल है जिसे रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण के अनुमोदन से किसी भी समारोह में रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग करके सौपा जा सकता है;

(ण) **"रिटर्निंग अधिकारी"** से एक अधिकृत अधिकारी या चुनाव प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी भी कार्य करने के लिये या इन नियमों के तहत चुनाव के संचालन के सम्बन्ध में किसी भी समारोह में प्रर्दशन अभिप्रेत है;

(त) **"धारा"** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) **"ट्रिब्यूनल"** से वक्फ अधिनियम–1995 की धारा 83(1) अभिप्रेत है;

(द) **"वक्फ परिसर" से अभिप्रेत है:–**

(1)किसी भी मौखिक रूप से या चल या अचल सम्पत्ति के एक व्यक्ति के द्वारा समर्पित लेखन में एक साधन के द्वारा और धार्मिक रूप से पवित्र या धमार्थ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिये इस्तमाल किया गया हो

(2) सरकारी राजपत्र में वक्फ सम्पत्ति के रूप में अधिसूचित परिसर, या

(3) बोर्ड द्वारा बनाये गये ऑकाफ के रजिस्टर मे वक्फ के रूप में पंजीकृत परिसर, या

(4) सम्पत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में व्यवहार किया गया

(ध) **"वक्फ सम्पत्ति"**से किसी चल या अचल सम्पत्ति में अधिनियम की धारा 3 के खंड (द) के लिये भेजना अभिप्रेत है, और उसके परिसर भी शामिल है;

(2) अधिनियम में परिभाषित एक ही अर्थ क्रमशः इन नियमों में परिभाषित किया गया है सभी शब्द और भाव का इस्तेमाल किया और न लेकिन अधिनियम में उन्हें सौंपा जायगा।

3. मुतवल्ली की योग्यताऐं:–

(1) मुतवल्ली भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) एक वक्फ की एक मुतवल्ली की योग्यता ऐसी होगी जैसा कि वाकिफ के द्वारा वक्फ विलेख में निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) जहां मुतवल्ली की योग्यता वाकिफ के द्वारा निर्दिष्ट की गई है, वहां मुतवल्ली को:–

(अ) हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी के अतिरिक्त जहां पर वक्फ सम्पत्ति स्थित है की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

(ब) वक्फ अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए।

(स) शरीयत का कार्यकारी ज्ञान, और

(द) शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ,

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई योग्यता उप–नियम (2) के तहत एक वाकिफ द्वारा निर्दिष्ट की गई है या इस उप–नियम के तहत योग्य कोई व्यक्ति उपलब्ध है, बोर्ड किसी भी वंशानुगत योंग्य मुतवल्ली जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, को किसी वक्फ के लिये मुतवल्ली नियुक्त कर सकेगा।

4. सर्वेक्षण आयुक्त की सूचना एवं अन्य विवरण को शामिल करना:–अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) के अर्न्तगत सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना प्रपत्र–1 के पर निर्दिष्ट किया जायेगा।

5. सर्वेक्षण आयुक्त की जांच की अन्य शक्तियां:–अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अर्न्तगत निर्दिष्ट करने के अलावा अर्थात निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण आयुक्त को अधिकार है:–

1. अस्थाई निषेधाज्ञा एवं वादकालीन आदेशों का अनुदान, तथा

2. रिसीवर की नियुक्ति।

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के विरूद्ध तब तक कोई जांच नही की जाएगी जब तक बोर्ड के कार्यालय में नोटिस देने की तिथि से दो माह की अवधि न बीत गई हो जिसके कारण, वर्णन, वादी का स्थान या प्रार्थी तथा अनुतोष का उल्लेख किया जायेगा।

6. उप–धारा के अर्न्तगत प्रकाशित ऑकाफ की सूची अन्य ब्यौरे के साथ शामिल करना:–प्रकाशित ऑकाफ की एक सूची अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अर्न्तगत प्रपत्र–2 में निर्दिष्ट किया जायेगा।

7. राजस्व अभिलेखों में ऑकाफ का पंजीकरण:–

(1) सरकार, ऑकाफ की सूची बोर्ड से प्राप्त करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अर्न्तगत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करते हुए राजस्व अधिकारियों को एक माह के भीतर भेजेगा।

(2) सरकार से उपनियम (1) के तहत सूची प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा रिकार्ड का अध्यतन करने ओर भूमि रिकार्ड में उत्परिर्वतन तय करने के बाद उसकी एक प्रति दिनांक की प्राप्ति से छः माह के भीतर बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे।

(3) यदि कोई सूचना राजस्व अधिकारी द्वारा छः माह के भीतर बोर्ड को नही भेजी जाती है तो उत्परिवर्तन में भूमि रिकार्ड में प्रविष्टि समझी जायेगी।

8. चुनाव का आचरण:–

(1) सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के प्रयोजनों के लिये धारा 14 के खण्ड (ख) की उपधारा (1) के अर्न्तगत चुनाव प्राधिकारी होगा और उनके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में इन नियमों के तहत चुनाव का अधिकार होगा।

(2) सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव इन नियमों के तहत चुनाव कराने के प्रायोजनों के लिये उप–निर्वाचन प्राधिकरी होंगे।

(3) उप चुनाव प्राधिकारी सभी या चुनाव प्राधिकारी के किसी कार्यों में किसी भी निर्वाचन प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन प्रदर्शन करेगा।

(4) चुनाव प्राधिकारी का एक अधिकारी जो इन नियमों के तहत चुनाव के सुचारू संचालन के लिये जिम्मेदार होंगे पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा। बशर्ते कि इस तरह केनिर्वाचन अधिकारी सरकार में एक राजपत्रित पद धारण व्यक्तियों के बीच से नियुक्त किया जायेगा।

(5) चुनाव प्राधिकरी, सरकार के अधिकारियों के बीच से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त करेगा।

(6) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी सभी या निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के लिये निर्वाचन अधिकारी विषय के कार्यों के किसी भी प्रदर्शन के लिये सक्षम होगा। परन्तु सहायक निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी के किसी भी समारोह में कोई प्रदर्शन नही करेगा जब तक निर्वाचन अधिकारी नामांकन की जांच के लिये उसे ऐसा प्रदर्शन करने लिये निर्दश नही दे देता है।

(7) इन नियमों के अन्य प्राविधानों के अधीन, चुनाव प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगी, अर्थात

(क) चुनाव का समय, स्थान एवं नियत तिथि,

(ख) सूचना, नामांकन, सूचना का पत्र, घोषणा पत्र, मतपत्र को कवर करने और चुनाव के लिये लिफाफे के रूप में सूचित करने के लिये, किसी भी अन्य अभिलेख तैयार कराने या एक चुनाव और चुनाव के संचालन के लिये जारी निर्देश चुनाव के संचालन के लिये अधिसूचना में समाहित करने हेतु,

(ग) संदेह दूर करने हेतु वैधता या उस पर दर्ज की गई प्रत्येक वोट के प्रत्येक मतपत्र की आमन्यता के मामले में फैसला करना,

(घ) प्रत्येक चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिये, तथा

(ड.) नियत करने के लिये

1–चुनाव की तिथि,

2–नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि,

3–उम्मीदवारों के नामांकन की जांच तिथि और निर्वाचित उम्मीदवार की प्रकाशन सूची,

4–नामांकन वापस लेने के लिये अंतिम तारीख व घण्टे,

5–अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख,

6–तिथि और चुनाव के लिये घण्टे,

7–मतो की गिनती और जांच के घंटे और तारीख,

(8) इन नियमों के तहत चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जायेगा।

9. निवार्चन सूची:–

(1) चुनाव प्राधिकरी उपखण्ड (1) में उल्लिखित श्रेणियों में मतदान करने के पात्र व्यक्तियों की सूची प्राप्त करेगा, जो (2)(3) और (4) खण्ड–(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों उप नियम (2) और ऐसे व्यक्तियों की सूची में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 14 के उस वर्ग के लिए निर्वाचक मण्डल और व्यक्तियों जिनके नाम सूची में होंगे, के सदस्यों की उस वर्ग के लिए मतदाताओं को चयन किया जाएगा।

(2) श्रेणी वार सूची निम्न प्रकार के रूप में प्राप्त की जाएगी:–

(क) राज्य से या जैसा भी मामला हो सकता है संसद के मुस्लिम सदस्य, अधिनियम की धारा 14(1)(ख)(1) के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चुनाव से महासचिव, लोक सभा के लिए/राज्य सभा से,

(ख) राज्य विधान मण्डल में मुस्लिम सदस्य के चुनाव के लिए अधिनियम की धारा 14(1)(ख)(2) सचिव, विधान सभा/परिषद से,

(ग) अधिनियम की धारा 14 (1)(ख)(3) के तहत सम्बन्धित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों के चुनाव के लिये, राज्य बार काउंसिल के सचिव से,

(घ) अधिनियम की धारा 14(1)(ख)(4) के तहत मुतवल्ली के चुनाव के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी से

10. मुतवल्लियों द्वारा चुनाव:–निर्वाचन चुनावी नियम 9 के उप नियम (2) के खण्ड (घ) के अधीन मुतवल्ली द्वारा चुनाव की तैयारी के प्रायोजनों के लिए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मुतवल्लियों को एक सप्ताह का समय देना होगा या जैसा भी मामला हो, प्रबन्ध समितियों को चयन करने के लिए:–

(क) एक से अधिक मुतवल्ली होने की दशा में वक्फ संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे वरिष्ठ मुतवल्ली, और

(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा वक्फ संस्था प्रशासित होने के मामले में इस तरह के वक्फ संस्था के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में,

परन्तु यदि वक्फ संस्था वरिष्ठ मुतवल्ली और प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के नाम से संवाद करने में विफल रहता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वरिष्ठ मुतवल्ली और प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष चयनित किया गया है समझा जाएगा और उनके नाम निर्वाचन मण्डल का गठन करने के प्रयोजन के लिए मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा,

परन्तु यह है कि केवल उन मुतवल्लियों या प्रबन्ध समितियों के प्रतिनिधियों को मतदान करने के लिए जो बोर्ड में पंजीकृत है और एक लाख रूपये की वार्षिक आय होने के पूर्ववर्ती वर्ष में वक्फ अधिनियम की धारा–72 के तहत वार्षिक योगदान बोर्ड को देय भुगतान कर दिया है, पात्र होंगे जो पिछले साल तक काम करते है।

11. संसद के पूर्व मुस्लिम सदस्य, राज्य विधान मण्डल के पूर्व मुस्लिम सदस्य और बार काउंसिल के पूर्व मुस्लिम सदस्यों की मतदाता सूची:–

मामले में उप–खंड (1) में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी में कोई मुस्लिम सदस्य नही है तो उपधारा (3) के खंड (ख) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के, संसद के पूर्व मुस्लिम सदस्य, राज्य विधायिका या राज्य बार काउंसिल के पूर्व सदस्य, जैसा भी मामला हो सकता है, निर्वाचक मण्डल का गठन करेगा और एक अलग मतदाता सूची में इस तरह प्रत्येक श्रेणी के लिए रखा जाएगा।

12. सूची का प्रदर्शन:–चुनावी नियम–9 के तहत प्राप्त सूचियों, चुनाव की तिथि से चौदह दिन से कम नही हों चुनाव प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर और बोर्ड के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी/स्थानीय भाषा के सामाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

13. आपत्तियां दाखिल करना:–

(1) नियम–12 के तहत चुनावी सूचियों के प्रकाशन से व्यथित कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाम हटाने या सम्मिलित करने या संशोधन के लिए इस तरह के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर चुनाव प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति याचिका दायर कर सकता है,

(2) चुनाव प्राधिकरण, आपत्ति याचिका के माध्यम से जानने के बाद, और, किसी भी श्रोत से किसी भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद यह उचित समझे और आपत्तिकर्ता या याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद यदि यह आवश्यक लगता है, आपत्ति याचिका पर आदेश पारित करेगा।

(3) **उप–नियम (2) के तहत पारित आदेश के प्रकाश में यदि मतदाता सूची में किसी भी संशोधन की आवश्यकता है, चुनाव प्राधिकरण, इस तरह के संशोधन को शामिल करने के बाद, अंतिम मतदाता सूची कम से कम चुनाव की तारीख से सात दिन पहले प्रकाशित करेगा और ऐसे मतदाता सूची के चुनाव के लिए मतदाताओं के अंतिम और निर्णायक सूची होगी।**

14. चुनाव के प्रयोजन हेतु सार्वजनिक नोटिस:–

(1) चुनाव प्राधिकरण, बोर्ड के सदस्य का चुनाव करने के लिए इस तरह के निर्देशों के रूप में प्रपत्र 3 में, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने के विषय में ऐसी तारीख या तारीखों का आह्वान करेगा, और नियमों और अधिनियम के प्राविधानों के रूप में उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) उप–नियम (1) तहत जारी अधिसूचना नामांकन की अंतिम तिथि, नामांकन की जांच के लिए तिथि, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि, स्थान और तारीख और समय निर्दिष्ट करेगा जो चुनाव के दौरान होगा, यदि आवश्यक हो, आयोजित किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के तहत अधिसूचना के मुद्दे पर निर्वाचन अधिकारी बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव के प्रयोजतन हेतु सार्वजनिक नोटिस प्रपत्र 4 में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी।

15. विशेष चुनाव कार्यक्रम:–इन नियमों में, जहां प्रक्रिया बाधित है या चुनाव कार्यक्रम किसी भी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्य किसी वैध कारण के लिए बदल सकता है, लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, यह या तो आम तौर पर या सदस्यों की निर्दिष्ट श्रेणी चुनाव तय समय इन नियमों के तहत करने के लिए अधिसूचित को रद्द करने के सम्बन्ध में निर्वाचन प्राधिकरण के लिए सक्षम हो जाएगा चुनाव कार्यक्रम फिर से सूचित करने के रूप में यह मामले की परिस्थितियों में यदि उचित समझे,

बशर्ते कि इस नियम के तहत जहां तय समय चुनाव फिर से अधिसूचित है, पहले से बनाया नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा।

16. उम्मीदवारों का नामांकन:–

(1) एक व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के कार्यालय के प्रपत्र–5 को भरने के लिए वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामित किया जा सकेगा यदि उम्मीदवार के रूप में नामित किये जाने योग्य है।

(2) नामांकन नियत तारीख से पहले उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और उम्मीदवार द्वारा या एक विधिवत इस सम्बन्ध में उसके द्वारा हस्ताक्षरित अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट घंटे निर्दिष्ट स्थान पर, निर्दिष्ट रिटर्निंग अधिकारी को देगा।

(3) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) की उप–धारा (1) के तहत एक व्यक्ति जिसका नाम उस वर्ग के मतदाता सूची में पंजीकृत है, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी के लिए एक उम्मीदवार के लिये किया जाएगा।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार एक अलग नामांकन पत्र पर नामित किया जायेगा।

(5) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) निर्दिष्ट श्रेणियों में से एक से अधिक के लिए एक उम्मीदवार नामांकित किया जा सकता है।

17. नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन की आवश्यकता:–

(1) नामांकन की प्राप्ति पर, रिटर्निंग अधिकारी झट से नामांकन पत्र के क्रमानुसार जिसमें यह प्रस्तुत किया है, और क्रम में गिन ले और प्रपत्र 6 में एक रसीद दे दें।

(2) रिटर्निंग अधिकारी या इस तरह के अन्य प्राधिकृत व्यक्ति खुद को संतुष्ट करेगा कि नाम और उम्मीदवार की संख्या, नामांकन पत्र में प्रविष्ट किये गये के रूप में मतदाता सूची में दर्ज किया गया है और जहां आवश्यक हो, वह प्रत्यक्ष नामांकन प्रपत्र होने के रूप में मतदाता सूची के अनुसार होना करने के लिए संशोधन किया।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, मतदाता सूची में महज लिपिक या मुद्रण त्रूटियों के कारणों के साथ एक साथ व्याख्या उसके द्वारा अपनाया रिकार्ड अनदेखी करेगा, जबकि प्रवेश की व्याख्या है, लेकिन औपचारिक स्वीकृति या अस्वीकृति या एक नामांकन की जांच कर ली हो।

18. नामांकन के प्रकाशन की प्राप्ति:–समय तिथियों उस उद्देश्य के लिए तय पर नामांकन पत्र की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट की समाप्ति के तुरन्त बाद, रिटर्निंग अधिकारी या इस तरह के अन्य अधिकृत व्यक्ति हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में उनके कार्यालय में प्रकाशित करेगा। सभी नामांकन प्रपत्र 7 में एक सूची प्राप्त है के साथ एक सूचना नामांकन पत्र निर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय पर जांच के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

19. प्रतिज्ञान की शपथ:–प्रत्येक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते समय अपने नामांकन की जांच किसी अधिकृत रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रपत्र 8 में प्रतिज्ञान के प्रति शपथ गृहण करेगा।

20. नामांकन पत्रों की जांच:–

(1) नामांकन की जांच, हेतु उम्मीदवार, और एक अन्य प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में विधिवत अधिकृत किए गए व्यक्ति नियत तारीख पर, ऐसे समय और स्थान पर भाग लेने के रूप में नियम 18 के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) निर्वाचन अधिकारी के रूप में ऐसे अन्य व्यक्तियों को स्वीकार कर सकते है, वह उसे सहायता करने के लिए जो उचित समझता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देना होगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र और सभी आपत्तियों जो किसी भी नामांकन के समय किया जा सकता है और हो सकता है, या तो इस तरह की आपत्ति पर या वह आवश्यक सोचता है कि जैसे सारांश जांच के बाद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर जांच करेगी, किसी पर कोई नामांकन अस्वीकार निम्नलिखित आधार, अर्थात:–

(क) यह कि उम्मीदवार बोर्ड की उस विशेष श्रेणी के एक सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अयोग्य है,

(ख) यह कि उम्मीदवार को किसी निरर्हताओं अधिनियम या इन नियमों की धारा 16 में निर्दिष्ट किये गये है,

(ग) यह कि उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है,

(घ) यह कि उम्मीदवार इन नियमों के प्रावधानों से किसी का पालन करने में विफल रह गया हो, या

(ङ.) यह कि नामांकन पत्र में उम्मीदवार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान वास्तविक नही है,

बशर्ते कि एक उम्मीदवार का नामांकन उसके नाम का या, मतदाता सूची में दर्ज किया गया है जैसे कि उम्मीदवार की पहचान अन्यथा उचित संदेह से परे स्थापित है उम्मीदवार से सम्बन्धित किसी भी अन्य विवरण की एक गलत विवरण के आधार पर महज अस्वीकार नही किया जाएगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक नामांकन कागज स्वीकार करने, खारिज और नामांकन पत्र खारिज कर दिया है, तो वह करेगा, ऐसी अस्वीकृति के लिए उसके कारणों की एक संक्षिप्त बयान लिखित में अपने फैसले के समर्थन में रिकार्ड में रखेगा।

(5) नामांकन पत्र की जांच, जहां तक साध्य के रूप में, इस सम्बन्ध में और कार्यवाही का कोई स्थगन में नियत तारीख पर पूरा किया जाएगा आमतौर पर, निर्वाचन अधिकारी के विवेक के, करने के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए एक उम्मीदवार किसी भी विवाद पर उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ उठाया गलत साबित करने के लिए अनुमत किया जाएगा।

(6) इस नियम के प्रायोजनों के लिए बोर्ड के सदस्य की श्रेणी में से किसी समय या तत्समय प्रवृत्त मतदाता सूची में एक प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है कि वह व्यक्ति जब तक यह साबित कर दिया है कि वह अधिनियम में या इन नियमों में वर्णित किसी भी अयोग्यता के अधीन है प्रविष्टि, बोर्ड के सदस्य के उस वर्ग के लिए एक निर्वाचक है, में करने के लिए भेजा जाएगा।

(7) के तुरन्त बाद नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई है और निर्णय, स्वीकार करने या खारिज ही दर्ज किया गया है, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक श्रेणी के तहत नामांकन की एक सूची तैयार करेगा वैध पाए गठन के रूप में अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रपत्र 9 में प्रदर्शित करेगा।

21. नांमाकन की वापसी:—कोई भी उम्मीदवार, प्रपत्र 10 में लिखित रूप में अपना नामांकन वापस ले सकते हैं उसके द्वारा हस्ताक्षर किए है और पिछले नियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा या तो नही बाद में की तुलना में पांच बजे शाम लौटाने वाले अधिकारी के लिए दिया गया।

22. चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन:—

(1) नामांकन वापस लेने के बाद अगले दिन, निर्वाचन अधिकारी हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा/स्थानीय भाषा में एक सूची प्रपत्र 11 के अनुसार तैयार कर वैध पाये गये व्यक्तियों की नामांकन सूची तैयार कर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वक्फ बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित करेगा।

(2) उप नियम (1) के तहत तैयार सूची हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा/व्यवस्थित स्थानीय भाषा में अपने नामांकन पत्र में विधिवत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वर्णित के रूप में उम्मीदवारों के नामों को शामिल करेगा।

23. निर्विरोध उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा:—

(1) चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की संख्या एक विशेष श्रेणी में बराबर या रिक्ति की संख्या से कम है, तो निर्वाचन अधिकारी झट से इस तरह के उम्मीदवार के रूप में विधिवत प्रपत्र 12 में निर्वाचित घोषित करने और चुनाव प्राधिकरण को एक ही भेजेगा।

(2) चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की संख्या यदि एक विशेष श्रेणी में रिक्ति या रिक्त पदों की संख्या से अधिक है, तो चुनाव आयोजित किया जाएगा।

24. चुनाव से पूर्व उम्मदवार की मृत्यु:—एक चुनाव लड रहें उम्मीदवार मर जाता है और उसकी मौत की रिपोर्ट चुनाव के प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त होती है, तो निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवार की मौत के तथ्य के संतुष्ट होने पर, इस सर्वेक्षण काउन्टरमाइन्ड करेगा और चुनाव कार्यवाही सभी सम्बन्ध में नए सिरे से एक नया चुनाव के लिए शुरू कर दी जाएगी।

बशर्ते कि एक उम्मीदवार जो सप्रमाण चुनाव के काउन्टरमाईडिंग के समय नामित करने के मामले में कोई नया नामांकन आवश्यक नही होगा।

25. मतदान:—

(1) एक चुनाव आयोजित किया जा रहा है, तो निर्वाचन अधिकारी चुनाव के संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे और देखेंगे कि काफी मतदान चुनाव केन्द्र पर आयोजित किया जाता है, और विनियमित मतदाताओं की संख्या एक समय में भर्ती होने के लिए, और निम्नलिखित के अलावा अन्य सभी व्यक्ति बाहर होंगे।

(क) उम्मीदवार,
(ख) पुलिस अधिकारी या कार्य पर तैनात अन्य लोक सेवकों,
(ग) निर्वाचन अधिकारी के रूप में इस तरह के व्यक्तियों को समय–समय पर मतदाताओं की पहचान करने के प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकते है,
(घ) सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति,
(ङ) निर्वाचक के साथ में एक बच्चे व शस्त्र, तथा
(च) एक अंध या कमजोर निर्वाचक के साथ एक व्यक्ति जो मदद के बिना स्थानांतरित नही कर सकते

(2) जहां के एक महिला मतदाता पर्दे के कारण उसे देख निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी पहचान नही की जा सकती, वह निर्वाचन अधिकारी की संतुष्टि के लिए किसी भी ढंग से पहचाने जा सकने की आवश्यकता हो सकती है।

26. मतदान का अधिकार:–

(1) मतदान व्यक्ति में होना है,

(2) एक चुनाव में मतदान व्यक्ति के सभी मतदाता इन नियमों के तहत उनके लिए प्रदान मतदान केन्द्र पर ऐसा करेगा,

(3) गिनती के सदस्यों में से प्रत्येक श्रेणी के खंड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के अर्न्तगत चुनाव के लिए मतदान के अंत में व्यवस्था की जाएगी।

(4) निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची और मतदान करने के हकदार मतदाताओं के ऐसे अन्य 'लेख और पत्र आवश्यक के नामों वाले की प्रतियां के साथ एक साथ प्रत्येक मतदान केन्द्र, मतपेटियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराएगा, मतदाताओं मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए, स्टेशनरी और रूपों, के रूप में आवश्यक हो सकता है।

(5) चुनाव के प्रारम्भ होने से तुरन्त पहले, निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंन्टों मतपेटी खाली है को प्रर्दशित करेगा।

27. मतपत्र का प्रपत्र:–

(1) प्रत्येक मतपत्र हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा विधिवत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की सूची की क्रम संख्या व्यवस्थित होगी।

(2) प्रत्येक मतदान कागज एक निर्वाचन करने के मुद्दे से पहले, होने वाली

(क) मुहर लगी या उसकी पीठ पर लिखे जाऐंगे

1. नाम और सदस्य की श्रेणी,
2. चुनाव की जगह,

(ख) निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी पीठ पर पूर्ण हस्ताक्षर

28. मतपत्र जारी करना:–एक निर्वाचन करने के लिए जारी किये गए एक मतपत्र के तुरन्त बाद, निर्वाचन अधिकारी मतपत्र प्राप्त करने के बाद मतदाता सूची के कार्यालय की नकल पर, के उपलक्ष्य में रिकार्ड के लिए निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

29. मतदाता और मतदान कार्यवाही की गोपनीयता का रख रखाव:–

(1) एक मतपत्र जिसे हर निर्वाचक नियम 28 के तहत जारी किया गया है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस उद्देश्य के लिए मतदान प्रक्रिया बाद में निर्धारित निरीक्षण करते है।

(2) मतपत्र प्राप्त करने पर निर्वाचक तुरन्त करेगा।

(क) मतदान कम्पार्टमेंन्ट के लिए आगे बढना,

(ख) पहले, दूसरे, तीसरे और प्रतियोगियों के नामों के खिलाफ संख्यात्मक 1, 2, और 3 और इतने पर लिख कर अपनी पंसद पर, वह वरीयता देने के लिए रिकार्ड करना चाहता है, तथा

(ग) निर्दिष्ट मत पेटी में तह मतपत्र डालें।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी देरी के मतदान करेंगे।

30. दृष्टिहीन और कमजोर मतदाता:–

(1) अंधापन या अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण, एक निर्वाचक मतपत्र पर प्रतियोगियों के नामों की पहचान करने के लिए या वरीयता उस पर लिखने में असमर्थ है, निर्वाचन अधिकारी उसकी इच्छा के अनुसार कर दिया गया है संकेत नही करेगा।

(2) इस नियम के तहत काम कर रहे है, रिटर्निंग अधिकारी गोपनीयता का पालन करेगा और प्रत्येक ऐसे उदाहरण का एक संक्षिप्त रिकार्ड रखेगा। लेकिन जिस तरह की से किसी का भी मतदान कर दिया गया है, संकेत नही करेगा।

31. पहचान करने के लिये अभियोग करना:–

(1) कोई उम्मीदवार एक व्यक्ति को एक विशेष निर्वाचक के दावे की पहचान को एक ऐसे प्रत्येक चुनौती के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास नगद में सौ रूपये पहले जमा की राशि होने की चुनौती दे सकता है।

(2) ऐसी जमा राशि पर, निर्वाचन अधिकारी करेगा:–

(क) जिस व्यक्ति को चुनौती दी है, प्रतिरूपण के लिए दण्ड की चेतावनी दी है, और

(ख) मतदाता सूची में प्रासंगिक प्रविष्टि पूर्ण पढ सकते है, और उससे पूछें कि क्या वह व्यक्ति प्रविष्टि में निर्दिष्ट है या नही।

(3) तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी चुनौती में एक संक्षिप्त जांच करेगा, और उस प्रयोजन के लिए हो सकता है:—

(क) दावेदार, दावा किये गये व्यक्ति को उसकी पहचान का सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तथा जिस व्यक्ति के पहचान का दावा किया गया है, को सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है,

(ख) उस व्यक्ति को किसी भी सवाल की स्थापना के उद्देश्य के लिए आवश्यक रूप से विकलांग उसकी पहचान करने और उसे शपथ पर उन्हें जवाब देने के लिए आवश्यकता होती है, तथा

(ग) दावेदार, और किसी भी अन्य व्यक्ति को सबूत देने की पेशकश करने के लिए एक शपथ दिलाएंगे।

(4) तो जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी यदि समझता है कि चुनौती स्थापित नही की गई है, वह व्यक्ति जिसको चुनौती दी वोट करने के लिए अनुमति होगी और अगर वह समझता है कि चुनौती स्थापित है, वह मतदान से निषिध व्यक्ति होगा।

(5) निर्वाचन अधिकारी की राय है कि चुनौती तुच्छ है या अच्छे विश्वास में नही किया गया है, तो वह निर्देशित करेगा कि उप–नियम (1) के तहत जमा किया धन सरकार के लिए जब्त होगा, वह जांच के समापन पर और किसी भी अन्य मामले में दावेदार को वापस करेगा।

32. बिगडा हुआ और लौट आया मतपत्रः—

(1) एक निर्वाचक जो अनजाने में अपने मतपत्र के साथ पेश किया गया है, निर्वाचन अधिकारी को यह देने से और उसे असावधानी के संतोषजनक पर, एक और मतपत्र और मतपत्र इसलिए लौटाए और इस तरह के मतपत्र के प्रतिपर्ण दिया जा सकता है, के रूप में चिन्हित निर्वाचन अधिकारी द्वारा रद्द किया जाएगा।

(2) एक मतदाता, मतपत्र प्राप्त करने के बाद इसका इस्तेमाल करने का फैसला नही लेता, वह इसको निर्वाचन अधिकारी को वापस करेगा, और मतपत्र इसलिए लौटाए तो इस तरह के मतपत्र पर **"लौटा रद्द"** तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिन्हित किया जाएगा।

(3) सभी रद्द मतपत्र उप नियम (1) और (2) के तहत एक अलग पैकेट में रखा जाएगा।

33. वोटों का उद्घाटनः—

(1) मतों की गिनती एक ही जगह पर, जहां मतदान हुआ है मतदान के तुरन्त बाद शुरू होगी।

(2) उसी जगह पर चुनाव के तुरन्त बाद निर्वाचन अधिकारीः—

(क) मतपेटी खोलने पर मतपत्रों की गिनती और यह सुनिश्चित करें कि बॉक्स में पायी मतपत्रों की संख्या प्रति मतदाता सूची की प्रतिलिपि कार्यालय के रूप में जारी मतपत्रों की संख्या के रूप में ही है,

(ख) मतपत्र जो वह उन जो वह बाद के शब्द "अस्वीकृत" और अस्वीकृति की आधार पर अलग करके पुष्टि खारिज कर दिया था से मान्य समझे गए।

34. मतपत्रों की अमान्यताः—एक मतपत्र किसी एक या निम्नलिखित मामलों की अधिकता में अमान्य हो जाएगाः—

(क) एक ही वरीयता एक से अधिक नाम के खिलाफ दर्ज की गई है,

(ख) संख्यात्मक वरीयता इसलिए प्रस्तुत करने के लिए, के रूप में रखा गया है यह शक हो कि उम्मीदवार का इसे लागू करने का इरादा है,

(ग) संख्यात्मक या इस तरह के अन्य आंकडे इस तरीके में नामों के विपरीत लिखा जाता है कि यह संभव निर्वाचक का इरादा पंसद का पता लगाने के लिए नही है,

(घ) कोई निशान या लेखन, जिसके द्वारा निर्वाचक पहचाना जा सकता है।

35. वोटों की गिनतीः—

(1) मतपत्र जो अमान्य है, को खारिज करने के बाद निर्वाचन अधिकारी करेगाः—

(क) एक उम्मीदवार द्वारा सर्वेक्षण में शामिल प्रथम वरीयता के वोटों की अधिकतम संख्या की गिनती तो दूसरी वरीयता एक उम्मीदवार द्वारा सर्वेक्षण में शामिल वोट की अधिकतम संख्या की गिनती और इतने पर और इसी क्रम में उम्मीदवारों के नाम की व्यवस्था,

(ख) यह रिक्ति की संख्या एक है पहली वरीयता के वोटों की ऐसे मतगणना के बाद, प्राप्त होने से अधिकतम संख्या उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाएगा और रिक्तियों दो होने के मामले में, उम्मीदवारों की पहली और दूसरी वरीयता के वोट की अधिकतम संख्या प्राप्त होने हेतु दूसरी रिक्ति के लिए चुने गए।

(2) उनकी गिनती के अंत में, चुनाव लड रहे उम्मीदवारों में से प्रत्येक वोट का एक मूल्य है और कोई अधिशेष हस्तांतरण करने में सक्षम रहता है, निर्वाचन अधिकारी बहुमत द्वारा फैसला करेगा उनमें से जो बाहर रखा जाएगा, और अन्य उम्मीदवारों, ड्राइंग द्वारा बहुत सारे, उम्मीदवारों में से घोषित निर्वाचित किया जाएगा,

बशर्ते के विस्तृत प्रक्रिया निर्वाचन नियम 1961 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), के प्रतिनिधित्व के तहत फंसाया के अधार भाग 7 में इस उद्देश्य के संकेत लिए अनुपालन किया जाएगा।

36. फिर से गिनती का प्राविधानः–

(1) किसी भी उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके अधिकृत एजेंट, वोटों की गिनती के दौरान किसी भी समय, या तो पहले या वोटों की गिनती पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी फिर से गिनती का अनुरोध फिर से हो सकता है। जांच करने और सभी या किसी भी उम्मीदवार और निर्वाचन अधिकारी के वोट फिर से जांच और तदनुसार फिर से गिनती कर सकता है।

(2) निर्वाचन अधिकारी हो सकता है, अपने विवेक, वोट या तो एक या एक से अधिक बार किसी भी मामले में जो वह किसी भी पिछले गिनती की सटीकता के रूप में संतुष्ट नहीं है में फिर से गिनती करा सकता है।

परन्तु इस उप–नियम में कुछ भी नही है यह निर्वाचन अधिकारी को ही वोट एक बार से अधिक फिर से गिनती पर अनिवार्य करेगा।

37. निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा और वापसीः–

(1) मतगणना के पूरा होने पर, निर्वाचन अधिकारी, पूर्वगामी उपबंधों के अधीन, चुनाव के परिणाम के प्रपत्र 12 में, की घोषणा के रूप में उपयुक्त हो सकता है और हस्ताक्षर किये प्रतियां उसके भेजने के लिए, निर्वाचन प्राधिकरण को करेगा।

(2) उसके बाद निर्वाचन अधिकारी करेगाः–

(क) एक पैकेट में मान्य मतपत्र और एक अन्य जगह में खारिज मतपत्र रखेगा,

(ख) निर्वाचन अधिकारी की मुहर के साथ और उम्मीदवारों के इस तरह के पैकेट खंड (क) में निर्दिष्ट में से प्रत्येक पर अपने जवानों प्रत्यय करने के लिए इच्छा हो सकती है, उनके चुनाव एजेंट या गिनती एजेंटों को सील, तथा

(ग) सील पैकेट पर इसकी सामग्री और चुनाव की तारीख से प्रत्येक पर रिकार्ड है, का विवरण।

38. उम्मीदवार को चुनाव प्रमाण पत्र का अनुदानः–जैसे ही, उम्मीदवार के चुने गए घोषित होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी इस तरह के उम्मीदवार को प्रपत्र 13 चुनाव का प्रमाण पत्र दे देगा और उम्मीदवार से उसकी रसीद की स्वीकृति जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

39. चुनाव के बाद प्रस्तुत की जाने वाली सामग्रीः–

(1) चुनाव के पूरा होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा रहा रिकार्ड के लिए चुनाव प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रस्तुत करेगाः–

(क) मतपत्र का पैकेट,

(ख) मतदाता सूची और मतदाता के हस्ताक्षर मतपत्र प्राप्त होने के साथ जारी मतपत्रों की काउन्टरफाईल के कार्यालय की कॉपी,

(ग) सर्वेक्षण का उल्लेख महत्वपूर्ण घटनाओं की निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आचरण, यदि कोई हो, चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता की पहचान और अधिकारी उस पर लौटाने का निर्णय के बारे में की गई चुनौतियों सहित के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट,

(घ) निर्वाचित उम्मीदवारों और उसी की पावती प्राप्तियों के लिए जारी चुनाव के प्रमाण पत्र के कार्यालय कॉपी, तथा

(ङ) किसी भी अन्य प्रासंगिक कागज।

(2) चुनाव प्राधिकरण को प्रस्तुत रिकार्ड एक वर्ष की अवधि के लिए या चुनाव से सम्बन्धित याचिका के अंतिम निपटान, यदि कोई हो, जो भी बाद तक संरक्षित किया जाएगा।

40. आवश्यक नामांकन करनाः–सरकार अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (3) कर श्रेणियों (क) (ख) और (ग) के तहत रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक नामांकन करेगी।

41. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तिः–

(1) उप धारा के खंड (ख) के तहत चुने गए सदस्यों के नामों की प्राप्ति के बाद और उप धारा (3) के खंड(ग)(घ) और (ङ) के तहत मनोनीत सदस्यों, अधिनियम की धारा 14 के तहत, सरकार धारा 14 की उपधारा (9) के तहत बोर्ड की अधिसूचना जारी करेगा।
बशर्ते कि तिथि, स्थान और अध्यक्ष के चुनाव के समय भी इस उप–नियम के तहत जारी अधिसूचना में सदस्यों को, एक सप्ताह के नोटिस दे रही है, में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) के तहत जारी अधिसूचना राजपत्र में और हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के क्षेत्र/क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) कम से कम दो महिला सदस्यों के बोर्ड पर नियुक्त होंगी।

42. आकस्मिक रिक्ति का भरनाः–

(1) किसी भी आकस्मिक रिक्ति अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट इस्तीफे या मृत्यू या किसी सदस्य की अन्यथा के आधार पर श्रेणियों में से किसी में होती है, तो एक नए सदस्य इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी से चुनाव के परिणाम प्राप्त होने पर, सरकार राजपत्र में अधिसूचना अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (9) के तहत बोर्ड के सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जारी करेगा।

43. अध्यक्ष का चुनावः–

(1) नियम 41 के अर्न्तगत बोर्ड के लिए सदस्यों की नियुक्ति पर, बोर्ड के सदस्यों में से अध्यक्ष के चुनाव के लिए बोर्ड की पहली बैठक हेतु सरकार को सूचित करेगा।

(2) बोर्ड की बैठक में सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यवाही का संचालन करेगा, की अध्यक्षता में किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के नाम का एक सदस्य है, जो अन्य एक सदस्य द्वारा अनुमोदित तथा अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

(4) एक सदस्य का केवल एक वोट होगा और उम्मीदवार हासिल वोटों की सबसे बडी संख्या में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, को घोषित किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलाई गई बैठक चुनाव की कार्यवाही सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी और इसे बैठक के मिनट का रूप लेंगे।

(6) एक टाई के मामले में, उम्मीदवारों के नामों बहुत डाला जाएगा और अध्यक्ष बहुत से चयनित किया जाएगा।

(7) **(क) जहां एक विवाद अध्यक्ष या बोर्ड के किसी भी सदस्य, किसी भी व्यक्ति को चुनाव की वैधता के रूप में उठता है तो चुनाव के परिणाम की घोषणा के तीस दिनों के भीतर और इससे पहले एक आवेदन ट्रिब्यूनल के समक्ष और इससे पहले एक आवेदन सूचिबद्ध व्यक्ति दायर कर सकता है, ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा।**

(ख) कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही किसी भी विवाद/प्रश्न या अध्यक्ष के चुनाव या बोर्ड के सदस्य से सम्बन्धित अन्य मामले के सम्बन्ध में किसी भी नागरिक अदालत में की गई अपील नही की जा सकेगी।

(8) ट्रिब्यूनल, अपनी फाइलिंग के एक वर्ष के भीतर आवेदन का निपटान करेगा।

(9) बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

44. बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियम और सेवा की शर्तेः–

(1) अधिनियम की धारा 23 के अर्न्तगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्ति व्यक्ति, एक अधिकारी, जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गया है, वह इस शर्त के साथ साथ मंजूर वेतनमान में वेतन तथा पैंशन आकर्षित करेगा कि वेतन और पैंशन की कुल आहरित (उसके द्वारा तैयार की गई किसी भी ग्रेच्यूटी को पैंशन बराबर सहित) सेवानिवृत्ति के समय पर वेतन और सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित नियमों प्रतिनियुक्ति पर व्रत परिवर्तनों सहित प्रतिनियुक्ति लागू होंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अन्य सरकार के अधीन पिछले रोजगार में उसे करने के लिए स्वीकार्य भत्ते के साथ–साथ अपने ही वेतनमान में वेतन आकर्षित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय, जैसा भी मामला हो सकता है, प्लस प्रतिनियुक्ति भत्ता सरकार के नियमों के तहत के तौर पर बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नही होगी स्वीकार्य होगी।

इसके अतिरिक्त सरकार को प्रतिनियुक्ति की अवधि को सार्वजनिक हित में पद में बढाने या कम करने के लिए या तो बोर्ड की सिफारिश पर या अपनी खुद की गति का अधिकार होगा।

(3) मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पर की उनकी स्वदेश वापसी/हटाने के कारण रिक्ति पैदा होती है, सरकार कार्यवाही मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बोर्ड के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए जब तक रिक्ति भरी जाती है, अधिकार होगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के काम और संचालन पर गोपनीय रिपोर्ट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लिखी जाएगी और वक्फ मामलों के प्रभारी सरकार के संयुक्त सचिव को एक समीक्षा के लिए भेज दी जाएगी।

(5) अगर बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को आवासीय आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो वह ऐसी दर पर बोर्ड को किराये पर भुगतान करेगा, जो कि समय समय पर अपने मासिक भुगतानों या मानक किराए के आधार पर निर्दिष्ट किये जा सकते है बोर्ड द्वारा, जो भी कम हों, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट फर्नीचर के लिए अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई भी फर्नीचर प्रदान किया गया हो।

(6) सरकार में समकक्ष रैंक के अधिकारी के लिए लागू होने वाले समय के लिए यात्रा भत्ता मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लागू होगा।

(7) बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भुगतान के समय के स्तर में आवधिक वेतन वृद्धि को मंजूरी दी जाएगी।

(8) सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नियम और बोर्ड कर्मचारियों के लिए लागू आकस्मिक अवकाश से सम्बन्धित नियमों को छोड दें, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लागू होंगे।

(9) आकस्मिक अवकाश बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा और सरकार द्वारा आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य स्वीकृत की जाएगी।

(10) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के धारक की सेवानिवृत्ति की तारीख, महीने के अंतिम दिन होगी, जिस पर वह 60 वर्ष की आयु को पूर्ण करेंगे।

(11) सरकार में समकक्ष रैंक के अधिकारियों पर लागू अनुशासनात्मक मामलों से सम्बन्धित सभी अन्य नियम और शर्तों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लागू करना होगा।

45. शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी भी सार्वजनिक कार्यालय रिकार्ड और रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकते है:–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड के किसी भी अन्य अधिकारी, जो विधिवत रूप से लिखित रूप में अधिकृत है, अधिनियम की धारा 29 के अर्न्तगत निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए, अपने इरादे व्यक्त करने वाले कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन करें।

(2) प्रभारी अधिकारी उप नियम (1) के अर्न्तगत आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर निरीक्षण की अनुमति देगा

(3) मुतवल्ली या वक्फ की सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज की हिरासत में रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिखित रूप में ऐसा करने के लिए कहा जाने के 10 दिन पहले ही उत्पादन करना होगा और अगर ऐसा चाहें तो दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करेगा।

(4) (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध पर, सरकार या किसी अन्य संगठन की एक एजेंसी दस कार्य दिवसों के भीतर, रिकार्ड की प्रतियां, गुणों के रजिस्टर या वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों या वक्फ सम्पत्तियों का दावा करने के लिए

(ख) अगर किसी भी कारण से आवश्यक दस्तावेज दस कार्य दिवसों के भीतर नही दिये जा सकते है, तो सरकार या संगठन की सम्बन्धित एजेंसी को जानकारी/दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए दस कार्यदिवस से अधिक समय नही मिलेगा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की आपूर्ति निःशुल्क होगी।
बशर्ते कि उप नियम (3) और (4) के तहत जानकारी/दस्तावेजों की मांग करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करेगा।

46. दस्तावेजों की प्रतिलिपि का निरीक्षण और जारी करना:–

(1) बोर्ड के रिकार्ड के निरीक्षण के लिए सभी आवेदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उप–नियम (2) के अर्न्तगत निर्दिष्ट राशि के प्रपत्र 14 में बनाया जाएगा।

परन्तु इस उप नियम अनुप्रयोगों के लिए बुलाए गये नोटिस के जवाब में प्रस्तुत आवेदन करने के लिए लागू नही होगा जब तक अन्यथा नोटिस में या छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति के लिए किये गये आवेदन करने के लिए न कहा गया है।

(2) रिकार्ड या बोर्ड या किसी समिति की कार्यवाही के निरीक्षण के लिए आवेदन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमति प्रति घंटे या उसके अंश 200–00 रूपये है, कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में अग्रिम आवेदक द्वारा जमा किये जाने के, भुगतान पर दिया जा सकता है।

(3) प्रमाणित प्रतिलिपि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), रिकार्ड या बोर्ड, या किसी भी समिति की कार्यवाही की धारा 76 में उपबन्धित रीति से फार्म में एक आवेदन पर 15 और सौ शब्दों या उसके अंश प्रति 75.00 के भुगतान पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

(4) निम्न व्यक्ति इस नियम के तहहत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, अर्थात हकदार होंगे:–

(क) किसी भी वक्फ अलल–औलाद के अलावा अन्य वक्फ के लिए, व्यक्ति को इस तरह वक्फ में रूचि,

(ख) एक वक्फ अलल–औलाद, वाकिफ, उसके वंशज, मुतवल्ली और वक्फ के लाभार्थियों के लिए।

(5) आवेदकों को आवेदन की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर लागू के रूप में प्रासंगिक प्रतियां उपलब्ध कराई जाऐंगी।

47. कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति:–

(1) बोर्ड, अधिनियम अर्थात धारा 38 की उप धारा (1) के तहत कार्यपालक अधिकारी होने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा:–

(क) राज्य/केन्द्र सरकार के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो समूह बी के रैंक से नीचे नही है और उसकी उम्र साठ वर्ष में पांच साल से अधिक नही है, और

(ख) राज्य/केन्द्रीय सिविल सेवा में से किसी से समकक्ष ग्रेड में एक अधिकारी, या

(ग) संकाय के संविधान/प्रबन्धक के समकक्ष कैडर के बोर्ड के किसी भी अधिकारी जो:–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, और

2. सेवा के दस साल की एक न्यूनतम है।

(2) उप नियम (1) के तहत एक सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति अनुबन्ध के आधार पर होगी और कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए स्वीकृत वेतन और अन्य भत्ते बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) यदि नियुक्ति एक अंशकालिक नियुक्ति है, तो बोर्ड द्वारा एक उचित मानदण्ड तय की जा सकती है।

(4) अगर नियुक्ति एक सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति से होती है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि, सेवा की शर्तों और वेतन और भत्तों को सिविल सेवा नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) यदि सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त है, तो वह इस तरह के पारिश्रमिक को आकर्षित करने का हकदार होगा जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

(6) यदि नियुक्ति एक अधीक्षक/प्रबन्धक के पदोन्नति से होती है, तो बोर्ड को बोर्ड द्वारा तय किये गये वेतन के पैमाने को ले जाना चाहिए।

(7) एक कार्यपालक अधिकारी को मानद अधार पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकता है।

(8) कम से कम पांच लाख रूपये की सकल वार्षिक आय वाले किसी भी वक्फ के लिए, कार्यपालक अधिकारी के रूप में आवश्यक है, अर्थात निम्नलिखित सहायक स्टाफ के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है:–

(क) किराया वसूलने वाला/प्रबन्धक/शिरस्तादार, (एक)

(ख) क्लर्क–कम–टाइपिस्ट, (एक)

(ग) राजस्व क्लर्क/पटवारी/विधेयक कलेक्टर, (एक)

48. जो सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति बनने के लिए नहीं रह गया है मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जांच:–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (1) के तहत एक जांच से बाहर ले जाने के लिए एक जांच अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी उन्हें किसी भी वक्फ जिसका वस्तु या उसके किसी भाग का अस्तित्व समाप्त है, के सम्बन्ध में एक जांच के आयोजन के लिए सूचित करने की तारीख, समय और स्थान इच्छुक पार्टियों के लिए प्रपत्र 16 में एक जांच का नोटिस जारी करेगा।

(3) सभी लोगों को, जो उप नियम (2) के तहत जारी नोटिस के जवाब में दिखाई देते है समय की सुनवाई और लिखित बयान आपत्तियों और सुझाव युक्त दाखिल करने के लिए तय हो गई है, सुना जाएगा यदि कोई जांच अधिकारी समय–समय पर स्थगन प्रदान कर सकते है।

(4) कार्यवाही करने के लिए किसी भी पक्ष को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से प्रकट करने के लिए और गवाहों या दस्तावेजों को बुलाने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) जांच अधिकारी गवाहों के मौखिक साक्ष्य रिकार्ड करेगा और अधिवक्ता की उपस्थिति, हलफनामों के दाखिल, दस्तावेजों के उत्पादन, परीक्षा गवाहों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता (1908 का 5) में निर्धारित प्रक्रिया के मौखिक साक्ष्य, कमीशन और दस्तावेजों की वापसी के मुद्दे की रिकार्डिंग और अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पालन करेगा।

(6) जांच अधिकारी छह महीने के भीतर जांच पूरी करने और तारीख, जिस पर जांच निष्कर्ष निकाला है, से तीस दिनों के भीतर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

49. मुतवल्ली द्वारा बजट तैयार करने का समय और तरीका:–

(1) वक्फ के प्रत्येक मुतवल्ली को निर्धारित प्रपत्र–17 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय वित्तीय वर्ष की शुरूआत से कम से कम तीस दिन पहले बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा।

बशर्ते की ऐसा बजट तैयार होगा और घाटे वाले बजट से बचा जा सकता है।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अनुदान सहायता के रूप में बोर्ड की स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दे सकता है।

(3) बोर्ड बजट प्रस्ताव की छानबीन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) में उल्लिखित अनिवार्य खर्च के लिए उस प्राविधान का प्रावधान किया गया है और उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए जो विशेष रूप से वक्फ पर अनुमोदित कर सकता है।

(4) बोर्ड बजट के मामले में किसी भी आइटम वक्फ की वस्तुओं या अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत माना जाता है, को संशोधित करने के लिए इस तरह का निर्देश दे सकता है।

(5) यदि बोर्ड संतुष्ट है कि सम्बन्धित मुतवल्ली कुछ वस्तुओं के लिए पर्याप्त प्रावधान बजट में नही किया गया है, तो इसे ऐसे तरीके से संशोधित करने की शक्ति होगी, जो इस तरह के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।

(6) प्रत्येक मुतवल्ली सुझावों पर विचार करेगा और बजट तें बोर्ड द्वारा किए गए संशोधनों को शामिल करेगा और वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पहले बजट को पारित करेगा जिसमें यह सम्बन्धित है।

(7) इन नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, बोर्ड, मुताबिक अपने अनुमान को संशोधित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों और वक्फनामे को ध्यान में रख कर निर्देश दे सकता है और ऐसे मुतवल्ली बोर्ड के निर्देशों का पालन करेंगे।

(8) जैसे ही बजट पारित किया जाता है, प्रत्येक मुतवल्ली तुरन्त उसकी प्रतियां बोर्ड को जमा कर देगा।

(9) कोई बजट के योग द्वारा या वक्फ की ओर से खर्च किया जाएगा जब तक इस तरह के योग व्यय के समय में अधिनियम की धारा 44 के अर्न्तगत और बल में स्वीकृत बजट अनुमान में शामिल किया गया है।

(10) वर्ष के पाठ्यक्रम में, एक मुतवल्ली यह आवश्यक आंकडे प्राप्तियों के सम्बन्ध में या मात्रा के विवरण के साथ बजट में दिखाया गया वक्फ की ओर से उनके द्वारा किये गये विभिन्न सेवाओं पर खर्च किया जाना है, को बदलने के लिए पाता है, एक अनुपूरक या संशोधित बजट बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।

50. बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के तहत ऑकाफ का बजट:–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रपत्र 18 अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के सभी विवरण युक्त में चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी से अगले वित्त वर्ष के लिए आगामी बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत सभी ऑकाफ के लिए बजट तैयार करेगा।

(2) (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत सभी ऑकाफ की अगले वित्त वर्ष के लिए आगामी जो बजट के लिए दिसम्बर के महीने से उप नियम (1) के अर्न्तगत तैयार किया जा रहा है, प्रपत्र 19 में चालू वित्त वर्ष की सूची तैयार करेगा।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रपत्र 20 में अगले वित्त वर्ष के आगामी बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत ऑकाफ के अधिकारियों को निर्देशित करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अगले आधिक्य वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र 20 में बजट प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा सीधे प्रबन्धन के तहत अधिकारियों के प्रत्येक अधिकारी को निर्देशित करेगा।

(4) बोर्ड संतुष्ट है कि बजट में पर्याप्त प्रावधान नही किया गया है, तो यह इसे ऐसे` तरीके से संशोधित करने की शक्ति होगी जो इस तरह के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो और वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पहले जिस बजट से सम्बन्धित है।

(5) अगर वर्ष के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वक्फ की और से बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न सेवाओं पर रसीदों या रकम के वितरण के सम्बन्ध में बजट में दिखाए गए आंकडों को बदलना आवश्यक है, तो एक पूरक या संशोधित बजट तैयार किया जा सकता है और बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।

51. ऑकाफ के खातों के अन्तराल पर ऑडिट हो सकता है:–

(1) शुद्ध वार्षिक बीस हजार रूपये से अधिक आय वाले ऑकाफ के खाते मुतवल्ली या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर लेखा परीक्षा के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा

(2) उप नियम (1) के तहत जमा खातों को अधिनियम की धारा 47 की उप धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट एक लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के एक वर्ष की अवधि के भीतर लेखापरिक्षित किया जाएगा।

बशर्ते कि इस तरह के खाते लिखित में दर्ज होने के कारणों के लिए अध्यक्ष की अनुमति के साथ खाते को दो वर्ष के भीतर लेखापरीक्षित किया जा सकता है।

52. अधिनियम के उल्लंघन में स्थानांतरित सम्पत्ति की वसूली:–

(1) उस स्थान में रहते हुए किसी भी व्यक्ति से रिपोर्ट प्राप्त करने पर, जहां वक्फ सम्पत्ति स्थित है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करने पर, वक्फ की सम्पत्ति धारा 51 या धारा 56 के प्राविधानों के उल्लंघन में हस्तांतरित की गई है, बोर्ड, से संतुष्ट होने पर ऑकाफ का रजिस्टर, अधिनियम की धारा 37 के तहत रखी गई है, जो कि सम्पत्ति का अरोप लगाया गया है वक्फ सम्पत्ति है, सम्बन्धित पंजीकरण कार्यालय से हस्तांतरण के दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक रिपोर्ट उसमें पूरी तरह से वक्फ सम्पत्ति को निर्दिष्ट करने के लिए हस्तांतरण विलेख सम्पत्ति, नाम और कर्म या अन्य दस्तावेज और साथ नाम क्रियान्वित व्यक्ति के ऐसे ब्यौरे के सम्बन्ध में निष्पादित का ब्यौरा व्यक्ति के ब्यौरे या व्यक्तियों जिसे करने के लिए सम्पत्ति का तबादला कर दिया गया है आकर्षित करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने और दस्तावेजों के इस तरह के निरीक्षण के लिए आवश्यक के रूप में प्रकट हो सकता है और/या ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है के रूप में उचित माना जाता है। आदेश पारित करने के लिए ऊपर डाला जाए प्राप्त है और बोर्ड को सम्पत्ति का अधिकार देने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना भेजने के लिए बोर्ड के आदेश के बाद रिपोर्ट भेजेगा।

(4) जिलाधिकारी की मांग मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रपत्र 22 में दी जाएगी और विशेष दूत के माध्यम से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी या भेजे गए रसीद के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(5) अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (2) के अर्न्तगत जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश, प्रपत्र 23 किया जाएगा।

(6) यदि व्यक्ति जिसके विरूद्ध अधिनिमय की धारा 52 की उपधारा (2) के तहत एक आदेश जारी किया गया है, तो उस खंड के उप–धारा (4) के तहत अधिकरण को अपील पंसद करता है, तो वह एक ज्ञापन की प्रति अपील दाखिल करने के दिन तत्काल जिलाधिकारी को अपील

करता है और जिलाधिकारी अपने बचाव का इन्तजाम करेगा और बोर्ड को इस तरह की अपील की सूचना भी देगा।

(7) अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (5) के तहत सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त करते समयः–

(क) जिलाधिकारी के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यक्ति, रिहायशी घर के रहने वालों को अडतालीस घंटे की नोटिस देने के बिना किसी भी रिहायशी घर में प्रवेश नही करेगा,

(ख) किसी भी घर के बाहरी दरवाजे को तोडा नही जाएगा, जब तक कि इस तरह के आवास घर के रहने वालों ने मना कर दिया या किसी भी तरह से उनसे सम्पर्क नही किया जा सकता,

(ग) जिलाधिकारी के आदेश को निष्पादित करने वाला कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्य के उदय से पहले किसी आवासीय घर में प्रवेश नही करेगा।

(8) सम्पत्ति के कब्जे को प्राप्त करने के बाद, जिलाधिकारी या उसके द्वारा उचित रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति को प्रश्नगत को बोर्ड को या उचित स्वीकृति पर बोर्ड द्वारा उचित रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति को सौंप देगा।

53. अतिक्रमण हटाने की सूचनाः–

(1) अधिनियम की धारा 54 की उप धारा (1) के तहत अतिक्रमण को हटाने के लिए एक नोटिस इसलिये जिस व्यक्ति के लिए यह इरादा है या करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियुक्त सेवारत अधिकारी/विशेष वाहक के माध्यम से प्रपत्र 25 में कार्य किया जाएगा उनके परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य के लिए, या एक पत्र में पंजीकृत डाक द्वारा भेज कर घर या व्यापार के अपने सामान्य या अंतिम ज्ञात जगह पर है कि व्यक्ति को सम्बोधित किया है, भेजेगा।

(2) जहां उप नियम (1) के तहत नोटिस दिया या प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसे प्रतिलिपि दिया या प्रस्तुत है के उपलक्ष्य में सेवा की पावती प्राप्त की जाएगी।

(3) व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के परिवार के व्यस्क सदस्य कहां रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया, या ऐसे व्यक्ति सब की वजह से और उचित परिश्रम उपयोग करने के बाद पाया नही जा सकता है, जहां और वहां इस तरह के व्यक्ति, एक परिवार के व्यस्क सदस्य है नोटिस की प्रतिलिपि बाहरी दरवाजे पर या साधारण निवास या ऐसे व्यक्ति के व्यापार के समान्य स्थान के कुछ अन्य विशिष्ट हिस्से पर चस्पा दिया जाएगा और जहां कोई निर्माण बना और परिसर में कृषि या गैर कृषि भूमि है, सूचना पर चस्पा दी जाएगा सम्पत्ति और अन्य सूचना का कुछ हिस्सा एक रिपोर्ट का समर्थन किया उसके साथ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिन्होंने नोटिस जारी करने के लिए वापस आ जाएगा या वहां पर कब्जा करते हुए कहा कि एक प्रति इतनी चिपका दिया गया है, जो परिस्थितियों के तहत ऐसा किया गया था और व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जो साधारण घर या व्यापार के सामान्य स्थान और जिनकी उपस्थिति में प्रतिलिपि चिपका था की पहचान की।

(4) यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट तरीके से सेवा जारी नही की जा सकती है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह उचित सोचते है, तो यह निर्देश देते है कि इस तरह की सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र में परिचालित होने वाली एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जाएगी और वह किसी भी विषय की सामाग्री का प्रथार भी कर सकती है। ढोल की थाप या किसी अन्य तरीके से इलाके में नोटिस, जिसमें वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त लगता है।

54. वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमण पर जांच का आयोजन करनाः–

(1) वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमण से सम्बन्धित मामलों में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित होने हेतु अपने–अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए विवाद में सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने के लिए निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्ति में प्रकट करने के लिए कॉल कर सकता है।

(2) जहां, किसी भी व्यक्ति को नियम 53 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सुनना चाहती है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित रूप में इस तरह के मामले की सुनवाई प्राधिकृत नही करेगी और पार्टी सबूत है जो वह उसमें उत्पादन करने का इरादा उत्पादन करने के लिउ अधिकृत किया जा सकता है, कारण के

समर्थन दिखाया गया है और साक्ष्य के रूप में वह प्रत्येक मामले में उचित समझता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई और सबूत की जांच के लिए एक तारीख तय करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी पॉर्टियों को सुन सकता है, ऐसे सभी सबूत प्राप्त कर सकते है, जो उनके द्वारा उत्पादित किये जा सकते है, ऐसे अतिरिक्त सबूत लेते है, यदि कोई भी, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जरूरी सोचता है, उसके सामने पेश किये गए सबूतों का रिकार्ड सारांश और इस तरह के साक्ष्यों का सारांश और उसके समक्ष दाखिल किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज, कार्यवाही के के रिकार्ड के हिस्से का हिस्सा होंगे।

(4) प्रत्येक जांच के मामले में रिकार्ड शामिल होगाः–

(क) कार्यवाही का एक मिनट,

(ख) पूछताछ पर प्राप्त आपत्तियों और आपत्तियों के लिए बुलावा नोटिस,

(ग) जांच में प्राप्त सबूत, और

(घ) कारणों और निर्णय का एक संक्षिप्त रिकार्ड।

(5) किसी भी पक्ष को सुनने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कुछ भी नही रोकना चाहिए या विवाद में विषय के विषय में बयान देने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना होगा।

(6) पक्षों की सुनवाई के बाद, आपत्तियों को देखते हुए और सबूतों के माध्यम से जाने पर, यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतुष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है और ऐसी किसी वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण हुआ है, तो **प्रपत्र 25** में आदेश द्वारा आवश्यक हो सकता है इस तरह के अतिक्रमण को हटाने और भूमि, भवन, अंतरिक्ष या अन्य सम्पत्ति का कब्जा बोर्ड या बोर्ड के एक मुतवल्ली को अतिक्रमण का कब्जा देने की आवश्यकता होती है।

(7) जब किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को कार्यवाही करने के लिए एक पक्षकार बना सकता है और जांच जारी रखेगा और यदि कोई सवाल उठता है कि कौन–कौन से कानूनी प्रतिनिधि होगा ऐसी कार्यवाही के उद्देश्य क लिए मृतक पक्ष, फिर मृत पक्ष क प्रतिनिधियों का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को बनाया जाएगा।

(8) यदि वक्फ की सम्पत्ति उप–नियम (6) के तहत आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर खाली नही है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी खंड के उप–धारा (3) के तहत निष्कासन के आदेश के अनुदान के लिए न्यायाधिकरण से पहले आवेदन कर सकता है। इस तरह के अतिक्रमण को निकालने और वक्फ सम्पत्ति को बोर्ड या मुतवल्ली के पास रखने के लिए अधिनियम की धारा–54 की कार्यवाही कर सकता है।

(9) ट्रिब्यूनल, जिस व्यक्ति के खिलाफ आवेदन किया गया है सुनवाई का अवसर देने के बाद, बेदखली का आदेश पारित करने के लिए और कारण बेदखली के आदेश की एक प्रति वक्फ सम्पत्ति पर चस्पा किया जा सकता है।

(10) किसी भी व्यक्ति को, क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, **प्रपत्र 26** में आदेश, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इस मामले में उल्लेख होगा कि सेवा के पैंतालीस दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बेदखली के आदेश का पालन करने में विफल रहता है।

55. नुकसान का आंकलनः–किसी भी वक्फ परिसर के अनाधिकृत उपयोग और अतिक्रमण के लिए क्षतिपूर्ति का आंकलन करने में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित मामलों में ध्यान में रखेगा, अर्थातः–

(क) उद्देश्य और जिस अवधि के लिए वक्फ परिसर अनाधिकृत उपयोग में बने रहे,

(ख) प्रकृति, आकार और आवास इस तरह के परिसर में उपलब्ध मानक,

(ग) किसी अन्य व्यक्ति को अतिक्रमण की अवधि के लिए किराये पर, अगर किराया छोड दिया गया हो तो किराया देना होगा,

(घ) कोई भी नुकसान अतिक्रमण की अवधि के दौरान परिसर में किया,

(ङ) नुकसान का आंकलन करने के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कोई भी अन्य विषय।

56. मुतवल्ली को हटाने के सम्बन्ध में प्रक्रियाः–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुतवल्ली को जिनके खिलाफ हटाने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जांच के आयोजन के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 64 के तहत विचार किया जाता है, के लिए **प्रपत्र 27** में एक नोटिस जारी करेगा।

(2) बोर्ड नियम 48 के तहत निर्दिष्ट तरीके से संक्षिप्त जांच करेगा।

(3) उप नियम (2) के तहत जांच का संचालन करने पर, और अधिनियम की धारा 64 की उप धारा (5) के तहत बोर्ड द्वारा मुतवल्ली के निलंबन के आदेश पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी निलंबन का नोटिस जारी करेगा। मुतवल्ली को प्रपत्र 28 के तहत क्यों ना निलंबन के आदेश जारी कर दिया जाए, जारी किया जाएगा।

57. बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत वक्फ से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट:—अधिनियम की धारा 65 की उप धारा (3) के तहत राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा भेजे जाने वाले रिपोर्ट में प्रस्तुत अन्य विवरण प्रपत्र 29 में होंगे।

58. वक्फ प्रबन्ध समितियों के अधिग्रहण के आदेश:—

(1) किसी भी समिति को पर्यवेक्षण या वक्फ के प्रबन्धन के साथ सौंपा गया है, जब तक समिति लांघी या यह वक्फनामें के उल्लंघन में है या अनुमोदित वक्फ के प्रबन्धन की योजना है, तीन साल की अधिकतम अवधि की नही होगी बोर्ड द्वारा अतिष्ठित नही होगी।

(2) बोर्ड करेगा, एक समिति जिनके खिलाफ निलंबन के लिए एक्शन कमेटी के भीतर पर बुला अधिनियम की धारा 67 की उप धारा (2) के तहत विचार किया जाता है, के लिए प्रपत्र 30 में निलंबन, इस मुद्दे को एक कारण बताओ नोटिस के किसी भी आदेश को जारी करने से पहले ऐसे समय, कम से कम एक महीने के नही होने की इस तरह की कार्यवाही क्यों नही की जाएगी के रूप में नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) अधिनियम की धारा 67 की उप धारा (2) के प्रावधान के तहत बोर्ड द्वारा पारित निलंबन के आदेश सम्बन्धित वक्फ, जिला वक्फ सलाहकार समिति के कार्यालय और उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) धारा 67 के उप धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा पारित आदेश की एक प्रति को बिना प्रतिकूल रूपसे प्रभावित व्यक्ति को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी और उसी की एक प्रति हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी, स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। इस क्षेत्र में और इस तरह के प्रकाशन पर परिसंचरण होने पर, आदेश वक्फ में कोई रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(5) बोर्ड, अधिनियम की धारा 62 की उप धारा (6) के तहत प्रबन्ध समिति की सदस्यता से समिति के एक सदस्य को हटाने के लिए एक आदेश जारी करने से पहले, एक कारण बताओ नोटिस प्रपत्र 31 में करने के लिए जारी करेगा ऐसे सदस्य उसको बुलाने के लिए वह क्यों समिति की सदस्यता से हटाया नही किया जायगा।

59. वक्फ के प्रशासन के लिए योजना से सम्बन्धित परामर्श:—

(1) बोर्ड जहां अधिनियम की धारा 69 की उप धारा (2) के तहत एक वक्फ के प्रशासन के लिए एक योजना फ्रेम करने के लिए एक निर्णय लेता है, तो सम्बन्धित मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति या आवदेक को प्रपत्र 32 में एक नोटिस जारी करेगा।

(2) प्रस्तावित योजना निम्नलिखित विवरण, अर्थात होनी चाहिए:—

(क) वक्फ का नाम,
(ख) पता,
(ग) वक्फ के मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति या बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत,
(घ) योजना/प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है,
(ङ) व्यय शामिल,
(च) आय उत्पन्न करने के लिए।

(3) मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति या आवेदक के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा, क्योंकि यह उचित समझे और मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति या आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर ही बातचीत करेगा जो इस तरह के संशोधनों के साथ इस योजना को अनुमोदन करेगा।

(4) उप—नियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा तैयार किए हर योजना उर्दू/स्थानीय भाषा क्षेत्र में संचालन होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

60. अधिनियम की धारा 71 के तहत जांच आयोजन करने के तरीके:—

(1) बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति, या तो प्राप्त एक आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, अधिनियम की धारा 71 के तहत एक जांच कर सकता है।

(2) बोर्ड, वक्फ के प्रबन्धन के लिए वक्फ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की एक प्रति भेजने के लिए और इन आरापों में से प्रत्येक पर अपने स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

(3) वक्फ के प्रशासन से सम्बन्धित जांच तरीके से नियम 48 के तहत निर्दिष्ट में आयोजित किया जाएगा।

61. अधिनियम की धारा 72 के तहत बोर्ड को वक्फ के मुतवल्ली द्वारा देय वार्षिक अंशदानः–

(1) प्रत्येक वक्फ का मुतवल्ली, जिसमें से शुद्ध वार्षिक आय पांच हजार रूपये से कम नही है, बोर्ड को 7% वार्षिक अंशदान कें रूप में इस तरह के वार्षिक आय के प्रतिशत के लिए सालाना भुगतान करेगा।

(2) एक वक्फ के मुतवल्ली द्वारा, हर वर्ष 15 जून से पहले, वक्फ और योगदान देय का शुद्ध वार्षिक आय की वापसी, प्रपत्र 33 में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को जमा करेंगे।

(3) उप–नियम (2) के तहत वापसी प्राप्त होने पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी वापसी को मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत सत्यापित करेगा और अगर वह बदले की शुद्धता के रूप में संतुष्ट हो जाता है, इस तरह के अनुसार वार्षिक योगदान को ठीक कर सकते है लौटा सकते है और यदि कोई वापसी निर्दिष्ट समय के भीतर दायर की है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोटो वार्षिक योगदान मुतवल्ली द्वारा भुगतान किया जाना ठीक स्वतः समझा जाएगा।

(4) मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय है कि उप–नियम (2) के अर्न्तगत प्रस्तुत वापसी की है। गलत या किसी भी सामाग्री विशेष रूप से गलत है, या इस तरह वापसी की सामाग्री अधिनियम के प्रावधानों या नियमों का पालन नही करते बनाया या बोर्ड द्वारा जारी किये गये किसी भी आदेश, वह मुतवल्ली पर कॉल करने के लिए समय क्यों वापसी की इस तरह के मूल्यांकन संशोधित नही किया जा सकेगा नोटिस में निर्दिष्ट के भीतर कारण बताने के लिए कर सकता है।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अगर मुतवल्ली से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद यदि कोई हो, तो वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का आंकलन कर सकता है कि उसका सर्वोत्तम निर्णय है या शुद्ध वार्षिक आय को संशोधित करता है जैसा कि मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत वापसी में दिखाया गया है और मूल्यांकन या संशोधित के रूप में शुद्ध वार्षिक आय वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय मानी जाएगी।

(6) नियम के तहत मुतवल्ली द्वारा देय कोई अंशदान बोर्ड की पूर्व मंजूरी को छोडकर, प्रेषित या कम किया जाएगा।

(7) बोर्ड द्वारा स्वीकृत कमी या छूट केवल उस वर्ष के लिए अनुपूरक होगी, जिसके लिए इस मंजूरी दी जाती है, बशर्ते कि इसके बाद के वर्षों में जारी रखने के लिए आवश्यक हो, बोर्ड को नए स्वीकृति दी जाएगी।

(8) बोर्ड, एक मुतवल्ली से एक आवेदन पर आदेश देकर मंजूरी छूट या योगदान की कमी मुतवल्ली द्वारा निम्नलिखित मामलों में भुगतान कर सकते है करने के लिए किया जाएगा, अर्थातः–

(क) वक्फ के लेखों के भण्डारों के धन की हानि, वक्फ के मुतवल्ली या अन्य कर्मचारियों की लापरवाही के कारण,

(ख) आय के नुकसान सूखे या बाढ की तरह अन्य अप्रत्याशित कारणों के कारण फसल की विफलता के कारण,

(ग) पिछले मुतवल्ली के कुप्रबन्धन के कारण धन की कमी,

(घ) ऋण, प्रगति और ऋण के गैर वसूली के कारण धन की कमी,

(ङ) जहां वक्फ एक अनाथालय जिसका संसाधनों इसकी वजह से प्रबन्धन के लिए अपर्याप्त है समर्थन करता है, तथा

(च) अन्य कारणों, तीन–चौथाई बहुमत के साथ बोर्ड ने मंजूरी दे दी।

(9) इससे पहले एक कमी या योगदान की छूट मंजूर की है, बोर्ड के प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की पूरी जांच करने के लिए और खुद को संतुष्ट है कि इस तरह की कमी या छूट आवश्यक है की जाएगी।

62. वक्फ फण्ड में धन का भुगतान और अधिनियम की धारा 77 के तहत इस तरह के धन के निवेश:–

(1) बोर्ड, अपने अधिकारियों को वक्फ कोष के लिए सभी भुगतान प्राप्त करने के लिए (बाद में "प्राधिकृत अधिकारी" के रूप में करने के लिए कहा गया है) में से एक रसीदें जारी करने के लिए और बोर्ड की ओर से भुगतान करने के लिए प्राधिकृत नही करेगा।

(2) (क) प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो जाएगा, बोर्ड के रूप में प्रतिभूतियों या ऐसी राशि के लिए जमानत है, के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कर सकता है।

(ख) जमानत की शोधन क्षमता क्षेत्र के उप संभागीय मजिस्ट्रेट जहां सरकारी प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में रह रहा है द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी वक्फ फण्ड और प्रतिपर्ण रसीद असर मुद्रित रसीद संख्या के ऋण के लिए उसके प्राप्त सभी धन के लिए प्राप्तियों प्रयोजन के लिए रखा जाएगा, अनुदान करेगा।

(4) ऐसे समस्त धनराशि तुरन्त आय जमा किया जाएगा:–

(क) एक अनुसूचित बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में परिभाषित अधिनियम 1934 (1934 का 2), या

(ख) एक डाकघर बचत बैंक खाता में,

(5) (क) सभी जमा बोर्ड के नाम पर किया जाएगा।

(ख) बोर्ड द्वारा इस ओर से अधिकृत बोर्ड के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को इस तरह की जमा या उसके किसी भी हिस्से को वापस लेने और बैंक खाते पर काम करने की शक्ति होगी, ऐसी शर्तों के अनुसार जो बोर्ड उचित समझें।

(6) बैंक से कोई पैसा वापस नही लिया जाएगा जब तक कि बोर्ड के प्रयोजन के लिए तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता न हो।

(7) व्यय करने के लिए प्राप्तियों का विनियोग से परहेज यिा जाएगा।

(8) (क) वक्फ कोष से भुगतान नकद या चैक द्वारा किया जाएगा।

(ख) चैक पांच सौ रूपये से कम रकम के लिए जारी नही किया जाएगा।

(9) निर्विवाद रूप से देय धन मुहैया नही छोडे जायेंगे और भुगतान किए गए धन खाते से बिल्कुल अनिवार्य रूप से एक दिन तक नही रखा जाएगा।

(10) (क) बोर्ड के विरूद्ध कोई दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति वाउचर को विधिवत सत्यापित और मुद्रांकित करेगा।

(ख) सभी वाउचर भरा है और स्याही से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ग) आंकडों के साथ ही शब्दों में लिखा जाएगा।

(घ) वाउचर में सभी सुधार और परिर्वतन वाउचर पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के दिनांकित हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(11) नकद या चैक द्वारा पांच हजार रूपये से अधिक रकम के लिए सभी प्राप्तियां अपेक्षित मूल्य की रसीदी टिकट वहन करेगा।

(12) चोरी करने वाली धोखाधडी, आग या किसी अन्य कारण से किसी भी नुकसान के मामले में, वक्फ फण्ड क धन को संभालने के लिए अधिकृत एक अधिकारी अपनी हिरासत के लिए जिम्मेदार होगा और बोर्ड को प्रतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।

बशर्ते कि यदि किसी भी मामले में, बोर्ड के रूप में ऐसी जांच के बाद, बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि नुकसान अपरिहार्य था और राशि की उचित हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारी के किसी भी लापरवाही के कारण नही था, बोर्ड सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नुकसान की राशि की प्रतिपूर्ति पर जोर न दें, लेकिन इसे लिख सकते है।

(13) वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि बोर्ड द्वारा निवेशित नही की जाएगी:–

(क) निम्न में से एक या अन्य प्रतिभूतियों में:–

1. केन्द्रीय सरकार के बचन पत्र, डिबेंचर, स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां,
2. शयरों या डिबेचरों, यष कंपनियों में शेयर, ब्याज जिसमें राज्य सरकार या केन्द सरकार द्वारा गांरटी दी गई है।
3. डिबचेर या द्वारा या किसी भी कार्य के अधिकार के तहत किसी भी नगर शरीर की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए अन्य प्रतिभूतियां, या

(ख) तीन वर्षो से अधिक की अवधि के लिए सावधि जमा में:–

1. एक अनुसूचित बैंक के रूप में भारत अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के रिजर्व बैंक परिभाषित, या
2. खरीद के लिए या सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ अचल सम्पत्ति के पहले बंधक के लिए।

(14) उप नियम (13) के तहत निवेश को बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, भर्त्सना या वापस नही लिया जाएगा।

(15) (क) बोर्ड, द्वारा इस तरह के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस तरह के तरीके में अपने खातों के सम्बन्ध में खाते और अन्य पुस्तकों की ऐसी किताबें बनाए रखा जाने के लिए प्रेरित करेगा।

(ख) खाते किताबें, रजिस्टर, रसीदें, आदि में पृष्ठों, क्रमानुसार गिने जाऐंगे और प्रत्येक पृष्ठ के बोर्ड की मुहर के साथ चिपका दी जाएगी।

(ग) प्रत्येक पुस्तक या रजिस्टर वाले पृष्ठों की संख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वास्तविक सत्यापन के बाद प्रथम पृष्ठ पर ध्यान दिया जाएगा।

(16) यह सुनिश्चित करने के लिए के योगदान, फीस, किराए और अन्य मात्रा में बोर्ड के कारण तुरन्त मांग कर रहे हैं, जारी की है और वक्फ निधि में जमा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

(17) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड के वित्त, बजट और खातों से सम्बन्धित कार्य का प्रभारी होगा।

(18) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बजट, खाते और बोर्ड की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में:–

(क) सुनिश्चित करना है कि बोर्ड के बजट अनुमान ठीक तरह से ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में बोर्ड और सरकार द्वारा जारी किए गए और समय सीमा के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत निर्देश तैयार कर रहे है के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

(ख) अच्छी तरह से मुतवल्लियों द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की जांच और बजट प्रस्तावों की छानबीन में बोर्ड की सहायता,

(ग) जांच करने और नई व्यय जिसके लिए वह बजट में कोई प्रावधान करने का प्रस्ताव है, की सभी योजना पर सलाह देने के लिए,

(घ) सुनिश्चित करें कि बोर्ड के मासिक और वार्षिक खातों को ठीक से तत्काल संकलित किया गया है,

(ङ) व्यय की प्रगति के लिए आवश्यक समय–समय पर रिर्टन प्राप्त करें, स्वीकृत मात्रा के खिलाफ प्रगति की समीक्षा करें और समीक्षा करें और ऐसे निर्देशों को जारी करें, जो बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक हो।

(च) अनुपूरक अनुदान के लिए प्रस्तावों की जांच और बोर्ड को उपयुक्त सलाह,

(छ) लेखा परीक्षा के आपत्तियों और लेखा परीक्षा के निरीक्षण रिपोर्टों और उनके प्रारम्भिक निपटान के साथ नियमित रूप से स्वयं को बनाए रखें।

(ज) बोर्ड और ऋण और ब्याज के पुर्नभुगतान के लिए देय राशि की वसूली पर कडी नजर रखने के लिए,

(झ) बोर्ड के खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा,

(ञ) भंडार और स्टॉक के समय–समय पर रिर्टन और अधिकारियों से उनका मूल्य प्राप्त करें और उनकी समीक्षा करें और ऐसे खातों पर अपनी टिप्पणी दें और बोर्ड के सामने रखें,

(ट) बजट, लेखा और लेखा परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर बोर्ड द्वारा बुलाए जाने वाले किसी भी जानकारी और आंकडे प्रस्तुत करें,

(ठ) समय–समय पर बोर्ड के खातों के आंतरिक लेखा–परीक्षा की व्यवस्था करें और ऐसे लेखा–परीक्षा के दौरान ध्यान में रखते हुए किसी भी दोष को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएं,

(ड) बोर्ड के पास सभी मामलों के बारे में नियमों और विनियमों के विपरीत भुगतान किए गए मामलों सहित, जहां बजट अनुमानों में से किसी भी प्रावधान के अभाव में भुगतान किया जाता है

(19) बोर्ड, वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक और सम्भावित व्यय को ध्यान में रखते हुए, के दौरान संशोधित अनुमान तैयार कर सकते है।

63. बोर्ड का बजट:–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर वर्ष मे **प्रपत्र–34** में आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक बजट है की वित्तीय वर्ष के लिए और जगह बोर्ड के समक्ष 31 दिसम्बर तक के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय दिखा, तैयार करते है।

(2) बोर्ड बजट प्रस्ताव की छानबीन करेगा और आवश्यक होने पर उपयुक्त संशोधन करेगा और 31 जनवरी से पहले सरकार को इसकी एक प्रति अग्रेषित करेगा।

(3) इसके लिए अग्रेषित बजट प्राप्त होने पर, सरकार उसी की जांच करेगी और इस तरह के बदलाव, सुधार या संशोधनों का सुझाव देती है, जिसमें फिट किया जा सकता है और इसके विचार के लिए बोर्ड को ऐसे सुझावों को आगे बढाया जा सकता है।

(4) सरकार से सुझाव प्राप्त होने पर, अगर बोर्ड किसी भी संशोधन, सुधार या बजट में सरकार द्वारा किए गए परिर्वतन के साथ सहमत नही है, बोर्ड को तत्काल परिवर्तन, सुधार के सम्बन्ध में सरकार को लिखा प्रतिनिधित्व कर सकते है या संशोधन सरकार ने सुझाव दिया है।

(5) सरकार बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर विचार करेगी और इस मामले में अंतिम आदेश पारित करेगी और इस तरह के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपने फैसले का संचार करेगी।

(6) सरकार की ओर से और सुझाव प्राप्त होने पर यदि कोई प्रतिनिधित्व ऐसे सुझाव के लिए बोर्ड द्वारा किया गया है या सरकार अपने निर्णय के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नही भेजी गई है, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा बनाए गए बोर्ड, अपने बजट में शामिल नही होगी सभी परिवर्तन, सुधार, संशोधन के अन्त में सरकार ने सुझाव दिया है और बजट इसलिये सही किया या संशोधित बदल दिया है, बोर्ड द्वारा पारित किया जाएगा।

(7) पारित किए गए बजट की प्रति सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और यदि पन्द्रह दिनों के भीतर सरकार से कोई आपत्ति नही मिलती है, तो बजट अंतिम रूप में घोषित किया जाएगा।

(8) अगर, वर्ष के दौरान, बोर्ड को बजअ में दिखाए गए आंकडों की प्राप्ति के सम्बन्ध में दर्शाने वाले आंकडों को बदलना आवश्यक है और बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न सेवाओं पर खर्च की जाने वाली राशि का वितरण, पूरक या संशोधित बजट इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से तैयार किए गए और स्वीकृत हो सकते है और इसके प्रतियां सरकार को भेजी जा सकती है।

(9) बोर्ड द्वारा कोई भी राशि खर्च नही की जाएगी, जब तक इस तरह की राशि अधिनियम की धारा 78 के तहत स्वीकृत बजट अनुमानों में शामिल नही होती है और खर्च में खर्च किए जाने पर।

64. न्यायाधिकरण को आवेदन पत्र दाखिल करने की समय सीमा:–

(1) अधिनियम की धारा 40 के उप धारा (1) या उप–धारा (3) के तहत बोर्ड के फैसले से पीडित कोई भी पक्ष, फैसले की तारीख से तीस दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।

(2) अधिनियम की धारा 54 की उप धारा (3) तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के समक्ष उस आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर एक वाद संस्थित कर सकता है।

65. ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम और शर्तें:–

(1) अधिनियम की धारा 83 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति और खण्ड (ख) तहत सदस्य की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी, लागू प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के अधीन पर होगा।

(2) एक व्यक्ति धारा 83 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) के तहत सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नही होगा, जब तक कि वह इस्लामिक अध्ययन, उर्दू, फारसी, अरबी या उर्दू और अरबी के ज्ञान वाले स्नातक कानून में परास्नातक डिग्री ना हो।

बशर्ते उम्मीदवार का अग्रेंजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(3) एक सदस्य के चुनाव में अध्यक्ष के रूप में सरकार में अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट एक बोर्ड सचिव (कानून) की अध्यक्षता में ख्याती के एक इस्लामी विद्वान, और सदस्यों के रूप में बार काउन्सिल के अध्यक्ष/सदस्य में किया जाएगा।

(4) उप नियम (3) के तहत चुने गए सदस्य का कार्यकाल तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा, जो एक समय में आगे दो वर्ष के लिए बढेगा।

(5) उप नियम (3) के तहत चुने गए सदस्य की उम्र 50 वर्ष से कम होगी।

(6) उप नियम (3) में निर्दिष्ट सदस्य के वेतन का स्केल, 15,600–39,100 रूपये के रूप में 7,600 रूपये के ग्रेड वेतन के साथ–साथ समूह ग अधिकारियों के लिए स्वीकार्य रूप से सामान्य भत्ते के रूप में होगा।

(7) इस नियम के तहत विभिन्न प्रकार के सदस्यों को छोडकर सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा।

(8) (क) अध्यक्ष और ट्रिब्यूनल के सदस्य की प्रतिनियुक्ति उप नियम (1) के लिए तीन वर्ष की अवधि है, जो सरकार के निर्देश पर दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढाया जा सकता है, के लिए किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष और सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु के उप नियम (1) में निर्दिष्ट महीने में जो अधिकारी बासठ वर्ष की आयु के अंतिम दिन किया जाएगा।

66. ट्रिब्यूनल से पहले सूट/अपील के लिए आवेदन पत्र दाखिल करना:–

(1) नियम 64 के तहत एक आवेदन प्रपत्र–35 में किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के तहत ट्रिब्यूनल के सामने दर्ज आवेदन को आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के तहत दायर आवेदन के साथ दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जिस पर याचिकाकर्ता निर्भर रहना चाहता है।

(4) आवेदक, आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां और दस्तावेजों के रूप में कई के रूप में उत्तरदाताओं की संख्या में है, आवेदन के साथ फाईल करेगा।

(5) ट्रिब्यूनल, अपने विवेक मे, एक आवेदन उप नियम (1), जो सभी दस्तावेजों में से किसी के साथ नही है, ऊपर उल्लेख के तहत सुनवाई के लिए स्वीकार कर सकते है।

(6) इस नियम के तहत दायर हर आवेदन तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण स्पष्ट रूप से और अलग और अलग–अलग सिरे के तहत निर्धारित करेगा, और तथ्यों और राहत के इस तरह के आधार पर उसमें दावा किया जाएगा, लगातार क्रमांकित किया जाएगा।

(7) अंतरिम राहत के लिए आवेदन आवेदक के कारण स्पष्ट रूप से और ठीक से किसी हानि को निर्धारित करेगा जो कि धन के अनुसार पर्याप्त रूप से मुआवजा नही किया जा सकता है।

(8) अधिनियम की धारा 89 के तहत दो महीने के नोटिस के अनिवार्स प्रावधान का पालन न करने वाले बोर्ड के खिलाफ मुकदमों से सम्बन्धित ट्रिब्यूनल से पहले किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

67. ट्रिब्यूनल द्वारा अनुसरण की जाने वाली अन्य प्रक्रिया:–

(1) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत इस अधिकारी ने प्रत्येक आवेदन, उस तारीख को जिस पर यह प्रस्तुत किया गया था और ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित होने की तारीख तय करेगी, और उस पर हस्ताक्षर करने पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक पंजीकृत आवेदन या रजिस्ट्रार या अधिकारी एक रजिस्टर में उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत द्वारा गिना जाएगा इस उद्देश्य के लिए रखा जाएगा।

(3) ट्रिब्यूनल ऐसे रजिस्टरों का रख रखाव करेगा जैसा कि नागरिक आदलतों में उपयोग के लिए निर्धारित के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

(4) आवेदन ज्ञापन की एक प्रति, ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल करने से पूर्व अन्य पार्टी पर सर्व की जाएगी।

बशर्ते कि अत्यधिक तात्कालिकता के मामलों में, ट्रिब्यूनल एक आवदेन पर, अगर ऐसा करने के लिए उपयुक्त समझता है, तो अन्य पक्ष पर आवेदन की प्रति की सेवा के साथ वितरण करें।

(5) प्रत्येक आवेदन, अपील की याचिका या ज्ञापन या निष्पादन के लिए आवेदन या अन्य आवेदन अदालत शुल्क के साथ किया जाएगा।

(6) आवेदन पत्र दाखिल करने की तारीख से 60 दिनों के बाद समाप्त होने के बाद, ट्रिब्यूनल से पहले पसन्द किये गये आवेदन के लिखित कथन का प्रतिवादी पर विचार नही किया जा सकता है।

बशर्ते कि यदि ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी को साठ दिनों की अवधि के भीतर लिखित कथन को दाखिल करने के पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित कथन का मनोरंजन कर सकता है, लेकिन उसके बाद नही।

(7) लिखित वक्तव्य दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों के समाप्त होने के बाद ट्रिब्यूनल से पहले लिखे गए लिखित बयान को उत्तर दें।

बशर्ते कि यदि ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी को साठ दिनों की अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने के पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित कथन का मनोरंजन कर सकता है, लेकिन उसके बाद नही।

(8) आवेदक और प्रतिवादी द्वारा अधिकतम तीन आवेदनों को किसी भी आधार पर स्थगन के लिए अनुमति दी जाएगी और उसके बाद नही।

(9) ट्रिब्यूनल के सदस्यों के बीच विभाजन के मामले में, ट्रिब्यूनल के अधिकांश सदस्यों का निर्णय प्रबल होगा।

(10) किसी भी मामले की पूर्ण सुनवाई पूर्ण पीठ से पहले होगी।

बशर्ते तीसरे सदस्य की अनुपस्थिति में एक सदस्य या दो सदस्यों द्वारा अंतिम सुनवाई के अलावा अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

68. प्रतिवादी को नोटिस भेजे बिना आवदेन को खारिज करने की शक्तियां:—न्यायाधिकरण, आवेदन के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ओर आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई के बाद, उत्तरदाताओं को नोटिस भेजे बिना आवेदन को खारिज कर सकता है।

69. नोटिस की सेवा:—

(1) आवेदन में याचिकाकर्ता/उत्तरदाताओं क़ो हर नोटिस भेजा जाएगा और पावती के कारण पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।

(2) जहां ट्रिब्यूनल संतुष्ट हे कि सूचना सामान्य तरीके से सेवा नही की जा सकती है और इस बात पर विश्वास करने के लिए कारण हैं कि याचिकाकर्ता/उत्तरदाता नोटिस की सेवा से बचने के उद्देश्यों के लिए खुद को दूर रख रहे हैं, ट्रिब्यूनल नोटिस की वैकल्पिक सेवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम 20 के आदेश 5 के प्रावधानों के अनुसार आदेश करेगा।

70. आवेदन की सुनवाई की तारीख, आदि:—जब तक ट्रिब्यूनल आवेदन को खारिज नही करता है, यह पक्षों को आवेदन की सुनवाई की तारीख और जगह आदि का सूचित करेगा।

71. सार्वजनिक करने के लिए खुली होने की कार्यवाही:—ट्रिब्यूनल से पहले की कार्यवाही जनता के लिए खुली होगी।

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल हो सकता है, यह कार्यवाही कि जनता आम तौर पर या विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग नही करेगा या ट्रिब्यूनल के कमरे या ट्रिब्यूनल के कमरे में रहने के किसी भी चरण में फिट, आदेश सोचता है।

72. ट्रिब्यूनल के आदेश:—

(1) ट्रिब्यूनल के सामने दायर हर आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1905 का 5) और (उत्तराखण्ड) सिविल नियम संहिता में सूट और अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई और उसका निपटारा किया जाएगा।

(2) ट्रिब्यूनल का हर आदेश लिखित रूप में होगा और इसके मुहर के तहत हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।

73. पक्षकारों को आदेश की प्रतियां की आपूर्ति:— आवेदन को खारिज या अनुमति देने वाले ट्रिब्यूनल के प्रत्येक आदेश को पक्षकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को मुफ्त में सूचित किया जाएगा।

74. कुछ मामलों में आदेश और दिशाऐं:—न्यायाधिकरण, पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के बावजूद, ऐसे आदेश दे सकता है और या न्याया के अंत को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या आवश्यक हो सकता है ऐसे निर्देश दे सकता है।

75. न्यायाधिकरण की भाषा:— ट्रिब्यूनल की भाषा अंग्रेजी होगी।

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही करने वाली दलों ने हिन्दी या उर्दू या क्षेत्रीय भाषा में तैयार दस्तावेज/कार्यवाही फाइल कर दी हो, यदि वे चाहें तो,

बशर्ते कि हिन्दी/उर्दू/स्थानीय भाषा में इस तरह के सभी दस्तावेज/कार्यवाही के साथ अंग्रेजी में इसका असली अनुवाद किया जाएगा।

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल अपने विवके में, कार्यवाही में स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा।

76. ट्रिब्यूनल की मुहर:—ट्रिब्यूनल की अधिकारिक मुहर ऐसी होगी जैसे सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।

77. सिविल प्रक्रिया संहिता और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नियमों का पालन आम तौर पर किया जाता है:— अधिनियम या इन नियमों द्वारा विशेष रूप से प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न का निर्णय लेने में, ट्रिब्यूनल, जहां तक संभव हो,

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नियमों में निहित प्रावधान।

78. वार्षिक विवरण:—

(1) सरकार प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 1 दि न के बाद, प्रपत्र 36 में बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

(2) बोर्ड प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का विवरण देने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) सरकार सितम्बर के अंत तक बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी और ऐसी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जाएगी या राज्य विधान सभा के दोनों सदन, जैसा कि मामला हो, उसके अगले सत्र में।

79. बोर्ड के द्वारा या उसके खिलाफ सूट:—

(1) अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वीकृति के लिए सक्षम होंगे:—

(क) सूट, रिट, अपील या न्यायालय/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी से पहले वक्फ के मामले/ सम्पत्ति से जुडी मामलों का दाखिल करना।

(ख) सूट, रिट, अपील या न्यायालय/कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकारी से पहले वक्फ मामले/ सम्पत्ति से जुडी मामलों का बचाव।

(2) अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी ट्रिब्यूनल/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण से पहले वक्फ के मामले/सम्पत्ति से जुडी सूट, रिट, अपील या किसी अन्य कार्यवाही की फाइल या बचाव करने के लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए सक्षम होंगे।

(3) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोर्ड या किसी अन्य व्यक्ति, न्यायाधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण से पहले वक्फ मामले/सम्पत्ति से जुडी मामलों या कार्यवाही में सूट, रिट, अपील और हलफनामा या प्रति उत्तर पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड के किसी भी कर्मचारी को अधिकृत करने के लिए सबूत निविदा या ट्रिब्यूनल/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष बोर्ड की ओर से रिकार्ड उत्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

प्रपत्र–1

[नियम–4 देखें]

सरकार के लिये सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट

1. राज्य में ऑकाफों की संख्या, शिया ऑकाफ और सुन्नी ऑकाफ के लिये अलग से।
2. प्रत्येक वक्फ की प्रकृति और वस्तु।
3. प्रत्येक वक्फ से सम्पत्ति की सकल आय।
4. प्रत्येक वक्फ के सम्बन्ध में भू–राजस्व, उपकर, दरों एवं करों के सम्बन्ध में देय की राशि।
5. प्रत्येक वक्फ की यदि कोई आय की प्राप्ति हो तो मुतवल्ली के वेतन और पारिश्रमिक आदि में खर्च।
6. प्रत्येक वक्फ से सम्बन्धित ब्यौर के रूप में दिया जाना।
   (क) वक्फ का नाम
   (ख) वाकिफ का नाम यदि कोई हो,
   (ग) वक्फ के निर्माण की तिथि या वर्ष,
   (घ) वक्फनामें का विवरण,
   (ड.) मुतवल्ली का नाम और उसका वेतन और पारिश्रमिक यदि कोई हो,
   (च) अचल सम्पत्ति की प्रकृति, स्थान, गांव या शहर में जहां नगर निगम या सर्वेक्षण नम्बर, क्षेत्र, और कार्यकाल के साथ–साथ स्थान का अनुमानित मूल्य।
   (छ) चल सम्पत्ति और उसका मूल्य का क्या है, और उसमें निवेश के ब्यौर विवरण सहित।
   (ज) वक्फ सम्पत्ति का साईट प्लान।
   (झ) ऋणभार यदि कोई हो, तो सम्पत्तियों पर वर्णित खण्ड (च)और (ज) का उल्लेख किया गया है।
   (ञ) वक्फ के प्रशासन के तरीके, कानून की अदालत द्वारा या किसी पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा तय हो चुका या कस्टम के उपयोग की स्थापना से है।
   (ट) वक्फ बोर्ड की सामान्य देख रेख में पहले से ही है।
   (ठ) सर्वेक्षण की कुल लागत।

हस्ताक्षर सर्वेक्षण आयुक्त

प्रपत्र–2

[नियम–6 देखें]

ऑकाफ की सूची का ब्यौरा

1. वक्फ सम्पत्ति के विवरण के साथ वक्फ का नाम (उदाहरण के लिये भूमि, भवन, कब्रिस्तान आदि)
2. वक्फ सम्पत्ति का स्थान, खसरा नम्बर, जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों और मौहल्ला, वार्ड, सड़क और शहरी सम्पत्ति के मामले में नगर निगम के संख्या में गांव।
3. वक्फ की प्रकृति और उद्देश्य
4. वक्फ सम्पत्तियों का विवरण, अचल सम्पत्ति यदि कोई हो।
   (क) क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र को अलग से दिखायें।
   (ख) सीमाऐं, तथा
   (ग) मूल्य
5. चल सम्पत्ति की प्रकृति और उसका मूल्य।
6. वक्फ के निर्माण का वर्ष या दिनांक।
7. वक्फनामें का विवरण।
8. सकल प्राप्तियां।
9. अनुदान प्राप्त किया।

10. प्रत्येक वक्फ सम्पत्ति की सकल आय शामिल करें।
11. भू–राजस्व, उपकर, दरों ओर करों ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय की राशि।
12. आय की प्राप्ति में किये गये खर्च।
13. प्रशासन का विवरणः–
    (क) रिवाज द्वारा/उपयोग,
    (ख) न्यायालय ने इस योजना को व्यवस्थित कइल,
    (ग) बोर्ड द्वारा प्रबन्धन की योजनाओं को मंजूरी दे दी,
14. मुतवल्ली का नाम और पता।
15. प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली का पारिश्रमिक भुगतान यदि कोई हो।

नोटः—शिया और सुन्नी ऑकाफ के लिये अलग से सूची तैयार की जायेगी।

प्रपत्र–3

[नियम—14(1) देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिये नोटिस

1. श्रेणी का नाम जिसके लिये चुनाव आयोजित किया जा रहा है।
2. नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जायेगाः–
    (क) अवधि के मध्य में,
    (ख) जगह,
    (ग) कार्यालय के पते पर,
3. नामांकन पत्रों की जांचः–
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
4. नामांकन पत्रों की वापसीः–
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
5. मतदान आयोजित किया जायेगाः–
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
6. निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतगणनाः–
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
7. परिणामों की घोषणाः–
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय

स्थानः–
दिनांकः–

(निर्वाचन प्राधिकरण)

प्रपत्र–4
[नियम–14(3) देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यालय के लिये सदस्यों के चुनाव के लिये नोटिस

सूचित किया जाता है कि:–

1. यह चुनाव उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिये आयोजित किया जा रहा है।
2. नामांकन पत्र का फार्म पूर्वोक्त समय एवं जगह से प्राप्त किये जा सकते है।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामाकन पत्र प्रातः 10.30 से 05:00 अपरान्ह तक उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक को दिया जा सकता है।
4. नामांकन पत्र जांच के लिये लिये जा सकते है.....
5. उम्मीदवारी वापस लेने हेतु उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावक के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय में.....से 3:00 अपरान्ह तक किया जा सकता है।
6. चुनाव होने की स्थिति में चुनाव लडा जा रहा है जो मतदान के बीच.....घण्टे पर..... ..पर आयोजित किया जायेगा

(जगह निर्दिष्ट करें जहां मतदान का आयोजन किया जा रहा है)

स्थान:–
दिनांक:–

(निर्वाचन अधिकारी)

प्रपत्र–5
[नियम–16(1) देखें]

धारा–14 की उप–धारा–1 के खंड(ख) कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्य का चुनाव

नामांकन पत्र

मैं.....धारा–14 की उप–धारा–1 के खंड(ख) के अनुसार उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के चुनाव के लिये एक उम्मीदवार के रूप में मनोनीत करता हूँ।

1. उम्मीदवार का पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. मतदाता सूची में उम्मीदवार का क्रमांक संख्या
4. आयु
5. लिंग
6. व्यवसाय
7. पता

मेरा नाम उपरोक्त श्रेणी के लिय मतदाता सूची में (स्थगन का नाम) है।.....और उस..... ..... पर दर्ज किया जाता है।

उम्मीदवार की घोषणा

मैं.....घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा चुनाव हेतु दी गई आयु एवं समस्त जानकारी सत्य है।
और में यह भी घोषणा करता हूँ कि:–

1. मैं एक मुसलमान हूँ।

प्रपत्र–7
[नियम–18 देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में सदस्य के पद के लिये.....श्रेणी अर्न्तगत अधिनियम की धारा–14(1)(ख) नामांकन की सूची के रूप में प्राप्त.....तिथि

नामांकन पत्र का क्रमांक उम्मीदवार	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	व्यवसाय और पता	मतदाता सूची का कोई	लिंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

नमांकन पत्र जांच के लिये ले जाया जायेगा प्रातः/अपरान्ह.....दिनांक.....एवं स्थान

स्थानः–हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी
दिनांकः– या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

प्रपत्र–8
[नियम–19 देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के चुनाव के लिये एक उम्मीदवार द्वारा शपथ की अभिपुष्टि दिये जाने के लिये

मैं.....अल्लाह/ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के रिक्त सीट उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रृद्धा और निष्ठा रखूंगा। तथा में भारत की सम्प्रभुता और अखंडता को बनाये रखूंगा

दिनांकः– **(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)**

<u>शपथ की पावती</u>

.....आज.....दिनांक को समय.....पर उम्मीदवारी के लिये शपथ ले ली है।

निर्वाचन अधिकारी

.....

शपथ का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....आज.....दिनांक को.....समय मेरे सम्मुंख हस्ताक्षर किये और अभिपुष्टि के लिये शपथ पढा है।

(हस्ताक्षर)
निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी

प्रपत्र–9
[नियम–20(7)देखें]

प्रमाण पूर्वक मनोनीत उम्मीदवार की सूची

अधिनियम की धारा–14 की उप–धारा–(1) के खंड(ख) की श्रेणी.....में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिये चुनाव

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
शीघ्र		

स्थानः–निर्वाचन अधिकारी

दिनांकः

प्रपत्र–10
[नियम–21देखें]

एक उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन वापसी के लिये नोटिस दिया जाना
अधिनियम की धारा–14(1)(ख)

सेवा में,
निर्वाचन अधिकारी,

मैं.....उम्मीदवार सप्रमाण उपरोक्त चुनाव में मनोनीत है, आपको अवगत कराना है कि मैं उक्त चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ।

स्थानः–
दिनांकः–हस्ताक्षर उम्मीदवार

यह नोटिस मेरे कार्यालय को दिनांक–.....समय .....के द्वारा.....
.....नाम से दिया गया है।

स्थानः–
दिनांकः–

निर्वाचन अधिकारी

नाम वापसी के लिये नोटिस की रसीद
(व्यक्ति को नोटिस देने के लिए सौंप दिया जायेगा)

उम्मीदवार द्वारा अधिनियम की धारा–14(1)(ख) के अर्न्तगत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के चुनाव से आज दिनांक.....
.....समय.....पर नाम वापसी का नोटिस प्राप्त किया।

स्थानः–
दिनांकः– **निर्वाचन अधिकारी**

प्रपत्र–11
[नियम–22(1)देखें]

चुनाव लड रहे प्रत्याशियों की सूची

अधिनियम की धारा–14(1)(ख) के अर्न्तगत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के.....श्रेणी के सदस्य का चुनाव

क्रमसंं (1)	प्रत्याशी का नाम (2)	प्रत्याशी का पता (3)	मतदाता सूची (4)
1–			
2–			
3–			
4–			
5–			
आदि			

स्थानः–

दिनांकः– **निर्वाचन अधिकारी**

प्रपत्र–12
[नियम–22(1) एवं 37(1)देखें]

चुनावके परिणाम की घोषणा

वक्फ नियम, 2017.....नियम के अनुसार.....का, मैं घोषणा करता हूँ कि निम्न प्रत्याशी को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद पर विधिवत वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–14(1)(ख) के उपखंड.....की श्रेणी में चुना गया है।

नाम पता

1–

2–

स्थानः–

दिनांकः– **निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर**

प्रपत्र–13
[नियम–38 देखें]

निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं.....निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के विधिवत सदस्य/सदस्या के रूप में श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी श्री.....को वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–14(1)(ख) उपखंड–.....की श्रेणी के अर्न्तगत विधिवत सदस्य/सदस्या निर्वाचित हुए है। और उसे उसकी प्रमाण स्वरूप चुनाव का प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया गया है।

स्थानः–निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः–

सचिव(.....)

उत्तराखण्ड शासन

प्रपत्र–14

[नियम–46(1) देखें]

बोर्ड के रिकार्ड के निरीक्षण के लिये आवेदन

आवेदन शुल्क के रसीद की नकल यहां लगायें

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

आवेदन का नाम.....पुत्र/पत्नी श्री.....निवासी–.....
.....
पत्रावली का विवरण जिसमें से रिकार्ड का निरीक्षण किया जा रहा है.....
किरायेदार का नाम (यदि कोई हो).....
दलों का नाम(यदि कोई हो).....
निरीक्षण के उद्देश्य.....

दिनांकः–आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवेदन पर पारित आदेश.....

निरीक्षण का समय.....से.....अर्थात.....घंटे

निरीक्षण शुल्क का भुगतान

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया.....

दिनांकः– **निरीक्षण के पश्चात आवेदक के हस्ताक्ष**

प्रपत्र–15

[नियम–46(3) देखें]

प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिये आवेदन

छायाप्रति संलग्न करें:–
(क) आवेदन का शुल्क की रसीद,
(ख) राजपत्र अधिसूचना की प्रविष्टि के अनुसार प्रतिलिपि शुल्क की रसीद रू0 10 प्रति,
(ग) 100 शब्दों या उसक भाग के लिये रू0 20.00 प्रति,
(घ) निरीक्षण या उसके अंश के लिये रू0 20.00 प्रति घंटा

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

आवेदन का नाम.....पुत्र/पत्नी श्री.....निवासी.....

पत्रावली का विवरण जिसमें से प्रतिलिपि की आवश्यकता हो.....
सम्पत्ति का विवरण स्थान सहित.....
किरायेदार का नाम (यदि कोई हो).....
दलों का नाम(यदि कोई हो).....
मामले की प्रकृति.....
राजपत्र का विवरण या अभिलेख का नाम जिसकी प्रतिलिपि की आवश्यकता है.....
क्या निजी इस्तेमाल के लिये अथवा किसी न्यायालय में दाखिल करने के लिये आवश्यक है अर्थात जिस उद्देश्य के लिये प्रतिलिपि आवश्यक हो.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:–

नकल रजिस्टर में आवेक की संख्या.....

शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन की प्रतिलिपि बनाना.....

आदेश पारित.....

दिनांक:–मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपिकार के हस्ताक्षर

नकल प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र–16

[नियम–48(2) देखें]

नोटिस

जबकि यह सीखा है/सूचित/सूचना दी की वक्फ.....अस्तित्व के लिये या वस्तुओं या भागों में नीचे अनुसूची में दिखाया कि अस्तित्व समाप्त हो गया है या रह गया है।

क्र.सं.	मौजूद नही रह गये वह नाम जो वक्फ/वक्फ सम्पत्ति है	जंगम सम्पत्ति का विवरण	अचल सम्पत्ति का विवरण					धन का विवरण यदि कोई हो, तो किसी भी
			सर्वे सं. क्षेत्र/सीमा	गांव	नगर	शहर	प्रयोग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–39(2) के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति की जांच करते हुए सम्पत्ति से प्राप्त धन उपयोग की वसूली करने के लिये आदेश को अधिसूचित किया गया है।

जब जांच की जायेगी तब इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति दिनांक.....(समय/स्थान).....
..पर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जायेगा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
अधिकृत अधिकारी

सेवा में,

_____

_____

प्रपत्र–17

[नियम–49(1) देखें]

बोर्ड के सीधे नियंत्रण में वित्तीय वर्ष–20.....से 20.... के लिये ऑकाफ और मुतवल्ली के लिये प्रत्यक्ष अलग बजट निर्धारित

अनुमानित प्राप्तियां	अनुमानित व्यय
किराये की सम्पत्तियों से प्राप्तियां	कर्मचारियों के वेतन
दान/योगदान	विविध रसीद, यदि कोई हो
सम्पत्ति व्यय का रखरखाव	विवरण के साथ विविध व्यय

व्यय की अधिकता रसीद से अधिक व्यय पर प्राप्त होने के अतिरिक्त

2–चालू वर्ष के लिये वास्तविक

3–पूर्ववर्ती वर्ष के लिये वास्तविक प्रस्तावित

दिनांकः–

स्थानः–

प्रपत्र–18

[नियम–50(1) देखें]

20.....20.....के लिये वक्फ के वार्षिक बजट का अनुमान

विवरण

20....20..... के लिये वास्तविक	चालू वर्ष 20...20... के लिये स्वीकृत अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान		कुल बजट 20...20... के लिये अनुमान
		8 माह के लिये वास्तविक	4 माह के लिये सम्भावित या अपेक्षित व्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रारम्भिक शेष.....

कुल योग.....

प्राप्तियां (विवरण–1).....

कुल योग.....

खर्च (विवरण–2).....

जमा शेष.....

कुल योग.....

विवरण–1 (प्राप्तियां)

क्र.सं.	विशिष्टियां	वास्तविक पिछले वर्ष के लिये	वास्तविक वर्ष के लिये प्रतिवेदन	वर्ष में संशोधित बजट सुनिश्चित करने के लिये	बजट अनुमान	टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. प्रारम्भिक शेष
2. बैंक में नकदी

3. हाथ पर (नकद, चैक एवं डी डी)
4. किराये से आमदनी:–
   (क) निवास
   (ख) कार्यालय परिसर की,
   (ग) दुकानें,
   (घ) स्कूल,
   (ड.) शादी महल,
   (च) अन्य

योग:–

5. सुरक्षा जमा
6. सद्भावना
7. हुण्डी से आय
8. कृषि भूमि से आय:–
   (क) कृषि फसलों की बिक्री
   (ख) पेडों की बिक्री(फसल से आय)
   (ग) पेड की बिक्री
   (घ) वार्षिकी
   (ड.) तसदीक भत्ता
   (च) नकद भुगतान

योग:–

9. (अ) विविध प्राप्तियां:–
   (क) नजर/प्रस्तुत
   (ख) सदस्यता शुल्क
   (ग) मिलाद/रमजान दान
   (घ) निकाह शुल्क
   (ड.) त्वचा का छिपाने
   (च) गोलकों से आय

योग:–

9(ब) प्राप्तियों से:–
   (क) अनुदान सहायता
   (ख) ऋण वसूली
   (ग) वेतन और त्यौहार की अग्रिम वसूली
   (घ) बैंक से ब्याज
   (ड.) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई–दिल्ली से ऋण
   (च) सावधी जमा रसीदें
   (छ) रॉयल्टी/ई.एम.डी.

योग:–

10. कोई अन्य प्राप्तियां

कुल योग:–

क्र.सं.	विशिष्टियां	वास्तविक पिछले वर्ष के लिये	वास्तविक वर्ष के लिये प्रतिवदेन	वर्ष में संशोधित बजट सुनिश्चित करने के लिये	बजट अनुमान	टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. सामान्य प्रशासन
   1. वेतन
   2. यात्रा भत्ता

3. कार्यालय व्ययः–
(1) फर्नीचर क्रय
(2) स्टेशनरी और प्रपत्रों की खरीद
(क) मुद्रण प्राप्तियां
(ख) मुद्रण/लेखा बहियों की खरीद
(3) डाक प्रभार
(4) टेलीफोन शुल्क
(5) जल प्रभार
(6) विद्युत व्यय
(7) कार्यालय अग्रदाय राशि
(8) वाहन खरीद
(9) इलैक्ट्रोनिक और मशीनरी वस्तुओं की खरीद
(10) बैठक व्यय

योगः–

4. विधिक व्यय
5. लेखा परीक्षा व्यय
6. नगर/निगम/भूमि कर
7. वक्फ बोर्ड के लिये अंशदान

योगः–

2–पूंजीगत व्ययः–
(क) निर्माण व्यय
(ख) अग्रिम की अदायगी/ऋण
(ग) बिल्डिंग लायसेंस/निर्माण का शुल्क
(घ) रायल्टी
(ड.) बयाना राशि
(च)

योगः–

3–धर्मार्थ के लिये व्ययः–
(क) छात्रवृत्ति
(ख) चिकित्सा व्यय
(ग) शादी का खर्च

योगः–

4–महोत्सव व्ययः–
(क) मिलाद
(ख) शबे–ए–मिलाद
(ग) शबे–ए–कदर
(घ) शबे–ए–बारात
(ड.) ईदगाह/मस्जिद/व दरगाह के खर्च
(च) उर्स
(छ)

योगः–

5–विविध व्ययः–
(क)
(ख)

योगः–

कुल योगः–

प्रपत्र–19

[नियम–50(2) देखें]

वक्फों की सूची

धारा–45 के अर्न्तगतप्रत्यक्ष प्रबन्धन के रूप में वक्फों की सूची.....बजट तैयार करना।

क्र0सं0	वक्फ का नाम	प्रशासक का नाम	सीधे प्रबन्धन की अवधि का आदेश एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

दिनांक:–
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रपत्र–20

[नियम–50(2)(ख) देखें]

सीधे प्रबन्धन वाले वक्फों का बजट प्रस्ताव तैयार करना

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।

सेवा में,

_____

_____

_____

विषयः–सीधे प्रबन्धन वाले वक्फों का बजट प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा–45 के अनुसार .....वक्फ को आदेश संख्या... .....दिनांक–.....के द्वारा.....अवधि के लिये सीधे नियंत्रण में लेते हुए, वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–45 के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्र पर अनुमानित प्राप्तियां एवं आय–व्यय तथा वक्फ के बेहतर प्रबन्ध हेतु बजट प्रस्ताव तैयार करने का कष्ट करें।

31 दिसम्बर.....(वर्ष) बज़ट तैयार करते हुए हस्ताक्षर हेतु पहुँच जायेगा।

दिनांकः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
प्राधिकृत अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

प्रपत्र–21
[नियम–50(3)देखें]

सीधे प्रबन्धन वाले ऑकाफों के आय में वृद्धि के विवरण की अभिव्यक्ति

नाम वक्फः– जनपदः–

क्र0सं0	आय के श्रोतों का विवरण	पिछले वर्ष–19..... की लेखा परीक्षा का संक्षिप्त विस्तार	प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत पदभार संभालने के आदेश संख्या एवं तिथि	प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत पदभार सम्भालने के बाद अचल सम्पत्ति में वृद्धि का विवरण	यदि किसी भी आय में वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)

(2)

(बजट की प्राप्तियों में अपनाये जाने से वक्तव्य विवरण)

बेहतर प्रबन्धन के लिये लिया गया कदमः–

1–
2–
3–

परिणामः–

1–
2–
3–

प्रशासक के हस्ताक्षर

प्रपत्र–22
[नियम–52(4)देखें]

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–52 की उप–धारा–(1) के अर्न्तगत अचल सम्पत्ति की वसूली के लिये धारा–51 के उल्लंघन करने पर धारा–56 के अर्न्तगत जिलाधिकारी को हस्तान्तरित करना

1. वक्फ सम्पत्ति का विवरण।
2. वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हस्तांतरण विलेख का विवरण, यदि कोई हो।
3. व्यक्ति का नाम और विलेख को क्रियान्वित करने का विवरण, यदि कोई हो।
4. उस व्यक्ति का पूर्ण विवरण जिसने सम्पत्ति हस्तांतरित किया हो।

5. वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–37 के अर्न्तगत बनाये गये ऑकाफ रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ सम्पत्ति विवरण की तुलना का परिणाम।
6. खण्ड 51 के तहत अपेक्षित स्थानांतरण के लिए मंजूरी के अभाव के बारे में बोर्ड के रिकार्ड से जांच का परिणाम या वक्फ अधिनियम की धारा–56 के उल्लंघन में अंतरित किया गया।
7. अनुरोध प्राप्त करने और बोर्ड को सम्पत्ति का अधिकार देने के लिये और आदेश पारित करने के लिये।

स्थानः–
दिनांकः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

प्रपत्र–23

[नियम–52(5)देखें]

वक्फ सम्पत्ति का अधिकार देने के लिये जिलाधिकारी का आदेश

सेवा में,

श्री.....

.....

जहां तक एक मांग अर्ध–नियम (2) के अधीन.....के नियम–61 के तहत श्री..... .....द्वारा आपके पक्ष में नीचे दिए गए अनुसूची में विस्तृत वक्फ सम्पत्ति के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्राप्त की गई है। उत्तराखण्ड वक्फ नियम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से,.....वक्फ बोर्ड से वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–51 या धारा–56 के उल्लंघन में।

अब, इसलिये, उस अधिनियम की धारा–52 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मैं.. .....जिलाधिकारी, जिला.....के माध्यम से इस आदेश की सेवा में विफल रहने के बाद आप के खिलाफ निष्कासन कार्यवाही शुरू की जाएगी। यदि आप आदेश से व्यथित है, तो आप इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते है। यदि आप इस आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते है और निर्दिष्ट समय के भीतर अपील नही करते है, तो कहा सम्पत्ति इस उद्देश्य के लिए जरूरी हो सकती है, या इस तरह के बल का प्रयोग करके उचित रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा, और इस बोर्ड को सौंपें।

दिनांकः–

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर सहित

प्रपत्र–24

[नियम–53(1)देखें]

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–54 की उप–धारा–1 के तहत नोटिस का प्रारूप

सेवा में,

श्री.....

.....

जबकि मैं,.....नीचे दिए गए आधार पर अधोहस्ताक्षरी, राय का हूँ, कि आप नीचे दिये गए कार्यक्रम में उल्लिखित वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणक है और आपको उस परिसर को खाली करना चाहिए।

आधार

.....

.....

अब, इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–54 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, मैं आपको.....ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए.

और अधिनियम की धारा–54 की उप–धारा (3) के अनुपालन में, मैं आपको उस व्यक्ति के साथ या क़िसी विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष पेश होने के लिए पेश करता हूँ, जो सबूतों के साथ जुडे सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम है। कारण बताए गए कारणों के समर्थन में उत्पादन करने का इरादा है..... व्यक्तिगत सुनवाई के लिए.....में यदि आप उस तिथि और समय पर प्रकट होने में विफल रहते है, तो यह माना जाएगा कि आप वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं और कानून के अनुसार आपके निष्कासन के लिए आगे की कार्यवाही की जाएगी।

अनुसूची:–

वक्फ सम्पत्ति का विवरण:–

दिनांक:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रतिलिपि:–मुतवल्ली।

प्रपत्र–25

[नियम–54(6)देखें]

वक्फसम्पत्ति के कब्जे को हटाने के लिये आदेश

जबकि, मैं अधोलिखित, नीचे दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट हूँ श्री/श्रीमती/कु0..... .....नीचे दी गई सम्पत्ति पर अवैध कब्जे पर है।

कारण:–

अनुसूची:–

वक्फ सम्पत्ति का विवरण:–

अब, इसलिए, वक्फ अधिनिमय, 1995 की धारा–54 के तहत अधिसूचना, इस प्रकार श्री/श्रीमती/कु0.....और सभी व्यक्ति जो वक्फ सम्पत्ति के अनाधिकृत कब्जे में है या किसी भी भाग को खाली करने के लिए आदेश देते हैं इस नोटिस की सेवा के 15 दिनों के भीतर परिसर में कहा। उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आदेश के इंकार करने या अस्वीकार करने की स्थिति में, मामले को उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा।

दिनांक:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रपत्र–26

[नियम–54(10)देखें]

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–55 के अर्न्तगत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के लिये आवेदन

सेवा में,

श्रीमान कार्यकारी मजिस्ट्रेट,

.....

जबकि वक्फ अधिकरण ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–54 की उप–धारा (4) के तहत एक आदेश दिनांक–.....(अनुलग्नित प्रति) के तहत पारित किया गया है।

जबकि श्री/श्रीमती/कु0.....भूमि, भवन, अंतरिक्ष या अन्य खाली सम्पत्ति को खाली करने में विफल रहा है, जिसमें आदेश सम्बन्धित है, क्रम में निर्दिष्ट समय के भीतर,

जबकि वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–55 के तहत आपसे अनुरोध किया जाता है कि वह अतिक्रमण करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने, भूमि, भवन, अंतरिक्ष या अन्य सम्पत्ति को खाली करने के लिए और उसके पास कब्जा करने के लिए अतिक्रमणकारी को निर्देश देकर श्री.....मुतवल्ली/सम्पत्ति के प्रबन्ध समिति के सचिव/वक्फ बोर्ड आदेश के अनुपालन के लिए, पुलिस के सहयोग से वक्फ परिसर से इस आवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर अतिक्रमण को हटा दें या अतिक्रमण को हटा दें।

जबकि आपका ध्यान वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित) की धारा–7 के उप–धारा (6) के लिए प्रावधानों के लिए तैयार किया गया है।

दिनांकः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रपत्र–27

[नियम–56(1)देखें]

पूछताछ के आवेदन के लिये नोटिस

मुतवल्ली/सचिव को नोटिस.....(वक्फ संस्था) वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64 (3) जांच करने के लिए जबकि, आप श्री.....पुत्र श्री.....को मुतवल्ली/सचिव (वक्फ संस्था) के रूप में नियुक्त किया गया था बोर्ड के आदेश संख्या.....अवधि के वर्षों के लिए और जबकि, यह अब स्थापित है कि आपने वक्फ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, 1995 की धारा के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी 64(1) किसी के लिए/नीचे दिए गए एक से अधिक कारणों के लिए (जो भी उपयुक्त हो, टिक करें)।

(क) वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–61 के तहत दंडनीय अपराध के एक बार से अधिक बार सजा सुनाई गई है।

(ख) ट्रस्ट के अपराधिक उल्लंघन या किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक विषमता शामिल है, और इस तरह के विरोध को उलट नही किया गया है और उसे इस तरह के अपराध के सम्बन्ध में पूर्ण क्षमा नही दी गई है, या

(ग) अस्वस्थ मन का है या किसी अन्य मानसिक या शारीरिक दोष या दुर्बलता से पीडित है जो उन्हें कार्य करने और मुतवल्ली के कर्त्वयों को निर्गत करने के लिए अयोग्य प्रदान करता है, या

(घ) एक निर्धारित दिवालिया है, या

(ङ) शराब या अन्य भावनात्मक तैयारी पीने के आदी हो गये है, या किसी नशीली दवाओं के लेने के आदी है, या

(च) वक्फ की ओर से या उसके खिलाफ भुगतान कानूनी व्यवसायी के रूप में कार्यरत है, या

(छ) बिना किसी उचित बहस के लगातार दो वर्षों के लिए नियमित खातों को बनाए रखने में विफल हो गया है या लगातार दो वर्षों में, धारा–46 की उप–धारा (2) के अनुसार जरूरी खातों का सालाना बयान, या

(ज) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी मौजूदा पट्टे में, या किसी भी अनुबन्ध के साथ या किसी भी काम के लिए किया जा रहा है, वक्फ या किसी भी राशि के सम्बन्ध में उसके बकाए में है ऐसे वक्फ, या

(झ) वक्फ के सम्बन्ध में या किसी भी पैसे या अन्य वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी गलतफहमी, दुराग्रहों के दुरूपयोग/गलत इस्तेमाल या ट्रस्ट को अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर लेता है या प्रतिबद्ध करता है, या

(ञ) इस अधिनियम या नियम या इसके तहत बनाए गए आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा जानबूझकर और लगातार वैध आदेशों का उल्लंघन किया।

(ट) वक्फ की सम्पत्ति के साथ गलत तरीके से या गलत तरीके से निपटाया।

(ठ) बोर्ड के सामने सूचना/लेखा परीक्षा रिपोर्ट/रिपोर्ट के अनुसारः–

1.
2.

इसलिये, धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–64 (3) नोटिस के अनुसार, यह जांच की जाती है कि.....के नियम 66 के उप–नियम (1) के तहत जांच की जाएगी। वक्फ नियम 1996, उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड।

इसलिये आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, सात दिनों के भीतर, अपने आपत्तियों को अगर कोई पूछता है, फाइल करने के लिए कहा जाता है। यदि आप अपने आपत्ति दर्ज करने में विफल रहते है तो बोर्ड, जांच के साथ आगे बढेगा और वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 64 के तहत निर्णय लेगा।

मुख्य क़ार्यपालक अधिकारी

दिनांकः–
प्रतिलिपिः–अवैध कब्जेधारक।

प्रपत्र–28
[नियम–56(3)देखें]
नोटिस
(मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के निलंबन (वक्फ संस्था)
वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64(5) के अर्न्तगत

जबकि धारा–64 (1) के तहत कार्यवाही आपके विरूद्ध श्री.....पुत्र श्री..... मुतवल्ली/वक्फ संस्था की प्रबन्धकीय समिति का विचार है।

जबकि,.....राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64(3) एक जांच की है। इसलिए इस कार्यालय में जारी रखने से जांच की कार्यवाही में बाधा आ सकती है। अब इसलिए, धारा–64(4) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली/कार्यालय के प्रबन्ध निदेशक (वक्फ संस्थान) के कार्यालय से आपको निलंबन करने का फैसला किया है।

इसलिए आप को यह बताने के लिए कहा जाता है कि आपको निलंबन के तहत रखने के आदेश जारी नही किए जाने चाहिए। यदि आप एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहते है, तो बोर्ड, कानून के अनुसार आगे बढेगा और आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको मुतवल्ली के कार्यालय/ उपर्युक्त संस्था के प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय से वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64(3) के अर्न्तगत निलंगन किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांकः–

श्री.....
मुतवल्ली/सचिव
.....
.....
प्रतिलिपि–सम्बन्धित को।

प्रपत्र–29
[नियम–57देखें]
वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–65 के अर्न्तगत बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत वक्फ संस्थानों से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन।

1. वक्फ संस्था का नाम।
2. धारा–37 के अर्न्तगत वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण का विवरण।
3. प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत संस्थानों में ले जाने का आदेश संख्या एवं तिथि।
4. सरकारी/वक्फ संस्था के प्रशासक के रूप में नियुक्त व्यक्ति का नाम।

5. पूर्ववर्ती वर्ष के लिये वक्फ की आय।
6. प्रशासक द्वारा उठाये कदमों से वक्फ की आय में सुधार होगा।
7. मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के द्वारा वक्फ का प्रबन्ध नही ठीक प्रकार से नही करने के कारण वक्फ को सीधे नियंत्रण में उस अवधि के लिये किया जायेगा।
8. अचल सम्पत्ति से आय का विवरण।
9. प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत संस्था लेने के इरादे से परियोजना का विवरण।
10. संकल्पों की संख्या जो प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत संस्थान लेने के बाद किये।
11. लीज राशि/किराये पर के माध्यम से बकाया राशि आदि की वसूली का विवरण।
12. वक्फ के अंशदान का भुगतान के विवरण।
13. बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्धन में बने रहने के सम्बन्ध में।

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

प्रपत्र–30
[नियम–68(2)देखें]

कारण बताओ नोटिस

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67 (1) के तहत.....को पर्यवेक्षण, 'प्रबन्धन (वक्फ संस्था) के पर्यवेक्षण/प्रबन्धन के लिए एक समिति का अधिग्रहण करने के लिए,.....काल की अवधि के लिए खंड–67 के उप–धारा (2) के तहत कारण बताओ नोटिस दिखाऐं बोर्ड क्योंकि समिति इतनी गठित की गई है कि कारणों के लिए वक्फ के हित में इस मुद्दे को निष्पादित/प्रबन्ध नही किया जा रहा है:–

(1)
(2)
(3)
(4)

(ऊपर दिखाए गए कारण शिकायत और उसी के बारे में लिखित आपत्तियां, निरीक्षण के दौरान गलत तरीके से प्रबन्धन और दुरूपयोग का निरीक्षण किया जाएगा, विशेष रूप से सूचित किया जाएगा)

अब इसलिए..... के साथ दिए गए अधिकारों के आधार पर वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67 की उपधारा (2) के अनुसार, आपको सूचित किया जाता है कि समिति के दमन का आदेश क्यों नही पारित किया जाना चाहिए, इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर यह बताने के लिए कहा जाता है। यदि निर्धारित समय के भीतर आपके पास कोई उत्तर प्राप्त नही होता है, तो बोर्ड, वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67 की उपधारा (2) के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढेगा।

दिनांकः–

बोर्ड की आज्ञानुसार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेवा में,
सचिव/अध्यक्ष,
प्रबन्ध समिति

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समिति।

प्रपत्र–31
[नियम–58(5)देखें]

कारण बताओ नोटिस

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(6) के अर्न्तगत एक समिति से हटाने के लिए किसी सदस्य को कारण बताओ नोटिस।

जबकि श्री.....पुत्र श्री.....की नियुक्ति समिति (वक्फ संस्था) के सदस्य के रूप में वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(1) के तहत.....में, अब पर्याप्त साक्ष्य है के कारण उपयुक्त समिति के श्री.....सदस्य ने इस तरह के सदस्य में अपनी स्थिति को दुरूपयोग किया है या जानबूझकर निम्नलिखित के लिए वक्फ के हितों के लिए पूर्ववर्ती तरीके से कार्य किया है।

(सामग्री शिकायतों से ली जा सकती है, प्रबन्धन समिति की बैठकों में सदस्य के गलत व्यवहार की रिपोर्ट, मुतवल्ली/समिति के सचिव द्वारा रिपोर्ट, जो विशेष रूप से सत्यापित हो)

अतः उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(6) के द्वारा श्री..... द्वारा इस कारण से यह बताने का आहवान किया गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर उपर्युक्त समिति की सदस्यता से आपको हटाने के लिए एक आदेश क्यों नही दिया जाना चाहिए? यदि कोई उत्तर प्राप्त नही होता है, तो बोर्ड वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(6) के तहत कानून के अनुसार आगे बढेगा।

बोर्ड की आज्ञानुसार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांकः–

सेवा में,

श्री.....
सदस्य
प्रबन्ध समिति

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समिति।

प्रपत्र–32
[नियम–69(1)देखें]

नोटिस
(वक्फ सम्पत्तियों का समुचित प्रबन्ध करने हेतु प्रबन्ध सम्बन्धी नियम बोर्ड द्वारा स्वीकृत कराने हेतु मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति की ओर से अधिनियम की धारा–69 उपधारा (1) के अर्न्तगत नोटिस)

जबकि, वक्फ एक्ट 1995 की धारा 69 के उपखण्ड (1) के तहत, प्रबंधन की एक मॉडल योजना किसी भी वक्फ के लिए निर्धारित की जाती है, जबकि उपरोक्त उपखण्ड में निर्धारित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुतवल्ली/ प्रबन्ध निदेशक (वक्फ संस्था).....के साथ प्रबन्ध की योजना तैयार करने का प्रस्ताव करना आवश्यक है

.....(वक्फ संस्थान) की मन्शा–ए–वाकिफ के सन्दर्भ में।

इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त धारा के उप–धारा (1) के तहत मुतवल्ली/ आवेदक वक्फ अधिनियम, 1995 के धारा–69, के तहत इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर प्रबन्ध समिति/सामान्य निकाय के संकल्प के साथ उस योजना को प्रस्तुत करेगें ।

दिनांकः—

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेवा में,
मुतवल्ली/प्रार्थी
प्रबन्ध समिति

प्रतिलिपिः—अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समिति।

प्रपत्र—33
[नियम का उल्लेख—61(2)]

(वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का प्रत्येक वर्ष के माह 15 जून, तक दिये जाने वाला अंशदान)

1. वक्फ का नाम
2. आय का मूल्यांकन और लेखों का विवरण
3. धारा—75 की उप—धारा—1 के अनुसार आय से कटौती।
   (क)
   (ख)
   (ग)
   (घ)
   (ड.)
4. शुद्ध लाभ वक्फ से निकाली गई है
5. वक्फ बोर्ड को देय 7% अंशदान

मुतवल्ली के हस्ताक्षर/
सचिव, प्रबन्ध समिति

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

अथवा

प्राधिकृत अधिकारी,
.....
.....

प्रतिलिपिः— मा0 अध्यक्ष, डी0डब्लू ए सी.....

प्रपत्र—34
[नियम—63(1)देखें]

(भाग—क)
वित्तीय वर्ष—20.....—20..... के लिये आय व्यय के बजट का अनुमान
विवरण

आय व्यय

आय का प्रमुख	वास्तविक वर्ष के ठीक पहले	चालू वर्ष के लिये बजट का	चालू वर्ष के लिये संशोधित	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का	वर्ष के प्रमुख व्यय	वास्तविक वर्ष से ठीक	चालू वर्ष के लिये बजट का	चालू वर्ष के लिये संशोधित	अगले वित वर्ष के लिये बजट क

		अनुमान	अनुमान	अनुमान		पहले	अनुमान	अनुमान	अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1. धारा–72(1) के अर्न्तगत ऑकाफ से अंशदान

2. अन्य आयः–

(क) निवेश और अग्रिम पर ब्याज

(ख) दस्तावेजों की आपूर्ती के लिये शुल्क, और अन्य वस्तुऐं।

(2) बोर्ड कार्यालय के प्रतिष्ठान का वेतन

(ग) भूमि और भवन के किराये के भत्ते

(घ) नकद अनुदान एवं सुविधाऐं

(घ) (1) किराया

(ङ.) प्रतिभूतियां, शेयर, ऋण–पत्र या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री पर शुल्क

(च) अचल सम्पत्ति की बिक्री

(छ) अन्य प्राप्तियां

1. पिछले वर्ष के घाटे

(क) बोर्ड और समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के भत्ते

(ख) (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वेतन

(ग) (1) यात्रा भत्ता (2) अन्य

(2) डाक
(3) लेखन समाग्री
(4) पुस्तकों एवं पत्रिकाओं
(5) टेलीफोन व्यय
(6) मुद्रण पर व्यय
(7) फर्नीचर
(8) विविध

(ङ.) (1) अधिक्वता का शुल्क
(2) ऋण और अग्रिम

(च) (1) ऋणों पर ब्याज
(2) अग्रिम और ऋण

(छ)(1) अनुदान और छात्रवृत्ति
(2) भूमि और भवन पर पूंजीगत व्यय
(3) मरम्मत और रख रखाव पर
(4) प्रतिभूतियों की खरीद

(ज)(1) वाहनों के लिये ईधन
(2) वाहनों का रख रखाव

कुल

अगले वित्तीय वर्ष.....के अंत में घाटा/अधिशेष।

(भाग–ख)

वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्ति और भुगतान के बजट का अनुमान

आय का मद	चालू वर्ष के ठीक पहले वास्तविक	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	भुगतान की मदें	वास्तविक वर्ष से ठीक पहले	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पिछले वर्ष से नकद संतुलन									
(1) आमदनी					(1) खर्च				

(2) ऋण (2) ऋण का भुगतान**

वर्ष के अन्त में नकद संतुलन***

*ऋण या आय पर, आदि के संतुलन पर आय के अधिशेष से जब कोई अधिशेष नही है।

* अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता और अधिवक्ता की फीस भी शामिल है।

(भाग–ग)

चालू वर्ष के ठीक पहले वास्तविक	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	परि सम्पत्तियों की मद	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	देनदारी की मदें	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	चालू वर्ष लिये बजट अनुमान	वास्तविक वर्ष से ठीक पहले
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये

नकदी शेष*ऋण

वर्ष के अन्त में घाटे/अधिशेष

* अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता एवं अधिवक्ता की फीस भी शामिल है।

(भाग–घ)

वास्तविक वर्ष के ठीक पहले	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अगले वित्तीय वर्ष.....के अंत में घाटा/अधिशेष।

प्रपत्र–35

[नियम–66(1)देखें]

न्यायाधिकरण के समक्ष.....

बीच में (क) नाम एवं पूर्ण पता .....वादी

बनाम

(ख)(ग) और(घ) .....प्रतिवादी

आवेदन का ब्यौरा

1. आदेशों का विवरण जिसके विरूद्ध आवेदन किया गया है। आवेदन निम्न आदेश के विरूद्ध किया जाता है:–
   (क) आदेश संख्या
   (ख) दिनांक
   (ग) द्वारा पारित
   (घ) संक्षिप्त में विषय
2. (क) मामले के तथ्य
   (ख) न्याय के समर्थन में प्रासंगिक कानूनी प्राविधानों सहित न्याय के लिये आधार है।
3. योजित प्रकरण किसी न्यायाधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित नही है। यदि आवेदक घोषणा करता है कि इस याचिका सं पूर्व कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में नही की है। यदि आवेदक द्वारा पहले से कोई याचिका दयार की है तो निर्णय की प्रति आवश्यक है।
4. राहत/प्रार्थना

सत्यापनः–1 (आवेदक का नाम).....पुत्र श्री.....पत्नी श्री.....
.....पुत्री श्री.....आयु.....व्यवसाय.....
निवासी.....मेरे द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा संख्या–1 से 4 तक मेरी निजी ज्ञान में सत्य एवं सही है कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है।
(नोटः–आवेदन न्यायालय द्वारा रू0 500–00 शुल्क के साथ किया जायेगा।)

स्थानः–
दिनांकः– **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

प्रपत्र–36
[नियम–78 देखें]
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के प्रशासन पर और ऑकाफ .....के प्रशासन पर काम हो रहा है

सूचकांक

धारा–1 प्रशासन और प्रबन्ध
धारा–2 वित्तीय स्थिति
धारा–3 लाभकारी उद्यमों
धारा–4 अतिक्रमण हटाना, वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा और पट्टे पर दिया जाना
धारा–5न्यायाधिकरण और अदालतों के निर्णय पर वादों की स्थिति के साथ उनका पूर्ण विवरण तथा कितने वाद योजित किये/बचाव किया है।
धारा–6 विकास कार्य
धारा–7 मस्जिदों एवं धार्मिक स्थलों रख रखावसहित धार्मिक कार्य
धारा–8 दान पूण्य
धारा–9 शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थानों और केन्द्रों को अनुदान
धारा–10 अन्य किसी गतिविधि

धारा–1 प्रशासन और प्रबन्ध

1. अधिकार क्षेत्रः–
   (1) मुस्लिमों की आबादी और क्षेत्र।
   (2) ऑकाफ की संख्या।
   (3) वृत्त ओर शाखाओं की संख्या, यदि कोई हो।
   (4) मुतवल्लियों की संख्या।
   (5) वक्फ संस्थानों की संख्या।
   (6) वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण की स्थिति।
   (7) वर्ष के दौरान पंजीकृत नई वक्फ संख्या।
2. **कार्मिकों कोः–**
   (1) बोर्ड के सदस्यों की संख्या और नाम।
   (2) चुनावी कालेजों के साथ–साथ चुनाव से सदस्यों और उनके नामों की संख्या।
   (3) सदस्यों की संख्या और उनके नाम श्रेणी के आधार पर नामांकन।
   (4) नाम–अध्यक्ष और चुनाव की तिथि।
   (5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी–नाम और पदावधि।
   (6) अन्य अधिकारियों के नाम (कार्यालय और क्षेत्र)।
3. **बैठक और उपस्थितिः–**
   (1) बोर्ड की साधारण बैठक और महत्वपूर्ण बैठक तथा स्थगित बैठकों की संख्या।
   (2) बोर्ड की बैठकों में सदस्यों की बैठकों में उपस्थिति के आयोजन में नियमितता।
   (3) क्या बोर्ड की बैठकें नियम और विनियम के अनुसार आयोजित की। यदि नही, तो क्या कारण है?
   (4) एजेन्डे की सूचना और प्रस्ताव के प्रस्ताव संख्या के बारे में।

(क) वर्ष के दौरान पेश,
(ख) पारित किया,
(ग) पर चर्चा की और वापस ले लिया,
(घ) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा फिर से भेजा,
(ड.) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने राज्य सरकार को भेजा, और
(च) गिरा दिया।

4. समितियां:–
   (1) स्थायी समितियां, उनके नाम के साथ–साथ उनके कार्यों की संख्या।
   (2) प्रत्येक समिति, औसत उपस्थिति और स्थायी समितियों के सम्बन्ध में बोर्ड की टिप्पणियों के काम का सामान्य सारांश।
5. वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय में या कहीं और आयोजित अन्य बैठकों का सारांश।
6. बोर्ड की वार्षिक आम बैठक का विवरण और तिथि।

धारा–2 वित्तीय स्थिति

1. वर्ष के दौरान खातों का सारांश

खाते की मद	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	शेष जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ऑकाफों के खाते				

2. निवेश, ऋण और अनुदानः पूंजी निवेश का विवरण, ऋण और अनुदान दिया जा सकता है।
3. लेखा परीक्षा:–
   (1) धारा–80 के अर्न्तगत जिस अवधि के लिये लेखा परीक्षा पूर्ण किया गया है, और उस परीक्षण विवरण पर कार्यवाही की गई।
   (2) उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम–1995 के प्राविधानों के अर्न्तगत धन की हेरा फेरी के मामले में वक्फ संस्थाओं पर विनियोजन के प्रकरण पर कार्यवाही।
   (3) किसी भी वक्फ के वित में सुधार के मामले, कि क्या प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत है।
   (4) बोर्ड के कर्मचारियों के विरूद्ध सर्तकता के मामले।

धारा–3लाभकारी उद्यम

1. वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिये बोर्ड के धन अथवा ऋण प्रपत्र से केन्द्रीय वक्फ परिषद या अन्य किसी संस्थान से वक्फ का विकास के द्वारा आय में वृद्धि की जा सकती है।
2. बोर्ड द्वारा उठाए गये किसी भी अन्य वाणिज्यिक परियोजना का विवरण।

धारा–4 अतिक्रमण हटाना, वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा और पट्टे पर दिया जाना।

1. क्या अतिक्रमणकारियों की सूची बोर्ड द्वारा बनाई गई है और एक कार्यक्रम वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिये यदि हां, तो तत्सम्बन्धी का ब्यौरा क्या है?
2. अतिक्रमण हटाने के लिये वक्फ अधिनियम–1995 के प्रासंगिक प्राविधानों के कार्यान्वयन में प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेजी वक्फ सम्पत्तियों से अवैध कब्जेधारकों को हटाने तथा उनकी की बहाली के लिये आदेश और प्रार्थना पर क्रियान्वयन विस्तार
3. से कार्यवाही के साथ दिया जायेगा। आदेशों को लागू करने में बोर्ड को पेश आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। अतिक्रमण को हटाने के लिये जानकारी निम्न तालिकानुसार दी जा रही है:–

क्र0सं0	वक्फ की श्रेणी	अतिक्रमण की संख्या का पता चला	अतिक्रमण की संख्या को हटाया	मामलों की संख्या जहां कार्यवाही लम्बित हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. वक्फ सम्पत्तियों के पट्टे:—वक्फ सम्पत्तियों के कुल पट्टों की संख्या, पट्टे के लिये प्रस्तावों की संख्या प्राप्त की और बोर्ड द्वारा उसको निपटाया। पट्टे की राशि, दान आदि के विवरण में दिये जाने को मिली।

धारा–5 वादों की स्थिति

1. आवेदन पत्र, सूट और रिट याचिका विभिन्न न्यायालयों में लम्बित का विवरण दिया जायेगा। अधिवक्ता को शुल्क के माध्यम से किये गये व्यय रिपोर्ट में दिया जायेगा। अधिवक्ताओं के पैनल की दक्षता मामलों में बोर्ड के पक्ष में आदेश पारित कर रहे है की संख्या की जांच करके जांच की जानी।
2. ट्रिब्यूनलों में बचाव के आवेदनों और अन्य न्यायालयों में वर्ष के दौरान सूट और रिट दायर किये। वर्ष के दौरान अधिवक्ता की फीस और कानूनी मामलों में अन्य व्यय पर व्यय दिया जायेगा।
3. न्यायाधिकरण के बारे में, अपील और आवेदनों की संख्या दायर प्रत्येक ट्रिब्यूनल द्वारा उनके निपटाने की समीक्षा की जा सकती है। न्यायाधिकरण (एस) के मामलों के निपटाने में पेश आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। ट्रिब्यूनल शुल्क एकत्र की है और वक्फ फण्ड के लिये अपनी प्रेषण की जांच की जाय।

धारा–6 विकास कार्य

1. वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय में इमारतों और शाखा कार्यालयों और उनके अनुमान और व्यय के साथ स्कूलों आदि के निर्माण का विवरण।
2. अनुमान और रख रखाव पर व्यय दिये जाने की पैरा–1 में ऐसे सभी इमारतों के रख रखाव उल्लेख है।
3. वर्ष के दौरान अनुमान और लागत से वक्फ सम्पत्ति का रख रखाव जैसे विकास और चारदीवारी आदि (धार्मिक नही)है।

धारा–7 धार्मिक कार्य

1. अनुमान और लागत के साथ मस्जिद के निर्माण का ब्यौरा।
2. मस्जिदों के रख रखाव के खर्च का विवरण, दरगाह आदि बिजली के बिल की राशि के साथ।
3. उर्स और अन्य त्यौहारों पर खर्च की गई राशि।
4. विभिन्न श्रेणीयों में संख्या के साथ इमामों और मौज्जनों के वेतन का विवरण।
5. मस्जिदों को अनुदान का विवरण।

धारा–8 दान पुण्य

1. विधवाओं और अनाथों की संख्या और पैंशन की राशि का जनपद वार विवरण।
2. सेवानिवृत इमामों की पेंशन की राशि विवरण के साथ।
3. अन्य दान की राशि, दूसरों की तरह गरीब लडकियों की शादी।
4. वर्गों के साथ छात्रों की संख्या और छात्रवृत्ति की राशि।
5. कोई अन्य व्यय।

धारा–9 शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थानों और केन्द्रों के लिये अनुदान

1. बोर्ड द्वारा सीधे नियंत्रण में लिया गये विद्यालयों के अध्यापकों का नाम एवं उनकी संख्या आदि पर व्यय का विवरण।
2. निजी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक संस्थानों के नाम के साथ कॉलेज, स्कूल आदि को अनुदान आवर्ती का विवरण।
3. मदरसा के लिये अनुदान आवर्ती उनके नाम के साथ स्थान का विवरण।
4. संस्था का नाम, उनके पते और अनुदान की राशि के साथ स्कूलों, कॉलेजों, मदरसा आदि में एक मुश्त अनुदान की जानकारी।
5. व्यवसायिक केन्द्र के अनुदान का विवरण।
6. उर्दू को बढाया देने या गतिविधियों पर व्यय के साथ विवरण।

धारा–10 कोई अन्य गतिविधि

1. गणमान्य व्यक्तियों की मुलाकात और पता।
2. बोर्ड के सुचारू प्रशासन में बोर्ड और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बीच सम्बन्ध।
3. वक्फ समितियों, वक्फ संस्थाओं का निरीक्षणमुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के अनुपालन के लिये कहा।
4. सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पर कार्यवाही कर समीक्षा पर लिया।

निष्कर्ष

बोर्ड और वक्फ संस्थानों के सामान्य प्रशासन अन्य किसी महत्वपूर्ण को प्रभावित करने।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

आज्ञा से,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2014/ज्येष्ठ 15, 1936

No. 297] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2014/JYAISTHA 15, 1936

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2014

सा.का.नि. 380(अ).- केन्द्रीय सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 56 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा**.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क) "अधिनियम" से वक्फ अधिनियम, (1995 का 43) अभिप्रेत है ;

ख) "कृषि प्रयोजन" से फसल उगाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग अभिप्रेत है ;

ग) "वाणिज्यिक क्रियाकलाप" से लाभ बनाने के प्रयोजन के लिए कारबार, व्यापार, उद्यम या ऐसा किया गया कोई अन्य कार्य अभिप्रेत है ;

घ) "शैक्षिक प्रयोजन" से शिक्षा में भाग लेने या कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण का प्रयोजन अभिप्रेत है और इसमें चल रहे शैक्षिक संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या मदरसा सम्मिलित होंगे ;

ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

च) "स्वास्थ्य प्रयोजन" से अस्पताल, चिकित्सालय मुताब या परिचर्यागृह अभिप्रेत है ;

छ) "भूमि" से भवनों और वृक्षों के सिवाय, वक्फ भूमि और भूमि से संलग्न कोई चीज अभिप्रेत है ;

ज) "पट्टा" "पट्टाकर्ता" और "पट्टेदार" का वही अर्थ होगा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) में समनुदेशित है ;

झ) "पट्टा वर्ष" से प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त अवधि के दौरान कलैंडर मासों की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधियां अभिप्रेत है ;

ञ) "पट्टे पर दिया गया परिसर" से पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि या भवन अभिप्रेत है ;

ट) "पट्टा किराया" से भूमि से संलग्न फिटिंग और फिक्सचरों के लिए प्रभारों सहित पटट्कर्ता को पट्टेदार द्वारा संदेय रकम अभिप्रेत है ।

(2) वे शब्द और पद जो यहां प्रयुक्त हैं किंतु परिभाति नहीं है उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में समनुदेशित है ।

3. **कतिपय मामलों में पट्टे की मंजूरी पर निर्बन्धन.**- (1) कोई मुतवल्ली या बोर्ड पट्टे पर कोई मस्जिद, दरगाह खानकाह, कब्रिस्तान या इमामबाड़ा नहीं देगा :

परंतु ऐसा कोई निर्बन्धन मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान या इमामबाड़ा के मुख्य परिसर से बाहर स्थित वक्फ की भूमि को लागू नहीं होगा :

परंतु यह और कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के पूर्व पट्टे पर दिया कोई कब्रिस्तान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में इन नियमों के उपबंधों के अनुसार बने रहेंगे ।

4. **एक वर्ष से कम की पट्टे की लघु अवधि के बारे में प्रक्रिया** - (1) कोई मुतवल्ली या बोर्ड, वक्फ की संपत्ति को पट्टे पर ऐसे निबंधन और शर्तों पर जिन पर पक्षकार सहमत हों, एक वर्ष से कम अवधि के लिए दे सकेगा ।

(2) मुतवल्ली या बोर्ड उप-नियम (1) के अधीन पट्टे पर संपत्ति लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से, आवेदन घेरे के सामिप्य में नोटिस प्रकाशित करके, पुस्तिका पम्फलेट्स वितरित करके या ढोल बजाकर और मस्जिद या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे किसी सहज दृश्य स्थान पर उक्त नोटिस को चिपका करके आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(3) मुतवल्ली या बोर्ड, उच्चतर पट्टा किराया का संदाय करने की प्रस्थापना कर रहे किसी व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का पट्टा निष्पादित करेगा ।

(4) मुतवल्ली, बोर्ड या अपने पति या पत्नी माता-पिता, बालकों, भाईयों, बहिनों, भाईयों और बहिनों के पति या पत्नी या भाईयों और बहिनों के बालकों सहित किसी वक्फ की प्रबंध समिति का कोई सदस्य इस नियम के अधीन पट्टे के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

5. **लघु अवधि के पट्टे से भिन्न पट्टे की प्रक्रिया.**- लघु अवधि पट्टे से संबंधित उपर नियम 4 में यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति मुतवल्ली या बोर्ड सभी मामलों में जहां वक्फ की संपत्ति एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दी जानी अपेक्षित है किंतु यह तीस वर्ष से अधिक की न हो, कम से कम एक अग्रणी राष्ट्रीय (हिन्दी, उर्दू या अंग्रेजी) और एक प्रादेशिक या स्थानीय समाचार पत्र में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए बोली आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगा, अर्थात् :-

(i) वक्फ संपत्ति का ठीक क्षेत्र, वर्णन या अवस्थिति ;

(ii) प्रयोजन या उद्देश्य जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी जानी अपेक्षित है ;

(iii) वह अवधि जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी जानी अपेक्षित है ;

(iv) अधिकतम आरक्षण कीमत प्रति वर्ग फीट :

परंतु समाचार पत्र का ऐसा कोई विज्ञापन वक्फ की संपत्ति के पट्टे के लिए अपेक्षित नहीं होगा जिसका पट्टा किराया आय प्रतिमास 1000/-रू. (एक हजार रूपए) से कम हैं । मुतवल्ली या बोर्ड, पट्टे पर संपत्ति लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और नियम 4 के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करके पट्टे का निष्पादन करेगा ;

परंतु यह और कि मुतवल्ली, बोर्ड या वक्फ की प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पति या पत्नी माता-पिता, बालकों, भाइयों, बहिनों, भाईयों और बहिनों के पति या पत्नी और भाइयों और बहिनों के बालक सहित इस नियम के अधीन पट्टे के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।

6. **पट्टे के लिए बोली का आमंत्रण** - प्रतियोगी बोलियां उन सभी मामलों में आमंत्रित की जाएगी जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से किराए की आय प्रतिमास 1000/- रूपए (एक हजार रूपए) से अधिक है और वक्फ संपत्ति उच्चतम बोली बोलने वाले को पट्टे पर दी जाएगी :

परंतु किसी मामले में बोली नियम 7 में निर्दिष्ट आरक्षण कीमत से कम नहीं होगी ।

7. **आरक्षण कीमत** -(1) वक्फ संपत्ति के पट्टे के लिए प्रति वर्ग फीट आरक्षण कीमत संपत्ति के बाजार मूल्य के 5% वार्षिक से कम नहीं होगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बाजार मूल्य रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के कार्यालय पर हस्तांतरण पत्र रजिस्टर के लिए नियत कीमत होगी ।

8. **प्रतिभूति निक्षेप का संदाय** - (1) पट्टे के निष्पादन पर पट्टादार निम्नानुसार पट्टे की अवधि पर आधारित रकम के प्रतिभूति निक्षेप संदाय करेगा, अर्थात् :-

(i) एक वर्ष तक, की पट्टा अवधि पर तीन मास का पट्टा किराया ;

(ii) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष की अवधि तक पट्टा अवधि पर ग्यारह मासों का पट्टे का किराया ;

(iii) पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक की पट्टा अवधि पर चौबीस मास का पट्टा किराया, और

(iv) दस वर्ष से अधिक और तीस वर्ष तक की पट्टा अवधि पर चौबीस मास का पट्टा किराया ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप को राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा और बोर्ड इस रकम का उपयोग, बोर्ड के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन के साथ वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए कर सकेगा ।

9. **पट्टे का रजिस्ट्रीकरण** - (1) एक वर्ष से अधिक और तीस वर्ष तक की किसी अवधि के लिए वक्फ की संपत्ति का कोई पट्टा उस रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जिसकी अधिकारिता में संपत्ति अवस्थित है के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन पट्टे के रजिस्ट्रीकरण के प्रति व्यय पट्टेदार द्वारा वहन किया जाएगा ।

10. **पट्टा किराया** -(1) पट्टेदार यथास्थिति, अवधि या नवीकरण निबंधनों के प्रत्येक वर्ष की बाबत पट्टे पर दिए गए परिसर पर पट्टा किराए के लिए पट्टाकर्ता को अग्रिम में संदेय करेगा और बिना नोटिस या मांग के, मासिक या वार्षिक किस्त जिस पर पक्षकारों के बीच सहमति हो, पट्टा करार के निपादन की तारीख से संदाय करेगा ।

(2) धनादेश के माध्यम से समय पर पट्टेदार द्वारा दिया गया पट्टा किराया, को यदि पट्टाकर्ता द्वारा स्वीकार करने से या उसकी रसीद देने से इंकार करता है तो उसे वह संबद्ध वक्फ बोर्ड के समक्ष जमा कर सकेगा और पट्टा किराए को विधिमान्य रूप से जमा किया गया माना जाएगा यदि इसे पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता द्वारा ऐसे इंकार के 15 दिन के भीतर पट्टेदार द्वारा जमा किया जाता है ।

11. **पट्टा किराए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी** - प्रत्येक पट्टा करार में इस प्रभाव का एक खंड अंतर्विष्ट होगा कि विद्यमान पट्टा किराए पर 5% से अन्यून की रकम द्वारा प्रत्येक वर्ष पट्टा किराए की बढ़ोतरी होगी ।

12. **पट्टा किराए का संदाय और वसूली** - (1) वक्फ संपत्ति के पट्टे के अनुसरण में पट्टाकर्ता को पट्टेदार द्वारा संदेय सभी रकम पट्टा किराए के रूप में समझी जाएगी और पट्टाकर्ता जिसके पास उसके किसी संदाय में चूक के लिए पट्टाधारी के विरुध्द सभी अधिकार होंगे,द्वारा पट्टा किराए के रूप में वसूलनीय होगी ।

(2) पट्टा किराया, पट्टाकर्ता के पते पर या ऐसे अन्य व्यक्ति को या ऐसे अन्य पते पर, जो पट्टाकर्ता समय-समय पर लिखित में अभिहित कर सके, मुजरा की कटौती के बिना पट्टाकर्ता को संदत्त किया जाएगा ।

(3) यदि पट्टेदार पट्टे की समाप्ति या पूर्व अवसान के पश्चात् परिसर का अधिभोग करना जारी रखता है तो पट्टेदार किसी कार्यवाही में पारित अंतिम आदेशों के अध्यधीन ऐसे अप्राधिकृत अधिभोग की अवधि के लिए पट्टा किराए का संदाय जारी रखेगा ।

13. **मुतवल्ली या बोर्ड द्वारा पट्टे के लिए प्रस्ताव पर विनिश्चय के लिए समय-सीमा** - मुतवल्ली या बोर्ड, वक्फ की संपत्ति के पट्टे की मंजूरी के लिए प्रस्ताव की पट्टेदार से प्राप्ति पर जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, विचार करेगा और प्रस्ताव पर तीस दिन की अवधि के भीतर अपना विनिश्चय देगा ।

14. **बोर्ड को मुतवल्ली द्वारा रिपोर्ट की प्रस्तुति** - मुतवल्ली, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच निष्पादित सभी पट्टा करारों की प्रास्थिति यथाशीघ्र किंतु उस तारीख से जिसको पट्टे के करार का निष्पादन किया गया था, एक मास के अपश्चात् बोर्ड को देगा ।

15. **वक्फ संपत्ति के ब्यौरे की प्रस्तुति** - प्रत्येक मुतवल्ली इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में, पट्टे की अवधि, पट्टा किराया, पट्टे के निबंधन और शर्तों और उसके ऐसे अन्य ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए पट्टे पर देने के लिए वक्फ की स्थावर संपत्ति

या भाग बनाने वाली संपत्तियों के ब्यौरे राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर बोर्ड को देगा ।

16. **समनुदेशन, उपपट्टा या वक्फ संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध** - पट्टेदार पट्टा या उसके हित या पट्टे पर दिए गए परिसर के सभी या किसी भाग का समनुदेशन, उप पट्टा, गिरवी या अंतरण नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग या अधिभोग किए जाने के लिए पट्टे पर दिए परिसर के सभी या किसी भाग के कब्जे की अनुज्ञा नहीं देगा :

परंतु वक्फ संपत्ति की बाबत, किसी निगम या सरकार के किसी अभिकरण द्वारा किया गया पट्टा करार पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे ।

17. **कतिपय मामलों में तीस वर्ष तक दीर्घ अवधि के पट्टे की मंजूरी** - (1) एक वर्ष से अधिक और तीस वर्ष तक की विस्तारित अवधि के लिए किसी स्थावर वक्फ संपत्ति का पट्टा राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप, शैक्षिक या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए मंजूर किया जा सकेगा यदि राज्य सरकार तीन मास के भीतर अनुज्ञा मंजूर करने में असफल रहती है तो अनुज्ञा मंजूर की गई समझी जाएगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पट्टे की मंजूरी के लिए अनुमोदन, अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (ञ) में अंतर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा दिया जाएगा ।

18. **पट्टे की नवीकरण** - (1) किसी पट्टे करार में स्वतः नवीकरण प्रदान करने हेतु खंड अंतर्विष्ट नहीं होगा ।

(2) बोर्ड, पट्टे का नवीकरण करते समय वर्तमान पट्टेदार को अधिमान देगा यदि ऐसा पट्टेदार बोली में भाग लेता है और उच्चतम बोली से मेल खाता है ।

19. **पट्टे का प्रयोजन और अवधि** - (1) बोर्ड, निम्नानुसार इनमें से संबंधित प्रयोजनों और अवधि के लिए किसी स्थावर और वक्फ संपत्ति को पट्टे पर दे सकेगा, अर्थात् :-

(i) दुकानों के लिए, पट्टा पांच वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा;

(ii) शीतागार, वैवाहिक हाल, या लघु उद्योगों के लिए, पट्टा दस वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा;

(iii) शापिंग माल, आवासीय भवन, होटल, रेस्टारेंट या सराय की स्थापना या चलाने के लिए पट्टा तीस वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा;

(iv) विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, चिकित्सालय, मदरसों मकतबों जैसे शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना या चलाने के लिए पट्टा तीस वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा ।

(v) कृषि प्रयोजनों के लिए, पट्टा वर्ष से वर्ष आधार पर या फसल की अवधि तक उस दशा में मंजूर किया जाएगा यदि फसल की अवधि एक वर्ष से अधिक है किंतु कृषि प्रयोजनों के लिए किसी मामले में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(2) पट्टे के प्रारंभ की तारीख से पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख या पट्टे विलेख में उल्लिखित पट्टे की प्रभावी तारीख अभिप्राय होगी ।

20. **पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग और अधिभोग** - (1) पट्टेदार किसी भाग के पट्टे पर लिए परिसर या उसके पक्षकारों के बीच सहमत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परंतु किसी वक्फ संपत्ति को उन प्रयोजन के लिए जो जुआ, लाटरी या लिकर या अन्य मादक द्रव्यों के विक्रय जैसे शरियों के विरुद्ध हैं, पट्टे पर नहीं दी जाएगीं ।

(2) पट्टेदार, बोर्ड के सम्यक् अनुमोदन के बिना पट्टे पर दिए गए परिसर पर किसी संरचना का निर्माण नहीं करेगा :

परंतु बोर्ड की सम्यक अनुमति के बिना पट्टेदार द्वारा निर्मित कोई संरचना वक्फ की संपत्ति हो जाएगी और पट्टेदार पट्टे पर दिए गए ऐसी संरचना के निर्माण में उपगत व्यय के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(3) पट्टेदार परिसरों का अनुरक्षण करेगा और संपत्ति अच्छी व्यवस्था और दशा में रखेगा पट्टे पर दिए गए परिसरों से और कूड़ाकर्कट हटाएगा ।

21. **पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और बाध्यता** -(1) पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(i) **पट्टे पर दिए गए परिसर का प्रचालन** - पट्टेदार पट्टे पर दिए गए परिसर के प्रचालन और उसमें या उस पर अवस्थित सभी फिक्सचरों की मरम्मत या बदलाव और पट्टे पर दिए गए परिसर के ऐसे अनुरक्षण और प्रचालन के संबंध में उपगत सभी व्यय का संदाय करने के लिए पूर्ण दायित्व का ग्रहण करेगा :

परंतु पट्टाकर्ता इस खंड के अधीन पट्टेदार द्वारा ऐसे उत्तरदायित्व के निर्वहन करने में असफल रहने पर अपने एकल विकल्प पर और चौदह दिन की पूर्व सूचना पर और पट्टाधारी पर बाध्यता के बिना, ऐसे अनुरक्षण, मरम्मत या बदलाव जो पट्टाकर्ता उपयुक्त रूप से आवश्यक या वांछनीय समझे, को पूरा करने के लिए चुन सकेगा,

(ii) **पट्टेदार द्वारा पहुंच** - पट्टेदार किसी आपात और अन्यथा की दशा में सामान्य घंटों से परे किसी समय पट्टे पर दिए गए परिसर में पट्टाकर्ता को प्रवेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जहां ऐसा प्रवेश पट्टे पर दिए गए परिसर के पट्टेदार के उपयोग में गैर युक्तियुक्त व्यवधान और दखल नहीं देगा ।

(iii) पट्टेदार द्वारा कतिपय बाध्यताओं का क्रियान्वयन पट्टेदार -

(i) शीघ्र ही विद्युत प्रभार, जल प्रभार या कोई उपकर, उद्ग्रहण, शुल्कों, निर्धारणों और अनुज्ञप्ति फीस चाहे नगरपालिका, विद्यालय, अनंतिम, संसदीय या अन्यथा हो, का संदाय करेगा ;

(ii) पट्टाकर्ता के अनुरोध पर ऐसे उद्ग्रहणों, शुल्कों, निर्धारणों और अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए सभी प्राप्तियों को परिदान शीघ्र ही परीक्षा हेतु पट्टाकर्ता को करेगा ।

(2) **फिक्सचरों या सुधारों का संस्थापन** - यदि पट्टेदार द्वारा किए गए किसी संस्थापन या मरम्मत कार्य, पट्टे पर दिए परिसर की यांत्रिक या वैद्युत प्रणाली या संरचना की क्षति करता है तो पट्टेदार अपने स्वयं के खर्च पर पट्टे पर दी गई संपत्ति पर ऐसे संस्थापनों या फिक्सचरों की शीघ्र ही मरम्मत करेगा या हटाएगा :

परंतु पट्टेदार, यदि पट्टाकर्ता द्वारा अपेक्षित हो, पट्टे की समाप्ति पर पट्टे पर दिए गए परिसर से किसी पट्टभूमि संबंधी सुधार फिक्सचर को हटाएगा ।

(3) **पट्टेदार द्वारा परिवर्तन** - पट्टेदार, पट्टेदार द्वारा निर्मित पट्टे पर दिए गए परिसर की बाह्य दीवार, छत या अन्य संरचनात्मक संघटकों सहित किसी उपांतरण, परिवर्धन या सुधार करने के लिए लागत का वहन करेगा :

परंतु पट्टाकर्ता, पट्टेदार के खर्च पर किसी ऐसे कार्य को पूरा करेगा जिस पर पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति हो सकें ।

(4) **धारणाधिकार** - पट्टेदार, पट्टभूमि के अधिकारों सहित किन्हीं परिस्थितियों के अधीन पट्टे पर दिए गए परिसर पर कोई धारणाधिकार या विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

(5) **स्थानीय प्राधिकारियों से अनुज्ञा** - पट्टेदार, पट्टे पर दिए गए परिसर पर किसी संरचना के निर्माण के प्रयोजन के लिए बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुज्ञा लेगा ।

22. **अदृश्य क्षति और विनाश** - यदि पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टे पर दिए गए परिसर या उसके किसी भाग का अग्नि, प्रकाश, तूफान, संरचनात्मक त्रुटियों, दैवकृत या किसी अदृश्य संकट द्वारा क्षति होती है तो निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् -

(i) यदि ऐसा क्षति के परिणामस्वरूप पट्टे पर दिए गए परिसर भागतः पट्टेदार द्वारा अधिभोग के लिए उपयुक्त नहीं है तो पट्टा किराया, पट्टेदार द्वारा अधिभोग के लिए अनुपयुक्तता वाले पट्टे पर दिए गए परिसर में उस भाग को पट्टे पर अनुपात में किराए का उपशमन करेगा ।

(ii) ऊपर खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि पट्टाकर्ता के वास्तुविद या इंजीनियर द्वारा क्षति के होने के साठ दिन के भीतर दी गई राय में पट्टे पर दिया गया परिसर पुनः निर्माण मरम्मत के या क्षति की घटना के एक सौ अस्सी दिन के भीतर युक्तियुक्त तत्परता के साथ प्रत्यावर्तित होने में अक्षम है तब या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार, पट्टाकर्ता के वास्तुविद या इंजीनियर की ऐसी राय के पंद्रह दिन के भीतर लिखित में अन्य पक्षकार को नोटिस देकर पट्टा समाप्त करने के लिए विकल्प दे सकेगा :

2314 RJ/14-2

परंतु या तो पक्षकार द्वारा नोटिस पर पट्टा ऐसी क्षति की तारीख से समाप्त हो जाएगा और पट्टेदार शीघ्र ही पट्टे पर दिए गए परिसर और उस पर सभी हित पट्टाकर्ता को अभ्यर्पित कर देगा और पट्टा किराया प्रभाजित हो जाएगा और पट्टेदार द्वारा केवल क्षति की तारीख तक संदेय किया जाएगा और तत्पश्चात् पट्टाकर्ता पट्टे पर दी गई संपत्ति पर पुनः प्रवेश कर सकेगा और पुनः कब्जा ले सकेगा ।

(iii) यदि पट्टे पर दिए गए परिसर ऐसी क्षति के होने के एक सौ अस्सी दिन के भीतर पुनः निर्माण, मरम्मत या प्रत्यावर्तित करने की युक्तियुक्त तत्परता से साथ समर्थ है तब पट्टाकर्ता एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि और हड़ताल, तालाबंदी, धीमी गति, सामग्री या श्रमिकों की कमी, दैवकृत, युद्ध कार्य, आंधी पानी या अन्य घटना जो पट्टाकर्ता के युक्तियुक्त नियंत्रण के परे हो, के अंदर पट्टे पर लिए गए परिसर का पुनःनिर्माण, प्रत्यावर्तन या मरम्मत की आगे कार्यवाही करेगा और पट्टा किराए का ऊपर खंड (ii) के लिए उपबंधित रीति में उपशमन तब तक होगा जब तक पट्टे पर लिए गए परिसर का पुनःनिर्माण, पुनः मरम्मत या प्रत्यावर्तन नहीं हो जाता ।

23. **चूक.-** (1) निम्नलिखित घटनाओं में से प्रत्येक घटना चूक की घटना का गठन करेगी, अर्थात् :-

(i) पट्टा किराए के सभी या कोई भाग, ऐसे संदाय के लिए शोध्य हो जाने के पश्चात् पट्टेदार द्वारा प्रदत्त नहीं किया जाता है ;

(ii) पट्टेदार प्रत्येक और प्रत्येक प्रसंविदाओं, करारों और शर्तों का पालन करने, पूरा करने या रखने में असफल रहता है और चूक का सुधार करने या उपचार करने में ऐसे उपचार शुद्ध करने, ठीक करने या पालन करने के लिए पट्टेदार से अपेक्षा करते हुए पट्टाकर्ता द्वारा एक मास के नोटिस के बाद भी असफल रहता है ;

(iii) पट्टेदार बोर्ड की पूर्व मंजूरी या अनुमोदन के बिना भूमि या भवन पर किसी संरचना का निर्माण करता है ; या

(iv) पट्टेदार द्वारा या तीन क्रमिक मासों के लिए पट्टा किराया या पट्टा प्रतिकरों का संदाय न करना ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घटनाओं में से किसी एक या अधिक घटना के होने पर पट्टाकर्ता इसमें उसकी राय में -

(i) देय और संदेय पट्टा किराए की पूरी रकम के लिए हकदार हो सकेगा ;

(ii) प्रतिभूति जमा के प्रतिदाय करने की उसकी कोई बाध्यता नहीं हो सकेगी जिसे वक्फ के पक्ष में समपहरित होने के लिए समझा गया है ।

(iii) अधिकरण से किसी आदेश की अभिप्राप्ति के पश्चात् पट्टेदार के ऐसे माल और उपस्कर का अभिग्रहण और विक्रय कर सकेगा और सभी पट्टा किराए, जिसके लिए पट्टा के अधीन पट्टाकर्ता हकदार था, उसमें आगमों के लिए आवेदन कर सकेगा :

परंतु ऐसे कोई विक्रय, पट्टाकर्ता लोक नीलामी या अन्यथा और या तो प्रपुंज या व्यष्टिक मद द्वारा प्रभावी नहीं होगा जो पट्टाकर्ता स्वयं के विवेक में निश्चय करे ।

(iv) एक मास की नोटिस देकर पट्टे का समापन और पट्टेदार पट्टाकर्ता को अवधि के अपर्यवसित भाग के लिए पट्टा किराए का संदाय करेगा मानो यह समाप्त नहीं हुआ है ।

24. **पट्टे के अवसान या समाप्ति पर पट्टे पर ली गई संपत्ति का अभ्यर्पण.-**

(1) पट्टे की अवसान या समाप्ति पर पट्टेदार शीघ्र ही पट्टे पर दिए गए परिसर के कब्जे का अभ्यर्पण करेगा और सभी पट्ट भूमि सुधार जो सारवान दशा में है जिसमें पट्टेदार युक्तियुक्त टूट-फूट और अभ्यर्पण के सिवाय पट्टे पर दिए गए परिसर का बनाए रखना अपेक्षित है, और अभ्यर्पण पर पट्टे के सभी अधिकार हक और हित समाप्त हो जाएंगे ।

(2) यदि पट्टे के अवसान या समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार पट्टे पर लिए गए परिसर पर अधिभोग करना जारी रखता हो तो इसे अतिक्रमण माना जाएगा और अधिनियम की धारा 54 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसा अतिक्रमण हटाया जाएगा ।

(3) पट्टाकर्ता अधिनियम की धारा 55क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी पट्टेदार द्वारा पट्टे पर दिए गए परिसर पर छोड़ दिए गए पट्टेदार की पट्टाधृत सुधार उपस्कर या किसी संपत्ति को हटा सकेगा और विक्रय या अन्यथा उसका व्ययन कर सकेगा ।

25. **नोटिस.-** इन नियमों में कोई नोटिस लिखित में दी जाएगी और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और पट्टेदार के उसमें पते या पट्टाधारी को वैयक्तिक रूप से पट्टे पर लिए गए परिपत्र पर परिदत्त की जाएगी ।

26. **उत्तरवर्ती और समनुदेशिति.-** इन नियमों के तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए पट्टा, पट्टाकर्ता के उत्तरवर्तियों और समनुदेशियों तथा पट्टेदार के उत्ताधिकारियों निष्पादकों और प्रशासकों एवं अनुज्ञात उत्तरवर्तियों के फायदों के लिए होगा और उन पर आबद्धकर होगा ।

[फा. स. 12/04/ 2013-वक्फ]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

प्ररूप (नियम 15 देखें)

1.	वक्फ बोर्ड का नाम							
2.	मुतवल्ली या प्रबंध समिति का नाम							
3.	वक्फ का नाम और इसका स्वरूप तथा उद्देश्य							
4.	वक्फ के साथ संलग्न वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा							
5.	आशयित पट्टे की अवधि							
6.	स्थान जहां पर वक्फ संपत्ति अवस्थित है							
7.	पट्टाकर्ता का नाम और पता							
8.	क. पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की विशिष्टियां							
	वक्फ भूमि का क्षेत्र	वक्फ भूमि का प्रकार	राजस्व/ उपकर/ कर निर्धारण	औसत वार्षिक प्राप्ति	संरचना यदि कोई वक्फ भूमि है	सृजित होने वाली संभाव्य सकल आय	मुकदमा/ न्यायालय मामले, यदि को हो	
9.	ख. गृह/ मकान की विशिष्टियां							
	स्थल का क्षेत्र	गृह/ भवन का प्रकार	प्लिंथ क्षेत्र	लागू कुल दर	संरचना की लागत	सुविधाएं (गैरेज, स्वच्छता, बिजली संस्थापन आदि)	संनिर्माण का वर्ष	मुकदमा/ न्यायालय मामले, यदि कोई हो
10.	उपरोक्त संपत्ति का बाजार मूल्य							
11.	निबंधन और शर्तें पट्टे की, यदि कोई है							
12.	संदर्भ संख्या							

मैं प्रमाणित करता हूं कि अधोहस्ताक्षरी का उपर वक्फ में कोई फायदाप्रद हित नहीं है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी में ऊपर दी गई जानकारी सही है ।

(हस्ताक्षर)

मुतवल्ली या प्रबंध समिति का नाम

स्थान:

तारीख:

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2014

G.S.R. 380(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 56 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called The Waqf Properties Lease Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

a) "Act" means the Waqf Act, 1995 (43 of 1995);

b) "agricultural purpose" means use of land for the purpose of growing crops;

c) "commercial activities" means business, trade, enterprise or such other activities undertaken for the purpose of making profit;

d) "educational purpose" means the purpose of imparting education or training for skill development and shall include running educational institutions, schools, colleges,universities or madarsa;

e) 'Form' means a form appended to these rules;

f) "health purpose" means running of hospital, dispensary, mutab or nursing home;

g) "land" means the waqf land and anything attached to the land except building and trees;

h) "lease" "lessor" and "lessee" shall have the same meaning as assigned to them under the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882);

i) "lease year" means each successive periods of calendar months during the term ending after completion of one year of the commencement date;

j) "leased premises" means the land or the building leased out by the lessor to lessee;

k) "lease rent" means the amount payable by the lessee to the lessor including the charges for the fittings and fixtures attached to the land.

(2) Words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Restriction on grant of lease in certain cases.-** (1) No mutawalli or Board shall give on lease any mosque, dargah, khanqah, graveyard or imambara:

Provided that no such restriction shall apply to the waqf land situated outside the main premises of a mosque, dargah, khanqah, graveyard or imambara;

Provided further that any graveyard given on lease before the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2013, in the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh may be continued in accordance with the provisions of these rules.

4. **Procedure as to short duration lease of less than one year.-** (1) A mutawalli or Board may give on lease waqf property, for any period of less than one year, on such terms and conditions as agreed upon by the parties.

(2) The mutawalli or Board shall invite applications from persons desiring to take the property on lease under sub-rule (1) by publishing a notice in the surrounding vicinity, distributing leaflets, pamphlets or beating of drums and pasting the said notice on any conspicuous place like mosque or any other public place.

(3) The mutawalli or Board shall execute the lease of the property in favour of a person offering to pay higher lease rent.

(4) The mutawalli, Board or any member of the managing committee of a waqf, including their spouse, parents, children, brothers, sisters, spouses of brothers and sisters or children of brothers and sisters, shall not be eligible to apply for lease under this rule.

5. **Procedure for lease other than short duration lease.-** Save as provided in rule 4 above relating to short duration lease, the mutawali or Board, as the case may be, shall in all cases where lease of waqf property is required to be given for a period of more than one year but not exceeding thirty years, publish the invitation of bids in at least one leading national (Hindi, Urdu or English) newspaper and one regional or local newspaper containing the following details, namely :-

(i) exact area or description and location of the waqf property;

(ii) the purpose or object for which the property is required to be leased;

(iii) the period for which the property is required to be leased;

(iv) the minimum reserve price per square feet:

Provided that no such advertisement in newspaper shall be required for lease of waqf property whose lease rental income is less than Rs.1000/-(Rupees One Thousand) per month and the mutawalli or Board shall invite applications from persons desiring to take the property on lease and execute the lease by following the procedure specified in sub-rules (2) and (3) of rule 4:

Provided further that the mutawalli, Board or any member of the managing committee of a waqf, including their spouse, parents, children, brothers, sisters, spouses of brothers and sisters or children of brothers and sisters, shall not be eligible to apply for lease under this rule.

6. **Invitation of bid for lease.-** Competitive bids shall be invited in all cases in which the rental income from the leased property is more than Rs.1000/-(Rupees One Thousand) per month and the waqf property shall be leased out to the highest bidder:

Provided that the bid shall in no case be less than the reserve price referred to in rule 7.

7. **Reserve Price.-** (1) The reserve price per square feet for lease of the waqf property shall not be less than 5% per annum of the market value of the property.

(2) The market value referred to in sub-rule (1) shall be the price fixed for registering a conveyance at the office of the Registrar or Sub-registrar.

8. **Payment of security deposit.-** (1) Upon the execution of lease, the lessee shall make payment of a security deposit of the amount based on the period of lease, as under, namely :-

(i) three months lease rent on lease period of upto one year ;

(ii) eleven months lease rent on lease period of more than one year and upto five years ;

(iii) eighteen months lease rent on lease period of more than five years and up to ten years; and

(iv) twenty-four months lease rent on lease period of more than ten years and up to thirty years.

(2) The security deposit received under sub-rule (1) shall be kept in a nationalised Bank and the Board may utilise the amount for development of waqf properties, with the sanction of not less than two-thirds of the members of the Board.

9. **Registration of lease .-** (1) A lease of waqf property for any period exceeding one year and up to thirty years shall be registered at the office of Registrar or Sub-registrar under whose jurisdiction the property is situated.

(2) The expenses towards registration of lease under sub-rule (1) shall be borne by the lessee.

2314 GI/14-3

10. Lease rent.-(1) The lessee shall pay to the lessor for the leased premises lease rent in respect of each year of the term or renewal terms, as the case may be, payable in advance and without notice or demand, in monthly or annual instalments as agreed upon between the parties, from the date of execution of the lease agreement.

(2) The lease rent tendered by the lessee on time by way of money order, if refused by the lessor in accepting or giving receipt, may be deposited before the concerned Waqf Board and the Lease rent shall be treated as validly deposited if deposited by the lessee within 15 days of such refusal by the lessor.

11. Increase of lease rent per annum.-Every lease agreement shall contain a clause to the effect that there shall be an increase of lease rent every year by an amount of not less than 5% on the existing lease rent.

12. Payment and recovery of lease rent.- (1) All amounts payable by the lessee to the lessor pursuant to the lease of waqf property shall be deemed to be lease rent and be recoverable as lease rent by the lessor who shall have all rights against the lessee for default in any payment thereof.

(2) Lease rent shall be paid to the lessor without deduction or set-off, at the address of the lessor or to such other person or at such other address, as the lessor may from time to time, designate in writing.

(3) If the lessee continues to occupy the premises after the expiration or earlier termination of the lease, the lessee shall, subject to final orders passed in any proceedings, continue to pay lease rent for the period of such unauthorised occupation.

13. Time limit for decision on proposal for lease by mutawalli or Board.- The mutawalli or Board shall, on receipt from the lessee of a proposal for grant of lease of waqf property which is complete in all respects, consider and give its decision on the proposal, within a period of thirty days.

14. Submission of report by mutawalli to the Board.- The mutawalli shall give the status of all lease agreements executed between the lessor and the lessee to the Board as early as possible but not later than one month from the date on which the agreement of lease was so executed.

15. Submission of details of waqf property.- Every mutawalli shall furnish in Form appended to these Rules, details of immovable property or properties forming part of the Waqf to be leased out, specifying the period of lease, lease rent, terms and conditions of lease and such other details thereof to the Board, within three months from the date of notification of these rules in the Official Gazette.

16. Prohibition to assign, sub-lease or transfer waqf property.- The lessee shall not assign, sub-lease, pledge or transfer the lease or any interest therein or in any way part with possession of all or any part of the leased premises, or permit all or any part of the leased premises to be used or occupied by any other person:

Provided that the lease agreement entered into by any corporation or an agency of the Government in respect of waqf property shall be governed by the terms and conditions mutually agreed between the parties.

17. Grant of long term lease of upto thirty years in certain cases.- (1) A Lease of any immovable waqf property exceeding one year period and extending up to thirty years may be granted for the purposes of carrying out any commercial activity, education or health purposes, with the approval of the State Government. If the State Government fails to grant permission within 3 months, the permission may be deemed to be granted.

(2) The sanction for grant of lease under sub-rule (1) shall be given by the Board in accordance with the procedure contained in clause (j) of sub-section (2) of Section 32 of the Act.

18. Renewal of lease.-(1) No lease agreement shall contain a clause providing for automatic renewal.

(2) The Board shall, while renewing the lease, give preference to the present lessee if such lessee participates in the bid and matches the highest bid.

19. Purpose and period of lease.- (1) The Board may give on lease any immovable waqf property for the purposes and for the period relating thereto as under, namely:-

(i) for shops, lease shall be granted for a period of up to five years;

(ii) for cold storages, marriage halls or small industries, lease shall be granted for a period of up to ten years;

(iii) for establishing or running of shopping malls, residential buildings, hotels, restaurants or Inns, lease shall be granted for a period of up to thirty years;

(iv) for establishing or running educational institutions like schools, colleges, universities, hospitals, dispensaries, madarasa's or maktabs, lease shall be granted for a period of upto thirty years;

(v) for agricultural purposes, the lease shall be granted on year to year basis or until the life of the crop in case the crop has a life span of more than one year, but no lease for agricultural purposes shall be granted for a period exceeding three years in any case.

(2) The commencement date of the lease shall mean the date of execution of lease deed or the effective date of lease mentioned in the lease deed.

20. Use and occupation of leased property.- (1) The lessee shall not use or permit to be used the leased premises or any part thereof for any other purpose other than the purpose agreed between the parties:

Provided that no waqf property shall be given on lease for purposes which are against sharia such as gambling or lottery or sale of liquor or other intoxicants.

(2) The lessee shall not build any structure on the leased premises without due approval of the Board:

Provided that any structure build by the lessee without due approval of the Board shall become the property of the waqf and the lessee shall not be entitled to any compensation for the expenses incurred in building such structure.

(3) The lessee shall maintain the leased premises and keep the property in good order and condition and remove all debris and garbage from the leased premises.

21. Rights and Obligations of the lessor and lessee.- (1) The rights and liabilities of the lessee shall include the following, namely:-

(i) **Operation of leased premises.-** The lessee shall assume full responsibility for the operation and maintenance of the leased premises and for the repair or replacement of all fixtures located therein or thereon and to pay all expenses incurred in connection with such maintenance and operation of the leased premises:

Provided that the lessor may, upon failure to discharge such responsibility by the lessee under this clause, at its sole option and upon fourteen days prior written notice and without any obligation to the lessee, elect to perform such maintenance, repairs or replacement as the lessor may reasonably deem necessary or desirable.

(ii) **Access by lessor.-** The lessee shall permit the lessor to enter the leased premises at any time outside normal hours in case of an emergency and otherwise, where such entry will not unreasonably disturb or interfere with the lessee's use of the leased premises.

(iii) **Lessee to carry out certain obligations.-** The lessee shall,-

(i) promptly pay electricity charges, water charges or any cess, levies, duties, assessments, and license fees whatsoever whether municipal, school, provincial, parliamentary or otherwise;

(ii) upon the request of the lessor, promptly deliver to the lessor for examination all receipts for payment of such levies, duties, assessments and license fees;

(2) Installation of fixtures or improvements.- If any installation or repair work carried out by the lessee interferes with or damages the mechanical or electrical systems or the structure of the leased premises, the lessee shall promptly repair or remove such installations or fixtures on the leased property at its own expense:

Provided that the lessee shall, if required by the lessor, remove any leasehold improvements or fixtures from the leased premises upon the termination of the lease.

2314 SG 14 - 4

(3) **Alterations by lessee.-** The lessee shall bear the cost for making any modification, additions or improvements including alterations to the exterior walls, roof, or other structural components of the leased premises made by the lessee:

Provided that the lessor shall perform any such work at the expense of the lessee as may be mutually agreed between the parties.

(4) **Liens.-** The lessee shall not create any lien or encumbrance on the leased premises under any circumstances including on the leasehold rights.

(5) **Permission from local authorities.-** The lessee shall, for the purpose of construction of any structure on the leased premises, take all necessary permission from the local authorities, after prior approval of the Board.

22. **Unforeseen damage and destruction.-** If during the period of lease, the leased premises or any part thereof is damaged by fire, lightning, tempest, structural defects or acts of God or by any unforeseen perils, the following provisions shall apply, namely:-

(I) If as a result of such damage the leased premises are rendered partially unfit for occupancy by the lessee, the lease rent shall abate in the proportion to that part of the leased premises rendered unfit for occupancy by the lessee.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) above, if in the opinion of the lessor's architect or engineer given within sixty days of the happening of damage, the leased premises is incapable of being rebuilt, repaired or restored with reasonable diligence within one hundred and eighty days after the occurrence of the damage, then either the lessor or the lessee may opt to terminate the lease by giving to the other party a notice in writing within fifteen days of such opinion of the lessor's architect or engineer:

provided that upon notice by either party, lease shall terminate from the date of such damage and the lessee shall immediately surrender the leased premises and all interest therein to the lessor and the lease rent shall be apportioned and shall be payable by the lessee only up to the date of the damage and the lessor may thereafter re-enter and repossess the leased premises.

(iii) If the leased premises are capable with reasonable diligence of being rebuilt, repaired or restored within one hundred and eighty days of the occurrence of such damage, then the lessor shall proceed to rebuild, restore or repair the leased premises within the said period of one hundred and eighty days plus any additional period caused by strikes, lock-outs, slow-downs, shortages of material or labour, acts of God, acts of war, inclement weather or other occurrences which are beyond the reasonable control of the lessor, and the lease rent shall abate in the manner provided for in clause (i) above until the leased premises have been rebuilt, repaired or restored.

23. **Default.-** (1) Each of the following events shall constitute an event of default, namely :-

(i) all or any part of the lease rent is not paid by the lessee after it become due for such payment;

(ii) the lessee fails to observe, perform or keep each and every of the covenants, agreements and conditions and fails to rectify or remedy the failure even after one month's notice by the lessor requiring the lessee to so remedy, correct, desist or comply;

(iii) the lessee builds any structure on the land or building without prior sanction or approval of the Board; or

(iv) non-payment by the lessee of lease rentals or lease considerations for three consecutive months.

(2) Upon the occurrence of one or more of the events referred to in sub-rule (1), the lessor may, at its option,-

(i) be entitled to the full amount of the lease rent due and payable;
(ii) have no obligation to refund the security deposit which shall be deemed to be forfeited in favour of the Waqf.

(iii) seize and sell such goods and equipment of the lessee after obtaining an order from the Tribunal and may apply the proceeds thereof to all lease rent to which the lessor is then entitled under the lease:

Provided that any such sale may be effected by public auction or otherwise, and either in bulk or by individual item, as the lessor in its sole discretion may decide;

(iv) terminate the lease by giving one months notice and the lessee shall pay to the lessor lease rent for the unexpired portion of the term had it not been terminated.

24. **Surrender of leased property on expiration or termination of lease.-**

(1) Upon expiration or termination of the lease, the lessee shall immediately surrender possession of the leased premises and all leasehold improvements in substantially the condition in which the lessee is required to maintain the leased premises excepting only reasonable wear and tear, and upon surrender, all right, title, and interest of the lessee in the leased premises shall cease.

(2) If after the expiration or termination of the lease, the lessee continues to occupy the leased premises, it shall be treated as an encroachment and such encroachment shall be removed in accordance with the procedure specified in Section 54 of the Act.

(3) The lessor may remove and sell or otherwise dispose of any leasehold improvements, equipment or any other property of the lessee left on the leased premises by the lessee after the termination of the lease, in accordance with the procedure specified in Section 55-A of the Act.

25. **Notice.-** Any notice under these rules shall be given in writing and sent by registered mail or by speed post and delivered to the lessor at his address; and to the lessee, personally or at the leased premises.

26. **Successors and assigns.-** Subject to the specific provisions contained in these rules to the contrary, the lease shall be for the benefit of and be binding upon the successors and assigns of the lessor and the heirs, executors and administrators and the permitted successors and assigns of the lessee.

[F. No. 12/04/2013-Waqf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

APPENDIX

Form (See rule 15)

1.	Name of the Waqf Board						
2.	Name of the mutawalli or management committee.						
3.	Name of Waqf and its nature and object.						
4.	Details of the Waqf properties attached with the Waqf.						
5.	Period of lease intended						
6.	Place where the waqf property is situated						
7.	Name and address of the lessor						
8.	**A. Particular of land to be leased**						
	Area of Waqf land	Type of Waqf land	Revenue / cess/ tax/ assessment	Average annual yield	Structure, if any on the Waqf land	Gross Income likely to be generated.	Litigation / court cases, if any

	B. Particular of house / building							
	Area of site	Type of house/ building	Plinth Area	Total rate applicable	Cost of structure	Facilities (Garage, sanitary, electric installation, etc.)	Year of construc-tion	Litigation/ court cases, if any
9.	Market value of the above property							
10.	Terms and conditions, if any of lease							
11.	Reference No.							

It is hereby certified that the undersigned has no beneficial interest in the above waqf and the information furnished above are true to the best of my knowledge.

(Signature)

Name of the mutawalli or the management committee.

Place:

Date:

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–5

अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपनें कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिता और अभिलेख

(Rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions) (A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी
देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(1)

मैनुअल संख्या–6

ऐसे दस्तावेजों के द्वारा जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण हैं, प्रवर्गों का विवरण।

(A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

वक्फ बोर्ड कार्यालय में वक्फ बोर्ड के गठन के पश्चात ऐसे दस्तावेज हैं जो कि गोपनीय प्रवृत्ति के न होने के कारण सर्वे सुलभ है। वक्फ बोर्ड स्तर पर कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। बोर्ड में नियुक्त महानुभावों/अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियॉ निम्नवत है।

1. श्री मौहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक।
2. श्री सोहन सिंह रावत, रिकॉर्ड कीपर
3. श्री आलिम खान, कनिष्ठ लिपिक
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद पंत, कनिष्ठ लिपिक

****

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(1)

मैनुअल संख्या – 06

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में हैं, का विवरण

(A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यालय में बोर्ड गठन के पश्चात ऐसे दस्तावेज हैं जो कि गोपनीय प्रवृत्ति के न होने के कारण सर्वसुलभ है। वक्फ बोर्ड स्तर पर कोई गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बोर्ड में नियुक्त/नामित बोर्ड के मा0 अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यगणों/अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीक ृत वक्फों की सर्वे/जनरल आदि पत्रावलियॉ निम्नवत हैं।

1. मा0 अध्यक्ष महोदय एवं मा0 सदस्यगणों को नियुक्त/नामित किये जाने से सम्बन्धित पत्रावली।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली
3. बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली।
4. जनपदवार वक्फ दफा–37 रजिस्टर
5. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत जनपदवार वक्फों की सर्वे पत्रावलियॉ
6. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत जनपदवार वक्फों की जनरल पत्रावलियॉ
7. अन्य जनरल पत्रावलियॉ
8. वादों से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।
9. डिस्पैच रजिस्टर
10. पत्र प्राप्ति रजिस्टर
11. कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित पंजिका
12. कैशबुक
13. वेतन रजिस्टर
14. अन्य पत्रावलियॉ।

उक्त सभी पत्रावलियॉ मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अभिरक्षा में कार्यालय में माजूद हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(1)

मैनुअल संख्या – 07

(किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यामान हैं।)

(Particulars of any arrangement that exists for conclusion with or representation by, the members of the public in relations to the formulation of its policy or implementation thereof)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के गठन हेतु जारी राज्य सरकार के राजपत्र में निहित व्यवस्था ही लागू हैं जनता के सदस्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है। इसलिए किसी व्यवस्था की विशष्टियों के सम्बन्ध में जनता द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठता है। अतः उक्त धारा से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

मैनुअल संख्या–8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया जाता है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

(A statement of the Boards councils, committies and other bodies consistion of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meeting of those boards, councils, committies and other bodies are open to the public or the minutes of such meeting are accessible for public)

****

******

लागू नहीं

****

******

श्री अदालत आलम, मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक- 31/01/2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति :-

1-	श्री अदालत आलम	मा० अध्यक्ष
2-	" श्री शहजाद	मा० सदस्य
3-	" श्री सरवत करीम अंसारी	मा० सदस्य
4-	" श्री इकबाल अहमद	मा० सदस्य
5	" श्री मुख्तार अली	मा० सदस्य
6	" श्री राव मुमताज अली	मा० सदस्य
7	" डॉ० हसन चुरी	मा० सदस्य
8	" श्री मुहम्मद इदरीस	मा० सदस्य
9	" श्रीमती जिया बानो	मा० सदस्य
10	" श्री मुख्तार मोहसिन	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बोर्ड का कोरम पूरा हुआ।

बैठक का आरम्भ मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किया गया। सर्व प्रथम मा० अध्यक्ष द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी का परिचय बोर्ड के मा० सदस्यगण को कराया गया।

बोर्ड की अनुमति से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अपना परिचय मा० सदस्यगण को दिया तथा मुख्यकार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड के कार्यों हेतु अपनी प्राथमिकताऐं/दीजन बोर्ड के समक्ष रखा, जिसको बोर्ड द्वारा स्वागत किया गया।

मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड की बैठक दिनांक- 16/11/2022 की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निम्नवत् है।

~~बिन्दु संख्या-1 से 7 तक बोर्ड द्वारा बिन्दु संख्या-8 को छोड़कर अन्य~~

8

बिन्दु संख्या-2- गत बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-2 को संशोधित किया गया "अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए पढ़ा व समझा जाए" अंकित कराया गया।

बिन्दु संख्या-3- अगले बोर्ड बैठक में विचार हेतु रखने का प्रस्ताव किया गया।

बिन्दु संख्या-4- को बोर्ड द्वारा वक्फ का अंशदान 7% स्वीकार किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सं0-6 बक्फ सं0 3024 कालिस्तान चेरीखाल, गंगालीय हरिद्वार में धारा-52 के उल्लंघन अधिनियम जिलाधिकारी, हरिद्वार को भेजे जाने हेतु बोर्ड ने पालगत नकारात्मक आख्या, एवं कोई धारा फौजदारी प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की प्रतीक्षा प्रदान की गयी।

बिन्दु सं0-7 के क्रम में कोई धारा औकाफ प्रतिष्ठान की समीक्षा के लिए सहलाव गठन की अधिकारिता के लिए बढ़वाना मण्डल के मा0 सदस्यों एवं चुनाये मण्डल के लिए चुनाये मण्डल के मा0 सदस्यगण की सर्वसम्मति अंकित की गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी उक्त लवणों की सूची मा0 सदस्यगण को उपलब्ध करायेंगे।

बिन्दु सं0-7.1 से 7.2 मौहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक को निलंबित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु सं0-7.2 नाजिद हुसैन, तत्कालीन वक्फ निरीक्षक को रिट याचिका संख्या-922/2021 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन होने के कारण तथा उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक होने के कारण उन्हें बोर्ड की सेवा में न लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु सं0-7.3 की पुष्टि की गई।

बिन्दु सं0-7.4 बोर्ड की बैठक दिनांक- 15/09/2022 के अनुपालन में दरगाह पिरान कलियर के उर्स मेले हेतु गठित मध्यवर्ती कमेटी को अपनी बैठक कर बोर्ड को प्रस्तुत निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

बिन्दु सं0-7.5 के क्रम में औकाफों के निरीक्षण हेतु प्रारूप तैयार कर बोर्ड के मा: सदस्यगण को दिया गया।

बिन्दु सं0-7.6 बोर्ड द्वारा पुष्टि की गयी।

बिन्दु सं0-7.7 के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड के सम्मुख रखे गये प्रस्ताव यथा:-

1- वक्फ विशेषज्ञों की तैनाती
2- उपनल के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती
3- लेखा सम्बन्धी कार्यों हेतु सी0 ए0 की तैनाती

उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पारित किया गया।

बिन्दु सं0-7.8 की पुष्टि की गयी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु सोल्ला- 7.9 की पुष्टि की गयी।

बिन्दु सोल्ला- 7.10 की पुष्टि की गयी तथा यदि जायन्त रहीद को अधिकृत किया जाता कि वह राष्ट्रीय से या राज्य स्तर से जाने वाली सूचना को या राष्ट्रीय से सम्बन्धित करेंगे।

बिन्दु सोल्ला-7.11 की पुष्टि की गयी।

बिन्दु सोल्ला- 7.12 के सम्बन्ध में जानकारी या विधानों को जानकारी हो जाने हेतु कोई प्रेजेन्टेशन, आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध करेंगे।

बिन्दु सोल्ला- 7.13 की पुष्टि की गयी।

बिन्दु सोल्ला- 7.14 के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि सी.ए. से प्रमाणित कर जल्द प्रस्तुत किया जाएगा, बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

बिन्दु सोल्ला-7.15 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा उक्त सेत्रा, 2022 में हुई अनियमितताओं/शिकायतों की जाँच हेतु शासन स्तर से उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाकर, कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

तदोपरान्त आज के एजेण्डे पर निम्नवत निर्णय लिए गये:—

बिन्दु सोल्ला:-1 के क्रम में उपरोक्तानुसार पुष्टि की गयी।

बिन्दु सोल्ला-2 के क्रम में कार्यवृत्त के बिन्दु सोल्ला-6 में पारित प्रस्ताव के अनुरूप किया गया है।

बिन्दु सोल्ला-3 मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं वक्फ अधिकरणों में अधिवक्ता पैनल की नियुक्ति किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निम्नलिखित समिति का ~~गठन~~ गठन किया गया:—

1- मा० अध्यक्ष
2- श्री राव युनफैत अली, मा० सदस्य
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बिन्दु सोल्ला-4 के क्रम में एफ.सी.आर.ए. खाता खोले जाने हेतु ~~अ~~ विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

मुख्य [illegible]
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या-5 के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-33 (निरीक्षण करने), धारा-70 (वक्फ के प्रशासन से सम्बन्धित जाँच) की शक्तियाँ प्रदान की गयी, जिसकी आगामी बोर्ड में प्रस्तुत की जायेगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मा० अध्यक्ष की अनुमति से अन्य ध्यानाकर्षण बिन्दुओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जो निम्नवत हैं:—

बिन्दु संख्या-01- PIL NO-87/2011 में पारित प्रस्ताव के क्रम में 25.00 लाख की धनराशि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में जमा कराई गई। बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-2,3,4 के क्रम में बोर्ड द्वारा ओल्ड ऐज होम की स्थापना किये जाने तथा सोलर प्लांट/पॉली हाऊस फार्म की प्राप्त आय से ओल्ड ऐज होम में रहने वालों व्यक्तियों पर व्यय की जाए, प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु सं०-5 मै० हबीबुल्लाह एण्ड कम्पनी के कार्य आदेश को निरस्त करने से बोर्ड को अवगत कराया गया, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-6 कांवली कब्रिस्तान के प्रकरण को अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु सं०-7 चकराता सदर बाजार मस्जिद हेतु इमाम की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा नमालियों में से किसी सुयोग्य को इमाम के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया।

बिन्दु संख्या-6 मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय:—

1- श्री राव मुनफैत अली, मा० सदाय द्वारा प्रस्ताव रखा कि दरगाह ~~पिरान कलियर~~ पीर सिरोंदा के अन्दर पुराना पेड़ किसी ने काट दिया है, जिसकी जाँच कराई जाए, बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

Scanned with OKEN Scanne

2- श्री अहमद, मा० विधायक/मा० सदस्य द्वारा दरगाह के ठेके फरवरी के दूसरे सप्ताह में कराये जाने, दरगाह के पुराने रखे गये नोटों को निकलवाए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया तथा दरगाह के गोलकों की गिनती में कितना पैसा प्राप्त हुआ है, से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

इस के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि दरगाह की गोलकों के सम्बन्ध में SOP को लागू कराया जायेगा, एवं ठेके फरवरी माह में कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/प्रशासक, दरगाह पिरान कलियर से अनुरोध किया जायेगा।

3- बोर्ड के सदस्यों द्वारा सभी कैमरे ठीक कराये जाने तथा बड़ी LCD स्थापित कर कैमरों का सीधा प्रसारण (Live) फेसबुक और यूट्यूब पर भी LIVE कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

4- बोर्ड की मा० सदस्य श्रीमती जिया बानो द्वारा प्रस्ताव रखा कि उनकी छोटी बेटी है, अतः बोर्ड बैठक में उनके साथ पर उनके पति को बैठने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव रखा, बोर्ड द्वारा सहानुभूति रखते हुए स्वीकार किया गया।

5- वक्फ संख्या- 549 रुद्रमसिंहनगर के सम्बन्ध में बोर्ड के मा० सदस्य श्री इकबाल अहमद ने प्रस्ताव रखा कि कमेटी द्वारा पूर्व से बंद पड़ी दो दुकानों का आंवटन किस प्रकार किया गया है, की जांच कराये जाने का अनुरोध किया, बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

6- राव मुनफैत अली, मा० सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखा कि दरगाह पिरान कलियर को बोर्ड के सीधे नियंत्रण में लिये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में उचित कार्यवाही की जाए तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दरगाह में जो भी कार्य करें, उससे बोर्ड को भी अवगत करायें, उक्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

Scanned with OKEN Scanne

7- कब्रिस्तान आउ, खटीमा उधमसिंहनगर की जाँच कराये जाने हेतु मा० सदस्य श्री इकबाल अहमद द्वारा प्रस्ताव रखा गया जिसे बोर्ड अनुमोदित किया गया।

8- श्री इकबाल अहमद, मा० सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखा गया। कि हल्द्वानी में बनभूलपुरा में स्थित दरगाह चिराग अली शाह हेतु प्रशासक को नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करते हुए तहसीलदार, हल्द्वानी को वक्फ का प्रशासक नियुक्त किये जाने प्रस्ताव पारित किया गया।

9- हल्द्वानी में रेलवे की सम्पत्ति के अधीन आने वाली वक्फों के लिए मा० सदस्य, श्री इकबाल अहमद, श्री अनीस द्वारा प्रस्ताव रखा कि मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में सम्बन्धित मामले में वक्फ बोर्ड भी पार्टी बने और किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का चयन कर वक्फों को बचाया जाए, बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

10-

अतः अंत में मा० अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समापन किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

Scanned with OKEN Scanne

श्री शाहाब शम्स, मा. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक- 05/04/2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :—

उपस्थिति :—

1-	सर्व श्री शाहाब शम्स	— मा. अध्यक्ष
2-	" श्री शहजाद	मा. सदस्य
3-	" श्री सरवत करीम अंसारी	मा. सदस्य
4-	" श्री इकबाल अहमद	मा. सदस्य
5-	" श्री मुनव्वर अली	मा. सदस्य
6-	" श्री राव मुनफैत अली	मा. सदस्य
7-	" डॉ. हसन नूरी	मा. सदस्य
8-	" श्री मुहम्मद अनीस	मा. सदस्य
9-	" श्रीमती जिया बानो	मा. सदस्य
10-	" श्रीमती कहकशां नसीम	— मुख्य कार्यपालक अधिकारी
11-	" श्री मुख्तार मोहसिन	

बोर्ड का कोरम पूरा हुआ।

बैठक का प्रारम्भ डॉ० हसन नूरी, मा. सदस्य के द्वारा दुआ से किया गया।

तदोपरान्त मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड की गत बैठक दिनांक- 21/01/23 की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो कि निम्नवत् है:—

प्रस्ताव संख्या- 02 वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा- 27 की शक्तियों के प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 03- वक्फ संख्या- 129 मुस्लिम नेशनल जूनियर हाई स्कूल के जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में पेयजल विभाग से प्राप्त आगणन को प्रशासनिक एवं वित्तीय — अनुमति हेतु प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, विभाग उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

175

प्रस्ताव संख्या- 4- धारा-72 के अन्तर्गत बोर्ड को प्राप्त होने वाले अंशदान को 07 प्रतिशत ही रखे जाने की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 5- वक्फ संख्या 3027 का विवरण नेचोबन्दान, मंगलौर जिला हरिद्वार के धारा- 52 के अन्तर्गत अधिग्रहण के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है, से बोर्ड को अवगत कराया गया, जिसकी पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 6 बोर्ड द्वारा औकाफों की समीक्षा हेतु मण्डलवार मा० सदस्यगण की समिति गठित की गयी, जिसकी बोर्ड द्वारा पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.1 श्री मोहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक को बहाल किये जाने की ~~प्रस्ताव~~ पुष्टि नही की गयी, इसके अतिरिक्त श्री मोहम्मद अली के सम्बन्ध में जाँच कमेटी को पत्र प्रेषित करने तथा ~~उक्त~~ जाँच कमेटी अपनी जाँचाख्या 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी, प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 7.2 बोर्ड के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तथा विशेष कार्यक्षमता वाले कार्मिक की सेवाअवधि बोर्ड के अनुमोदन पर 65 वर्ष की जायेगी, प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 7.3 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.4 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.5 बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व में पारित प्रस्ताव को आंशिक रूप से संशोधित किया यथा "जिन औकाफों में निरीक्षण करने की आवश्यकता हो, उन्ही औकाफों का निरीक्षण/सत्यापन मा० सदस्यगण द्वारा किया जायेगा, पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 7.6 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.7 उपनल के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती प्रक्रिया को रोके जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या- 7.8 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.9 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.10 पुष्टि की गयी एवं भारत सरकार की कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत के सम्बन्ध में केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली से योजना की अध्यतन स्थिति प्राप्त कर ली जाए। योजना समाप्त होने पर श्री मामून रशीद, सहायक प्रोग्रामर को बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर वेतन/मानदेय पर तैनात कर लिया जाय, प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 7.11 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.12 भविष्य में बोर्ड की बैठक की तिथि नियत होने पर बोर्ड के मा. अध्यक्ष महोदय की ओर से सचिव-विधान सभा, उत्तराखण्ड को बोर्ड बैठक प्रस्ताव लिखने हेतु एक कुशल आशुलिपिक उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय। उक्त प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 7.13 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.14 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या- 7.15 दरगाह साबिर पाक के उर्स मेला, 2022 में हुई अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

दिनांक 21/01/2023 के प्रस्तावों के अनुपालन पर निर्णय

प्रस्ताव संख्या-01 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या-02 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या-03 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या-04 पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या-05 बोर्ड द्वारा पुष्टि नहीं की गयी अपितु मुख्य कार्यपालक अधिकारी से धारा- 33 निरीक्षण करने एवं धारा-70 जांच से सम्बन्धित शक्तियां वापस लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य ध्यानाकर्षण बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर निर्णय:—

बिन्दु संख्या- 1, 2, 3, 4 एवं बिन्दु संख्या- 5 की पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या- 6 - कांवली कब्रिस्तान से सम्बन्धित प्रकरण पर अग्रिम बोर्ड बैठक में निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-7 मस्जिद-तकराता में इमाम को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बोर्ड के मा० सदस्यगण को सुयोग्य व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या:—

बिन्दु संख्या-01 दरगाह सिकरौढा में पुराने पेड काटे जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु वन विभाग को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-2 पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या-3 प्रशासक दरगाह पिरान कलियर को सी.सी.टी.वी. कैमरों का लाइव प्रसारण फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से कराये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए किसी एजेंसी का चयन कर कार्य लिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-4 पुष्टि नही की गयी।

बिन्दु संख्या-5 पूर्व में पारित प्रस्ताव को संशोधित करते हुए श्री इकबाल अहमद के स्थान पर श्री अनीस अहमद लिखे जाने एवं जिलाधिकारी को जाँचाख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-06 किसी सुयोग्य अधिवक्ता का चयन कर दरगाह पिरान कलियर शरीफ को बोर्ड के सीधे नियंत्रण में लिये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया

बिन्दु संख्या-6 पूर्व में पारित प्रस्ताव को आंशिक संशोधन करते हुए श्री इकबाल अहमद के स्थान पर श्री उमीस अहमद का नाम लिखा जाय, पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-7 व 8 पुष्टि की गयी।

दिनांक-05/04/2023 की बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या-1 उपरोक्तानुसार पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या-2 वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-23 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु निम्नवत दो नाम प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया:-

1- श्री सैयद सिराज उस्मान, अधिशासी अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, हरिद्वार।

2- श्री नासिर हुसैन, अपर आयुक्त, राजस्व विभाग देहरादून।

बिन्दु संख्या-3 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की ओर से राज्य के समस्त जनपदों विशेषतः देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में रमजान एवं ईद-उल-फितर की शुभकामनाओं के होडिंग बनवाये जाने एवं इसका प्रचार प्रसार डिजीटल/मीडिया के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-4 उक्त प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा निरस्त किया गया।

बिन्दु संख्या- 5 जिन औकाफों की वार्षिक आय पाँच लाख या उससे अधिक है, उन औकाफों में कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किये जाने एवं उनका मानदेय सम्बन्धित औकाफ से दिये जाने के सम्बन्ध में शासन से अनुमति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु संख्या- 6 गार्डन सदनों के कार्य को पूर्ण कर इसी सत्र से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

मा० अध्यक्षा महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय:-

1- वक्फ संख्या 624 वक्फ जामा मस्जिद, लक्सर जिला- हरिद्वार में स्थित मदरसा/स्कूल का जीर्णोद्धार किये जाने हेतु किसी कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

2- दिनांक- 23/02/2023 को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के साथ बोर्ड के कुछ सदस्यगणों द्वारा अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौच किये जाने सम्बन्धी प्रकरण में जाँच हेतु जिलाधिकारी, देहरादून को पत्र प्रेषित करते हुए इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी अथवा सदस्यगण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अतः अंत में मा० अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

श्री शादाब शम्स, मा. अध्यक्ष उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक- 17/08/2023 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1-	सर्व-श्री शादाब शम्स	मा० अध्यक्ष
2-	" सरवत जरीन उस्मानी	मा० सदस्य
3-	" इकबाल अहमद	मा० सदस्य
4-	" मुनव्वर अली	मा० सदस्य
5-	" मुनफैत अली	मा० सदस्य
6-	" मुहम्मद अनीस	मा० सदस्य
7-	" डॉ० मोहम्मद हसन नूरी	मा० सदस्य
8-	श्रीमती कहकशां नसीम	मा० सदस्य
9-	श्रीमती रजिया बानो	मा० सदस्य
10-	श्री सैयद शिराज उस्मान	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा हुआ।

बैठक का प्रारम्भ मस्जिद चन्दर नगर, देहरादून के इमाम मौलाना अमानुल्लाह मजाहिरी द्वारा कुरआन पाक की तिलावत के साथ प्रारम्भ किया गया।

बिन्दु संख्या-1 गत बोर्ड बैठक की पुष्टि:-

गत बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या 7.1 — श्री मोहम्मद अली से सम्बन्धित प्रकरण में बोर्ड द्वारा जाँच समिति को उपलब्ध कराये जाय। जाँच समिति का कार्यकाल एक माह हेतु बढाया जाता है। जाँच समिति उक्त अवधि के भीतर जाँच रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

बिन्दु संख्या- 7.15 दरगाह पिरान कलियर शरीफ के उर्स मेला, 2022 की जाँच हेतु प्रभुत्व सम्पन्न अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को उच्च स्तरीय जाँच हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोडकर अवशेष बिन्दुओं की पुष्टि की गयी।

(181)

बिन्दु संख्या-2(5)
गाईन मदरसों हेतु उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में से निम्नलिखित मदरसों का चयन किया गया:-

1- वक्फ संख्या 108(A-13 देहरादून) मुस्लिम जूनिया लई मदरसा, देहरादून।
2- वक्फ संख्या 134-138 मदरसा रहमानिया, रवदीमा, ऊधमसिंहनगर।
3- वक्फ संख्या- 113, 115, 385 आदि मदरसा रहमानिया, रुद्रपुरी।
4- वक्फ संख्या-01 जामा मस्जिद व मदरसा, रामनगर, नैनीताल।
5- वक्फ संख्या- 11 मदरसा इशातुल हक, हल्द्वानी, नैनीताल।
6- वक्फ संख्या- 3624 जामिया अरबिया अल्ल मोमीन, मोहल्ला पिरान, मंगलोर, हरिद्वार।
7- वक्फ संख्या- 624 मस्जिद व मदरसा, लक्सर हरिद्वार।

क्र०सं०-01 से 04 तक के मदरसों को प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बोर्ड द्वारा विकसित किया जायेगा। तदोपरान्त द्वितीय चरण में क्र०सं०- 5, 6 एवं 07 में अंकित मदरसों को विकसित किया जायेगा।

उपरोक्त क्र०सं०-01 एवं 02 में अंकित वक्फों के प्रबन्धन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पत्रावली के अध्ययनोपरान्त यह तथ्य पाया गया कि वक्फ प्रबन्धन के क्रियाकलाप संतोषजनक नहीं पाये गये हैं। क्र० सं०-3 में अंकित वक्फ के कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस्तिफा दिया गया है, जिसको बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया। इसी प्रकार क्र० सं०-04 में अंकित वक्फ के प्रबन्धन द्वारा इस्तिफा दिया गया है, जिसको भी बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

अतः वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत क्रम सं०-01 से 04 तक के वक्फ प्रबन्धनों को अपने प्रत्यक्ष नियन्त्रण में लेते हुए तीन वर्ष की अवधि अथवा बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक प्रशासकों की नियुक्ति किये जाने हेतु सुरक्ष कार्यपालक अधिकारी को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32(ण) के अन्तर्गत अधिरोपित किया गया।

उपरोक्त मदरसों की वर्तमान व्यवस्थाओं का आंकलन मण्डलाध्यक्ष वक्फ बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु निम्न प्रकार एक समिति का गठन किया जाना तय किया गया। गठित समिति दो माह के भीतर D.P.R./विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।

समिति निम्नवत रहेगी:-

1- श्रीमती कहकशा नसीम, मा० सदस्य (संयोजक)
2- श्री सरवत करीम अंसारी, मा० विधायक/मा० सदस्य
3- श्री शहजाद, मा० विधायक/मा० सदस्य
4- डॉ० हसन नूरी, मा० सदस्य
5- श्री मुनफैत अली, मा० सदस्य
6- श्री मुहम्मद अनीस, मा० सदस्य
7- श्री इकबाल अहमद, मा० सदस्य
8- श्रीमती जिया बानो, मा० सदस्य
9- श्री मुनव्वर अली, मा० सदस्य
10- श्री अनुराग सिंघल, चार्टर्ड एकाउण्टेंट
11- श्री कर्नल विरेन्द्र सिंह मलिक

2(ख) मदरसों में व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून स्थित किसी एक मदरसे का चयन करते हुए वहाँ ICICI फाउण्डेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाये जाने का निर्णय लिया गया

उक्त कार्य हेतु मा० अध्यक्ष, श्रीमती कहकशां नसीम, मा० सदस्य एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

2(ग) मदरसों में कोचिंग संस्थान चलाये जाने हेतु शिक्षा समिति द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे बोर्ड की अग्रिम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु संख्या-3 बोर्ड में पंजीकृत वक्फों के प्रबन्धन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में चर्चा एवं निर्णय :-

1- वक्फ संख्या- 19 आदि मस्जिद, धामावाला देहराइन के सम्बन्ध में पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं विवाद तथा कार्यरत प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के दृष्टिगत वक्फ प्रबन्धन को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा- 65 के अन्तर्गत बोर्ड के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेते हुए श्री गुलफाम शेख S/o मोहम्मद हनीफ निवासी- 444, शिवपुरी, भगत सिंह कालोनी, देहराइन को आगामी तीन वर्ष अथवा बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नियुक्त किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वक्फ अधिनियम, 1995 एवं सपठित वक्फ नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।

2- वक्फ संख्या-108 मजार वलीउल्लाह शाह, वक्फ संख्या- 109, ईदगाह एवं वक्फ संख्या- 252 मस्जिद, रूद्रपुर खेड़ा, उधमसिंहनगर में आगामी उर्स के दृष्टिगत सुचारू प्रबन्धन हेतु अग्रिमव्यवस्था तक श्री वाहिद मियाँ को पूर्व की भाँति वक्फ का दिन-प्रतिदिन का कार्य करने की अनुमति सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।

3- वक्फ संख्या- 507 मजार कालू शहीद, स्थित जसपुर, उधमसिंहनगर के सुचारू प्रबन्धन हेतु पूर्व में प्रचलित विवाद एवं मा. वक्फ अधिकरण के आदेश के दृष्टिगत दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु तथा सुनवाई उपरान्त समिति की वैकल्पिक नियुक्ति बोर्ड की आगामी बैठक तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-32(ण) के अन्तर्गत अधिकृत किया गया साथ ही उनको यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय, प्रस्ताव पारित किया गया।

4- वक्फ संख्या- 718 मोती मस्जिद, इमारत मोती मस्जिद मय आठ कता दुकानात व एक कता मकान वाके मौहल्ला कानूनगोयान रूड़की, जिला हरिद्वार के सुचारू प्रबन्धन हेतु श्री मौहम्मद अहमद की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय प्रबन्धन समिति जिसका कार्यकाल दिनांक- 27/09/2018 को समाप्त हो गया था इस प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त अवधि से वर्तमान अवधि तक विधिक मानते हुए अग्रिम तीन वर्षों की अवधि के लिये बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

5- वक्फ संख्या- 44499 शिया हरिद्वार के सुचारू प्रबन्धन हेतु श्री सैयद शिराज मेहन्दी S/O मौहम्मद शाह मेहन्दी की अध्यक्षता में नियुक्त सात सदस्यीय प्रबन्ध समिति जिसका कार्यकाल दिनांक 16/02/2020 को समाप्त हो गया था, इस प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त अवधि से वर्तमान अवधि तक विधिक मानते हुए अग्रिम तीन वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

6- वक्फ संख्या- 3937 वक्फ मस्जिद साबरी स्थित सत्ती मौहल्ला रूड़की में कार्यरत मुतवल्ली श्री मेहरबान अली का कार्यकाल दिनांक- 10/08/2026 अर्थात तीन वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बिन्दु संख्या- 4 वक्फ संख्या- 137 कांवली कब्रिस्तान के सुलहनामे दिनांक 23/10/2021 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सुलहनामे के सम्बन्ध में सर्वसम्मति न होने के कारण उपस्थित सदस्यों के मध्य हाथ उठाकर वोटिंग कराई गई प्रस्तुत सुलहनामा के पक्ष में श्री शादाब शम्स, मा. अध्यक्ष, श्रीमती कहकशां नसीम, मा. सदस्य, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री अमीस अहमद, श्री इकबाल, श्रीमती जिया बानो, डॉ. हसन नूरी द्वारा पक्ष में वोट दिया गया एवं बोर्ड के दो सदस्यों श्री मुनव्वर अली एवं श्री मुनफैत अली द्वारा समझौतानामा के पक्ष में अपना अभिमत नहीं दिया गया। जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत सुलहनामा का प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित किया गया।

उक्त सुलहनामे के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश तैयार निर्गत कर बोर्ड के अधिवक्ता को मा. वक्फ अधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या-5 श्री मामून रशीद, सहायक प्रोग्रामर को आज दिनांक से 31/03/2024 तक की अवधि हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत नियत पारिश्रमिक पर अस्थाई रूप में कार्य कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि विगत माहों में जिनमें उनके द्वारा कार्य किया गया है उसका भुगतान भी शर्त राशर्त किया जायेगा कि यदि श्री मामून रशीद को इस अवधि का मानदेय केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली द्वारा उनको प्राप्त होता है तो वह वक्फ निधि से भुगतान की गई धनराशि श्री मामून रशीद के द्वारा वक्फ निधि में वापस की जायेगी।

बिन्दु संख्या-6 बोर्ड कार्यालय में GeM पोर्टल/ई निविदा के माध्यम से सुयोग्य एजेंसी के द्वारा लेखाकार, विधि सहायक, डाटा इन्ट्री आपरेटर, जी. आई. एस. एक्सपर्ट, अनुसेवक कार्यालय सहायक इत्यादि को कार्योजित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं०-7 वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षार्थ एवं सम्पत्तियों में प्रभावी प्रबन्धनों के पर्यवेक्षण हेतु गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल हेतु एक-एक वक्फ निरीक्षक जो कम्प्यूटर दक्ष हो एवं अनुभवी हो GeM पोर्टल/ई-निविदा के माध्यम से कार्योजित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या-8 बिन्दु संख्या-7 में उक्त बिन्दु की चर्चा की गई तथा बिन्दु संख्या-7 में ही उक्त प्रस्ताव सम्मिलित किया गया।

Scanned with OKEN Scanne

बिन्दु संख्या-9 बोर्ड द्वारा स्वीकृत एवं समस्त कार्य / क्रय निविदा प्रस्तावों को खोले जाने हेतु पूर्व में जारी क्रय समिति को इस वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित किया जाता है तथा वित्त अधिक निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के वित्तीय मामलों में अभिमत प्राप्त करने के सम्बन्ध में अधिकृत किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-10 मुख्य कार्यपालक अधिकारी के उपयोगार्थ GeM पोर्टल / ई-निविदा के माध्यम से ~~किस~~ वाहन किराये पर लिये हेतु बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।

बिन्दु सं०-11 कार्यालय की सुसज्जा सम्बन्धी कार्य GeM पोर्टल / ई-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं०-12 कार्यालय में रक्षित महेन्द्रा स्कोर्पियों की नीलामी आर० टी० ओ० से आगणन प्राप्त कर इस सम्बन्ध में नीलामी प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं०-13 मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु पर चर्चा:—

1. बोर्ड की बैठक दिनांक- 16/11/2022 के बिन्दु संख्या-15 पर चर्चा करते हुए श्री सरवत करीम अंसारी मा० सदस्य द्वारा दरगाह के कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रकरण में आख्या प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

2- श्री राव शुऐब, मा. सदस्य द्वारा जनपद हरिद्वार में स्थित वक्फ सम्पत्तियों (सूची अनुसार) की जाँच कर आख्या मा० अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की गई।

अंत में मा. सदस्यों का धन्यवाद कर मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

3- श्री सरवत करीम अंसारी, मा. विधायक/मा. सदस्य द्वारा कि पूर्व की भाँति दरगाह पिरान कलियर के उर्स मेला 2023 हेतु निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसको बोर्ड द्वारा स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित आठ सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(1) श्री सरवत करीम अंसारी मा. विधायक/मा. सदस्य
(2) श्री शहजाद मा. विधायक/मा. सदस्य
(3) श्री राव शुऐब अली मा. सदस्य
(4) श्री अनीस अहमद मा. सदस्य
(5) श्री हसन चरी, मा. सदस्य
(6) श्री इकबाल अहमद मा. सदस्य
(7) श्रीमती रजिया बानो, मा. सदस्य
(8) श्री मुनव्वर अली, मा. सदस्य

4- ब.सं०-664 रुद्रप्रयाग के प्रबन्धन हेतु श्री नजमुल हसनवाड़ s/o अब्दुल हसनवाड़ को अग्रिम 03 वर्ष अथवा बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक के लिए मुतवल्ली नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

5- वक्फ सैजा-36 जामा मस्जिद, कालाढूंगी जिला-नैनीताल के प्रबन्धन के सम्बन्ध में गत समिति के समस्त पदाधिकारियों का देहान्त हो गया है। क्योंकि वर्तमान में बोर्ड के समक्ष कोई उचित प्रबन्धन का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त वक्फों को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत बोर्ड के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेते हुए श्री इकबाल हुसैन s/o श्री हुसैन बख्श निवासी-ढिकुली नैनीताल को एक वर्ष की अवधि अथवा बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक की अवधि हेतु प्रशासक नियुक्त किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

6- वक्फ सं0क्रा- 10 जामा मस्जिद, सिरगोटिया, रुद्रपुर जिला-ऊधमसिंहनगर हेतु गत प्रबन्ध समिति जिसका कार्यकाल दिनांक- 25/04/2021 को समाप्त हो गया है, लेकिन समिति द्वारा कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में गत समिति के स्थान पर श्री रईस अहमद की अध्यक्षता एवं श्री इरशाद अंसारी की सचिवता में 9 सदस्यीय प्रबन्ध समिति को अग्रिम ~~दो~~ दो वर्ष की अवधि नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

7- वक्फ सं0क्रा- 63 मस्जिद व मदरसा इस्लामिया, भमरौला तहसील- किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर की मस्जिद के प्रबन्धन हेतु श्री इकरार अहमद की अध्यक्षता में सात सदस्यीय प्रबन्ध समिति की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि हेतु किये जाने तथा मस्जिद के जीर्णोद्धार कराये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

8- वक्फ सं0क्रा- 15, 16 वक्फ जामा मस्जिद कोटद्वार जिला-पौड़ी गढ़वाल के सुचारू प्रबन्धन हेतु कार्यालय शाप सं0क्रा- 1607 दिनांक- 14/03/2022 को अतिक्रमित करते हुए श्री ताजुद्दीन s/o स्व0 अली हसन निवासी- लकड़ी पड़ाव, मनियाली तल्ली तहसील- कोटद्वार को अग्रिम दो वर्ष की अवधि हेतु मुतवल्ली नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

9- वक्फ सं0क्रा 50 एवं 56 मस्जिद एवं कब्रिस्तान स्थित महेशपुरा तहसील काशीपुर के प्रबन्धन हेतु गत समिति हेतु कार्यवाहक बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। इस वक्फ के लिये श्री मोहम्मद युनूस s/o स्व0 फकीर मोहम्मद की अध्यक्षता एवं सगीर अहमद s/o अब्दुल अजीज की सचिवता में सात सदस्यीय प्रबन्ध समिति अग्रिम दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

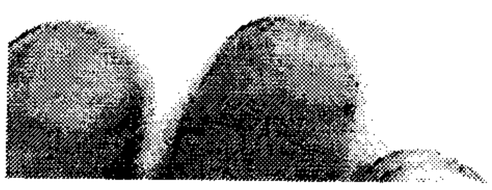

Scanned with OKEN Scanner

श्री शाहाब शम्स, मा० अध्यक्ष उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की ~~बैठक~~ अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक- 20/11/2023 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:—

1-	सर्व श्री शाहाब शम्स	मा० अध्यक्ष
2-	" शहजाद, मा० विधायक	मा० सदस्य
3-	" इकबाल अहमद	मा० सदस्य
4-	" मुहम्मद अनीस	मा० सदस्य
5-	" मुनव्वर अली	मा० सदस्य
6-	श्रीमती जिया बानो	मा० सदस्य
7-	" श्रीमती कहकशा नसीम	मा० सदस्य
8-	" डॉ० मोहम्मद हसन चूरी	मा० सदस्य
9-	" मुनफैत अली	मा० सदस्य
10-	" सैयद सिराज़ उस्मान	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सर्वप्रथम कलाम पाक की तिलावत के उपरान्त स्व० सरवत करीम अंसारी, मा० विधायक/मा० सदस्य, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के लिये दुआयें मगफिरत की गयी।

बिन्दु सं०- पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि:—

7:1— जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा श्री मोहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक के विरूद्ध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जांच में श्री अली को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना है, जिसे बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

2क- ~~श्री~~ मा० सदस्य, श्री शहजाद, श्री मुनफैत अली, मा० सदस्य एवं श्री मुनव्वर अली, मा० सदस्यगण द्वारा टिप्पणी की गयी कि इस बिन्दु के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासकों के नाम पर बोर्ड बैठक में कोई चर्चा नहीं हुयी थी और ना ही बोर्ड द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को धारा-27 की शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया है।

उक्त टिप्पणी से शेष सदस्यों द्वारा असहमत होते हुए प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

CEO

2ग- मॉडल मदरसों के प्रशासकों के साथ शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया।

शेष बिन्दुओं की पुष्टि की गयी।

अन्य बिन्दु 3-(1) उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, हरिद्वार से बैठक कर उचित कार्यवाही की जाय।

तदनुसार गत बोर्ड बैठक में पारित प्रस्तावों की पुष्टि की गयी।

बैठक बिन्दु- 3- वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-29(3) के अन्तर्गत वक्फ प्रबन्धनों से सूचना मांगे जाने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जो कि ~~उन्हें~~ धर्मार्थ के धार्मिक स्थलों में सूचना का अधिकार के प्रयोग व लागूकरण की प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

समिति निम्न प्रकार होगी-

1- श्री राव मुनफैत अली, मा. सदस्य
2- डॉ. मोहम्मद हसन नूरी, मा. सदस्य
3- श्री मुनव्वर अली, मा. सदस्य

बैठक बिन्दु- 4- जमात फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में बोर्ड द्वारा वर्तमान में उक्त कार्य हेतु उपलब्ध किसी वक्फ सम्पत्ति को पर दो या तीन वर्ष हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निःशुल्क कोचिंग सेन्टर का संचालन जमात फाउण्डेशन द्वारा किया जाय, जिसमें उत्तराखण्ड के शत प्रतिशत छात्र हों, पायलट प्रोजेक्ट पर सफलता पर ही जमीन का आवंटन किया जायेगा, प्रस्ताव पारित किया गया।

CEO

बिन्दु संख्या-5 ~~उक्त~~ प्रस्ताव पर अधिवक्ता के बिलों का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-6- मौडल मदरसों के संचालन में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में आनलाईन बैठक किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-7 बोर्ड कार्यालय के विविध मद में जलपान हेतु रू० 10,00/- (दस हजार मात्र) जलपान में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बिन्दु संख्या-8- सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या- 36882/(209) में पारित आदेश दिनांक-27/09/2023 के अनुपालन में बोर्ड ~~द्वारा~~ के मा० सदस्य, श्री शहजाद द्वारा ~~संज्ञान~~ बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि उक्त आदेश को लागू किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धा0-29 की शक्तियों का प्रतिनिधायन तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नहीं किया गया था, जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति जतायी गयी, और सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश संख्या- 360 दिनांक-05/07/2023 को निरस्त किया गया।

बिन्दु संख्या--9- शिक्षा समिति की बैठक का 1 बिन्दु, 1 बिन्दु संख्या-6 से सम्बन्धित में चर्चा की जा चुकी है।

बिन्दु संख्या-10 वक्फ प्रबन्धन एवं पंजीकरण के प्रकरणों पर चर्चा एवं निर्णय:—

~~10(2)~~ (1) वक्फ संख्या- 70 हरिद्वार में श्री अब्दुल कुद्दूस अंसारी का कार्यकाल 01 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक के लिये बढ़ाये जाने की सर्वसम्मति से पारित किया गया, उक्त प्रस्ताव श्री शहजाद मा0 विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया।

(2) वक्फ संख्या- 624 मस्जिद लम्मा बाला, हल्दिा के प्रबन्धन हेतु मा० सदस्य, श्री शहजाद, मा०विधायक द्वारा श्री फुरकान अहमद की अनुशंसा में प्रेशोधित प्रबन्ध समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक बढ़ाये जाने प्रस्ताव पारित किया गया।

(3) वक्फ सं०- 448 मजा मुल्तान शाह के सम्बन्ध में डॉ० हमा नूरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक बढ़ाये जाने की सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया है।

(4) वक्फ सं०- 134 मजा जाफर शाह अघमसिहना में श्री इकबाल अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मुतवल्ली का कार्यकाल 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक बढ़ाये जाने तथा निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(5) वक्फ संख्या- 623 नैनीताल के सम्बन्ध में श्री नूरी मा० सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में श्री निसार खां को 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक मुतवल्ली नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

(6) वक्फ सं०-259 देहरादून के प्रबन्धन के सम्बन्ध श्री अनीस अहमद, मा० सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में श्री ~~खलील~~ खालिद मैंमूदी को मुतवल्ली 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

(7) वक्फ सं०- 196 देहरादून के प्रबन्धन हेतु श्री इकबाल अहमद मा० सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में श्री नाजिर ~~हुसैन~~ वाली प्रबन्ध समिति को अग्रिम 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

(08) वक्फ में नये पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रस्तावों (जिलाधिकारी कानपुर से प्राप्त रिपोर्ट) ~~पर अग्रिम~~ अविवादित प्रकरणों को निम्नानुसार (दर्ज एवं प्रबन्धन की तैनाती हेतु बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति पारित किये प्रस्तावों का विवरण:—

क- TN-949 देहरादून — उस्मान खान
ख- TN-966 देहरादून — श्री मंसूर अली
ग- TN-959 हरिद्वार — श्री अफजाल अहमद
घ- TN-973 हरिद्वार — श्री राव हारून
ङ- TN-974 हरिद्वार — श्री इरफान अहमद
च- TN-932 USN — श्री इदरीश
छ- TN-963 USN — श्री शाहबीर
ज- TN-930 USN — श्री मौहम्मद आसलम

(09) वक्फ सं०-23 उच्चभिलेखन के सम्बन्ध में डॉ० हसन रूही, भा० प्रबन्ध द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक बढ़ाये जाने के सम्बंधित में यह सुनिश्चित कर लिया जाय किसी न्यायालय अथवा अन्य किसी पाने आदि में मुकदमा प्रचलित न हो, पारित किया

(10) वक्फ सं- 4512 हरिद्वार में श्री शहजाद, भा० विधायक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में श्री अहसान अंसारी की अध्यक्षता में प्रबन्ध समिति की नियुक्ति 02 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को विधिक रिपोर्ट तथा पत्रावली का अवलोकनोपरान्त उचित निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

CEO

जिलाधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(1)

मैनुअल संख्या – 09

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(A Directory of its Officers and employees)

(१०८)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में कार्यरत अहिधकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत हैं:—

क0सं0	नाम	पदनाम
01.	श्री एस0एस0 उस्मान	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
02.	श्री मौहम्मद अली	वक्फ निरीक्षक
03.	श्री सोहन सिंह रावत	रिकॉर्ड कीपर
04.	श्री आलिम खान	कनिष्ठ सहायक
05.	राजेन्द्र प्रसाद पंत	कनिष्ठ सहायक

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में नियत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण।

क0सं0	नाम	पदनाम
01.	श्री मामून रसीद	असिस्टेंट प्रोग्रामर
02.	श्री बंशराज मौर्य	वाहन चालक कम मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ
03.	श्री मौहम्मद आबिद	अनुसेवक

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(1)

मैनुअल संख्या – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

(Monthly remuneration received by each of its Officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारियों को देय मासिक परिलब्धियों माह (दिसम्बर, 2023 के अनुसार) का विवरण निम्नवत है।

क0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान (रू0)
01.	श्री एस0एस0 उस्मान	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अतिरिक्त प्रंभार)	उत्तराखण्ड पावर कारपो0 लि0 द्वारा देय।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को देय वेतनमान का विवरण निम्नवत है:–

क0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान (रू0)
01.	श्री मौहम्मद अली	वक्फ निरीक्षक	रू0 35400–112400
02.	श्री सोहन सिंह रावत	रिकॉर्ड कीपर	25500–81100
03.	श्री आलिम खान	कनिष्ठ सहायक	21700–69100
04.	राजेन्द्र प्रसाद पंत	कनिष्ठ सहायक	21700–69100

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में नियत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण।

क0सं0	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक मानदेय
01.	श्री मामून रसीद	असिस्टेंट प्रोग्रामर	रू0 25,000/– प्रतिमाह
02.	श्री बंशराज मौर्य	वाहन चालक कम मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ	570/– प्रतिदिन
03.	श्री मौहम्मद आबिद	अनुसेवक	पी0आर0डी0 द्वारा अनुमन्य दरों पर कार्यरत।

मैनुअल संख्या–11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोटो की विशिष्टयॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

(Budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)

1. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटित बजट एवं व्यय विवरण का ब्यौरा संलग्न है।

2. भारत सरकार की कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजनान्तर्गत वर्तमान अवधि में श्री मामून रशीद, असिस्टेंट प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत है।

File No. MWS-B/4/2023-XVII-B-I Minority Welfare Department Computer No. 618911
2023 Minority Welfare Section
I/156298/2023

संख्या: 732 / XVII-B-I / 2023-01(09) / 2021

प्रेषक,

एल. फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादून: दिनांक: 27 सितम्बर 2023

विषय– वित्तीय वर्ष 2023–24 में 'उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता' योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–539 / नि.अ.क. / बजट मांग / 2023–24, दिनांक 28.08.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग प्रस्ताव तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469 / 9(150)2019 / XXVII(1) / 2023, दिनांक 31.03.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–15 के 'राजस्व' पक्ष में 'उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता' योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि ₹ 300.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469 / 9(150)2019 / XXVII(1) / 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाा।
3. उक्त धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिस व्यय करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
4. मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन / वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि को कोषागार से नियमानुसार आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को हस्तगत कराया जायेगा।
7. कम्प्यूटर आदि क्रय किये जाने से पूर्व एन.आई.सी. / आई.टी. विभाग की नियमानुसार संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. फर्नीचर / उपकरण / कम्प्यूटर आदि के आवंटन के समय पदधारकों को नियमानुसार अनुमन्यता / मानकों एवं न्यूनतम आवश्यकता का परीक्षण कर क्रय किया जायेगा।

क्रमशः

9. उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि को नियमानुसार एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पूर्ण व्यय किये जाने के उपरान्त, उक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–02–उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता के मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/9(150)2019/ XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023, के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त (अलॉटमेंट आई0डी0)। S23090150020

भवदीय,

Signed by L Fanai
Date: 21-09-2023 17:42:13

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : ( )/XVII-B-1/20230–1(17)/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
9. राज्य योजना आयोग।
10. गार्ड फाईल।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

Generated from eOffice by CHITARESH KUMAR MITTAL, SO-Minority Welfare Section-CKM, SECTION OFFICER, Minority Welfare Department on 21-09-2023

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

(Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

(Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

ऐसा कोई कार्यकम लागू नहीं है जिसमें आवंटन प्राप्त और व्यय किया जाता हो। अतः उक्त धारा के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

(13)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–13

अपनें द्वारा अदुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

(Particulars of receipents of concessions, permits or áuthorization granted by it)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

(132) (199)

मैनुअल संख्या–13

अपनें द्वारा अदुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

(Particulars of receipents of concessions, permits or authorization granted by it)

उक्त धारा का उत्तराखएड वक्फ बोर्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

(133) (280)

मैनुअल संख्या–14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

(Details in respect of the information, available to or held by it's reduced in and electronic from)

बोर्ड सम्बन्धी समस्त विवरण इन्टरनेट पर बोर्ड की वैबसाईट **app.ukwms.org** पर उपलब्ध हैं।

134 201

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की

धारा–4(1) ख (1)

मैनुअल संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ जिनके अर्न्तगत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित है या कार्यकरण घंटे सम्मलित है।

(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

1. सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागत कक्ष में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है।

2. सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागत द्वार पर सूचना का अधिकार अधिनियम सम्बन्धी सूचना पट लगाया गया है।

3. सूचना कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

4. वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा–30 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी पत्रावली का मुआयना कर सकता है एवं उसमें से चिन्हित अभिलेखों की प्रतियॉ नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या 834 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 के द्वारा नियम संख्या 46(3) में प्रपत्र देने एवं नियम सं0 49 (1) में अभिलेखों के निरीक्षण हेतु नियम अधिसूचित किये गये हैं। चाही गई सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतियॉ प्राप्त किये जाने हेतु कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन **app.ukwms.org** के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं।

135 202

मैनुअल संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम और अन्य विशिष्टियॉं

(Names, designation and other particulars of the Public Information Officers)

विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री एस0एस0 उस्मान मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून। मो0 9557651517 Email: ceouk@wakf.gov.in
लोक सूचना अधिकारी	श्री सोहन सिंह रावत रिकॉर्ड कीपर उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून। मो0 9897995534 Email: sohansinghrawat962@gmail.com
सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री आलिम खान कनिष्ठ सहायक उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून। मो0 9634763148

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

(Any other information to be included)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय
(Any other information to be included)

भारत सरकार और राज्य सरकार से मुस्लिम कल्याण के लिए प्राप्त सुचनाओं को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के लिए विहित किया जाता है तथा अन्य सूचनाएं मैनुअल 01 से 16 में निहित हैं।